

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

महासमुन्द जिले से अन्य प्रान्तों में मजदूरों का पलायन

[श्रम]

1. (*क्र. 876) श्री धनेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- महासमुन्द जिले के कितने गांवों से कितनी संख्या में मजदूरों ने अन्य प्रान्त में वर्ष 2021-22 में 15/02/2022 तक मजदूरी करने के लिए पलायन किये है ? कृपया थानावार जानकारी देवे ? तथा प्रशासन द्वारा पलायन रोकने क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : महासमुन्द जिले के 551 गांवों से 30,009 मजदूरों ने अन्य प्रान्त में वर्ष 2021-22 में 15/02/2022 तक मजदूरी करने के लिए पलायन किये है। थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द से प्राप्त जानकारी अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15.02.2021 तक कुल 250547 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिनको 10819.88 लाख रूपये का मजदूरी भुगतान किया गया है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक"\]](#)

नान के द्वारा चना, गुड़ की आपूर्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 1328) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि नान के द्वारा चना व गुड़ आपूर्ति की जाती है ? यदि हाँ तो अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2022 तक किस-किस प्रदायकर्ता के द्वारा, किस-किस दर पर, कितनी-कितनी सामग्री का प्रदाय किया गया है? प्रदायकर्ता चयन हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार निविदाएं कितनी मात्रा के लिए की गई थी तथा इस निविदा के आधार पर कितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई व कितने प्रतिशत अधिक मात्रा में आदेश दिया गया ? (ग) कंडिका 'क' अनुसार सामग्री हेतु कब-कब, किस फर्म को आदेश दिया गया, उन्हें कितने दिनों के अंदर सामग्री प्रदान करनी थी व उनके द्वारा कितने दिन में व कितने विलम्ब से सामग्री प्रदान की गई? विलम्ब से सामग्री प्रदान करने पर जुर्माना/दण्ड का क्या प्रावधान है, क्या इसका पालन हुआ है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हाँ। अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2022 तक चना एवं गुड़ प्रदायकर्ता, दर एवम प्रदाय मात्रा की जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। चना क्रय हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 में 04.04.2020 को तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16.02.2021 को जारी की गई । मधुर गुड़ क्रय हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20.05.2020 को तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 09.04.2021 को जारी की गई। (ख) चना क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 61152.00 मेट्रिक टन मात्रा के लिए आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 52202.159 मेट्रिक टन मात्रा की तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 62760.00 मेट्रिक टन मात्रा के लिए आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 50097.343 मेट्रिक टन मात्रा (जनवरी, 2022 तक) की खरीदी की गई है। गुड़ क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 14000 मेट्रिक टन मात्रा के आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 10111.338 मेट्रिक टन मात्रा की तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 16800.00 मेट्रिक टन मात्रा के लिए आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 9399.054 मेट्रिक टन मात्रा (जनवरी, 2022 तक) की खरीदी गई है। प्रश्नांकित अवधि में चना एवं गुड़ क्रय हेतु अधिक मात्रा का प्रदाय आदेश नहीं दिया गया

है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में चना एवं गुड़ प्रदाय हेतु संबंधित फर्म को जारी आदेश एवं उनके द्वारा प्रदाय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब एवं स** अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में चना प्रदाय आदेश मात्रा को निविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार एक माह (30 दिवस) में सामग्री प्रदाय करने का प्रावधान था एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में चना प्रदाय आदेश मात्रा को निविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रथम प्रदाय आदेश को डेढ़ माह (45 दिवस) में प्रदाय करना है तथा उसके बाद दिये गये सप्लाई आदेश मात्रा को एक माह (30 दिवस) में प्रदाय करना है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् सामग्री प्रदाय मात्रा के लिए निविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार 2% कटौती करने का प्रावधान है जिसका पालन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुड़ प्रदाय आदेश मात्रा को निविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार एक माह (30 दिवस) में सामग्री प्रदाय करने का प्रावधान था। एक माह के पश्चात् निविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार 2% कटौती किये जाने का प्रावधान है जिसका पालन किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो"\]](#)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

3. (*क्र. 1209) डॉ. विनय जायसवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरिया जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अंतर्गत दिसम्बर, 2018 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक कुल कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) आवंटित राशि का व्यय कहा- कहाँ किया गया ? (ग) क्या व्यय की गई राशि को लेकर अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई, अगर प्राप्त हुई तो उसका क्या निराकारण किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) कोरिया जिला अन्तर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अन्तर्गत दिसम्बर, 2018 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक राशि रूपये 36.50 लाख आवंटित की गई है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"\]](#)

लड़की पक्ष द्वारा लड़का पक्ष (दामाद) को मारने की घटना

[गृह]

4. (*क्र. 923) श्री ननकी राम कंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रथम सूचना क्रमांक 1119 थाना कोरबा दिनांक 25.11.2021 के बाद थाना प्रभारी द्वारा पुलिसकर्मियों को आरोपी के घर पथल गांव, जिला रायगढ़ कितनी बार कार्यवाही हेतु भेजा गया? (ख) क्या यह बात सही है कि लड़की पक्ष वालों के द्वारा लड़की का नाम बदलकर प्रार्थी के साथ प्रार्थी के घर में घुसकर कई लोगों द्वारा मारपीट की गयी है? जिनकी नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एक बार भेजा गया था। (ख) जी नहीं, अपितु प्रकरण की जांच के दौरान लड़की के दो नाम क्रमशः आँचल अग्रवाल एवं रूपाली अग्रवाल होना पाया गया है। आँचल एवं उसके पति के बीच विवाद के कारण लड़की के मायके पक्ष के रिश्तेदार उसके पति प्रिंस अग्रवाल के घर पहुंचाने के लिए कोरबा गये थे, जहाँ लड़की को नहीं रखने पर प्रिंस के घर के सामने रोड पर गाली-गलौच, धक्का-मुक्की हुआ था। जिस पर लड़की पक्ष के 06 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है।

कोविड 19 के कारण मृत सफाई कर्मियों को मुआवजा एवं उनके परिवार के सदस्यों को सेवा में लिया जाना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 861) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कोविड-19 के कारण 31 जनवरी, 2022 तक कितने सफाई कर्मियों की मृत्यु हुई है? जिलेवार विवरण दें. (ख) प्रत्येक सफाई कर्मियों की मृत्यु पर कितना- कितना मुआवजा दिया गया है? क्या

यह मुआवजा फ्रंट लाइन वर्कर को दिए जाने वाले मुआवजे के बराबर है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या कोविड-19 से मृत सफाई कर्मियों के परिवार के सदस्यों/ उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति अथवा किसी अन्य प्रकार से सेवा में लिया गया है? हाँ, तो विवरण दें. यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रदेश में कोविड-19 के कारण 31 जनवरी, 2022 तक नगरीय निकायों में कुल 04 सफाई कर्मियों की मृत्यु संबंधी जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	निकाय का नाम	मृत सफाई कर्मियों की संख्या
1	महासमुन्द	न.पा.बागबाहरा	01
2	दुर्ग	न.नि.भिलाई	02
3	बिलासपुर	न.नि.बिलासपुर	01
	कुल योग		04

(ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को देय राशि रू. 50000/- का भुगतान नगर पालिका परिषद् बागबाहरा के 1 कर्मचारी, नगर पालिक निगम, भिलाई के 1 कर्मचारी एवं न.नि.बिलासपुर में 1 कर्मचारी को किया गया है। न.नि.भिलाई के 1 कर्मचारी का आवेदन प्रक्रियाधीन है। (ग) कोविड-19 से मृत सफाई कर्मियों के परिवार के सदस्यों/उत्तराधिकारियों में से न.नि.भिलाई के द्वारा 1 आवेदक तथा न.नि.बिलासपुर में 1 आवेदक के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं तथा न.नि.भिलाई के 1 आवेदक एवं न.पा.बागबाहरा के 1 आवेदक के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हता न होने के कारण शासन निर्देशों के पालन में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखे जाने बाबत निर्देश हैं। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार"\]](#)

रायपुर जिले में संचालित बायोडीजल पंप

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 1286) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या सही है कि रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित हैं, अगर हाँ तो क्या पंप संचालकों के द्वारा सरकारी नियमों का पालन किया गया है ? (ख) अगर नहीं तो क्यों ? पंप संचालकों पर विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है यदि हाँ अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वर्तमान में रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश 'क' की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर पंचायत बसना एवं पिथौरा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (*क्र. 1119) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में नगर पंचायत बसना एवं पिथौरा में किन योजनाओं में किन कार्यों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ख) कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं, कितने अपूर्ण हैं, अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"\]](#)

धान के भीगने, खराब होने व परिवहन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 1256) श्री नारायण चंदेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 से 07 फरवरी 2022 तक जांजगीर-चाम्पा जिले के किन-किन विकास खण्डों के कौन-कौन से धान खरीदी केन्द्रों में बेमौसम हुई बारिश से कितना-कितना धान भीगा व खराब हुआ? (ख) उक्त जिले में प्रश्नांश 'क' अवधि में कितनी राशि का धान भीगा व खराब हुआ है, शासन को कितनी राशि की क्षति हुई है? (ग) मौसम विभाग द्वारा पूर्व से बेमौसम बारिश होने के सूचना के बाद भी सोसायटियों में धान को भीगने से बचाने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं किये हेतु कौन-कौन दोषी है, दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) सोसायटियों में धान खरीदी की तिथि समाप्त होने के बाद कितने दिनों में परिवहन किये जाने का प्रावधान है? किन-किन फर्मों के द्वारा जिले के धान का परिवहन किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रश्नांकित अवधि में जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में बेमौसम बारिश से धान भीगा व खराब नहीं हुआ है । (ख) प्रश्नांश 'क' की जानकारी के परिपेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) मौसम विभाग से बेमौसम बारिश होने की पूर्व सूचना के बाद सहकारी समितियों ने उपार्जन केन्द्रों में धान को भीगने से बचाने हेतु तिरपाल, कैप कव्हर आदि की व्यवस्था किया जाकर बारिश से भीगने से बचाने की कार्यवाही की गई है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (घ) धान उपार्जन नीति 2020-21 के अनुसार दिनांक 28.02.2021 तक तथा खरीफ वर्ष 2021-22 की उपार्जन नीति के अनुसार खरीदी केन्द्र में भंडारित समस्त धान को विपणन संघ द्वारा दिनांक 28.02.2022 तक उठाव कराये जाने के निर्देश है । जांजगीर-चांपा जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 में परिवहनकर्ता श्री दिनेश शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री दिनेश मिश्रा, श्री वाई.के. जैन, श्री रामकुमार यादव, श्री संतोष कुमार यादव, श्री जयप्रकाश गोयल एवं श्री विमल कुमार गोयल के द्वारा तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में श्री दिनेश शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री दिनेश मिश्रा, श्री रामकुमार यादव, श्री जयप्रकाश गोयल, श्री विमल कुमार गोयल, श्री हिमांशु अग्रवाल एवं श्री नितिन कुमार अग्रवाल के द्वारा जिले में धान परिवहन का कार्य किया गया है ।

नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड अंतर्गत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (*क्र. 1122) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) सिहावा विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड में वर्ष 2019-20 से 10 फरवरी, 2022 तक कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) कितने हितग्राहियों का नाम प्रतीक्षा सूची में है? (ग) उपरोक्त स्वीकृत सूची में कितने आवासों का निर्माण अपूर्ण है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) सिहावा विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड में वर्ष 2019-20 से 10 फरवरी, 2022 तक कुल 862 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। निकायवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है (ख) योजना अंतर्गत प्रतीक्षा सूची निरंक है। (ग) उपरोक्त स्वीकृत सूची में कुल 764 आवासों का निर्माण अपूर्ण है। निकायवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

मुआवजा विषयक
[लोक निर्माण]

10. (*क्र. 1268) श्री पुन्नुलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मेन रोड से चाकापेण्ड्रा, गाडामोर, प्रतापपुर मार्ग मुंगेली से नांदघाट एवं मुंगेली विधानसभा श्रेत्र में कुल ऐसे कितने मार्ग

हैं, जिनमें किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है? अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन के एवज में मुआवजा राशि किस दर से दी जा रही है ?जनवरी,2022 तक कौन-कौन से गांव के कितने किसानों को मुआवजा दिया गया ? कितना शेष है ग्रामवार बतावें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात"\]](#)

नगर पंचायत भखारा में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण [नगरीय प्रशासन एवं विकास]

11. (*क्र. 1261) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या नगर पंचायत भखारा के द्वारा खसरा नं-0-330/4 में व्यवसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है यदि हां तो परिषद में किस दिनांक को हुआ? क्या उक्त प्रस्ताव का सामान्य सभा से अनुमोदन लिया गया है ? यदि हां तो किस दिनांक को अनुमोदन किया गया बतावें? क्या उक्त प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल था ? (ख) क्या उक्त स्थल पर निर्माण हेतु नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारियों से अनुमति ली गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से अनुमति ली गई है एवं उक्त अनुमति नगर पंचायत भखारा को कब प्राप्त हुई? (ग) उक्त निर्माण कार्य हेतु किस मद से कितनी राशि से काम्पलेक्स में कितनी दुकान बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था एवं वर्तमान में कितनी दुकान बनायी जा रही हैं? (घ) क्या उक्त निर्माण के पूर्व संबंधित विभाग से आधिपत्य एवं भूउपयोगिता में परिवर्तन कराया गया है यदि हां तो कब पत्र जारी किया गया था एवं कब प्राप्त हुआ? (ड.) क्या उक्त निर्माण कार्य में किसी प्रकार की शिकायत या न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है यदि हां तो अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां । परिषद की बैठक दिनांक 18.11.2020 के प्रस्ताव क्रमांक 04 में शासकीय भूमि खसरा नं. 330/4 में व्यवसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया गया है। दिनांक 18.11.2020 को आयोजित बैठक के एजेंडा में अनुमोदन दिया गया है। यह प्रस्ताव एजेंडा क्रमांक 04 में शामिल था। (ख) जी नहीं। उक्त निर्माण शासकीय भूमि में किया जा रहा है। कलेक्टर जिला धमतरी के आदेश क्रमांक 373 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा उक्त भूमि नगर पंचायत भखारा को निशुल्क हस्तांतरित की गयी है। आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) यह स्व-वित्तीय योजना के तहत कराया जा रहा है जिसमें 04 नग दुकान का निर्माण कुल लागत राशि रूपये 38.08 लाख से कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (घ) प्रश्नाधीन भूमि कलेक्टर, धमतरी के आदेश क्रमांक 373 दिनांक 19.06.2014 द्वारा निकाय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। भूउपयोगिता के संबंध में पृथक से कोई अनुमति नहीं लिया गया है । (ड.) जी हां। वर्तमान में प्रकरण अपर आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण में मान. न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2022 द्वारा स्थगन जारी होने के फलस्वरूप निर्माण कार्य बंद है ।

सिमगा-चिल्फी NH30 मार्ग निर्माण [लोक निर्माण]

12. (*क्र. 1383) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली NH30 सिमगा-चिल्फी मार्ग का निर्माण किस वर्ष किस ठेकेदार के द्वारा किया गया है ? (ख) क्या 'क' सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर ठेकेदार द्वारा सड़क राज्य सरकार को सौंप दी गयी है तथा सड़क के मरम्मत का कार्य किस ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"\]](#)

जिला नारायणपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]

13. (*क्र. 1251) श्री चंदन कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला नारायणपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यालय नारायणपुर में बखरूपारा से नया बस स्टैण्ड मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य एवं पुराना बस स्टैण्ड से नया रेलवे लाईन पहुंच मार्ग निर्माणाधीन है ? (ख) कंडिका "क" के कार्य वर्तमान में किस एजेंसी द्वारा किये जा रहे हैं, निर्माण कब तक पूर्ण कर लिये जावेगें ? एजेंसी को किये गये भुगतान, पूर्ण/अपूर्ण की अद्यतन जानकारी देवें ? (ग) कंडिका "क" के कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि क्या है ? समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित आवासों की जिलेवार जानकारी
[गृह]

14. (*क्र. 641) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा किस-किस जिले में पुलिस कर्मचारियों के लिए कितने-कितने आवास बनाए गए हैं? (ख) पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा बनाए गए आवासों में कितने पुलिस कर्मचारियों को उनकी पात्रतानुसार आवास आवंटित कराया गया है? जिलेवार संख्या बताएं। (ग) कितने पुलिस कर्मचारियों ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जनवरी, 2022 तक आवास हेतु आवेदन किया था जिनमें से कितने पुलिस कर्मचारियों को आवास आवंटन किया गया और कितने को नहीं किया गया? रिक्त एवं आवंटित आवासों की संख्या जिलेवार देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्षित है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्षित है। (ग) प्राप्त आवेदन 11,607 जिसमें आबंटित 4,404 शेष 7,203 है तथा रिक्त एवं आबंटित आवासों की जानकारी जिले/इकाईवार सूची संलग्न प्रपत्र "स" पर दर्षित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में सन्निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिजनों द्वारा सहायता हेतु प्राप्त आवेदन की स्वीकृति

[श्रम]

15. (*क्र. 1366) श्री अनूप नाग : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से दिनांक 23-02-2022 तक कितने सन्निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों द्वारा मृतक सहायता राशि हेतु कब-कब आवेदन किया गया ? (ख) उक्त में से कितने प्रकरण स्वीकृत किये गए एवं कितने प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं, कितने प्रकरण अस्वीकृत किये गये ? कारण सहित बताएं। (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण, निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से दिनांक 23-02-2022 तक 10 सन्निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों द्वारा सहायता राशि हेतु किये गये आवेदन की तिथिवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) उक्त में से सभी 10 मृतक श्रमिक के नॉमिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके है। कोई भी आवेदन जांच हेतु लंबित नहीं है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

रायपुर - केन्द्री एक्सप्रेस वे में अनियमितता तथा विभाग की कार्यवाही
[लोक निर्माण]

16. (*क्र. 1362) श्री शिवरतन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर - केन्द्री एक्सप्रेस रोड निर्माणकर्ता एंजेंसी कौन थी? उक्त सड़क निर्माण कार्यों में पायी गयी अनियमितता के लिये किस-किस अधिकारी को निलंबित किया गया है तथा निर्माण में कौन-कौन सी अनियमितता थी? (ख) उक्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत किस कांफॉरिशन द्वारा कराया गया था तथा अनियमितता के दोषी अधिकारी क्या उक्त कार्यालय के मूल कर्मचारी थे या उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिया गया था ? (ग) निलंबित अधिकारियों को निलंबन के कितने दिन पश्चात किन-किन बिंदुओं पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा विभागीय जांच बैठायी गयी तो जांच पूर्ण करने की समय सीमा क्या निर्धारित थी ? कितनी जांच पूर्ण हो गयी, कितनी जांच अपूर्ण है, अपूर्ण होने के कारण क्या है? (घ) किस-किस निलंबित अधिकारी को कब-कब, किस-किस आधार पर सेवा में पुनः बहाल किया गया तथा निर्माणकर्ता ठेकेदार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) मेसर्स आयरन टैंगल लिमिटेड, अहमदाबाद । जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) छ.ग. सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, रायपुर। अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

किसानों द्वारा की गई आत्महत्या ।

[गृह]

17. (*क्र. 786) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जनवरी, 2019 से दिनांक 12.02.2022 तक प्रदेश में कितने किसानों द्वारा आत्महत्या करने पर शासन द्वारा मुआवजा / सहायता राशि दी गयी ? मुआवजा / सहायता राशि देने का क्या नियम है? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार इनमें कितने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अल्प पिछड़ा वर्ग के थे? कृपया वर्गवार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रावधान नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में किसान आत्महत्या के प्रकाश में आए मामलों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

पामगढ़ से डोंगाकोहरौद, भिलौनी, ससहा, जोंधरा होते हुए डोटोपार सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

18. (*क्र. 1317) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पामगढ़ से डोंगाकोहरौद, भिलौनी, ससहा, जोंधरा होते हुए डोटोपार तक कितनी लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है? कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी दें? (ख) क्या ग्राम डोंगाकोहरौद में किसानों की निजी भूमि प्रभावित हो रही है? यदि हां तो क्या किसानों को मुआवजा दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) पामगढ़ से डोंगाकोहरौद, भिलौनी, ससहा सोनसरी, जोंधरा, लाहौद मार्ग का निर्माण रू. 6122.40 लाख की लागत से कराया जा रहा है। कार्य पूर्ण - 26.660 कि.मी. लंबाई में। कार्य अपूर्ण - 4.337 कि.मी. लंबाई में। (ख) जी हां। जी नहीं। ग्राम डोंगाकोहरौद में विद्यमान मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य करने के स्थान पर बायपास मार्ग निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

19. (*क्र. 1350) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में दिनांक 10 फरवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने डी.पी.आर. स्वीकृत हुए हैं ? हितग्राहियों की संख्या बतायें ? (ख) प्रश्नांक 'क' के उत्तर में कितने को भवन अनुज्ञा जारी की जा चुकी है और भुगतान की स्थिति क्या है ? (ग) वर्तमान में कितने हितग्राहियों की भवन अनुज्ञा जारी करना शेष है, उनको कब तक जारी कर दी जावेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में दिनांक 10 फरवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 01 डी.पी.आर. स्वीकृत हुआ है, जिसमें हितग्राहियों की संख्या 443 है। (ख) प्रश्नांक 'क' के उत्तर में 308 को भवन अनुज्ञा जारी की जा चुकी है, और किसी प्रकार का भुगतान नहीं की गई है। (ग) वर्तमान में 135 हितग्राहियों की भवन अनुज्ञा जारी करना शेष है। हितग्राहियों के पात्रता एवं भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों का परीक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत पात्र हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा जारी कर दी जावेगी।

बस्तर जिले में गांजा तस्करी के पंजीबद्ध प्रकरण
[गृह]

20. (*क्र. 1313) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर जिले में वर्ष 2019 से 20/02/2022 तक गांजा तस्करी व शराब तस्करी के कितना प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं ? जानकारी वर्षवार बतावें ? (ख) कृपया बतावें कि इस प्रकार की तस्करी पर शिकंजा कसने गृह विभाग क्या-क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"\]](#)

बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर को कोविड सेंटर बनाया जाना
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

21. (*क्र. 1300) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि कोरोना महामारी के दौरान रायपुर नगर निगम पालिका के द्वारा बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कोविड सेंटर बनाया गया था ? यदि हाँ तो किस अवधि से किस अवधि तक बनाया गया था तथा इसमें कुल कितनी राशि, किन-किन फर्मों को किसके फण्ड से दी गयी ? (ख) क्या यह सही है कि सीसीटीवी कैमरा, साउंड सिस्टम, इंटरकॉम, वायर, बड़े बिजली बल्ब, सीएफएल बल्ब, ए.सी. व कूलर किराये पर लिये गये थे ? यदि हाँ तो इसके लिए कुल कितनी राशि, किस-किस फर्म को, किस दर पर, भुगतान की गई है व कितनी राशि भुगतान की जानी शेष है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम को नगर निगम द्वारा नहीं अपितु रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा दिनांक 25.07.2020 से 29.10.2020 एवं 12.04.2021 से 31.05.2021 की समयावधि में अस्थाई कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राशि रूपये 23664045.00 एवं नगर निगम रायपुर द्वारा राशि रूपये 1881179.00 व्यय किया गया है। विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु अस्थाई कोविड केयर सेंटर कोविड-19 महामारी के आपातकालीन स्थिति एवं लॉक डाउन अवधि में सीसीटीवी कैमरा, साउण्ड सिस्टम, इंटरकॉम, विद्युत व्यवस्था हेतु केबल, आंतरिक एवं बाह्य प्रकाश व्यवस्था हेतु मेटल हेडलाइट, बल्ब एवं ए.सी व कूलर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वार्षिक दर अनुबंध निविदा क्र.

208/स्मार्ट सिटी/2019 दिनांक 26.11.2019 एवं निविदा क्र. 372/RSCL/2021 रायपुर दिनांक 26.03.2021 में स्वीकृत न्यूनतम दर अनुसार किराये पर लिये गये थे। भुगतान संबंधित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-“ब”** अनुसार है। इंटरकॉम का राशि रूपये 2010600.00 का भुगतान किया जाना शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह"\]](#)

राजनांदगांव जिले में घुमका पटेवा मार्ग पर निर्माणाधीन पुल

[लोक निर्माण]

22. (*क्र. 1248) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले के घुमका पटेवा मार्ग पर सोनबरसा नाला में निर्माणाधीन पुल का टेंडर कब किया गया था ? टेंडर राशि, ठेकेदार / फर्म का नाम सहित टेंडर अवधि की जानकारी दें ? (ख) क्या ठेकेदार द्वारा निर्धारित टेंडर अवधि में कार्य पूर्ण किया गया है ? या समय पर पूर्ण नहीं करने पर समय वृद्धि दी गई है ? क्या टेंडर राशि में एक्सटेंशन किया गया है ? यदि हां, तो कब तक की समय वृद्धि हुई व कितनी राशि का एक्सटेंशन प्रदान किया गया ? (ग) क्या ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्यों का सतत निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) राजनांदगांव जिले के घुमका पटेवा मार्ग पर सोनबरसा नाला में निर्माणाधीन पुल का टेंडर दिनांक-20.05.2020 को किया गया था। टेंडर राशि रू. 360.41 लाख है। ठेकेदार/फर्म का नाम-मे. जैन कंस्ट्रक्शन कम्पनी, “अ” वर्ग ठेकेदार, सदर बाजार, राजनांदगांव। अवधि 10 माह (वर्षाऋतु सहित) (ख) ठेकेदार द्वारा निर्धारित टेंडर अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया। समय पर पूर्ण नहीं करने पर समय वृद्धि दी गई है। टेंडर राशि में एक्सटेंशन नहीं किया गया। समय वृद्धि दिनांक 31.03.2022 तक दी गई है। (ग) जी हाँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में पर रायपुर से जगदलपुर मार्ग सड़क दुर्घटना

[गृह]

23. (*क्र. 115) श्री मोहन मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020 एवं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में पर रायपुर से जगदलपुर मार्ग सड़क दुर्घटना के कितने मामले पंजीबद्ध हुए ? वर्षवार, थानावार जानकारी उपलब्ध करावें । (ख) इन सड़क दुर्घटनाओं में खड़ी वाहनों को पीछे से ठोकर मारकर कितनी दुर्घटनाएं घटित हुईं ? घटना घटित होने का क्या कारण था तथा कितने घायल/मृत घोषित हुए ? (ग) कंडिका 'ख' के अनुसार घटित घटनाओं के संदर्भ में वाहन मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार/थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) खड़ी वाहनों को पीछे से ठोकर मारने की कुल 43 दुर्घटनाएं घटित हुईं, जिसमें 38 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 37 व्यक्ति घायल हुए। घटनाओं का मुख्य कारण वाहन चालकों द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चालन करना तथा बिना सूचना संकेतक एवं बिना एन्डीकेटर ऑन किये वाहन को सड़क पर खड़ा करना था। (ग) कृत कार्यवाही की जानकारी “निरंक” है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"\]](#)

जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनारी तक नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग में लगाए गये पौधे

[लोक निर्माण]

24. (*क्र. 16) श्री सौरभ सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर स्थित अरपा नदी पुल से जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनारी तक नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा कहाँ-कहाँ पर कुल कितने पौधे किस-किस प्रजाति के कब-कब पौधे कितनी लागत से लगाए गये हैं ? (ख) दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक की स्थिति में कितने पौधे किस-किस प्रजाति के जीवित हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) अनुबंध अनुसार ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर। लगभग 9922 पेड नेरियम प्रजाति के लगाये गये थे। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) लगभग 7034 पेड जीवित है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"\]](#)

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

25. (*क्र. 1343) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में समर्थन मूल्य पर कुल कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई जिलेवार बतावें? (ख) कंडिका "क" के धान में से कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग के लिए उठाव किया गया है और कितना शेष है? और क्यों ? (ग) कंडिका "क" के धान में से स्टॉक मिलान पर कितनी-कितनी मात्रा में धान की कमी पाई गई और क्यों? इसकी भरपाई के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की मात्रा की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कस्टम मिलिंग हेतु धान उठाव एवं उठाव हेतु शेष धान की मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है-

(मात्रा लाख में. टन में)

वर्ष	कस्टम मिलिंग हेतु उठाव धान	उठाव हेतु शेष धान
2019-20	81.49	0.71
2020-21	80.34	0.014
2021-22	66.94	31.05

खरीफ वर्ष 2019-20 में कोविड-19, आकस्मिक वर्षा तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा तेजी से चावल नहीं लिये जाने के कारण धान लंबी अवधि तक भंडारित रहा जिससे धूप एवं बारिश से धान की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण कस्टम मिलिंग हेतु उठाव नहीं हुआ। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शेष धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) खरीफ वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन केन्द्रों में उपार्जित धान के लेखा मिलान पश्चात खरीदी केन्द्रों में 0.43 लाख मे टन तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में 1.76 लाख मे टन धान की मात्रा में समितियों द्वारा प्रतिवेदित सूखत के कारण पाई गयी। खरीफ वर्ष 2021-22 में समितियों से धान उठाव का कार्य प्रचलित है। वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में धान संग्रहण केन्द्रों में भंडारित धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके निराकरण उपरांत ही धान संग्रहण केन्द्रों में शॉर्टेज धान की मात्रा की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। खरीफ वर्ष 2019-20 में खरीदी केन्द्रों में प्रतिवेदित शॉर्टेज धान मात्रा की राशि समितियों को देय कमीशन की राशि से समायोजित की गई । खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 एवं धान के परिवहन में विलंब होने के कारण समितियों को हुए नुकसान की एकमुश्त क्षतिपूर्ति हेतु 03 प्रतिशत तक शॉर्टेज वाली समितियों को विपणन संघ को परिदान किये गये धान के लिए कमीशन की राशि एवं अन्य देय मदों को भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह"\]](#)

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****प्रदेश में पर्यटन मण्डल द्वारा होटल, मोटल रिसॉर्ट का निर्माण**
[पर्यटन]

1. (क्र. 116) श्री मोहन मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में पर्यटन मण्डल द्वारा किन-किन स्थलों पर होटल, मोटल रिसॉर्ट का निर्माण किया गया है ? क्या निर्मित कराए गए होटल, मोटल, रिसॉर्ट वर्तमान में संचालित हैं ? यदि हां तो कौन से और नहीं तो संचालन न होने के क्या कारण हैं तथा पर्यटन मण्डल को प्रत्येक वर्ष कितनी राशि की हानि हो रही है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित होटल, मोटल रिसॉर्ट की जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है। निर्मित कराए गये संचालित होटल, मोटल, रिसॉर्ट एवं इनके लाभ-हानि की जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार हैं। कुछ होटल, मोटल, रिसॉर्ट का संचालन अपरिहार्य कारणों से बाधित हुआ है, जिन्हें निजी निवेशकों को संचालन हेतु दीर्घकालीन लीज पर दिए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, जिसकी जानकारी संलग्न प्रपत्र - स अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सीवरेज परियोजना
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (क्र. 291) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर में संचालित सीवरेज परियोजना अंतर्गत 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक क्या-क्या कार्य किए गए ? (ख) इसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग कब कब की गई ? (ग) ठेकेदार कंपनी को कितना भुगतान किया गया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर में संचालित सीवरेज परियोजना अंतर्गत 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक संलग्न प्रपत्र अनुसार कार्य किये गये है। (ख) इसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग पूर्व में दिनांक 28/02/2019 से 20/04/2019 तक की अवधि में की गई। (ग) ठेकेदार कंपनी को राशि रु. 38434.82 लाख का भुगतान किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

प्रदेश में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (क्र. 312) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में दिनांक 8 फरवरी 2022 तक राज्य शासन द्वारा कुल कितने मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है ? इसमें से कितने मैट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग की गई ? इसमें कितने मैट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ है ? (ख) उक्त वर्षों में केन्द्र शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन ने कितने मैट्रिक टन चावल किस दर से क्रय किया गया ? क्रय उपरांत संपूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त हो गया या नहीं ? यदि नहीं, तो किस वर्ष का कितना भुगतान प्राप्त होना शेष है ? (ग) क्या केन्द्र शासन ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी की जा रही धान से प्राप्त होने वाले शत-प्रतिशत चावल को क्रय करने की सहमति दी ? यदि नहीं तो कितने की सहमति दी ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदे गये धान की मात्रा, कस्टम मिलिंग किये गये धान की मात्रा एवं जमा चावल की मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है :-
मात्रा लाख मे.टन में

खरीफ वर्ष	खरीदी धान की मात्रा	कस्टम मिलिंग धान की मात्रा	चावल जमा की मात्रा
2019-20	83.94	81.49	54.98
2020-21	92.02	80.23	53.7
2021-22	97.98	48.57	17.75

(ख) विकेन्दीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य शासन से चावल का क्रय नहीं किया जाता अपितु केन्द्र तथा राज्य की उपार्जन एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिनिधि एजेंसी के रूप में प्रदेश में धान/चावल का उपार्जन किया जाता है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नही, केन्द्र शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रश्नांकित अवधि में चावल उपार्जन मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:-
मात्रा लाख मे.टन में

वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त चावल जमा का लक्ष्य
2019-20	51.80
2020-21	48.00
2021-22	61.65

रायगढ़ से जशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण [लोक निर्माण]

4. (क्र. 313) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ से जशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कितने किलोमीटर के लिए कितनी राशि की स्वीकृति कब प्रदान की गयी ? (ख) क्या उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर आम नागरिकों के लिए आवागमन हेतु खोल दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) जहां तक कार्य पूर्ण हुआ है, उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरांत क्या राईडिंग सरफेस खराब हो गया है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

कांकेर जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा माकड़ी से सिंगारभाट सड़क का पैच वर्क कार्य [लोक निर्माण]

5. (क्र. 352) श्री सन्त राम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में एन.एच -30 के जिला मुख्यालय कांकेर अंतर्गत माकड़ी से सिंगारभाट तक सड़क के पैच वर्क हेतु कितनी बार निविदा आमंत्रित हुई है ? उक्त कार्य के लिए क्या विभागीय मद के अलावा अन्य मद से राशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हाँ तो किस फर्म / ठेकेदार को कितनी लागत राशि का कार्यदिश दिया गया ? मदवार, लागतवार स्वीकृत कार्य का विवरण प्रदान करने का कष्ट करेंगे ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निविदा लागत राशि ऐबाब में दिया गया है? यदि हाँ तो उक्त कार्य समाप्त करने की तिथि कब की थी ? वर्तमान में कार्य की स्थिति क्या है, अगर

कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तो सम्बंधित ठेकेदार पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इस कार्य की इन 2 वर्षों में कोई शिकायत की गयी है अगर है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई विवरण प्रदान करें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) दो बार निविदाएं आमंत्रित की गईं। यह कार्य ई.पी.सी. ठेकेदार की कीमत एवं जोखिम पर कराया गया। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"\]](#)

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केशकाल – विश्रामपुरी – बांसकोट – अमरावती मार्ग की मरम्मत
[लोक निर्माण]

6. (क्र. 353) **श्री सन्त राम नेताम :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केशकाल – विश्रामपुरी – बांसकोट – अमरावती मार्ग के निर्माण/मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई थी ? निर्माण कार्य कब पूर्ण किया गया ? (ख) क्या वर्तमान कार्य में उक्त मार्ग अत्यंत जर्जर स्थिति में है ? यदि हाँ तो कब तक मरम्मत कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"\]](#)

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत निर्मित आवास
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (क्र. 363) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत कितने-कितने आवास कहाँ-कहाँ कब से निर्मित / निर्माणाधीन हैं ? आवास निर्माण हेतु कार्य एजेंसी कौन हैं ? उक्त निर्मित आवास में से कितने आबंटित एवं कितने किन कारणों से आबंटन के लिए शेष हैं ? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित मकान को पूर्ण रूपेण निर्मित कर आबंटित करने की समय अवधि क्या निर्धारित की गयी थी ? कितने कार्य समय पर पूर्ण किये गये एवं कितने कार्य किन कारणों से अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे ? (ग) निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी क्या निर्धारित दर पर ही आवास संबंधितों को उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा मकान की कीमत में वृद्धि की गयी है ? यदि वृद्धि की गयी है तो कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं ? क्या योजना में दी जा रही छूट का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है ? यदि हाँ, तो मिलने वाली छूट के लाभ की समय अवधि क्या निर्धारित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से संबंधित समस्त जानकारी **संलग्न प्रपत्र - 'अ'** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों से संबंधित समस्त जानकारी **संलग्न प्रपत्र - 'ब'** अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की अवधि मार्च, 2022 तक है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी निर्धारित दर पर केन्द्रांश राशि रू. 1.50 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 0.85 लाख प्रति आवास संबंधितों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मकान की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर स्वीकृत आवासों के परियोजना लागत, केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों के स्वीकृत आवासों हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि के अतिरिक्त अन्य कोई छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"\]](#)

भारतीय खाद्य निगम व नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 390) श्री अजय चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में भारतीय खाद्य निगम व नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कितनी मात्रा में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है व कितनी-कितनी मात्रा में जमा किया गया ? (ख) प्रदेश में 2019-20 व 2020-21 में नागरिक आपूर्ति निगम अंतर्गत प्रदेश के लिये कितनी मात्रा चावल की आवश्यकता थी तथा कितना चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया? क्या चावल जमा के लक्ष्य में वृद्धि की गयी थी? यदि हां, तो किस वर्ष में, कितनी मात्रा में बढ़ाया गया? इसका कारण क्या था? एवं चावल नीलामी की आवश्यकता क्यों पड़ी? व चावल नीलामी से, कितने बाजार मूल्य के आधार पर, कितनी राशि की राजकोषीय क्षति हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में भारतीय खाद्य निगम व नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं जमा चावल की मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष	चावल जमा का लक्ष्य		चावल जमा की मात्रा	
	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम
2019-20	28.10	29.14	26.38	28.60
2020-21	22.94	31.32	22.84	31.13
2021-22	41.65	24.18	14.42	11.48

(ख) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 08.11.2019 को केन्द्रीय पूल एवं राज्य पुल के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के लिये 25.40 लाख मे.टन चावल उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें दिनांक 19.06.2020 को 3.14 लाख मे.टन तथा दिनांक 23.02.2021 को 0.60 लाख टन चावल की वृद्धि की गई खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.10.2020 को केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के लिये 21.00 लाख टन चावल उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें राज्य शासन द्वारा दिनांक 29.11.2020 को 2.95 लाख मे.टन चावल, दिनांक 28.04.2021 को 6.75 लाख टन चावल तथा दिनांक 14.01.2022 को 1.00 लाख मे.टन चावल की वृद्धि की गई किन्तु मार्कफेड के पास इस खरीफ वर्ष के शेष धान की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 0.31 लाख टन चावल का लक्ष्य लिया गया है। खरीफ वर्ष 2019-20 में कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चावल का अतिरिक्त लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त होने के कारण तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 3 माह के आबंटन के बराबर चावल का बफर स्टॉक हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के चावल जमा करने के लक्ष्य में वृद्धि किया गया। खरीफ वर्ष 2020-21 में केन्द्रीयपूल एवं राज्य योजना के अंतर्गत चावल की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष धान /चावल की नीलामी की गयी। चावल नीलामी में निविदा में स्वीकृत दर चावल ग्रेड -ए के लिए 2252 रूपये प्रति क्विंटल, चावल कॉमन के लिए 2212 रूपये प्रति क्विंटल तथा 2201.50 रूपये प्रति क्विंटल एवं चावल की इकॉनामिक कास्ट चावल ग्रेड-ए के लिए 3332.22 रूपये प्रति क्विंटल, चावल कॉमन के लिए 3298 रूपये प्रति क्विंटल के आधार पर चावल नीलामी से राशि रूपये 36.53 करोड़ की हानि अनुमानित है।

मार्कफेड द्वारा लिये गये ऋण व अदायगी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (क्र. 391) श्री अजय चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में मार्कफेड द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन संस्थाओं से, कितनी अवधि के लिये, कितनी ब्याज दर पर कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है और कितने ऋण की अदायगी हो चुकी है व कितनी शेष है? वर्षवार विभागवार बतायें? (ख) उक्त वर्ष में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में मार्कफेड को राज्य सरकार से कितनी राशि, किस मद से लेना था? और कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा मार्कफेड को अदायगी की जा चुकी है? व कितना शेष है और कब तक कर दी जायेगी? (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कितने धान अमानक हुये वर्षवार, जिलेवार बतायें तथा यह अमानक धान समर्थन मूल्य के आधार पर कितनी राशि का होता है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में मार्कफेड द्वारा लिये गये ऋण की राशि, संस्था, ऋणकी अवधि, ब्याज की दर, ऋण की अदायगी एवं अदायगी हेतु शेष ऋण की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में उपार्जित किये गये धान के निराकरण का कार्य प्रचलित है। अतः अंतिम रूप से हानि दावा पत्रक एवं अंतिम सी.एस.आर. दर निर्धारण का प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है, जिससे राज्य सरकार से लेनदारी राशि का प्रस्ताव अंतिम रूप से प्रस्तुत होना शेष है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रदेश में लगभग 71000 मे.टन धान अमानक हुआ है जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	जिला	अमानक धान की मात्रा (मे. टन में)
1	बिलासपुर	15523
2	मुंगेली	3463
3	बेमेतरा	18458
4	बलौदाबाजार	16400
5	महासमुंद	5058
6	रायपुर	10488
7	सुरजपूर	1610

इस अमानक धान की अनुमानित राशि औसत समर्थन मूल्य के आधार पर 129.58 करोड़ रूपये है। खरीफ वर्ष 2020-21 व 2021-22 में उपार्जित धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा धान अमानक नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"\]](#)

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सड़क के मुआवजा भुगतान की जानकारी
[लोक निर्माण]

10. (क्र. 508) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नेवरा-सिनोधा-खपरीकला मार्ग चौड़ीकरण का कार्य कब कराया गया था ? चौड़ीकरण में किन किन ग्रामों की कितने किसानों की कितनी - कितनी भूमि अधिग्रहित / प्रभावित हुई ? मुआवजा किस दर से प्रदान किया गया ? (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रभावित कृषकों में से कितनों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है कितने का भुगतान किन कारणों से लंबित है ? लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) पूर्णता तिथि-22.03.2015। ग्राम-नेवरा-1 कृषक, रकबा-0.007 हेक्टेयर, ग्राम-सिनोधा- 23 कृषक रकबा-0.747 हेक्टेयर। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) एक कृषक

का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। 23 किसानों को भू-अर्जन प्रकरण पर अवार्ड जारी नहीं हुआ। प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"\]](#)

बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत पुल -पुलिया सड़क भवन निर्माण [लोक निर्माण]

11. (क्र. 509) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक कुल कितने सड़क पुल-पुलिया एवं भवन निर्माण / मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गयी ? विकासखण्डवार, जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति किन कारणों से लंबित है ? लंबित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा ? (ग) प्रश्नांश 'ख' के निर्माणाधीन कार्यों में अनियमितता /भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। लंबित कार्यों की स्वीकृति की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं। (ग) शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"\]](#)

प्रदेश में राशन कार्ड का आबंटन [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (क्र. 563) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश में कुल कितने राशन कार्ड किस-किस श्रेणी के उपभोक्ताओं को आबंटित किये गये हैं? आबंटित राशन कार्ड में कितने किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है? (ख) क्या विभाग द्वारा विकलांगों एवं बुजुर्गों को राशन उपलब्ध कराने हेतु कोई छूट प्रदान की जा रही है? (ग) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न प्रदाय योजना अंतर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में कुल कितने क्विंटल चावल उपलब्ध कराया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 14.21 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 45.07 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 9.72 लाख सामान्य परिवारों के राशनकार्ड, 38,644 निराश्रित राशनकार्ड, 11,457 निःशक्तजन राशनकार्ड प्रचलन में है । इन राशनकार्डों पर माह मार्च 2022 में केन्द्रीय पूल एवं स्टेट पूल से प्रदाय किये जाने वाले चावल की मात्रा की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हां । विभाग द्वारा वृद्ध एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री उठाव करने की सुविधा दी जा रही है। (ग) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश को भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक कुल 8,03,080 मे.टन चावल तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मई 2021 से मार्च 2022 तक 11,04,235 मे.टन चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"\]](#)

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पुल निर्माण [लोक निर्माण]

13. (क्र. 603) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र, जिला मुंगेली अंतर्गत ग्राम विचारपुर, ग्राम पंचायत फुलवारीकला एवं ग्राम राजपुर के मध्य मोहपाड़ नदी पर एक छोटे पुल का निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा था, जो आज भी

अधूरा है ? (ख) कंडिका "क" के पुल के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी और अभी तक पुल का निर्माण किन कारणों से नहीं हुआ, कारण सहित विवरण दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) जी हाँ (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतीस"\]](#)

छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों पर की गई कार्यवाही

[गृह]

14. (क्र. 642) **डॉ. रेणु अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक छत्तीसगढ़ में कितने चिटफंड कंपनियों के ऊपर कार्यवाही करते हुए उनके संचालकों को गिरफ्तार किया गया है? (ख) कितने चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई है? कंपनी का नाम एवं कुर्क की गई राशि की जानकारी दें। (ग) चिटफंड कम्पनियों से कुर्क की गई राशि को चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले कितने निवेशकों को पैसा वापस कराया गया? जिलेवार वितरित राशि एवं पाने वाले निवेशकों की संख्या बताएं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में निवेशकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत पर 56 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध 79 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुये 136 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, परन्तु प्रश्नाधीन अवधि में कुल 12 अनियमित वित्तीय कंपनियों की सम्पत्ति की नीलामी/वसूली/राजीनामा की कार्यवाही कर कुल 16 करोड़ 92 लाख 79 हजार 679 रूपये की राशि प्राप्त की गई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। (ग) जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"\]](#)

प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या के संबंध में

[गृह]

15. (क्र. 674) **श्री अरुण वोरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कितने किसानों ने किन-किन कारणों से आत्महत्या की है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक (क) के किसानों को कितना मुआवजा दिया गया?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि कार्य से जुड़े व्यक्तियों की आत्महत्या कर लेने के मामलों की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रावधान नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकतीस"\]](#)

धान की खरीदी/कस्टम मीलिंग/भंडारण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (क्र. 879) **श्री धनेन्द्र साह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 में किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में धान उपार्जन केन्द्रों से धान की खरीदी कुल कितनी मात्रा में की गई? (ख) कुल खरीदी की गई धान में से कितनी मात्रा में कस्टम मीलिंग हेतु राईस मिलों को दी गई तथा कितनी-कितनी मात्रा में भंडारण केन्द्रों में संग्रहण किया गया? जिलेवार जानकारी दें? राईस मिलर्स को किस-किस दरों पर कस्टम मीलिंग हेतु दरें निर्धारित की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जिलेवार जानकारी **प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। (ख) खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान में से कस्टम मीलिंग हेतु राईस मिलरों का प्रदाय एवं संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान मात्रा की जिलेवार जानकारी **प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। भारत सरकार द्वारा कस्टम मीलिंग हेतु राईस मिलरों को

अरवा कस्टम मिलिंग पर 10 रूपये प्रति क्विंटल तथा उसना कस्टम मिलिंग पर 20 रूपये प्रति क्विंटल कस्टम मिलिंग की दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग पर 120 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। मिलर द्वारा उसकी न्यूनतम 02 माह की मिलिंग क्षमता अथवा जिले में उपलब्ध धान की मात्रा अनुसार मिलिंग करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जावेगी। प्रोत्साहन राशिमें से 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग चार्ज के साथ तथा शेष 50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय पूल में निर्धारित मात्रा अनुसार चावल जमा होने के पश्चात देय होगी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"\]](#)

शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ी करण के प्रस्ताव की स्वीकृति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

17. (क्र. 1001) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्राप्त हुआ है, यदि हां तो कब-कब, कितनी- कितनी राशि का प्रस्ताव है ? प्रस्ताव में कितनी- कितनी राशि के कौन- कौन से कार्य शामिल हैं? मुआवजे के लिए कितनी राशि मांगी गई है? प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) वित्त विभाग द्वारा कंडिका "क" के विषय में अब तक क्या- क्या कार्यवाही की गई, क्या वित्त विभाग ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है, यदि हां तो कब, नहीं तो क्यों ? (ग) इसी सड़क के आगे तात्यापारा से आमपारा तक की सड़क की चौड़ीकरण की अनुमति कब, कितनी राशि की व किस आधार पर दी गई थी? मुआवजे का वितरण किस दर पर और किस आधार पर किया गया था? (घ) क्या शारदा चौक, तात्यापारा के सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति तात्यापारा- आमपारा सड़क चौड़ीकरण के मुआवजा के आधार पर दिया जा सकता है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां। शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं, वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। उक्त चौड़ीकरण प्रस्ताव विशिष्ट प्रयोजनार्थ मद अंतर्गत ऋण अनुदान हेतु वित्त विभाग को दिनांक 05.07.2018 को प्रेषित किया गया था जिसमें 6.17 करोड़ निर्माण कार्य एवं राशि 36.95 करोड़ क्षतिपूर्ति से संबंधित होने के कारण वित्त विभाग के द्वारा अन्य विकल्प पर विचार करने हेतु नगर निगम रायपुर को विदित कराया गया था। (ग) जी हां, पूर्व में तात्यापारा से आमपारा चौक तक की सड़क चौड़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में शासन के आदेश दिनांक 03.03.2018 के द्वारा 70 प्रतिशत ऋण रू. 10.50 करोड़ एवं 30 प्रतिशत अनुदान रू. 4.50 करोड़ इस प्रकार कुल राशि 15.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें क्षतिपूर्ति की गणना तत्कालीन समय में कलेक्टर गाईडलाईन के अनुसार जिसमें प्रति वर्गफुट भूमि का मूल्यांकन राशि रू. 4950/- के दर पर किया गया एवं भवन क्षतिपूर्ति की गणना तत्कालीन समय में कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार की गई थी। (घ) जी नहीं, वित्त विभाग के द्वारा मुआवजा राशि अधिक होने के कारण अमान्य किया जाकर अन्य विकल्प पर विचार करने तदानुसार अभिमत दिया गया है। पूर्व में तात्यापारा से आमपारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण में 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान का बजट प्रावधान पूर्व से कम होने के कारण नवीन मद के तहत प्रस्ताव पर विचार करने बाबत कार्यवाही की जा रही है। समय बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"\]](#)

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु कृषकों का पंजीयन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (क्र. 1202) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21, व 31 जनवरी 2022 तक किसानों का कुल कितने रकबे का समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु पंजीयन किया गया है ? तहसीलवार जानकारी दें? (ख) वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में किस-किस तहसील के कितने-कितने किसानों का रकबा

गिरदावली में कम किया गया है? रकबा कम करने के क्या कारण है ? तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) शासन व प्रशासन को जिले में किस-किस तहसील में कितने-कितने किसानों के धान विक्रय हेतु पंजीयन न होने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उस पर शासन व प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) उक्त जिले में जिन किसानों का पंजीयन के अभाव में धान नहीं बिक पाया है, इस हेतु कौन दोषी है? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या एवं रकबे की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

खरीफ वर्ष	जिला	तहसील	पंजीकृत किसानों की संख्या	पंजीकृत धान का रकबा (हेक्टेयर में)
2019-20	रायपुर	तिल्दा	14381	18360
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	10589	13023
		सिमगा	34368	41645
2020-21	रायपुर	तिल्दा	15245	18633
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	10023	11924
		सिमगा	34044	39255
2021-22	रायपुर	तिल्दा	15232	17698
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	11352	13015
		सिमगा	37214	41913

(ख) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में किसानों का रकबा गिरदावरी में कम नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों से धान विक्रय हेतु पंजीयन न होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

(घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

नेहरुनगर चौक से मिनीमाता चौक तक जीई रोड का चौड़ीकरण व सौदर्यीकरण [लोक निर्माण]

19. (क्र. 1205) श्री अरुण वोरा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क). दुर्ग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नेहरुनगर चौक से मिनीमाता चौक तक जीई मार्ग के करीब 8 कि.मी. तक चौड़ीकरण एवं सौदर्यीकरण कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा कुल कितनी राशि कब स्वीकृत की गई? (ख). इस कार्य के लिए किस एजेंसी की निविदा फायनल हुई? कार्य कब प्रारंभ किया गया? इसके पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है? वर्तमान में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"\]](#)

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्य हुए जो निर्धारित समयावधि [लोक निर्माण]

20. (क्र. 1210) डॉ. विनय जायसवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरिया जिला अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में 2018 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक कितने ऐसे निर्माण कार्य हुए जो निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए? पूर्ण ना होने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश "क" के

अनुसार कार्य समय पर पूर्ण ना होने की दशा में विभाग द्वारा सम्बंधित फर्म/संस्था/व्यक्ति पर कोई कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों? और कब तक की जायेगी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

बालोद जिले में स्वीकृत सड़क/भवन/पुल-पुलिया निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

21. (क्र. 1214) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बालोद जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कितने सड़क/भवन/पुल-पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? सड़क/भवन/पुल-पुलिया के नाम, स्वीकृत राशि एवं निर्माण एजेंसी के नाम सहित जानकारी देवें. (ख) कण्डिका 'क' में स्वीकृत कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने कार्य किन कारणों से अपूर्ण है? अपूर्ण निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) कण्डिका 'क' की अवधि में विभाग को किन-किन सड़क/भवन/पुल-पुलिया के मरम्मत/संधारण हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई? कार्य किन-किन एजेंसी के माध्यम से कराया गया एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार है।

रायगढ़ नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अमृत मिशन योजना के तहत कार्य की अद्यतन स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

22. (क्र. 1220) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना के तहत 20-02-2022 तक क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किए गए हैं ? कार्यवार राशिवार जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत कार्य का टेण्डर, कब-कब किया गया, किन-किन फर्मों को कितनी-कितनी राशि का कार्य दिया गया है ? कार्यों की कार्यावधि कितनी-कितनी थी ? (ग) प्रश्नांक 'क' के तहत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कार्यवार जानकारी दें ? क्या समयावधि में कार्य पूर्ण हुए हैं ? यदि नहीं तो क्यों और दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस"\]](#)

रायगढ़ शहर के पूर्वी छोर में बायपास निर्माण की स्वीकृति में विलंब

[लोक निर्माण]

23. (क्र. 1221) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ शहर के पूर्वी दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 200 रायपुर-रायगढ़, कनकतुरा उडीसा से रायगढ़-जामगांव मार्ग एवं रायगढ़ बंगुरसियां मार्ग होकर रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग को जोड़ने के लिए सर्किट हाउस के बाद केलो नदी में ब्रिज बन जाने के उपरांत शहर के अंदर भारी वाहनों के आवाजाही तथा दुर्घटना के संभावनाओं को देखते हुए कब तक बायपास मार्ग का सर्वे कर स्वीकृति दी जावेगी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : मार्ग के एकरेखण का परीक्षण कराया जा रहा है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सिवरेज समस्या

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

24. (क्र. 1227) श्री देवेन्द्र यादव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप के सेक्टर-1 से सेक्टर 10 तथा हुडको, खुर्सीपार में स्थित सिवरेज सिस्टम का संधारण कौन सी एजेंसी द्वारा किया जाता है ? (ख) क्या सिवरेज सिस्टम के साथ पेयजल लाईन लगी हुयी होने के कारण सिवरेज का गंदा पानी पेयजल में मिश्रित हो रहा है ? (ग) प्रश्नांक 'ख' के संबंध में स्थानीय प्रशासन या राज्य शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं यदि नहीं तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप के सेक्टर-01 से सेक्टर 10 तथा खुर्सीपार में स्थित सिवरेज सिस्टम का संधारण भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा एवं हुडको सेक्टर में सिवरेज सिस्टम का संधारण नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जाता है। (ख) जी नहीं। सिवरेज सिस्टम के साथ पेयजल लाईन लगी हुयी होने के कारण सिवरेज का गंदा पानी पेयजल में मिश्रित नहीं हो रहा है। किन्तु सिवर पाईप लाईन लगभग 30 वर्ष पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में ही पेयजल पाईप लाईन में सिवरेज का गंदा पानी जाने की आशंका रहती है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"\]](#)

पल्स एग्रीटेक कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई धोखाधड़ी

[गृह]

25. (क्र. 1228) श्री देवेन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या पल्स एग्रीटेक कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) शासन द्वारा पंजीकृत संस्था है ? पीएसीएल कंपनी का छ.ग. के किन-किन जिलों में कार्यक्षेत्र था ? क्या छ.ग. में उक्त संस्था में निवेशकों द्वारा कितना निवेश किया गया था ? यदि हां तो कुल कितने निवेशकों द्वारा और कितनी राशि जमा की गई थी ? (ख) क्या शासन द्वारा निवेशकों के भुगतान कराये जाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां तो उक्त अवधि में दिनांक 20-02-22 तक कितने निवेशकों का कितना पैसा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व विलंब का क्या कारण है ? कार्य क्या छ.ग. में (पीएसीएल) की चल/अचल संपत्ति है, यदि है तो कितनी है ? कृपया जानकारी दें? (ग) क्या शासन द्वारा छ.ग. में निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएसीएल कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो कार्यवाही की जानकारी दें और यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी नहीं। इस संस्था का नियामक प्राधिकारी छत्तीसगढ़ शासन नहीं है। अतः उपरोक्त जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 13301/15 के आदेशानुसार माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाकर पीएसीएल कंपनी के निवेशकों को राशि लौटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पीएसीएल कंपनी की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हां। छत्तीसगढ़ के निवेशकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत पर पीएसीएल कंपनी के विरुद्ध कुल 20 प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"\]](#)

जिला रायगढ़ अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

26. (क्र. 1229) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत खरसिया से पत्थलगांव सड़क मार्ग रायगढ़ से पत्थलगांव सड़क मार्ग निर्माण हेतु

कितनी राशि स्वीकृत की गई है? क्या सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिए गए हैं? (ख) सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है, कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"\]](#)

सड़कों की मरम्मत संधारण एवं पेंच वर्क हेतु स्वीकृत राशि

[लोक निर्माण]

27. (क्र. 1230) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक निर्माण विभाग के द्वारा धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत संधारण पेंच वर्क के लिए जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक की स्थिति में कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उनमें से कितनी राशि व्यय की गयी, मार्गवार जानकारी देवे? (ख) कितने कार्य प्रारंभ कर लिए गए हैं? कितने पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, मार्गवार जानकारी देवे? (ग) सड़क निर्माण में अनिमियतता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) अनियमितता बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"\]](#)

कोण्डागांव-मर्दापाल-मटवाल-कोरमेल रोड का निर्माण

[लोक निर्माण]

28. (क्र. 1253) श्री चंदन कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कोण्डागांव के लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पैकेज नंबर-CG2604 कोण्डागांव-मर्दापाल-मटवाल-कोरमेल सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा किस कम्पनी से किस आधार पर अनुबंध किया गया है ? उक्त सड़क हेतु शासन से कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार विभाग द्वारा अनुबंधित कम्पनी को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? क्या भुगतान राशि के अनुसार सड़क निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) कोण्डागांव-मर्दापाल-मटवाल-कोरमेल सड़क निर्माण की समय-सीमा क्या थी ? क्या समय-सीमा में सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अनुबंधित कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"\]](#)

जल आवर्धन योजना (नल जल योजना) के निर्माण के संबंध में

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

29. (क्र. 1257) श्री नारायण चंदेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिका जांजगीर-नैला एवं अकलतरा में जल आवर्धन योजना (नल जल योजना) का कार्य कब प्रारंभ हुआ ? कितना कार्य पूर्ण और कितना अपूर्ण है ? कार्य पूर्ण होने की निश्चित समयावधि क्या है? इसकी निर्माण एजेंसी कौन है ? (ख) निर्माण एजेंसी द्वारा पाईप लाइन विस्तार में किस कम्पनी की कौन सी पाईप लाईन बिछाये जाने का उल्लेख निविदा में है ? कुल कितने लागत की पाईप लाईन उक्त दोनों नगर पालिका में बिछायी जायेगी ? (ग) पानी सप्लाई हेतु कितने मीटर खुदाई करने के बाद पाईप लाईन को बिछाया जाता है? उसका मानक क्या है? (घ) उक्त दोनों नगर में निर्माण एजेंसी द्वारा अब तक कार्य पूर्ण नहीं किये जाने हेतु शासन द्वारा कितना अर्थदण्ड वसूला गया है ? उक्त दोनों नगर में कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा, निश्चित समयावधि बताये? (ङ) क्या निर्माण एजेंसी द्वारा प्रश्नांश 'क' के तहत दोनों नगरों में

शासन के मानक व नियमों के विपरीत कार्य किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) 1.नगर पालिका जांजगीर-नैला में जल आवर्धन योजना (नल जल योजना) का कार्य दिनांक 05.10.2018 से प्रारंभ हुआ। योजनांतर्गत 63 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं 37 प्रतिशत कार्य अपूर्ण है। कार्य पूर्ण होने की निश्चित समयावधि 04.10.2022 है। इसकी निर्माण एजेसी मेसर्स मल्टी अर्बन इन्फ्रा सर्विसेस प्रा.लि. नागपुर है। 2.नगर पालिका अकलतरा में जल आवर्धन योजना (नल जल योजना) का कार्य 14.06.2019 से प्रारंभ हुआ। योजनांतर्गत 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं 48 प्रतिशत कार्य अपूर्ण है। कार्य पूर्ण करने की समयावधि 13.06.2021 निर्धारित थी। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो पाने के कारण समयावृद्धि का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद में विचाराधीन है। इसकी निर्माण एजेसी मेसर्स मल्टी अर्बन इन्फ्रा सर्विसेस प्रा.लि. नागपुर है। (ख) निविदा में निर्माण एजेसी द्वारा पाईप लाईन विस्तार के लिए किसी भी कंपनी का डी.आई.पाईप लाईन बिछाने का उल्लेख है। नगर पालिका जांजगीर-नैला में रू. 25.05 करोड़ लागत एवं नगर पालिका अकलतरा में रू.22.83 करोड़ लागत की पाईप लाईन बिछाई जायेगी। (ग) पानी सप्लाई हेतु न्यूनतम 0.9 मीटर कव्हर देते हुए खुदाई कार्य कर पाईप लाईन बिछाया जाता है। इसका मानक आई.एस.कोड 12288-1987 के अनुसार निर्धारित है। (घ) उक्त दोनो नगरों की जल आवर्धन योजना का कार्य प्रगतिरत होने से निर्माण एजेसी को शासन द्वारा कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया है। नगरपालिका जांजगीर-नैला में 04.10.2022 तक तथा नगरपालिका अकलतरा में दिनांक 29.06.2023 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। (ड.) नगर पालिका जांजगीर -नैला में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नगर पालिका अकलतरा में पाईप लाईन बिछाने में गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने तथा खोदे गए टनल को ठीक से नहीं भरने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। पाईप लाईन की गुणवत्ता के संबंध में राईट्स के द्वारा प्रस्तुत थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार समस्त पाईप उचित गुणवत्ता के पाये गये है। खोदे गए टनल को ठीक से नहीं भरने की शिकायत होने से एजेसी को नोटिस जारी कर शिकायत की जांच की गई जिसमें किया गया कार्य ड्राईग एवं डिज़ाईन के अनुरूप पाया गया।

नगर निगम रायपुर अंतर्गत पेड़ों की पुताई

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

30. (क्र. 1262) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर निगम रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 एवं 2021-22 तक पेड़ों की पुताई हेतु कितनी कितनी राशि की (एस.ओ.आर.) कब कब कितने पेड़ों की पुताई हेतु निविदा निकाली गई थी? (ख) उक्त पुताई कार्य किनके माध्यम से कराया गया ? वर्तमान में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में उक्त कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र- “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र- “ब” अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकतालीस"\]](#)

राशन कार्डों की जानकारी के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

31. (क्र. 1269) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दिनांक 20/02/2022 तक राज्य में श्रेणीवार कुल कितने बी.पी.एल.ए.पी.एल अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड प्रचलित है? उपरोक्त कार्ड के आधार पर राशन दुकान के माध्यम से कुल कितने मात्रा में क्या-क्या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जिलेवार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : प्रश्नांकित अवधि तक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 14,21,891 अंत्योदय राशनकार्ड, 38,643 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 45,13,574 प्राथमिकता राशनकार्ड, 11,602 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 9,71,508 सामान्य राशनकार्ड प्रचलित हैं। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र

- 'अ' अनुसार है। इन राशनकार्डधारियों को उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की जानकारी **संलग्न प्रपत्र - 'ब'** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"\]](#)

नगर निगम बिलासपुर में सीमा विस्तार

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

32. (क्र. 1301) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 के मध्य बिलासपुर नगर निगम की सीमा विस्तार में कौन-कौन से ग्राम व निकायों को कब शामिल किया गया है ? इन शामिल ग्रामों व निकायों के लिए प्रश्नांकित अवधि में कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य, कब-कब स्वीकृत किये गये, इसमें कितने पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारम्भ है ? (ख) स्मार्ट सिटी लिमिटेड व नगरीय प्रशासन से कितनी राशि उपरोक्तानुसार ग्रामों को किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी है व कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कंडिका 'क' अनुसार क्षेत्र के लिए किन-किन व कितने राशि के कार्यों के लिए प्रस्ताव स्मार्ट सिटी लिमिटेड व नगरीय प्रशासन विभाग में कब से लम्बित है व इन्हें कब तक स्वीकृति दी जावेगी ? (ग) कंडिका 'क' अनुसार ग्रामों/निकायों से किस-किस प्रकार के कर निगम के द्वारा लिये जा रहे हैं व कितने नागरिकों के द्वारा दिये गये हैं ? वर्षवार जानकारी देंगे?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार उहरिया) : (क) 01 जनवरी 2019 से दिनांक 31 जनवरी 2022 के मध्य बिलासपुर नगर निगम की सीमा विस्तार में शामिल ग्राम व निकायों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'अ'** अनुसार है। उक्त शामिल ग्रामों व निकायों के लिए प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत कार्यों, जारी राशि व कार्यों की अद्यतन स्थितिकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'ब'** अनुसार है। (ख) स्मार्ट सिटी व नगरीय प्रशासन से उपरोक्तानुसार ग्रामों को कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी व कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी **प्रपत्र "ब"** में समाहित है। कंडिका "क" अनुसार क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड व नगरीय प्रशासन विभाग को कार्यों के लिए प्रस्ताव की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स"** अनुसार है। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण में लिया जायेगा। (ग) कंडिका "क" अनुसार ग्रामों/निकायों से सम्पत्तिकर/समैकित कर सामान्य जलकर, सामान्य प्रकाश कर, शिक्षा उपकर तथा यूजर चार्ज निगम द्वारा लिये जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 (20 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक) में करदाताओं (नागरिकों) की संख्या नहीं है, वर्ष 2020-21 में करदाताओं (नागरिकों) की कुल संख्या 16843 है, एवं वर्ष 2021-22 में करदाताओं (नागरिकों) की कुल संख्या 11496 है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिलौनी के हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण की लागत

[लोक निर्माण]

33. (क्र. 1323) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिलौनी में कितनी लागत से हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण किया गया है? (ख) क्या उक्त भवन निर्माण में घटिया निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कायवाही की गई है? क्या भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों नहीं और कब तक पूर्ण किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है (ख) जी हाँ, जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"\]](#)

धान खरीदी का भौतिक सत्यापन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

34. (क्र. 1329) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 में दिनांक 22.02.2022 तक कितनी धान की खरीदी की गई है ? वित्तीय वर्षवार व जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्या वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खरीदे गये धान का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है? यदि हां तो कितना धान खराब/शॉर्टेज हुआ है? जिलेवार, वित्तीय वर्षवार, जानकारी दें? यदि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है तो क्यों? (ग) जगदलपुर व सरगुजा संभाग के किन-किन जिलों में प्रश्नांकित अवधि में धान सड़ने/खराब होने के सम्बंध में जिला प्रशासन/विभाग के द्वारा जांच समिति बनाई गई थी ? इसमें कौन-कौन सदस्य थे, समिति के द्वारा कब व क्या रिपोर्ट दी गई, कितना धान खराब/शॉर्टेज पाया गया, और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) राज्य शासन के द्वारा खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गये धान की मात्रा की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'अ'** अनुसार है (ख) जी हां, खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में धान खरीदी केन्द्रों में खरीदे गये धान के अंतिम लेखा मिलान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । अंतिम लेखा मिलान पश्चात वर्षवार शॉर्टेज धान की मात्रा की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'ब'** अनुसार है । खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रदेश के संग्रहण केन्द्रों में 71000 मे. टन धान अमानक हुआ है । जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	जिला	अमानक धान की मात्रा (मे. टन में)
1	बिलासपुर	15523
2	मुंगेली	3463
3	बेमेतरा	18458
4	बलौदाबाजार	16400
5	महासमुंद	5058
6	रायपुर	10488
7	सूरजपुर	1610

खरीफ वर्ष 2020-21 व 2021-22 में संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा धान अमानक नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) सूरजपुर जिले में धान संग्रहण केन्द्र, देवनगर की जांच हेतु दिनांक 09/10/2020 को जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कलेक्टर, जिला विपणन अधिकारी, खाद्य अधिकारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम का संयुक्त जांच दल गठन किया गया । जांच दल के द्वारा दिनांक 12/01/2021 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें धान संग्रहण केन्द्र देवनगर में भण्डारित धान के रख-रखाव में अनियमितता के कारण 2378.68 मे. टन धान का अनुमानित शॉर्टेज पाया गया । धान संग्रहण केन्द्र देवनगर में भण्डारित धान के रख-रखाव एवं परिदान में की गई अनियमितता के कारण धान खराब होने के लिए धान संग्रहण केन्द्र प्रभारी देवनगर श्री सतीश गुप्ता एवं तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी सूरजपुर श्री बुधमान सिंह टेकाम पर कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है । सूरजपुर जिले में धान संग्रहण केन्द्र लोधिमा में भण्डारित धान के रख-रखाव एवं परिदान में की गई अनियमितता की जांच हेतु दिनांक 17/05/2021 को जिला प्रशासन द्वारा सहायक खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, खाद्य निरीक्षक सूरजपुर एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का संयुक्त जांच दल गठन किया गया। जांच दल के द्वारा दिनांक 02/06/2021 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें धान संग्रहण केन्द्र, लोधिमा में 7942.51 मे. टन धान एवं 92987 नग बारदाने का शॉर्टेज होना प्रतिवेदित किया गया । धान संग्रहण केन्द्र, लोधिमा में धान के आवक/परिदान में की गई अनियमितता के लिए धान संग्रहण केन्द्र प्रभारी श्री अर्पण तिर्की को निलंबित

तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दीपेश साहू, नीतेश साहू, ममता बिनकर, विकेश नाविक तथा अन्य सहायक गोपाल यादव, मुनेश्वर राजवाड़े, गिरधारी सिंह को सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"\]](#)

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र में खरीदा गया धान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

35. (क्र. 1340) श्री रामकुमार यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र हैं ? खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 में खरीदे गये धान के उठाव का माहवार विवरण देवें। (ख) किन-किन महीने में कितना-कितना धान राईस मिलरों को दिया गया एवं कितना धान संग्रहण केंद्रों में भंडारण किया गया ? संग्रहण केंद्र व उपार्जन केंद्र अनुसार विवरण देवें। (ग) वर्ष 2020-21 में कितने किसानों की धान खरीदी निरस्त की गयी है ? क्या निरस्त करने के बाद उनका धान किसान को वापस किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : क) खरीफ वर्ष 2021-22 में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में 53 धान उपार्जन केन्द्र थे । खरीफ वर्ष 2020-21 में 49 धान उपार्जन केन्द्र के माध्यम से खरीदे गये धान के उठाव की माहवार जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' अनुसार है । (ग) खरीफ वर्ष 2020-21 में कृषक श्री महेत्तर दास पिता खुसुड़दास, ग्राम छुहीपाली का 58.40 क्विंटल धान तकनीकी कारणों से क्रय नहीं किया जा सका तथा धान वापस कर दिया गया है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"\]](#)

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के बजट वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शामिल सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण के संबंध में

[लोक निर्माण]

36. (क्र. 1349) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की किन-किन सड़कों को बजट वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शामिल किया गया है? वर्षवार, जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक 'क' के उत्तर में किन-किन सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है और किन-किन सड़कों की जारी नहीं हुई है ? जारी नहीं होने के क्या कारण है और वर्तमान में उक्त सड़कों की क्या स्थिति है ? (ग) बजट वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शामिल सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और कौन-कौन से सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होना बाकी है, कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"\]](#)

राज्य सरकार से रायपुर नगर निगम को प्राप्त राशियाँ

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

37. (क्र. 1358) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर नगर निगम को राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 में 22 फरवरी तक विकास कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि किस किस मद से उपलब्ध कराई गई है ? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या वर्ष 2018-19 में रायपुर नगर निगम को जारी विकास कार्यों की स्वीकृति/राशियों में जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए है, क्या उन्हें वापस ली गई थी? यदि हाँ, तो कब, क्यों व कितने कार्यों की कितनी राशि/स्वीकृति वापस ली गई थी ? कार्य के नाम व राशि सहित बतावे ? क्या उसी वित्तीय वर्ष में उन कार्यों में कुछ कार्यों की पुनः स्वीकृति दी गई ? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य ? नहीं तो क्यों ? (ग) क्या कंडिका "क" के वर्षों में केन्द्र सरकार के मद से रायपुर नगर निगम क्षेत्र/रायपुर

स्मार्ट सिटी लि. में कार्य संपादित हुए? यदि हां तो केन्द्र सरकार से किस किस मद से कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है, वर्षवार जानकारी देवे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासन आदेश क्रमांक एफ 5-12/2019/18 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा अप्रारंभ कार्यों की स्वीकृति वापस ली गई थी। आदेश दिनांक को अप्रारंभ कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किया जाकर निम्नानुसार कार्यों की राशि को निरस्त किया गया है।

क्रं.	मद का नाम	कार्यों की संख्या	राशि लाख में	निरस्त का कारण
1	अधोसंरचना	81	2131.15	अप्रारंभ होने के कारण
2	रा.प्र.वि.यो.	1	70.00	
3	प्रधानमंत्री आवास	निरंक	निरंक	
4	मिशन अमृत	निरंक	निरंक	
5	केन्द्र प्रवर्तित (14/15 वा वित्त)	निरंक	निरंक	

जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। जी नहीं । निरस्त किये गये कार्यों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनः स्वीकृति नहीं दी गई है। (ग) जी हाँ। कंडिका 'क' के वर्षों में केन्द्र सरकार के मद से रायपुर नगर निगम क्षेत्र/रायपुर स्मार्ट सिटी लि. में कार्य संपादित हुए है। जानकारी संलग्न प्रपत्र- स अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस"\]](#)

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में उचित मूल्य की दुकान संचालन में अनियमितता पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

38. (क्र. 1367) श्री अनूप नाग : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में खाद्यान्न वितरण के लिए कितनी राशन दुकानें किनके द्वारा संचालित की जा रही हैं ? दुकानवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार वर्ष 2019-20 से दिनांक जनवरी, 2022 तक संचालित उचित मूल्य की दुकान संचालन के संबंध में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार प्राप्त शिकायतों में कौन - कौन से अधिकारी/कर्मचारी/ दुकान संचालक दोषी पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या कोई जांच लंबित है ? लंबित जांच का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 164 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित है, जिसकी दुकानवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के संबंध में 42 शिकायतें प्राप्त हुई। (ग) प्राप्त 42 शिकायतों की जांच उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को आबंटित 6 उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निलंबित, 22 उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निरस्त, 14 उचित मूल्य दुकान संचालकों को चेतावनी दी गई है तथा 1 प्रकरण में खाद्य निरीक्षक, अंतागढ़ को निलंबित किया गया ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"\]](#)

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****जांजगीर-चांपा के नगर पंचायत बलौदा में मुक्तिधाम अहाता निर्माण**

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

1. (क्र. 39) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बलौदा अंतर्गत वार्ड क्र. 04 और 05 में स्थित मुक्तिधाम के अहाता निर्माण के लिए कितनी राशि किस-किस मद से कब-कब स्वीकृति की गई ? (ख) उपरोक्त कार्य का निर्माण किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है ? (ग) कार्य कब तक पूर्ण होगा, कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा के संबंध में कब-कब शिकायतें की गई ? शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बलौदा अंतर्गत वार्ड क्र. 04 और 05 में स्थित मुक्तिधाम के अहाता निर्माण के लिए राशि 10.00 लाख विधायक निधि से दिनांक 20.09.2019 को उप संचालक जिला योजना सांख्यिकी जिला जांजगीर-चांपा द्वारा स्वीकृति दी गई है। (ख) उपरोक्त कार्य का निर्माण पवन अग्रवाल नैला के द्वारा किया जा रहा है ? (ग) कार्य प्रारंभ कराया गया था। कार्य लगभग 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् कार्य स्थल का सीमांकन कराने हेतु नगर पंचायत बलौदा के पत्र क्रमांक 1228 दिनांक 15.11.2021 एवं पुनः नगर पंचायत बलौदा के पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से तहसीलदार बलौदा को पत्र प्रेषित किया गया है। सीमांकन कार्य आज दिनांक तक नहीं होने के कारण कार्य लंबित है। सीमांकन कार्यवाही होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किया जावेगा। उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला-जांजगीर-चांपा के पत्र क्रमांक 1202/2021 दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से निकाय को शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने के पूर्व ही निकाय द्वारा सतर्कता बरतते हुए सहायक अनुसंधान अधिकारी मिनीमाता हसदेव बांगो प्रोजेक्ट गुणवत्ता नियंत्रक उपसंभाग, अनुसंधान केन्द्र जिला-जांजगीर-चांपा के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण कराया गया। जिसमें उनके द्वारा मेमो क्रमांक 296 दिनांक 19.03.2021 द्वारा टेस्ट रिपोर्ट प्रदान किया गया। जिसमें कार्य गुणवत्ता युक्त पाया गया। अतः उपसंचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला-जांजगीर-चांपा के माध्यम से प्राप्त शिकायत निराधार पायी गई।

नगर पंचायत बलौदा में नवीन बस स्टैण्ड निर्माण, नीलामी, आंबटन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (क्र. 40) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जांजगीर-चांपा जिले में नगर पंचायत बलौदा के अंतर्गत नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण कितनी लागत से, कब किया गया था ? (ख) उपरोक्त बस स्टैण्ड में निर्मित दुकानों की नीलामी अंतिम बार कब की गई थी ? (ग) नीलामी में चयनित व्यक्तियों को कब और किस नम्बर की दुकान का आंबटन किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत बलौदा में नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण राशि रू. 30.00 लाख की लागत से वर्ष 2007-08 में किया गया है। (ख) बस स्टैण्ड में निर्मित दुकानों की नीलामी अंतिम बार दिनांक 24.08.2011 को की गई थी। (ग) निकाय द्वारा विभाग को प्रेषित किये गये दरों को अमान्य कर पुनः नीलामी की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

बिलासपुर जिले स्थित थानों में पंजीकृत अपराध

[गृह]

3. (क्र. 290) श्री शैलेश पांडे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक बिलासपुर जिले में स्थित थानों में कितने अपराध पंजीकृत किए गए माह वार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : प्रश्नाधीन अवधि की थानावार/माहवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

बिलासपुर नगर निगम में पदस्थ अभियंता

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (क्र. 292) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर नगर निगम में कितने अभियंता पदस्थ हैं और कितने अभियंताओं के पद रिक्त हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बिलासपुर नगर निगम में वर्तमान में 49 अभियंता पदस्थ है और 32 अभियंताओं के पद रिक्त है।

बिलासपुर जिले में श्रम विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि एवं लाभांशित हितग्राही

[श्रम]

5. (क्र. 293) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक श्रम विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) आवंटित राशि का उपयोग किन-किन योजनाओं के लिए किया गया, कितने हितग्राहियों को लाभ मिला ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर जिले में श्रम विभाग के अधीनस्थ सहायक श्रमायुक्त एवं उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय को दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक आवंटित राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। (ख) बिलासपुर जिले को छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं एवं बंधक श्रम पुनर्वास योजना हेतु योजना मद में आवंटित राशि में से लाभांशित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

नगर पालिक निगम, रायपुर को केन्द्र व राज्य से प्राप्त राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (क्र. 314) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिक निगम, रायपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में दिनांक 08/02/2022 तक केन्द्र शासन व राज्य शासन से किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए प्राप्त हुई है ? (ख) नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा कंडिका "क" के वित्तीय वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से व्यय की गई है ? (ग) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में दिनांक 08/02/2022 तक किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचित/पंजीकृत निर्माण कर्मकारों को दिया गया लाभ

[श्रम]

7. (क्र. 315) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा अधिसूचित 60 प्रवर्गों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा अधिसूचित 53 प्रवर्गों के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में दिनांक 08/02/2022 तक किस-किस योजना में क्या-क्या लाभ दिये गये हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यावन"]

नगर पंचायत केशकाल एवं फरसगांव को आबंटित राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

8. (क्र. 354) श्री सन्त राम नेताम : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत केशकाल एवं फरसगांव को 1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2022 तक राज्य शासन से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त राशि का उपयोग कौन-कौन से कार्य के लिए किया गया ? कार्य वार, नगर पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

कोंडागांव जिला स्थित दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल

[पर्यटन]

9. (क्र. 355) श्री सन्त राम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कोंडागांव जिला अंतर्गत कौन-कौन से दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनका जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण किया जाना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : पर्यटन विभाग द्वारा कोणडागाँव जिला अंतर्गत चिन्हांकित दार्शनिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। उक्त पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

10. (क्र. 392) श्री अजय चन्द्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरीय) के मुख्य घटकों का दिशा-निर्देश क्या-क्या है? वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कितने आवास पूर्ण व अपूर्ण हैं तथा इन वर्षों में कितनी-कितनी केन्द्रांश व राज्यांश राशि की आवश्यकता थी? राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था और कितनी-कितनी केन्द्रांश व राज्यांश राशि प्राप्त हो चुकी और कितनी-कितनी राशि शेष है और शेष होने का क्या कारण है? (ख) उक्त तीनों वर्षों में कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि की, कौन-कौन सी किशत प्राप्त हो चुकी है और कितनी राशि की, कौन-कौन सी किशत शेष है? तथा इसका क्या कारण है और कब तक कर दिया जायेगा? जिलावार बतायें? 31 जनवरी, 2022 तक कितने हितग्राही आवास हेतु प्रतीक्षा सूची में है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मुख्य

घटकों का दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ अनुसार हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में आवासों के निर्माण एवं राशि की आवश्यकता, विषयांकित वर्षों में बजट प्रावधान, प्राप्त केन्द्रांश व राज्यांश की राशि से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है। (ख) उक्त तीनों वर्षों में हितग्राहियों को प्रदाय की गई किश्त राशि एवं शेष किश्त राशि से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘स’ अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं है।

फोर्टीफाईड चावल का उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

11. (क्र. 393) श्री अजय चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में फोर्टीफाईड चावल का उपार्जन किया जा रहा है? यदि हां तो किन-किन जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में उपार्जन किया गया है? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार फोर्टीफाईड चावल जमा करने वाली राईस मिलों की संख्या जिलावार बतायें? (ग) क्या भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को फोर्टीफाईड चावल को सामान्य चावल में मिश्रित करने के लिये कोई निर्देश/शर्त दी गयी है? यदि हां तो किस अनुपात में, किस प्रक्रिया के तहत निर्धारित की गयी है? यदि नहीं तो राज्य सरकार किस आधार व अनुपात में मिश्रित कर रही है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हाँ, प्रदेश में फोर्टीफाईड चावल का उपार्जन किया जा रहा है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2021-22 में जिलेवार उपार्जित फोर्टीफाईड चावल मात्रा की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) फोर्टीफाईड चावल जमा करने वाली राईस मिलों की जिलेवार संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 1:100 के अनुपात में एफ.आर.के.को सामान्य चावल में ब्लेंडिंग मशीन के माध्यम से एफ.आर.के. को सामान्य चावल में मिश्रित किए जाने के निर्देश हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

जिला बलौदाबाजार - भाटापारा में मंदिरों की अचल सम्पत्ति का संधारण /जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

12. (क्र. 510) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बलौदाबाजार- भाटापारा में कुल कितने शासकीय मंदिर स्थित हैं तथा उनकी चल-अचल संपत्ति कितनी-कितनी तथा ट्रस्टी कौन-कौन हैं, विकासखण्डवार नाम सहित बतावें ? (ख) उपरोक्त शासकीय मंदिरों में पुजारी सेवादार व अन्य सेवकों की संख्या कितनी-कितनी है, प्रत्येक मंदिरों का नाम सहित पृथक-पृथक बतावें ? इन मंदिरों में निर्धारित पद के आधार पर कितने स्थान कब से रिक्त है ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ? (ग) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय मंदिरों में सेवारत पुजारी एवं सेवादारों को मानदेय के रूप में कितनी-कितनी राशि एवं कितनी समयावधि के अंतराल में प्रदान की जाती है ? (घ) उपरोक्त मंदिरों की चल-अचल सम्पत्तियों के साधारण विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2018-19 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 के मध्य कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी तथा कौन-कौन से मंदिर में क्या-क्या कार्य संपादित किये गए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अन्तर्गत कोई भी शासकीय मंदिर नहीं है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) छ.ग.राज्य में स्थित शासकीय मंदिरों के पुजारी/सेवादारों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रतिमाह की दर से एक साथ मानदेय दिया जाता है:-

क्रमांक	निर्धारित मापदण्ड	मानदेय दिये जाने वाली राशि रूपये (प्रतिमाह)	
		पुजारी	सेवादार
01	02	03	04
01	जिनके पास कोई भूमि नहीं है।	2700/-	1350/-
02	जिनके पास 05 एकड़ तक भूमि है	1350/-	945/-
03	जिनके पास 05 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक भूमि है।	540/-	675/-
04	जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न शासकीय मंदिरों को वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी, 2022 तक स्वीकृत कार्य एवं राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	वर्ष	मंदिर एवं कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
01	2021-22	श्री राम मंदिर जगदलपुर जीर्णोद्धार हेतु	रू. 5.00 लाख
02	2021-22	श्री पाठदेव मंदिर, जगदलपुर जीर्णोद्धार हेतु	रू. 5.00 लाख
03	2021-22	श्री मावली माता मंदिर, जगदलपुर जीर्णोद्धार हेतु	रू. 5.00 लाख

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न /सामाग्री का परिवहन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (क्र. 511) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न किसके द्वारा, किस दर में, कितनी मात्रा में, कहाँ से कहाँ तक का परिवहन कार्य कराया जा रहा है ? (ख) उक्त कार्य हेतु निविदा किस नाम से, किस दर पर, किस दिनांक को स्वीकृत हुई थी ? अनुबन्ध दिनांक तथा निविदा की शर्तें क्या हैं ? (ग) क्या उक्त तिथि में खाद्यान्न के अवैध परिवहन या खाद्यान्न परिवहन में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हाँ तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) उक्त कार्य हेतु निविदा किस नाम से, किस दर पर, किस दिनांक को स्वीकृत हुई थी तथा अनुबन्ध दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है तथा निविदा की शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) उक्त अवधि में खाद्यान्न के अवैध परिवहन या खाद्यान्न परिवहन में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़क निर्माण का मुआवजा
[लोक निर्माण]

14. (क्र. 604) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि कवर्धा जिले के पंडरिया तहसील अंतर्गत ग्राम विसेषरा से ग्राम कुम्ही के बीच सड़क का निर्माण सन 1981-82 में किया गया था ? जिनका मुआवजा आज तक नहीं मिला है ? (ख) क्या कंडिका "क" के उल्लेखितों को मुआवजा देने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) प्रकरण परीक्षण स्तर पर है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य
[लोक निर्माण]

15. (क्र. 698) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में 2019-20 तथा 2020-21 एवं जनवरी 2022 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने कार्य स्वीकृत किए गए ? कितने कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान हो गई है ? अगर नहीं तो क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन" \]](#)

कोरोना काल में अन्य प्रान्तों में मजदूरों की वापसी
[श्रम]

16. (क्र. 877) श्री धनेन्द्र साह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2020 के कोरोना काल में अन्य प्रान्तों में मजदूरी कार्य हेतु गये हुए श्रमिक कौन-कौन से जिलों में कितनी-कितनी संख्या में लौट कर वापस आये है ? कृपया जिलेवार जानकारी प्रदान करें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : वर्ष 2020 के कोरोना काल में अन्य प्रान्तों में मजदूरी कार्य हेतु गये हुए कुल 5,54,500 श्रमिक छत्तीसगढ़ लौट कर वापस आये। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

चावल उपार्जन के संबंध में जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

17. (क्र. 878) श्री धनेन्द्र साह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भारत शासन द्वारा छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में कितनी-कितनी मात्रा में चावल उपार्जन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर किस-किस मद/पूल में स्वीकृति दी गई है? कृपया वर्षवार जानकारी दें? (ख) उक्त वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में केन्द्र सरकार द्वारा चावल का उपार्जन किया गया तथा कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? सूखत हेतु कितनी क्विटल के लिए कितनी राशि दी गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) भारत शासन द्वारा राज्य में वर्ष खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में चावल उपार्जन हेतु स्वीकृत चावल की मात्रा की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-
(मात्रा लाख मे. टन में)

खरीफ वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त केन्द्रीय पूल में चावल जमा का लक्ष्य
2019-20	51.80
2020-21	48.00
2021-22	61.65

(ख) प्रश्नांकित अवधि में केन्द्रीय पुल में चावल उपार्जन की मात्रा एवं उसके विरुद्ध प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मे.टन में व राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	मात्रा	प्राप्त राशि
2019-20	50.08	11311.73
2020-21	47.87	13422.59
2021-22	15.72	5595.73

खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में धान/चावल उपार्जन की मदवार अंतिम राशि निर्धारण के उपरांत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सूखत की राशि ज्ञात हो सकेगी ।

लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र में दर्ज अपराधिक मामलें

[गृह]

18. (क्र. 991) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जनवरी, 2022 तक विधानसभा लैलुंगा क्षेत्रान्तर्गत थानों में कितने अपराधिक मामले किन किन धाराओं में दर्ज किये गये हैं? कितने अपराधिक मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और कितने अपराधिक मामलों में जांच चल रही है? थानावार जानकारी प्रदान करें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : प्रश्नाधीन अवधि की थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

मिलर के पुराने बारदाने/पीडीएस बारदाने/किसान के बारदाने का भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

19. (क्र. 1000) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु नए बारदाने के अतिरिक्त मिलर के पुराने बारदाने तथा पीडीएस बारदाने एवं किसानों के बारदाने जमा कराये गए हैं? धान खरीदी हेतु जमा लिए गए मिलर के पुराने बारदाने/पीडीएस बारदाने/किसान के बारदाने पर उपयोगिता शुल्क भुगतान की नीति क्या है? **(ख)** क्या वर्ष 2019-20 में धान खरीदी हेतु मिलर के पुराने बारदाने/पीडीएस बारदाने/किसान बारदानों पर उपयोगिता शुल्क की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो वर्ष 2021-22 में उपयोगिता शुल्क भुगतान हेतु नीति में परिवर्तन किस आधार पर और किसके निर्देश पर किया गया है? **(ग)** यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो जितने बारदाने जमा लिए गये, उनकी उपयोगिता शुल्क की 100% राशि भारत शासन से मिलने के बावजूद, किस आधार पर ऐसे सभी जमा बारदानों पर क्यों नहीं दी गयी है? **(घ)** बारदाना उपयोगिता शुल्क की कितनी राशि एवं किस आधार पर मार्कफेड के खाते में जमा रखी गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** जी हां, खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु नए बारदाने के अतिरिक्त मिलरों के पुराने बारदाने तथा पीडीएस बारदाने एवं किसानों के बारदाने जमा कराये गए हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार धान खरीदी में धान के पैकेजिंग हेतु उपयोग किये गये पुराने बारदानों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बारदाना उपयोगिता शुल्क देय होगा। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी सी.ए. से सत्यापित/प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना होगा। **(ख)** जी नहीं, वर्ष 2019-20 में धान खरीदी हेतु मिलर के पुराने बारदाने/पीडीएस बारदाने/किसान बारदाने पर उपयोगिता शुल्क भुगतान हेतु नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उक्त वर्षों में भारत शासन से उपयोगिता शुल्क की राशि प्राप्त नहीं हुई है। **(घ)** उक्त वर्षों में बारदाना उपयोगिता शुल्क की राशि भारत सरकार से अप्राप्त है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में हत्या, आत्महत्या एवं बलात्कार की घटनाएं

[गृह]

20. (क्र. 1012) डॉ. रमन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2022 तक हत्या, आत्महत्या एवं बलात्कार की कुल कितनी घटनाएं घटित हुई हैं? जिलेवार विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अंतर्गत हत्या एवं बलात्कार के दर्ज प्रकरण में कितने प्रकरण में चालान पेश किया गया है एवं कितने प्रकरण में आरोपी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है? **(ग)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में आत्महत्या के दर्ज प्रकरण में कितने किसानों एवं युवाओं ने आत्महत्या की है? जिलेवार विवरण दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है।(ख) प्रश्नांश "क" के अंतर्गत हत्या एवं बलात्कार के 10,231 प्रकरणों में चालान पेश किया गया है तथा 272 प्रकरणों में आरोपियों को कोर्ट से सजा सुनाई गई है।(ग) कृषि कार्य से संबंधित 572 व्यक्तियों (कृषिगत कारणों से 02 व्यक्तियों) ने तथा 9,281 युवाओं (18 वर्ष से 30 वर्ष तक) ने आत्महत्या किया है। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" पर दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

बेमेतरा जिले में उपभोक्ता फोरम न्यायालय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

21. (क्र. 1074) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बेमेतरा जिला मुख्यालय में उपभोक्ता फोरम न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक की जाएगी ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : बेमेतरा जिले में अंशकालिक जिला उपभोक्ता आयोग स्वीकृत है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[श्रम]

22. (क्र. 1126) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) श्रम विभाग अंतर्गत कितनी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? (ख) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिला है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनसठ" \]](#)

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[लोक निर्माण]

23. (क्र. 1127) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019-20 से दिसम्बर, 2021 तक मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट में शामिल कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किया गया एवं कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी गई? विकासखण्डवार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

दुर्ग नगर निगम क्षेत्रांतर्गत साइंस कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम

[लोक निर्माण]

24. (क्र. 1207) श्री अरुण वोरा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत साइंस कॉलेज परिसर में 750 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम की आधारशीला किस वर्ष रखी गई? इसके लिए कुल कितनी राशि कब स्वीकृत की गई? कार्य पूर्णता की समयसीमा क्या थी? वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है? ऑडिटोरियम का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

दुर्ग नगर निगम क्षेत्रांतर्गत ठगड़ाबांध का सौंदर्यीकरण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

25. (क्र. 1208) श्री अरुण वीरा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नगर निगम दुर्ग द्वारा 70 वर्ष पुराने ठगड़ाबांध का सौंदर्यीकरण कर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा कुल कितनी राशि कब स्वीकृत की गई? कार्य हेतु किस एजेंसी को ठेका दिया गया? इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? कब तक पूर्ण होना था? वर्तमान में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं? 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में इस कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा बालोद जिले को आबंटित राशि

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

26. (क्र. 1212) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2019-20 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बालोद जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किन-किन कार्यों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है? वर्षवार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : बालोद जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से वर्ष 2019-20 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक स्वीकृत कार्य एवं राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी राशन वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

27. (क्र. 1213) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या जिला बालोद में छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी राशन वितरण की जानकारी प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो, इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जी हाँ, जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत राहुद, शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बोरगहन, शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बोहारडीह में उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी द्वारा मृत राशनकार्ड हितग्राहियों के नाम से राशन सामग्री का फर्जी आहरण किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायत जांच उपरांत सही पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुंडरदेही द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत राहुद के संचालक को तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरूर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बोहारडीह के संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बोरगहन का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुंडरदेही के पास विचाराधीन है।

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालित दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

28. (क्र. 1215) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कितनी शासकीय दुकानें संचालित हैं? (ख) दुकानों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? विकासखंडवार दुकानवार जानकारी प्रदान करें?

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत क्या किसी प्रकार की कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 171 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 04 उचित मूल्य दुकानों के संचालन में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी जांच उपरांत 02 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है 01 उचित मूल्य दुकान का आबंटन निलंबित तथा 01 उचित मूल्य दुकान का आबंटन निरस्त किया गया है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौसठ" \]](#)

रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं से बढ़ती मौतों की संख्या

[गृह]

29. (क्र. 1222) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक रायगढ़ जिले में थाना, चौकीवार कितने-कितने मौतें सड़क दुर्घटना में हुई हैं ? मृत व्यक्तियों के परिवार या उनके उत्तराधिकारियों को कितनी-कितनी शासकीय क्षतिपूर्ति राशि तथा कितना-कितना मुआवजा वाहन मालिक या अन्य लोगों को दिया गया है एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ख) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की थानावार/चौकीवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। मृत व्यक्तियों के आश्रितों को शासन द्वारा राशि रू. 66,75,000/- (राशि रू० छियासठ लाख पचहत्तर हजार) आर्थिक सहायता तथा सोलेषियम योजनान्तर्गत राशि रू. 1,50,000/- (राशि रू० एक लाख पचास हजार) मुआवजा दिया गया है तथा 326 प्रतिवेदित प्रकरण लंबित हैं। (ख) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है-1.राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्ग में लगातार पेट्रोलिंग वाहन चलाई जा रही है। 2.तेजगति वाहन चालन करने वाले चालकों के विरूद्ध स्पीड राडार गन का उपयोग कर कार्यवाही की जा रही है। 3.नाबालिग वाहन चालक, दो पहिया में तीन सवारी, बिना हेलमेट एवं चार पहिया वाहनों में बिना सीट-बेल्ट पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है 4.दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार सुधार कार्य की जा रही है। 5.सघन बसाहट वाले क्षेत्र में वाहनों के गति नियंत्रण हेतु खाली ड्रम, रोड स्टॉपर का जिग-जैग बनाया गया है। 6. शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं चालकों का ड्रायविंग लायसेन्स निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। 7. इसके अलावा प्रवर्तन संबंधी चालानी कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ" \]](#)

विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा में पशु तस्करी के दर्ज प्रकरण

[गृह]

30. (क्र. 1224) **श्री चक्रधर सिंह सिदार** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा के क्षेत्रांतर्गत थानों में 01 अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक पशु तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज हुए, स्थान वार पशुओं की संख्या सहित थानावार जानकारी देवे? (ख) उक्त प्रकरण में कितने लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की स्थानवार/थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) 42 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" \]](#)

नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सिवरेज समस्या
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

31. (क्र. 1226) श्री देवेन्द्र यादव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-1 से सेक्टर 10 तथा हुडको, खुर्सीपार के सिवरेज सिस्टम किसके नियंत्रण में है ? (ख) सिवरेज सिस्टम का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया है, तथा उसके संधारण एवं विस्तार कार्य के लिए किनकी जवाबदारी है ? (ग) क्या शासन स्तर पर सिवरेज के संधारण एवं विस्तार कार्य के लिए कोई योजना तैयार की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-01 से सेक्टर-10 तथा खुर्सीपार के सिवरेज सिस्टम भिलाई स्टील प्लांट के नियंत्रण में एवं हुडको सेक्टर में सिवरेज सिस्टम नगर पालिक निगम भिलाई के नियंत्रण में है। (ख) सेक्टर-01 से सेक्टर -10 एवं खुर्सीपार में सिवरेज सिस्टम का निर्माण वर्ष 1960 में एवं हुडको सेक्टर के सिवरेज सिस्टम का निर्माण वर्ष 1988 में भिलाई ईस्पात संयंत्र द्वारा किया गया है। सेक्टर-01 से सेक्टर-10 एवं खुर्सीपार के संधारण एवं विस्तार की जवाबदारी भिलाई ईस्पात संयंत्र की एवं हुडको सेक्टर के सिवरेज सिस्टम के संधारण एवं विस्तार की जिम्मेदारी नगर पालिक निगम भिलाई की है। (ग) जी नहीं, वर्तमान में शासन स्तर पर सिवरेज के संधारण एवं विस्तार कार्य हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गई है। अपितु निकाय से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 19.03.2020 को जोन क्र. 04 अंतर्गत सिवरेज पाईप लाईन संधारण हेतु राशि रू. 100.00 लाख की तथा दिनांक 25.02.2021 को वार्ड क्र. 69 एवं 70 में सिवरेज लाईन लगाने हेतु राशि रू. 52.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थल
[पर्यटन]

32. (क्र. 1231) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला रायगढ़ में पर्यटन स्थल के रूप में कौन-कौन से स्थान को चिन्हांकित किया गया है, स्थलवार जानकारी देवें ? (ख) चिन्हांकित स्थलों हेतु जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक की स्थिति में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है, किस- किस कार्य में कितनी- कितनी राशि व्यय की गयी है, स्थलवार राशि सहित जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जिला रायगढ़ में पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित स्थलों की स्थलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1	रायगढ़	ऐतिहासिक, पुरातात्विक	कबरा पहाड़, बादली गुफा, तीपा खोल, पहाड़ मंदिर, धार्मिक स्थल ग्राम पोरथ
2	खरसिया	सांस्कृतिक, औद्योगिक, प्राकृतिक	रामझरना, मछलीघर
3	सारंगढ़	ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक	गिरीविलास महल, तालाब
4	धरमजयगढ़	प्राकृतिक, धार्मिक	शिशरिगा घाट, ओंगना, रेशम धागा

			केंद्र
5	गोमरड़ा अभ्यारण्य	प्राकृतिक	वन्य प्राणी अभ्यारण्य
6	सिंघनपुर	पुरातात्विक	शैल चित्र एवं गुफाएं
7	पुजारीपाली	पुरातात्विक	बौद्ध कालीन विष्णुमंदिर, महाप्रभु, केवटिन एवं रानीझूला के मंदिर

(ख) उक्त चिन्हांकित स्थलों पर प्रश्नांकित अवधि में कार्य स्वीकृत एवं राशि व्यय नहीं किया गया है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत सड़क हादसों में मृत एवं घायलों के दर्ज प्रकरण

[गृह]

33. (क्र. 1232) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला रायगढ़ अंतर्गत जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 की स्थिति में सड़क हादसों में हुई मौत एवं घायल व्यक्तियों के थानावार दर्ज प्रकरण की जानकारी देवे? (ख) सड़क हादसों में मृत एवं घायल व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को कितनी- कितनी राशि का मुआवजा प्रदाय किया गया है, व कितना शेष है? (ग) क्या सड़क हादसों की समीक्षा विभाग द्वारा की गई है, यदि हां तो क्या निष्कर्ष पाया गया जानकारी देवे? (घ) सड़क हादसे रोकने हेतु सरकार क्या-क्या उपाय कर रही हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित परिजनों को राशि रू. 67,25,000/- (राशि रू० सड़सठ लाख पच्चीस हजार) आर्थिक सहायता एवं सोलेशियम योजनान्तर्गत राशि रू. 1,50,000/- (राशि रू० एक लाख पचास हजार) मुआवजा राशि तथा गंभीर घायल व्यक्तियों को शासन द्वारा राशि रू. 2,90,000/- (राशि रू० दो लाख नब्बे हजार) आर्थिक सहायता प्रदाय किया गया है। कुल 548 प्रतिवेदित प्रकरण लंबित है। (ग) जी हाँ। निष्कर्ष पर निम्न मुख्य तथ्य पाये गये:- 1. तेजगति से वाहन चलाना। 2. शराब पीकर वाहन चलाना। 3. यातायात जागरूकता की कमी। 4. ग्रामीण अंचल के ट्रैक्टर चालकों में ट्रैफिक सेंस की कमी। 5. राजकीय राजमार्ग-01 रायगढ़ से पत्थलगांव तक सड़क मार्ग का जर्जर होना। (घ) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है:- 1. राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्ग में लगातार पेट्रोलिंग वाहन चलाई जा रही है। 2. तेजगति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध स्पीड राडार गन का उपयोग कर कार्यवाही की जा रही है। 3. नाबालिग वाहन चालक, दो पहिया में तीन सवारी, बिना हेलमेट एवं चार पहिया वाहनों में बिना सीट-बेल्ट पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है 4. दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार सुधार कार्य की जा रही है। 5. सघन बसाहट वाले क्षेत्र में वाहनों के गति नियंत्रण हेतु खाली ड्रम, रोड स्टॉपर का जिग-जैग बनाया गया है। 6. शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं चालकों का ड्रायविंग लायसेन्स निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। 7. इसके अलावा प्रवर्तन संबंधी चालानी कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

रायगढ़ जिले में साइबर अपराध के दर्ज प्रकरण

[गृह]

34. (क्र. 1237) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2019 से 20-02-22 तक रायगढ़ जिले में साइबर अपराध के कितने मामले दर्ज हुए हैं? दर्ज मामलों पर क्या कार्रवाई की गई ? क्या कोई मामला लंबित है? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी ? लंबित मामलों की सूची उपलब्ध करावे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : प्रश्नाधीन अवधि तक रायगढ़ जिले में साइबर अपराध के कुल 42

प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 26 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, 04 प्रकरणों में खात्मा किया गया तथा 12 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। लंबित मामलों की सूची **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ"]

जिला नारायणपुर अंतर्गत 16वीं बटालियन नारायणपुर हेतु स्वीकृत राशि

[गृह]

35. (क्र. 1254) **श्री चंदन कश्यप** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला नारायणपुर अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक 16वीं बटालियन, नारायणपुर हेतु शासन से कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में प्राप्त हुई है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य किस-किस फर्म/ठेकेदार से कराये गये तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? मदवार, कार्यवार जानकारी देवें ? कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** पर दर्शित है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** पर दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

सोसायटियों (राशन दुकान) में चावल वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

36. (क्र. 1258) **श्री नारायण चंदेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में राईस मिलों से मिलिंग के बाद जांजगीर-चाम्पा जिले में नॉन विभाग को किन-किन राईस मिलों से कितना-कितना चावल कब-कब प्राप्त हुआ ? **(ख)** उक्त वित्तीय वर्ष में नॉन द्वारा जिले की कितनी सोसायटियों (राशन दुकान) में हितग्राहियों को वितरण करने के लिए चावल कब-कब भेजा गया ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

खरीफ विपणन वर्ष में सोसायटियों के माध्यम से धान खरीदी एवं राशि के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

37. (क्र. 1263) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितने सोसायटियों के माध्यम से कितनी मात्रा में धान उपार्जन किया गया? उपार्जित धान के बदले में किस दर से कमीशन दिया जाता है? दी गई कमीशन राशि एवं शेष राशि की जानकारी वर्षवार, जिलेवार देवें? **(ख)** क्या उक्त विपणन वर्ष में सूखत एवं अमानक या अन्य कारणों से सोसायटियों की कमीशन की राशि काटी कई है? यदि हां तो वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त काटी गई कमीशन की राशि की भरपाई की गई है या भरपाई करने की योजना है ? यदि हां तो कितनी राशि भरपाई की गई है जिलेवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** खरीफ वर्ष 2019-20 में 1289 सहकारी समितियों के माध्यम से 83.94 लाख मे.टन धान, खरीफ वर्ष 2020-21 में 2012 सहकारी समितियों के माध्यम से 92.02 लाख मे.टन धान तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में 2025 सहकारी समितियों के माध्यम से 97.98 लाख मे.टन धान का उपार्जन किया गया । सहकारी समितियों को धान खरीदी हेतु मोटा धान के लिए 31.25 रूपये प्रति क्विंटल तथा पतला धान के लिए 32.00 रूपये प्रति क्विंटल कमीशन प्रदाय किया जाता है । खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सहकारी समितियों को दी जाने वाली कमीशन राशि तथा शेष राशि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'अ'** अनुसार है । खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के निराकरण की कार्यवाही

प्रक्रियाधीन है, धान के निराकरण के उपरांत समितियों को देय कमीशन ज्ञात हो सकेगी। (ख) जी हां, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सूखत धान की राशि सोसायटियों के कमीशन की राशि में से कटौती की गई है, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'ब'** अनुसार है। खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, धान के निराकरण के उपरांत सूखत धान की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-20/2020/29-1/पार्ट (V) दिनांक 29.11.2021 द्वारा कोविड-19 एवं धान के परिवहन में विलंब होने के कारण समितियों को हुई नुकसान की एकमुश्त क्षतिपूर्ति हेतु आदेश प्रसारित किये गये हैं, जिसके अनुसार 03 प्रतिशत तक सूखत वाली समितियों को विपणन संघ को परिदान किये गये धान के लिए कमीशन की राशि एवं अन्य देय मदों को भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

नगर पालिक निगम धमतरी के अंतर्गत स्वामित्व की जमीन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

38. (क्र. 1264) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र के अंतर्गत स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र की कुल कितनी जमीन है? (ख) क्या धमतरी पेंटीनगंज की जमीन का सीमांकन नगर पालिक निगम द्वारा किया गया है यदि हां तो उक्त क्षेत्रफल की कितनी जमीन लीज में दी गई है एवं कितनी जमीन रिक्त है? क्या लीज में दी गई जमीन वर्तमान में रिक्त होने, नियमानुसार उपयोग नहीं करने या वारीसान नहीं होने की जांच की गई है? यदि हां तो निगम के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त क्षेत्र में नवनिर्माण या जीर्णोद्धार हेतु विगत 03 वर्ष में भवन अनुज्ञा जारी की गई है यदि हां तो वर्षवार, नामवार एवं किस कार्य हेतु भवन अनुज्ञा जारी की गई बतावें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) नगर पालिक निगम, धमतरी क्षेत्रांतर्गत राजस्व/नजूल की कुल 28.7612 हेक्टेयर भूमि निगम के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र में है। (ख) जी हां। नगर पालिक निगम, धमतरी द्वारा पेंटीनगंज स्थित जमीन का सीमांकन कराया गया है। पेंटीनगंज क्षेत्र में कुल 17.806 हेक्टेयर जमीन है। उक्त में से 17.641 हेक्टेयर जमीन को लीज में दी गई एवं 0.165 हेक्टेयर जमीन रिक्त है। लीज में दी गई जमीन वर्तमान में रिक्त होने तथा नियमानुसार उपयोग नहीं करने की जांचों परांत संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है। वारिसान नहीं होने की जानकारी निरंक है। (ग) जी नहीं।

चावल, चना, नमक, दाल उचित मूल्य के दुकान में भण्डारित करने के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

39. (क्र. 1299) श्री डमरूधर पुजारी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि दिनांक 19 मार्च, 2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या - 31 (क्रमांक-2512) के उत्तर में विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था कि चावल, चना, नमक, दाल विलम्ब से उचित मूल्य की दुकान में भण्डारित किये गये थे ? यदि हाँ तो किस माह का भण्डारण कितने माह के विलम्ब से कब किया गया, इस हेतु प्रदाय आदेश कब, किसके द्वारा, किस फर्म को दिया गया था और आदेशानुसार कितने दिनों में सामग्री की आपूर्ति करनी थी, कितने दिनों में की गई तथा निर्धारित अवधि से कितने दिन विलम्ब से की गई ? विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर सम्बंधित फर्म पर जुर्माना या किस प्रकार दण्ड के प्रावधान हैं, जानकारी उपलब्ध करावें तथा इसके अनुसार क्या कार्यवाही कब व किस फर्म पर की गई और यदि नहीं की गई तो क्यों ? (ख) क्या यह सही है कि 01 जनवरी, 2021 से दिनांक 01 जनवरी, 2022 तक कंडिका 'क' अनुसार सामग्री के भण्डारण में भी विलम्ब हुआ है तो कंडिका 'क' अनुसार जानकारी दें तथा की गई कार्यवाही भी बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र - 'अ'** अनुसार है। विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यवाही का प्रावधान है। जिसकी जानकारी **संलग्न**

प्रपत्र-“ब” अनुसार है।(ख) जी हाँ। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -‘अ’** तथा माह अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -‘स’** अनुसार है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर" \]](#)

रायपुर केन्द्री एक्सप्रेस वे रोड निर्माण [लोक निर्माण]

40. (क्र. 1303) श्री धरम लाल कौशिक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर-केन्द्री एक्सप्रेस वे रोड का निर्माण कार्य का ठेका किस फर्म को, कब व कितनी राशि का दिया गया ? फर्म को कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? अनुबंध अनुसार कार्य कब तक पूर्ण होना था व कब पूर्ण हुआ ? यदि नहीं तो कब व किसके द्वारा किस नियम के तहत कितनी अवधि बढ़ाई गई ? कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा ? कार्य में विलम्ब होने पर सम्बंधित फर्म को क्या अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा या जुर्माना/दण्ड लगाया जावेगा ? यदि हाँ तो कितना व कब व किस नियम के अनुसार, नियम उपलब्ध करावें ? (ख) क्या कंडिका 'क' अनुसार मार्ग के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ? यदि हाँ तो कब-कब, किस-किस को, किसके आदेश से क्यों निलम्बित किया गया था ? क्या विभागीय जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी तथा उक्तानुसार अधिकारियों में किन-किन का निलम्बन कब-कब बहाल किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद। रू. 258.11 करोड़ दिनांक 10-03-2017 को अनुबंध किया गया एवं रू. 43.21 करोड़ दिनांक 15/02/2019 को अतिरिक्त कार्य हेतु स्वीकृत प्रदाय की गई। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 09.07.2018 कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 17.12.2019, प्रबंध संचालक, छ.ग. सड़क विकास निगम, रायपुर अनुबंध की कंडिका 10.3, 10.5, 10.6 दिनांक 30.06.2020 तक अंतरिम समयवृद्धि प्रदान की गई। कार्य पूर्णता की संभावित तिथि 31/05/2022 भुगतान अथवा जुर्माना/दंड अनुबंधानुसार प्रस्तावित की जावेगी। अनुबंधानुसार अंतिम समयवृद्धि आदेश में गुण दोष के आधार की कंडिका 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 अनुसार, नियम कंडिका, **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण [लोक निर्माण]

41. (क्र. 1310) श्री विद्यारतन भसीन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ है, कितनी राशि भुगतान की जानी थी, कितनी भुगतान की गई है, कितनी शेष है व शेष राशि कब तक भुगतान की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" \]](#)

बस्तर जिले में चोरी के दर्ज प्रकरण व जांच की स्थिति [गृह]

42. (क्र. 1314) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कृपया बतावें कि बस्तर जिले में वर्ष 2019 से 20/02/2022 तक चोरी के कितने मामले दर्ज हुये हैं ? कृपया वर्षवार जानकारी देंगे ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में दर्ज मामलों में से कितने प्रकरणों में विवेचना की कार्यवाही पूरी हो गई है तथा कितने अभी-भी विवेचनाधीन है? कृपया वर्षवार जानकारी देंगे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) बस्तर जिले में प्रश्नाधीन अवधि में चोरी के दर्ज मामलों की

वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।(ख) चोरी के कुल दर्ज 662 मामलों में से 418 की विवेचना पूर्ण तथा 244 विवेचनाधीन हैं। वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर" \]](#)

गरियाबंद जिला अंतर्गत संचालित 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण में अनियमितता
[लोक निर्माण]

43. (क्र. 1321) श्री **अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत विकासखण्ड देवभोग में लोक निर्माण विभाग को 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु कब तथा कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? (ख) कंडिका "क" के तहत स्वीकृत कार्य हेतु कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है तथा कितनी राशि व्यय की गई है ? मदवार विवरण दें ? (ग) क्या ये सही है, कि कंडिका "क" के तहत स्वीकृत कार्य हेतु निर्धारित प्राक्कलन के विरुद्ध अनियमित तथा गुणवत्ताविहीन निर्माण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? हां तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री **ताम्रध्वज साहू**) : (क) एवं (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" \]](#)

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में राजिम माघी पुत्री मेला आयोजन हेतु प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि
[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

44. (क्र. 1322) श्री **अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 में राजिम माघी पुत्री मेला के आयोजन हेतु धर्मस्व विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि का आबंटन उपलब्ध कराया गया है ? मदवार विवरण दें ? (ख) कंडिका "क" के तहत प्राप्त आबंटन/राशि के विरुद्ध कितने-कितने लागत के क्या-क्या कार्य कराये गये है ? (ग) कंडिका "क" के तहत कराये गये कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को कब-कब प्रेषित किए गए ? राशि व्यय करने के क्या मापदण्ड निर्धारित है ?

गृह मंत्री (श्री **ताम्रध्वज साहू**) : (क) वर्ष 2021-22 में राजिम माघी पुत्री मेला के आयोजन हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का आबंटन मांग संख्या-51 मुख्यशीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-103-तीर्थ स्थानों की देखभाल 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) योजना क्रमांक (5455) राजिम, मेले में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-14 सहायक अनुदान, 002 विकास कार्य हेतु अनुदान मद अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है। (ख) जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। (ग) कंडिका "क" के तहत कराये गये कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर गरियाबंद द्वारा देयको के भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित की जावेगी। छ.ग.शासन भण्डार क्रय नियमों में दिये गये निर्देश अनुसार राशि व्यय करने के मापदण्ड निर्धारित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

45. (क्र. 1324) श्रीमती **इंद्र बंजारे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत राहौद, खरौद, शिवरीनारायण में अधोसंरचना विकास हेतु विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 में जनवरी, 2022 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई? कार्य का नाम एवं मदवार कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी दें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सतततर"]

बिलासपुर व रायपुर नगर निगम में अवैध प्लाटिंग
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

46. (क्र. 1330) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर नगर निगम में 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अवैध प्लाटिंग की कितनी शिकायतें कब-कब से प्राप्त हुई है? इन पर किसके द्वारा, कब-कब जाँच करायी गयी? जाँच में क्या निष्कर्ष पाया गया व क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बिलासपुर नगर निगम में 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 तक अवैध प्लाटिंग के 36 शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्ति दिनांक, शिकायत कर्ता का नाम, जांच दिनांक, जांच का निष्कर्ष एवं की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए बनाये गये कार्ड
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

47. (क्र. 1331) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से कार्ड, कितने हितग्राहियों के लिए बनाये गये है ? जिलेवार व वर्षवार जानकारी देवें। (ख) कवर्धा जिले में कंडिका 'क' अनुसार कितने कार्ड बनाये गये हैं ? क्या यह सही है कि एपीएल के अतिरिक्त अन्य कार्ड बनाने पर प्रतिबंध लगा था? यदि हां तो कब से लगा था? (ग) प्रतिबंध के पश्चात् कितने हितग्राहियों के कार्ड बनाये गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' में उल्लेखित है। जी नहीं, सभी प्रकार के राशनकार्ड जारी किये जा रहे है । (ग) राशनकार्ड जारी करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनयासी"]

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बिलासपुर/मुंगेली संभाग में स्वीकृत कार्य
[लोक निर्माण]

48. (क्र. 1332) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर/मुंगेली संभाग के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक कितने कार्य कितनी राशि के, स्वीकृत हुए ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वार्षिक संधारण मद् में किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत, व्यय व शेष है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

जैम पोर्टल से खरीदी

[श्रम]

49. (क्र. 1333) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि 31 मार्च, 2021 के बाद जैम पोर्टल से खरीदी न करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ तो क्या निर्देश थे, उपलब्ध करावें ? इन निर्देशों के पश्चात 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक श्रम विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस के द्वारा, कब-कब किस दर पर व कुल कितनी राशि की, किस फर्म से जैम पोर्टल या सीएस आईडीसी के पोर्टल से खरीदी गई? इसमें कितनी सामग्री निर्धारित समय में व कितनी सामग्री निर्धारित समय के कितने दिनों के पश्चात प्राप्त हुई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जी हाँ। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में किये गये संशोधन दिनांक 30.09.2019 में प्रावधान किया गया कि क्रय नियम 3 के अनुसार ऐसी वस्तुएं जो संलग्न प्रपत्र-‘अ’ में उल्लेखित है कि दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन सीएसआईडीसी) द्वारा किया जायेगा तथा विभागों द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘अ’ में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सीधे किया जा सकेगा। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के कंडिका क्रमांक 3(दो) में “वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन विभाग के द्वारा जेम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाए” के निर्देश दिये गये थे अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है। श्रम विभाग के अंतर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ एवं राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक सीएसआईडीसी पोर्टल (ई-मानक पोर्टल) एवं जेम पोर्टल से क्रय किये गये सामग्री, दर, संख्या, राशि, फर्म का नाम, क्रय तिथि एवं सामग्री की प्राप्ति संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी" \]](#)

शासकीय उचित मूल्य की दुकान में आबंटन ।

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

50. (क्र. 1336) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के मस्तूरी, सीपत परिक्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में प्रतिमाह खाद्यान्न /अन्य सामग्री जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक कितना आबंटन किया गया है ? क्या आबंटन के सम्बन्ध में खाद्य संचालनालय की वेबसाइट पर आनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अगर हाँ तो कितनी दुकानों की जांच कर कार्यवाही की गई है ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार क्या उक्त अवधि में केरोसिन वितरण के सम्बन्ध में किसी ग्राम पंचायत से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अगर हाँ तो इनपर क्या कार्यवाही हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। आबंटन के सम्बन्ध में खाद्य संचालनालय की वेबसाइट पर आनलाइन शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। (ख) जी हाँ, प्रश्नांकित अवधि में केरोसिन वितरण के संबंध में 5 शिकायतें प्राप्त हुई जो जांच उपरांत सही नहीं पाई गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी " \]](#)

विधानसभा क्षेत्र कोटा के अंतर्गत एकमात्र नगर पालिका रतनपुर का विकास

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

51. (क्र. 1337) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिका रतनपुर को विभाग की ओर से विगत दो वर्ष के दौरान विकास हेतु क्या-क्या

योजना स्वीकृत हुई? वर्षवार जानकारी दें। (ख) क्या उक्त स्वीकृत योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है? (ग) क्या रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के लिये सर्वसुविधायुक्त मुक्तिधाम निर्माण कराये जाने की योजना है? यदि हां तो कब तक ? (घ) क्या रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र के बाजार के मध्य से गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के लिये आवागमन हेतु बायपास सड़क निर्माण की योजना प्रस्तावित है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रदेश के समस्त निकायों में निकाय क्षेत्र के निवासियों के लिए सर्वसुविधायुक्त मुक्तिधाम निर्माण कराये जाने हेतु मुक्तिधाम योजना संचालित है। नगर पालिका रतनपुर से मुक्तिधाम योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने के विचारण में लिया जावेगा। (घ) जी नहीं, रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र के बाजार के मध्य से गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के लिये आवागमन हेतु बायपास सड़क निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं है। अपितु लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) बिलासपुर से पतरापली रा.रा. क्र.-130 के सुभाष पेट्रोल (खण्डोबा बाबा मंदिर के पूर्व) डिजाईन चैनेज क्र. 313.848 से डिजाईन चैनेज क्र.313.848 (ग्राम लालपुर के पास) लगभग लंबाई 7.500 कि.मी. (रा.रा.क्र.-45) में रतनपुर बायपास सड़क निर्माण कार्य कारीडोर योजना में प्रस्तावित है। रतनपुर में केंवची रा.रा.क्र.-45 लंबाई 77.938 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली कारीडोर योजना में प्रस्तावित है। जिसमें रतनपुर बायपास सम्मिलित है। वर्तमान में डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी" \]](#)

लोक निर्माण विभाग से वार्षिक मरम्मत हेतु आबंटित राशि

[लोक निर्माण]

52. (क्र. 1341) श्री रामकुमार यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2022 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत (AR/SR) हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी है ? (ख) प्रश्न 'क' के अनुसार वित्तीय वर्ष में AR/SR मद से संभागों में कितने कार्य किए गए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर माँ चंद्रहासिनी देवी के ट्रस्ट की जानकारी विषयक

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

53. (क्र. 1342) श्री रामकुमार यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- {क} चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित माँ चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या है और ट्रस्ट का निर्माण कब किसने किया ? (ख) ट्रस्ट के मुखिया एवं सदस्य कौन-कौन हैं ? (ग) क्या ये सही है कि ट्रस्ट के मुखिया एवं सदस्य एक ही परिवार के हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित माँ चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट का नाम गोपाल जी महाप्रभु मंदिर व चंद्रहासिनी देवी मंदिर ट्रस्ट चंद्रपुर है। ट्रस्ट का निर्माण 20.3.1995 को पक्षकार 01. अध्यक्ष जनपद पंचायत डभरा एवं ग्रामवासी चंद्रपुर, 02, म.प्र. शासन बनाम 01. श्रीमती ज्योत्सना देवी बेवा स्व. ठाकुर शशिभूषण सिंह, 02 बरतबाई बेवा अजितराम, साकिन चन्द्रपुर, सरवराकार चन्द्रहासिनी देवी मंदिर चन्द्रपुर एवं हितबद्ध पक्षकार श्री सौरेंद्र शंकर सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के तहत गठन किया गया था। (ख) ट्रस्ट के मुखिया एवं सदस्य के नाम संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी" \]](#)

जिला जांजगीर चाम्पा में जारी नवीन राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

54. (क्र. 1351) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर चाम्पा में वर्ष 2021-22 में दिनांक 10 फरवरी, 2022 तक कितने नवीन राशन कार्ड जारी किये गये हैं, विकासखण्डवार, राशनकार्ड की श्रेणी सहित बतायें (ख) प्रश्नांक 'क' के उत्तर में नवीन राशन कार्ड बनाने हेतु क्या मापदण्ड है, बतायें ? (ग) क्या नवीन राशन कार्ड बनाने हेतु वर्ष 2002 एवं 2011 की सर्वे सूची में नाम अंकित होना अनिवार्य है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र -'अ' अनुसार है। (ख) छतीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 की धारा 5 में उल्लेखित अंत्योदय, प्राथमिकता श्रेणी एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तथा सामान्य श्रेणी के नवीन राशनकार्ड जारी किया जाता है। इन राशनकार्डों हेतु मापदंड की जानकारी संलग्न प्रपत्र -'ब' अनुसार है। नवीन राशनकार्ड हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित स्थानीय नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षण/जांच में सही पाये जाने पर 30 दिवस की समय-सीमा में पात्रानुसार राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही की जाती है। (ग) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

जिला जांजगीर चाम्पा में लूट, हत्या, चोरी, डकैती एवं बलात्कार के दर्ज प्रकरण

[गृह]

55. (क्र. 1352) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर चाम्पा में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक लूट, हत्या, चोरी, डकैती एवं बलात्कार के कितने अपराध पंजीबद्ध हैं, थानावार, अपराधवार, जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार उपरोक्त अपराध में कितने अपराधी पकड़े गये, कितने फरार हैं, थानावार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की अपराधवार एवं थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

रायगढ़ जिले के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या, तथा योजनाओं एवं हितग्राही को लाभ

[श्रम]

56. (क्र. 1354) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से दिसंबर, 2021 तक की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कितनी है ? विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में किन-किन योजनाओं के तहत कितने-कितने हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया? कृपया विकासखंडवार जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से दिसम्बर 2021 तक की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 56,115 है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विभाग के अधीन संचालित मंडलों की योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की मंडलवार/ विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब, स एवं द अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

सारंगढ़ नगर पालिका के लिए स्वीकृत राशि तथा पूर्ण अपूर्ण कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

57. (क्र. 1355) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर 2021 तक राज्य शासन द्वारा किस-किस विकास कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हुए और कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सततासी" \]](#)

जिला रायगढ़ के श्रमिकों का पंजीयन

[श्रम]

58. (क्र. 1356) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019 से दिसंबर 2021 तक रायगढ़ जिले के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? इनमें से असंगठित कर्मकारों की संख्या कितनी है? क्या पंजीकृत सभी श्रमिकों को कार्ड आवंटित किया गया है? विकासखंड वार जानकारी देवें? (ख) पंजीकृत श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वर्ष 2019 से दिसंबर 2021 तक रायगढ़ जिले के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा कुल 56115 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, जिनमें से असंगठित श्रमिकों की संख्या 49279 (निर्माण श्रमिक 29026 एवं असंगठित कर्मकार 20253) है। पंजीकृत सभी असंगठित श्रमिकों को कार्ड आवंटित किया जा चुका है। विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल के अधीन पंजीकृत संगठित श्रमिकों को कार्ड दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टासी" \]](#)

रायगढ़ जिले में पुल ,पुलिया निर्माण की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

59. (क्र. 1357) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2019, से दिसंबर ,2021 तक लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण के अंतर्गत कौन-कौन से स्थान पर कितने पुल ,पुलिया निर्माण के कार्य हेतु स्वीकृति दी गई? लागत सहित विकासखंडवार बतावें ? (ख) प्रश्नाश 'क' में कितने कार्य पूर्ण हुए हैं? अपूर्ण होने के क्या कारण हैं? पुल पुलिया का निर्माण कार्य कौन सा फर्म/ एजेंसी, ठेकेदार को दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी" \]](#)

कोविड-19 के रोकथाम के लिए राशि व खर्च

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

60. (क्र. 1360) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोविड-19 के रोकथाम के लिए नगर निगम, रायपुर को रायपुर स्मार्ट सिटी लि. सहित किस किस मद से कहां-कहां से, कितनी कितनी राशि कब कब प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि में से कितनी राशि किस-किस मद में किस किस कार्यों में खर्च की गई है ? कोविड-19 के चरणवार बतावें ? (ख) क्या नगर निगम

रायपुर/रायपुर स्मार्ट सिटी लि. ने कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए किराये/अनुबंध पर सामान लिया था ? यदि हां तो इसके क्या क्या आधार थे ? कौन-कौन सी सामग्री कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर ली गई व कहां-कहां पर उपयोग की गई ? (ग) क्या कंडिका “क” से संबंधित कार्यों के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरा, इंटरकाम, विद्युत वायर, एल.ए.डी. बल्ब, बिजली बल्ब, ए.सी. व कूलर एवं अन्य सामग्री किराये में लिये गये थे ? यदि हां तो कितनी-कितनी, किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामग्री व किस-किस फर्म से बतावे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) कोविड-19 के रोकथाम के लिए नगरपालिक निगम रायपुर को प्रथम लहर अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है:-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायपुर से - 22292927
 2. कार्यालय कलेक्टर से - 19983365
 3. संचा. नगरीय प्रशासन विभाग से -10724261
- एवं द्वितीय लहर अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है-
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायपुर से - 54800000
 5. कार्यालय कलेक्टर से - 76361856
 6. संचा. नगरीय प्रशासन विभाग से - 10000000

नगरपालिक निगम रायपुर को कोविड-19 के रोकथाम के लिए प्राप्त राशि की चरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “अ” अनुसार है। नगरपालिक निगम रायपुर को कोविड-19 के रोकथाम के लिए प्राप्त राशि में से खर्च की गई चरणवार जानकारी प्रपत्र “अ” में समाहित है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए नगर निगम रायपुर को रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा कोई भी राशि प्रदाय नहीं की गई है। (ख) नगरपालिक निगम रायपुर द्वारा कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए किराये/अनुबंध पर सामग्री की व्यवस्था छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम की कंडिका 4.3.1, 8.1 एवं 10 का पालन करते हुए किया गया था। सामग्री, तिथि, मात्रा, दर तथा उपयोग की जानकारी प्रपत्र “अ” में समाहित है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए सामग्री किराये/अनुबंध पर लिया गया था, जिसे वार्षिक अनुबंधित दर, सिमित निविदा, एकल निविदा, संवाद दर तथा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम की कंडिका क्रमांक 4.3.1, 8.1 एवं 10 का पालन करते हुए किया गया था, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) प्रश्नांक “ग” की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “ब” में समाहित है।

खालसा स्कूल प्रभावितों का व्यवस्थापन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

61. (क्र. 1361) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ऑक्सीजन के पीछे खालसा स्कूल के सामने दुकानों को तोड़ा गया था ? यदि हाँ तो क्या उनका व्यवस्थापन किया गया है? यदि हां तो कहां पर, नहीं तो क्यों ? (ख) कंडिका “क” की दुकानों के बदले क्या प्रभावितों को विस्थापित/व्यवस्थापित किया गया था ? यदि हाँ तो कहां - कहां पर कितने-कितने प्रभावितों को ? यदि नहीं तो व्यवस्थापन के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या व्यवस्थापन के लिए जगह निर्धारित की गई है ? यदि हाँ, तो कहाँ और कब तक व्यवस्थापन किया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां। ऑक्सीजन के पीछे खालसा स्कूल के सामने स्थित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत गुमटियों /दुकानों को हटाया गया था। दुकानदारों के द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण व्यवस्थापन नहीं किया जा सका है। (ख) जी नहीं, प्रभावित व्यवसायियों के द्वारा रूचि नहीं लिए जाने के कारण व्यवस्थापन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। प्रभावित व्यवसायियों को भनपुरी रिंग रोड क्र. 2 स्थित बेस्ट प्राइज सुपर बाजार के सामने व्यवस्थापन हेतु अवसर दिया गया था, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका का निराकरण दुकानदारों को निगम के प्रस्ताव पर सहमति होने पर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के चर्चा के दौरान आश्वासन क्र. 122 के पालन में न.नि. रायपुर

के कॉफी हाउस रास्ते में राजीव आवास के पीछे नवीन दुकान निर्माण हेतु स्थल का चयन मान.विभागीय मंत्रीजी, मान.विधायक श्री कुलदीप जुनेजा एवं निगम के अधिकारियों के समक्ष किया गया था। इस संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। इसी बीच न.नि.रायपुर के द्वारा लोधीपारा चौक से शंकर नगर मार्ग पर क्रिस्टल आर्केड के सामने रिक्त भूमि पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है परंतु उक्त भूमि पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत विस्थापित दुकानदारों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रस्ताव न होने के कारण प्रकरण विचाराधीन है। (ग) जी हां। संबंधित दुकानदारों के व्यवस्थापन हेतु कॉफी हाउस रास्ते में राजीव आवास के पीछे नवीन दुकान निर्माण हेतु स्थल चयन किया गया था जहां पर नगर निगम को दुकानदारों से सहमति बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के पुलिस बल में साप्ताहिक अवकाश तथा आवासीय सुविधा

[गृह]

62. (क्र. 1363) श्री शिवरतन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान में पुलिस बल आरक्षक, प्रधानआरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक, तथा अनुविभागीय अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में इसके विरुद्ध कितने - कितने लोग कार्यरत हैं, जिलेवार जानकारी प्रदान करें? (ख) उक्त सभी वर्गों के आवास हेतु वर्तमान में प्रदेश में कितने आवासीय मकान हैं तथा पिछले 3 वर्ष में कितने नवीन आवास निर्मित किये गये? (ग) क्या शासन द्वारा इस वर्ग के सभी लोगों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ तो अवकाश के दिन के बल की कमी की पूर्ति शासन कैसे करता है तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में सभी वर्गों के कितने लोगो को इस वर्ष अवकाश प्रदान किया गया ? (घ) इनको वर्तमान में वेतन के अतिरिक्त किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना भत्ता प्रदान किया जाता है तथा उक्त भत्तों में पिछले 3 वर्ष में कितनी वृद्धि की गयी है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-‘अ’ पर दर्शित है। (ख) उक्त वर्गों हेतु वर्तमान में प्रदेश में 12,773 शासकीय आवासीय मकान हैं तथा पिछले 3 वर्ष में 3,241 नवीन आवास निर्मित किये गये। (ग) जी हाँ। बल की कमी को आरक्षी केन्द्र/थाना-चौकी के बचत बल द्वारा पूर्ति की जाती है। वर्ष 2022 में अभी तक 113 अधिकारी/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया है। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र -‘ब’ पर दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे" \]](#)

गरीबी रेखा के नवीन राशन कार्डों की संख्या तथा वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

63. (क्र. 1364) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) शासन द्वारा 1 रू प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रत्येक परिवार को दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या नियम/शर्तें बनायी गयी हैं? (ख) रायपुर संभाग में इस योजना के अंतर्गत कितने राशन कार्ड वर्तमान में जारी है व पिछले 2 वर्ष में कितने नवीन राशन कार्ड बनाये गये हैं? (ग) क्या आत्मसात किए गए घोषणा पत्र में प्रत्येक परिवार को 1 रू किलो में 35 किलो चावल देने का उल्लेख है? यदि हाँ तो क्या सभी को चावल प्रदान किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रदेश में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के सुसंगत प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय परिवार को प्रतिमाह 35 किलो चावल, 1 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड पर 10 किलो, 2 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड पर 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड पर 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड पर प्रति अतिरिक्त सदस्य 7 किलो चावल प्रतिमाह पात्रता तय की गई है। 1 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड पर 10 किलो, 2 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड पर 20 किलो तथा 3 या 3 से अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड पर प्रतिमाह 35 किलो चावल की पात्रता निर्धारित की गई है। (ख) रायपुर संभाग में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

अंतर्गत 2,57,528 अंत्योदय राशनकार्ड, 10,197 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 10,62,361 प्राथमिकता राशनकार्ड, 3440 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 2,65,036 सामान्य राशनकार्ड प्रचलित हैं। पिछले 02 वर्ष में रायपुर संभाग में 5784 अंत्योदय राशनकार्ड, 177 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 80385 प्राथमिकता राशनकार्ड, 565 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 47,079 नवीन सामान्य राशनकार्ड बनाए गए। (ग) जी हाँ, समस्त अंत्योदय परिवारों को तथा 3 या 3 से अधिक सदस्य वाले सभी प्राथमिकता परिवारों को 01 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रदाय किया जा रहा है। शेष राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक पात्रता एवं दर अनुसार प्रतिमाह चावल प्रदान किया जा रहा है।

बारदानों की आवश्यकता तथा भुगतान संबंधित

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

64. (क्र. 1365) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिसंबर ,2018 से 12 फरवरी, 2022 तक धान खरीदी हेतु बारदानों की खरीदी के लिये कितना कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उसके विरुद्ध कितना बारदाना किस- किस संस्था से किस-किस दर पर प्राप्त हुआ? (ख) बारदाना खरीदी हेतु कितनी राशि की आवश्यकता थी तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया ,कितना शेष है? बारदाने कौन कौन से किस्म के थे ,वर्ष वार जानकारी प्रदान करे? (ग) क्या उक्त बारदाने का किसानों, राईस मिलर्स, व राशन दुकान संचालित करने वाली संस्थाओं को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण है तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) दिसम्बर 2018 से 12 फरवरी 2022 तक धान खरीदी हेतु उपार्जन के अनुमानित लक्ष्य के आधार पर बारदानों की आवश्यकता, उक्त अवधि में क्रय किये गये बारदानों की प्राप्त मात्रा संस्था एवं दर की जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) प्रत्येक खरीफ वर्ष में धान उपार्जन हेतु बारदाने की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले जूट बारदाने की उपलब्धता के आधार पर धान उपार्जन हेतु बारदानों के लिए राशि की व्यवस्था की जाती है। वर्षवार क्रय बारदाने हेतु भुगतान की गई राशि, शेष राशि, बारदाने की किस्म की जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। (ग) अपेक्स बैंक द्वारा किसानों को एवं समितियों को भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। राईस मिलर्स को बारदाने के उपयोगिता शुल्क के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है, खरीफ वर्ष 2021-22 में समितियों के लेखा मिलान उपरांत बारदाने के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रशंश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे"]

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के दार्शनिक/धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार/सौंदर्यीकरण

[पर्यटन]

65. (क्र. 1368) श्री अनूप नाग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल हैं ? क्या शासन द्वारा समय-समय पर इन स्थलों का सर्वे कराया गया है ? यदि हां तो उक्त सर्वे में स्थलवार क्या निष्कर्ष निकाला गया ? (ख) वर्ष 2019-20 से दिनांक जनवरी, 2022 तक उक्त स्थानों के सौंदर्यीकरण /जीर्णोद्धार हेतु शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? कृपया कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें ? वर्तमान में सौंदर्यीकरण /जीर्णोद्धार हेतु शासन की क्या योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) पर्यटन विभागद्वारा अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल चिन्हांकित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तर "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अन्त्योदय अन्न योजना

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

66. (क्र. 1371) श्री राजमन बेंजाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत कितने बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड प्रदाय किये गये हैं ? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक कितने अन्त्योदय राशन कार्ड की छंटनी/निरस्त की गयी है ? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ग) वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक कितने हितग्राहियों का कार्ड बनाया जाना लंबित है तथा नवीन कार्ड बनाना प्रस्तावित है, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत जारी किए गए नवीन बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक निरस्त किए गए अन्त्योदय राशन कार्ड की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक आवेदकों के नवीन राशनकार्ड बनाया जाना शेष नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयानबे"]

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन कार्य

[लोक निर्माण]

67. (क्र. 1373) श्री राजमन बेंजाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत व प्रस्तावित हैं, कार्य, लागत सहित जानकारी विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

प्रपत्र

महासमुन्द जिले में वर्ष 2021-22 में दिनांक 15.02.2022 तक अन्य प्रांतों में पलायन करने वाले श्रमिकों की थानेवार जानकारी

क्र.	थाना का नाम	थानान्तर्गत ग्राम की संख्या जहां से पलायन किया गया है।	वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2022 तक अन्य प्रांतों में पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या
1	सिंघोडा	17	222
2	सरायपाली	82	3549
3	बसना	102	3943
4	बलौदा	9	95
5	भंवरपुर	34	1395
6	खल्लारी	57	1847
7	बागबाहरा	38	2480
8	कोमाखान	51	3737
9	तेन्दुकोना	35	3755
10	टुहलू	10	964
11	पिथौरा	24	3032
12	सांकरा	25	1460
13	बुन्देली	2	229
14	भवरपुर चौकी	2	375
15	महासमुन्द	6	175
16	तुमगांव	11	631
17	पटेवा	46	2120
योग		551	30009

Raethia
अनुभाग अधिकारी
इलाहाबाद शासन
अप विभाग

परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1328) की जानकारी

प्रपत्र-अ

अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2022 तक चना एवं गुड़ प्रदायकर्ता, दर एवं मात्रा की जानकारी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	चना			गुड़		
		प्रदायकर्ता का नाम	प्रदाय मात्रा (मेट्रिक टन में)	दर (प्रति मेट्रिक टन)	प्रदायकर्ता का नाम	प्रदाय मात्रा (मेट्रिक टन में)	दर (प्रति मेट्रिक टन)
1	2020-21	मेसर्स चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जगदलपुर, छत्तीसगढ़	15673.63	50759.00	मेसर्स जे. पी. एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	10111.338	41870.00
2		मेसर्स सूरज पल्सेस, गंजपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़	14396.636	50455.00			
3		मेसर्स विनोद कुमार जैन एगो एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़	11855.278	51410.00			
4		मेसर्स श्री श्याम पल्सेस, जवाहर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	10096.613	51210.00			
5	2021-22	नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) न्यू दिल्ली	50097.343	56800.00	मेसर्स विनोद कुमार जैन एगो एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़	9399.054	47819.10


अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य न.अ. एवं उप. संर. विभाग
रायपुर

प्रपत्र-ब

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में चना प्रदाय हेतु फर्म को जारी आदेश दिनांक एवं उनके द्वारा चना प्रदाय की जानकारी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	चना प्रदायकर्ता का नाम	आदेश दिनांक	प्रदाय हेतु निर्धारित तिथि	कितने दिन में सामग्री प्रदान की गई	कितने दिन विलंब से सामग्री प्रदान की गई
1	2020-21	मेसर्स चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, जगदलपुर-छ.ग.	23.07.2020	05.09.2020	निर्धारित समयावधि में	-
2			29.07.2020	11.09.2020	निर्धारित समयावधि में	-
3			05.08.2020	18.09.2020	निर्धारित समयावधि में	-
4			01.09.2020	15.10.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	15
5			24.09.2020	23.10.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	25
6			05.11.2020	04.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	10
7			28.11.2020	26.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	15
8			29.12.2020	27.01.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	20
9			11.01.2021	09.02.2021	निर्धारित समयावधि में	.
10			23.01.2021	21.02.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	15
11		24.02.2021	25.03.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	10	
12		मेसर्स सूरज पल्सेस, गंजपारा रायपुर	08.06.2020	25.07.2020	निर्धारित समयावधि में	.
13			16.06.2020	30.07.2020	निर्धारित समयावधि में	.
14			04.07.2020	17.08.2020	निर्धारित समयावधि में	.
15			17.07.2020	15.08.2020	निर्धारित समयावधि में	.
16			29.07.2020	27.08.2020	निर्धारित समयावधि में	.
17			05.08.2020	03.09.2020	निर्धारित समयावधि में	.
18			26.08.2020	24.10.2020	निर्धारित समयावधि में	.
19			24.09.2020	23.10.2020	निर्धारित समयावधि में	.
20			05.11.2020	04.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	5
21			28.11.2020	27.12.2020	निर्धारित समयावधि में	.
22			29.12.2020	27.01.2021	निर्धारित समयावधि में	.
23			23.01.2021	21.02.2021	निर्धारित समयावधि में	.
24		24.02.2021	25.03.2021	निर्धारित समयावधि में	.	
25	मेसर्स विनोद कुमार जैन एग्रो एक्विजिजम प्राईवेट लिमिटेड, जशपुरनगर	08.06.2020	22.07.2020	निर्धारित समयावधि में	.	
26		16.06.2020	30.07.2020	निर्धारित समयावधि में	.	
27		17.07.2020	15.08.2020	निर्धारित समयावधि में	.	
28		29.07.2020	27.08.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	12	
29		05.08.2020	03.09.2020	निर्धारित समयावधि में	.	
30		26.08.2020	24.09.2020	निर्धारित समयावधि में	.	
31		24.09.2020	23.10.2020	निर्धारित समयावधि में	.	
32		05.11.2020	04.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	5	
33		28.11.2020	27.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	8	
34		29.12.2020	27.01.2021	निर्धारित समयावधि में	.	
35		23.01.2021	21.02.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	15	
36		24.02.2021	25.03.2021	निर्धारित समयावधि में	.	
37	मेसर्स श्री श्याम पल्सेस जवाहर नगर रायपुर	08.06.2020	22.07.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	20	
38		16.06.2020	30.07.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	14	
39		17.07.2020	15.08.2020	निर्धारित समयावधि में	0	
40		29.07.2020	27.08.2020	निर्धारित समयावधि में	0	
41		05.08.2020	03.09.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	10	
42		26.08.2020	07.10.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	14	
43		24.09.2020	23.10.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	25	
44		05.11.2020	04.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	12	
45		28.11.2020	27.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	18	

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	चना प्रदायकर्ता का नाम	आदेश दिनांक	प्रदाय हेतु निर्धारित तिथि	कितने दिन में सामग्री प्रदान की गई	कितने दिन विलंब से सामग्री प्रदान की गई
46			29.12.2020	27.01.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	25
47			23.01.2021	21.02.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	15
48			24.02.2021	25.03.2021	निर्धारित समयावधि में	0
49	2021-22	नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), न्यू दिल्ली	24.04.2021	07.06.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	48
50	17.05.2021		30.06.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	7	
51	16.06.2021		07.08.2021	निर्धारित समयावधि में	-	
52	07.07.2021		07.09.2021	निर्धारित समयावधि में	-	
53	10.08.2021		08.10.2021	निर्धारित समयावधि में	-	
54	15.09.2021		10.11.2021	निर्धारित समयावधि में	-	
55	07.10.2021		11.12.2021	निर्धारित समयावधि में	-	
56	11.11.2021		11.01.2022	निर्धारित समयावधि में	-	
57	20.12.2021		11.02.2022	निर्धारित समयावधि में	-	
58	10.01.2022		14.03.2022	निर्धारित समयावधि में	-	


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 खाद्य ना.आ. एवं उप.संर. विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में गुड़ प्रदाय हेतु फर्म को जारी आदेश दिनांक एवं उनके द्वारा गुड़ प्रदाय की जानकारी निविदा मात्रा के विरुद्ध खरीदी की गई मात्रा की जानकारी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	गुड़ प्रदायकर्ता का नाम	आदेश दिनांक	प्रदाय हेतु निर्धारित तिथि	कितने दिन में सामग्री प्रदान की गई	कितने दिन विलंब से सामग्री प्रदान की गई
1	2020-21	मेसर्स जे.पी. एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	02.09.2020	16.10.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	30
2			20.10.2020	18.11.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	35
3			06.11.2020	19.12.2020	निर्धारित समयावधि के बाद में	20
4			14.12.2020	12.01.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	25
5			07.01.2021	05.02.2021	निर्धारित समयावधि में	-
6			14.01.2021	12.02.2021	निर्धारित समयावधि में	-
7			25.02.2021	26.03.2021	निर्धारित समयावधि में	-
8			15.03.2021	13.05.2021	निर्धारित समयावधि में	-
9			24.04.2021	26.06.2021	निर्धारित समयावधि में	-

J.P.

10	2021-22	मेसर्स विनोद कुमार जैन एग्रो एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड, जशपुर	27.07.2021	26.08.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	30
11			03.09.2021	18.10.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	7
12			06.10.2021	05.11.2021	निर्धारित समयावधि में	-
13			21.10.2021	20.11.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	10
14			09.11.2021	09.12.2021	निर्धारित समयावधि में	-
15			30.11.2021	30.12.2021	निर्धारित समयावधि के बाद में	2
16			23.12.2021	22.01.2022	निर्धारित समयावधि के बाद में	10
17			20.01.2021	19.02.2022	निर्धारित समयावधि के बाद में	5



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य ना.आ. एवं उम.सं. विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1209) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में
1	नव युवक दुर्गा पूजा एवं दशहरा समिति सोनहत	रु. 1.50 लाख
2	नव दुर्गा उत्सव समिति जनकपुर (इन्द्रप्रस्त स्टेडियम)	रु. 1.50 लाख
3	श्री शिव दुर्गा पूजा समिति खोंगापानी, जिला-कोरिया	रु. 1.50 लाख
4	नव दुर्गा महोत्सव शिवधारा बिहारपुर, जिला-कोरिया	रु. 1.50 लाख
5	युग निर्माण कला पृथक रामलीला मंडली नागपुर	रु. 1.50 लाख
6	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य सिद्धबाबा मंदिर चनवारीडांड	रु. 4.00 लाख
7	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य कर्मघोंघा साल्ही मनेन्द्रगढ़	रु. 3.00 लाख
8	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य साई मंदिर मनेन्द्रगढ़	रु. 4.00 लाख
9	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य चुटकीपानी, हर्रा	रु. 3.00 लाख
10	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य हनुमान मंदिर नागपुर	रु. 3.00 लाख
11	कैलाश मंदिर जनकपुर का जीर्णोद्धार कार्य भरतपुर	रु. 3.00 लाख
12	मंदिर जीर्णोद्धार कार्य शिवधारा, बिहारपुर	रु. 3.00 लाख
13	महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य सोनहत	रु. 3.00 लाख
14	हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य ग्राम केशगवां	रु. 1.00 लाख
15	शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य ब्लाक कॉलोनी सोनहत	रु. 2.00 लाख
	योग	रु.36.50 लाख


अनुभाग अधिकारी
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 861) की जानकारी

प्रपत्र

क.	निकाय का नाम	मृतक सफाई कर्मचारी का नाम	निधन दिनांक	आश्रित आवेदक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पात्र/अपात्र की स्थिति	अनुकम्पा नियुक्ति की स्थिति	रिमांक
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	न.पा. बागबाहरा	स्व.श्रीमती मुन्नी बाई	18.05.2021	श्री एवन कुमार	5 वीं	अपात्र	भर्ती नियम में प्रावधानानुसार शैक्षणिक योग्यता न होने से अपात्र।	सफाई श्रमिक के रूप में प्लेसमेंट पर कार्यरत है।
2	न.नि. बिलासपुर	स्व. श्री ईश्वर	18.05.2021	श्री नरेन्द्र ईटकरे	8 वीं	पात्र	वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।	विभाग के पपिरत्र दिनांक 23.12.2017 अनुसार निकाय द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य पर रखा गया है।
3	न.नि. भिलाई	स्व. श्री टोमन लाल/पन्नालाल	04.04.2021	श्री रूपेन्द्र कुमार महेश्वरी	9 वीं	पात्र	वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।	निकाय द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य पर रखा गया है।
4	न.नि. भिलाई	स्व. श्री एन. इमानियल/मालकोडैय्या	06.04.2021	श्री एन.सुरेश	5 वीं	अपात्र	भर्ती नियम में प्रावधानानुसार शैक्षणिक योग्यता न होने से अपात्र।	निकाय द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य पर रखा गया है।

(टीप :- विभाग के परिपत्र क्रमांक 9481 / 7438 / 2017 / 18 दिनांक 23.12.2017 द्वारा समस्त नगरीय निकायों को अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति होने तक आवेदकों को प्लेसमेंट पर कार्य पर रखने के निर्देश दिये गये हैं।)

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशद - पांच

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1119) की जानकारी

प्रपत्र

नगर पंचायत बसना एवं पिथौरा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य
(वित्तीय वर्ष 2019-20, एवं 2020-21)

नगर पंचायत बसना

अधोसंरचना मद

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की समाप्ति पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20	अधोसंरचना मद	49.47	1	होन्डा शो रूम से मेन रोड अरेकेल तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	49.47	पूर्ण	-	
	योग		49.47			49.47	1	0	
2	2020-21	अधोसंरचना मद	50.00	1	वार्ड कं. 06 में सर्व समाज मांगलिक भवन में आहता निर्माण कार्य	31.29	पूर्ण	-	
				2	वार्ड कं. 15 में माता दरबार गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य (टॉप लेयर)	13.73	पूर्ण	-	
				3	वार्ड कं. 15 चैनसिंग घर से दीना घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य (टॉप लेयर)	1.32	पूर्ण	-	
				4	वार्ड कं. 15 में मोहराम घर से अंसार घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य (टॉप लेयर)	1.47	पूर्ण	-	
				5	वार्ड कं. 10 ताल पारा कुआ के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य(टॉप लेयर)	1.38	पूर्ण	-	
				6	वार्ड कं. 04 एवं 05 में जैतखभा से खटखटी रोड तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य (टॉप लेयर)	0.81	पूर्ण	-	
	योग		50.00			50.00	6	0	
	महायोग		99.47			99.47	7	0	

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया मंत्रालय, महानदी भवन
राजपुर (छ.ग.)

नगर पंचायत पिथौरा

अधोसंरचना मद

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2019-20	अधोसंरचना मद	78.87	1	वार्ड कं. 03, 11, 06, 10 में बार चौक से भूपत होटल एवं लोकनिहाल घर से प्रजापति घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	19.74	पूर्ण	-	
				2	वार्ड कं. 12, 09 में मछली बाजार से मुकेश बसल पशुआहार दुकान तक पेवर ब्लॉक कार्य	19.72	पूर्ण	-	
				3	वार्ड कं. 10, 15, 12 में अरविन्दर छाबड़ा के घर से हिरालाल निर्मलकर घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	19.69	पूर्ण	-	
				4	वार्ड कं. 05, 11, 15 में थाना चौक से खनूजा घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	19.72	पूर्ण	-	
			48.35	5	वार्ड कं. 05 लायबन घर से गमला वालस घर तक सी.सी.रोड मरम्मत कार्य	1.62	पूर्ण	-	
				6	वार्ड कं. 05 रमाशंकर तिवारी घर से रामचन्द्र घर तक सी.सी.रोड मरम्मत कार्य	2.76	पूर्ण	-	
				7	वार्ड कं. 05 पानी टंकी से पवन अग्रवाल के घर के पीछे तक सी.सी.रोड मरम्मत कार्य	4.88	पूर्ण	-	
				8	वार्ड कं. 10 मुख्य नाली से स्वीपर कालोनी में सी.सी. रोड मरम्मत कार्य	4.15	पूर्ण	-	
				9	वार्ड कं. 14 सुलम भौचालय से नारंग घर तक सी. सी.रोड मरम्मत कार्य	4.96	पूर्ण	-	

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की समाप्ति पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
10					वार्ड क्रं. 01 विजय निशाद घर से फगवा घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.17	पूर्ण	-	
11					वार्ड क्रं. 01 प्रजापति घर से तीजू निर्मलकर घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.05	पूर्ण	-	
12					वार्ड क्रं. 03 सिविल न्यायालय से मुरली प्रधान घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.16	पूर्ण	-	
13					वार्ड क्रं. 03 मुरली प्रधान के घर से विपीन प्रधान घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.16	पूर्ण	-	
14					वार्ड क्रं. 03 विपीन प्रधान घर से बंजारे घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.16	पूर्ण	-	
15					वार्ड क्रं. 02 तालाब मार्ग से सोनसाय घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	2.33	पूर्ण	-	
16					वार्ड क्रं. 04 मुख्य नाली से महापात्रा घर से बल्लू घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.59	पूर्ण	-	
17					वार्ड क्रं. 08 बर पेड से सागर निशाद के बाड़ी से सेन के घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	2.24	पूर्ण	-	
18					वार्ड क्रं. 08 निशाद समाज भवन से अमृत घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.72	पूर्ण	-	
19					वार्ड क्रं. 01 आलोक निहाल घर से प्रजापति घर तक पेवर ब्लॉक कार्य	1.82	पूर्ण	-	
20					वार्ड क्रं. 01 मुना ठाकुर घर से मुख्य सड़क तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य	1.54	पूर्ण	-	
21					वार्ड क्रं. 05 कुमार घर से मुख्य नाली तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.19	पूर्ण	-	

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
22					वार्ड कं. 05 रमाशंकर तिवारी घर से मुख्य नाली तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.50	पूर्ण	-	
23					वार्ड कं. 12 राकेश निशाद घर से कुमारी सेन घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.99	पूर्ण	-	
24					वार्ड कं. 12 संजय कनौजे घर से शिव मंदिर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.40	पूर्ण	-	
25					वार्ड कं. 12 दिलीप घर से चौधरी घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	2.99	पूर्ण	-	
26					वार्ड कं. 01 मुन्ना ठाकुर घर से मुख्य नाली तक सी.सी.रोड निर्माण	3.97	पूर्ण	-	
27			44.00		रानीसागर मार्ग में (राजा रणजीत सिंह स्मृति) प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	6.60	पूर्ण	-	
28					रावणभाटा मार्ग में (डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति) प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	6.60	पूर्ण	-	
29					रायपुर मार्ग में (शहीद प्रमोद पटेल स्मृति) प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	7.70	पूर्ण	-	
30					सरईपाली मार्ग में (वीर नारायण सिंह स्मृति) प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	7.70	पूर्ण	-	
31					बागबाहरा मार्ग में (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुढान साय स्मृति) प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	7.70	पूर्ण	-	
32					बस स्टैण्ड में (गुरुनानक देव स्मृति) प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	7.70	पूर्ण	-	
	योग		171.22			171.22	32	0	

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की समाप्ति पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
	2020-21	अधोसंरचना मद	50.00	1	वार्ड कं. 10 में बाजार के भीतर में दुकान कं. 01 से 14 तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	4.93	पूर्ण	-	
				2	वार्ड कं. 10 में बाजार के भीतर श्रीगारिका से मोहन बर्तन दुकान से अवस्थी किराना तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	4.25	पूर्ण	-	
				3	वार्ड कं. 10 में बाजार के भीतर बालाजी ज्वेलर्स से पंकज मेटल से मोहन बर्तन दुकान एवं बंशी दुकान से श्रीगारिका रोड तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	4.38	पूर्ण	-	
				4	वार्ड कं. 01 में थानसिंग घर से हीरा साहू घर तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	1.81	पूर्ण	-	
				5	वार्ड कं. 02 में जितेन्द्र गुप्ता घर से अनिल सेन घर तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	1.29	पूर्ण	-	
				6	वार्ड कं. 02 में अशोक साहू घर से सुनिल गुप्ता घर तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	1.04	पूर्ण	-	
				7	वार्ड कं. 11 में हीरा भोसले घर से मेन रोड तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	1.22		अपूर्ण	समयवधि में पूर्ण की जावेगी
				8	वार्ड कं. 03 में लालू बिहारी घर से खेदुराम घर तक डब्ल्यू.बी.एम.रोड निर्माण कार्य	2.49	पूर्ण	-	
				9	वार्ड कं. 06 में हेल्थ केयर से अग्रवाल घर तक सड़क पेवर ब्लाक निर्माण कार्य	1.45	पूर्ण	-	
				10	वार्ड कं. 09 में झगरू बरिहा घर से प्रधान घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.21	पूर्ण	-	

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
				11	वार्ड कं. 06 में निर्मल मण्डल घर से शैलेन्द्र डडसेना घर तक सी.सी.रोड निर्माण	7.16	-	अपूर्ण	समयवधि में पूर्ण की जावेगी
				12	वार्ड कं. 10 में रंजनी अग्रवाल घर से एसबीआई एटीएम तक सी.सी.रोड निर्माण	2.84	-	अपूर्ण	समयवधि में पूर्ण की जावेगी
				13	वार्ड कं. 10 में सुनील निर्मलकर घर से छबीराम निर्मलकर घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.16	-	अपूर्ण	समयवधि में पूर्ण की जावेगी
				14	वार्ड कं. 13 में भगवान घर से भंवर यादव घर तक सी.सी.रोड निर्माण	8.12	-	अपूर्ण	समयवधि में पूर्ण की जावेगी
				15	वार्ड कं. 14 में तालाब पार से रामरतन घर तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण	5.12	-	अपूर्ण	समयवधि में पूर्ण की जावेगी
				16	वार्ड कं. 01 में जगदीश पांडे घर से जमुना बाई शिन्हा घर तक पेवर ब्लाक कार्य	1.00	पूर्ण	-	
				17	वार्ड कं. 01 में थानसिंग घर से हीरा साहू घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	0.53	पूर्ण	-	
	योग		50.00			50.00	11	6	
	महायोग		221.22			221.22	43	6	

नगर पंचायत बसना

राज्य प्रवर्तित योजना

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि रु. लाख में	क्र.	कार्य का नाम	आबंटित राशि रु. लाख में	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20	राज्य प्रवर्तित योजना	निरंक	-	-	-	-	-	-
	योग		0.00			0.00	0	0	
2	2020-21	राज्य प्रवर्तित योजना	30.00	1	पौनी पसारी बाजार निर्माण	15.575	-	अपूर्ण	15 अप्रैल 2022
	योग		30.00	1		15.575	0	1	
	महायोग		30.00			15.575	0	1	

नगर पंचायत पिथौरा

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि रु. लाख में	क्र.	कार्य का नाम	आबंटित राशि रु. लाख में	कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20	राज्य प्रवर्तित योजना	70.43	1	शासकीय रणजीत कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा में खेल मैदान निर्माण	10.215	-	अपूर्ण	30.06.2022 तक
	योग		70.43			10.215	0	1	
2	2020-21	राज्य प्रवर्तित योजना	30.00	1	पौनी पसारी बाजार निर्माण	6.00	-	अपूर्ण	30.06.2022 तक
	योग		30.00	2		6.00	0	1	
	महायोग		100.43			16.215	0	2	

नगर पंचायत पिथौरा

14वां वित्त आयोग

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्र.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्या का संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20 योग	14वां वित्त आयोग	2.625	1	बेलिंग एवं फटका मशीन क्रय	2.625	पूर्ण	-	-
						2.625	1	0	-
2	2020-21	14वां वित्त आयोग	0.210	1	वर्मा कल्चर(केचुआ) क्रय	0.210	पूर्ण	-	-
						0.747	पूर्ण	-	-
						4.290	पूर्ण	-	-
						0.998	पूर्ण	-	-
						4.200	पूर्ण	-	-
	योग		10.445			10.445	5	0	-
	महायोग		13.070			13.070	6	0	-

नगर पंचायत बसना


15वां वित्त आयोग

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्र.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20	15वां वित्त आयोग	0.000	1	निरंक	0.000	-	-	-
2	2020-21	15वां वित्त आयोग	0.000	2	निरंक	0.000	-	-	-
	महायोग		0.000			0.000	0	0	

नगर पंचायत पिथौरा

15वां वित्त आयोग

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्र.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20	15वां वित्त आयोग	0.000	1	निरंक	0.000	-	-	-
2	2020-21	15वां वित्त आयोग	0.000	2	निरंक	0.000	-	-	-
	महायोग		0.000			0.000	0	0	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

पॉरीशेष्ट - छः


तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1122) की जानकारी

प्रपत्र

नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड अंतर्गत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति।

तारांकित प्रश्न कं. 1122 (डॉ. लक्ष्मी ध्रुव)

कं.	विधानसभा का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत आवास का विवरण				पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास की संख्या
			वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (10 फरवरी 2022 तक)	योग		
1		न.पं मगरलोड	28	187	266	481	24	457
2	विधानसभा क्षेत्र सिहावा	न.पं नगरी	266	115	0	381	74	307
कुलयोग-			294	302	266	862	98	764


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 तक्ष भन्नालय, महानदी भवन
 राधपुर (छ.ग.)

प्रपत्र

मुआवजा विषयक

स.क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या जिन्हें जनवरी 2022 तक मुआवजा दिया गया है	अधिग्रहित की गई भूमि (एकड़ में)	भुगतान की राशि एवं दर	शेष किसान जिन्हें मुआवजा दिया जाना है
1	2	3	4	5	5	6
1	चाकापेण्ड्रा-गाडामोर-प्रतापपुर मार्ग लंबाई 24.60 कि.मी.	चाकापेण्ड्रा पण्डरभट्टा कोहडिया जेवरा (एस) अधियारखोर	निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक	निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक	रु. 322.00 प्रति वर्ग मी. रु. 826.00 प्रति वर्ग मी. रु. 609.00 प्रति वर्ग मी. रु. 280.00 प्रति वर्ग मी. रु. 252.00 प्रति वर्ग मी.	12 28 21 11 40

स.क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या जिन्हें जनवरी 2022 तक मुआवजा दिया गया है	अधिग्रहित की गई भूमि (एकड़ में)	भुगतान की मुआवजा राशि एवं दर	शेष किसान जिन्हें मुआवजा दिया जाना है
1	2 चाकापेण्ड्रा-गाडामोर- प्रतापपुर मार्ग लंबाई 24 60 कि.मी.	3 मोहतारा मोतिमपुर गाडामोर खपरी मानिकपुर रनबोड खान्ही	4 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक	5 5 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक	5 5 निरंक/ रु. 357.00 प्रति वर्ग मी. निरंक/ रु. 315.00 प्रति वर्ग मी. निरंक/ रु. 343.00 प्रति वर्ग मी. निरंक/ रु. 217.00 प्रति वर्ग मी. निरंक/ रु. 280.00 प्रति वर्ग मी. निरंक/ रु. 280.00 प्रति वर्ग मी. निरंक/ रु. 238.00 प्रति वर्ग मी.	6 50 6 5 15 30 44 17

स.क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या जिन्हें जनवरी 2022 तक मुआवजा दिया गया है	अधिग्रहित की गई भूमि (एकड़ में)	भुगतान की मुआवजा राशि एवं दर	शेष किसान जिन्हें मुआवजा दिया जाना है
1	2	3	4	5	5	6
	चाकापेण्ड्रा-गाडामोर-प्रतापपुर मार्ग लंबाई 24 60 कि.मी.	दर्सी	निरंक	निरंक	निरंक/ रु. 217.00 प्रति वर्ग मी.	26
		लिटिपुर	निरंक	निरंक	निरंक/ रु. 273.00 प्रति वर्ग मी.	6
		प्रतापपुर	निरंक	निरंक	निरंक/ रु. 322.00 प्रति वर्ग मी.	2
2	मुंगेली नांदघाट मार्ग	-	-	-	-	-
3	चिरहुला पथरिया मार्ग	-	-	-	-	-
4	मुंगेली बायपास मार्ग	मोहामडवा	12	5.53	7818248.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		खैरवार	30	10.65	18556955.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		रेहुटा	33	12.14	39710218.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		बरबसपुर	4	3.06	6213627.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-

स.क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या जिन्हें जनवरी 2022 तक मुआवजा दिया गया है	अधिग्रहित की गई भूमि (एकड़ में)	भुगतान की मुआवजा राशि एवं दर	शेष किसान जिन्हें मुआवजा दिया जाना है
1	2	3	4	5	5	6
	मुंगेली बायपास मार्ग	नेवासपुर	10	4.35	10231996.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		रामाकापा	11	2.94	7658972.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		गीधा	4	1.83	8973395.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		लिम्हा	13	5.61	22106250.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		धनगौव	20	9.28	26098792.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		जमकुही	3	2.30	4011246.00 (गाइड लाईन अनुसार)	-
		चातरखार	-	-	-	-

स.क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या जिन्हें जनवरी 2022 तक मुआवजा दिया गया है	अधिग्रहित की गई भूमि (एकड़ में)	भुगतान की मुआवजा राशि एवं दर	शेष किसान जिन्हें मुआवजा दिया जाना है
1	2	3	4	5	5	6
5	ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-21, लोरमी-पैजनिया-मसना-मसनी-जरहागांव मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य	घुण्डूकांपा कोना जरहागांव	2 5 0	0.090 0.375 0.205	1905120.00 (गाइड लाईन अनुसार) 7465000.00 (गाइड लाईन अनुसार) 10816460.00 (गाइड लाईन अनुसार)	0 3 9
6	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए	सोढ़ार धरमपुरा	37 6	12.078 0.37	136367968.00 (गाइड लाईन अनुसार) 5782699.00 (गाइड लाईन अनुसार)	0 6


मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
श्री.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

पारिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1383) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	मार्ग का नाम	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण वर्ष	टेकेदार का नाम	टेकेदार द्वारा सड़क पूर्ण कर राज्य सरकार को सौंप दी गयी है ?	मरम्मत कार्य किस टेकेदार द्वारा किया जा रहा है
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 30 सिमगा से चिल्पी	(1) सिमगा से कवर्धा मार्ग का 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य (2) कवर्धा से चिल्पी म.प्र. सीमा मार्ग का 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य	मार्च 2015 से मार्च 2017 अप्रैल 2016 से मार्च 2022	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल मेसर्स टॉपवर्थ इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर	नहीं नहीं	मूल अनुबंधक द्वारा मूल अनुबंधक द्वारा

Chunyat
मुख्य अभियंता

कार्यालय, प्रमुख अभियंता

लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


परोशेष्ट - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1251) की जानकारी

प्रपत्र

जिला नारायणपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य।

स. क्र.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	भुगतान की गई राशि	पूर्ण/अपूर्ण	कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार निर्धारित समयवधि	समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई
1	जिला नारायणपुर के बखरुपारा से नया बस स्टैण्ड मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण, लं. = 3.00 किमी.	मेसर्स सरफेस इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, जगदलपुर	07.02.2023	8.06 लाख	अपूर्ण	08.10.2021	15 माह दिनांक 07/02/2023 तक	कार्य समयवधि के अंतर्गत प्रगति में है।
2	जिला नारायणपुर के पुराना बस स्टैण्ड से नया रेल्वे लाईन पहुँच मार्ग निर्माण कार्य। पुल-पुलिया सहित लं. = 3.50 किमी.	मेसर्स सरफेस इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, जगदलपुर	02.05.2022	35.28 लाख	अपूर्ण	03.11.2021	06 माह दिनांक 02/05/2022 तक	कार्य समयवधि के अंतर्गत प्रगति में है।



मुख्य अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता

लो.नि. वि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


परांशेष्ट - दस
तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 641) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा जिले/इकाईवार बनाये गये आवासगृहों की संख्या		
स.क्र.	जिला का नाम	आवास की संख्या
1	रायपुर	1134
	पुलिस अधीक्षक, रेल	24
	4थी वाहिनी, माना-रायपुर	180
	पुलिस अकादमी, चंदखुरी	100
	पीटीएस, माना	48
	पुलिस मुख्यालय	394
2	बलौदाबाजार	144
3	धमतरी	140
4	गरियाबंद	198
5	महासमुंद	214
6	दुर्ग	194
	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार, भिलाई	144
	पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ	108
	प्रथम वाहिनी, भिलाई	84
	तीसरी वाहिनी, अमलेश्वर, दुर्ग	222
	सांतवी वाहिनी, भिलाई	152
7	एमटी वर्कशॉप, अमलेश्वर	20
	राजनांदगांव	228
	8वीं वाहिनी, राजनांदगांव	192
8	पीटीएस, राजनांदगांव	68
	कबीरधाम	120
9	17वीं वाहिनी, कबीरधाम	164
	बालोद	236
10	14वीं वाहिनी, धनोरा-बालोद	180
	बेमेतरा	176
11	बिलासपुर	348
	2री वाहिनी, संकरी-बिलासपुर	84
12	रायगढ़	48
	6वीं वाहिनी, रायगढ़	40
13	कोरबा	228
	13वीं वाहिनी, कोरबा	132


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा जिले / इकाईवार बनाये गये आवासगृहों की संख्या		
स.क्र.	जिला का नाम	आवास की संख्या
14	जांजगीर-चांपा	168
	11वीं वाहिनी, जांजगीर	160
15	मुंगेली	128
16	सरगुजा	276
17	बलरामपुर	144
	12वीं वाहिनी, रामानुजगंज	208
18	सूरजपुर	228
	10वीं वाहिनी, सूरजपुरे	132
19	जशपुर	32
20	कोरिया	16
	18वीं वाहिनी कोरिया	164
21	जगदलपुर	116
	5वीं वाहिनी, जगदलपुर	96
	एमटी वर्कशॉप, जगदलपुर	36
22	कांकेर	228
	सीटीजेडब्ल्यू कांकेर	20
23	दन्तेवाड़ा	140
24	बीजापुर	6
25	सुकमा	312
26	कोण्डागांव	288
27	नारायणपुर	44
		8686



 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-“ब”

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा बनाये गये आवासगृहों में से आबंटित आवासगृह की जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	पुहाका द्वारा निर्मित आवास की संख्या	पुहाका द्वारा बनाये गये आवासों में से आबंटित आवासगृह
1	रायपुर	1134	1134
	पुलिस अधीक्षक, रेल	24	24
	4थी वाहिनी, माना-रायपुर	180	180
	पुलिस अकादमी, चंदखुरी	100	78
	पीटीएस, माना	48	43
	पुलिस मुख्यालय	394	349
2	बलौदाबाजार	144	144
3	धमतरी	140	140
4	गरियाबंद	198	197
5	महासमुंद	214	214
6	दुर्ग	194	194
	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार, भिलाई	144	144
	पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा-दुर्ग	108	108
	प्रथम वाहिनी, भिलाई	84	84
	तीसरी वाहिनी, अमलेश्वर, दुर्ग	222	220
	सांतवी वाहिनी, भिलाई	152	149
	एमटी वर्कशॉप, अमलेश्वर	20	20
7	राजनांदगांव	228	228
	8वीं वाहिनी, राजनांदगांव	192	192
	पीटीएस, राजनांदगांव	68	64
8	कबीरधाम	120	120
	17वीं वाहिनी, कबीरधाम	164	159
9	बालोद	236	236
	14वीं वाहिनी, धनोरा-बालोद	180	180
10	बेमेतरा	176	174

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा बनाये गये आवासगृहों में से आबंटित आवासगृह की जानकारी			
स.क्र.	जिला का नाम	पुहाका द्वारा निर्मित आवास की संख्या	पुहाका द्वारा बनाये गये आवासों में से आबंटित आवासगृह
11	बिलासपुर	348	84
	2री वाहिनी, संकरी-बिलासपुर	84	84
12	रायगढ़	48	48
	6वीं वाहिनी, रायगढ़	40	40
13	कोरबा	228	228
	13वीं वाहिनी, कोरबा	132	0
14	जांजगीर-चांपा	168	168
	11वीं वाहिनी, जांजगीर	160	136
15	मुंगेली	128	128
16	सरगुजा	276	276
17	बलरामपुर	144	144
	12वीं वाहिनी, रामानुजगंज	208	132
18	सूरजपुर	228	226
	10वीं वाहिनी, सूरजपुर	132	132
19	जशपुर	32	32
20	कोरिया	16	0
	18वीं वाहिनी कोरिया	164	164
21	जगदलपुर	116	116
	5वीं वाहिनी, जगदलपुर	96	96
	एमटी वर्कशॉप, जगदलपुर	36	36
22	कांकेर	228	228
	सीटीजेडब्ल्यू कांकेर	20	20
23	दन्तेवाड़ा	140	140
24	बीजापुर	6	0
25	सुकमा	312	312
26	कोण्डागांव	288	288
27	नारायणपुर	44	44
		8686	8077


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-“स”

रिक्त एवं आबंटित आवासों की जिले / इकाईवार जानकारी				
स.क्र.		जिला का नाम	आबंटित आवासगृह	रिक्त आवासगृह
1		2	3	4
1	1	रायपुर	1994	0
	2	पुलिस अधीक्षक, रेल	78	6
	3	4थी वाहिनी, माना-रायपुर	306	0
	4	पुलिस अकादमी, चंदखुरी	94	41
	5	पीटीएस, माना	142	13
	6	पुलिस मुख्यालय	404	45
2	7	बलौदाबाजार	238	0
3	8	घमतरी	218	10
4	9	गरियाबंद	229	1
5	10	महासमुंद	277	3
	11	20 वी वाहिनी, महासमुन्द	0	0
6	12	दुर्ग	1096	130
	13	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार, भिलाई	242	0
	14	पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ	108	48
	15	प्रथम वाहिनी, भिलाई	372	6
	16	तीसरी वाहिनी, अमलेश्वर, दुर्ग	274	4
	17	सांतवी वाहिनी, भिलाई	347	3
7	18	पुलिस एमटी वर्कशॉप, रायपुर	52	0
	19	राजनांदगांव	520	0
	20	8वीं वाहिनी, राजनांदगांव	318	0
8	21	पीटीएस, राजनांदगांव	68	10
	22	कबीरधाम	343	0
9	23	17वीं वाहिनी, कबीरधाम	159	5
	24	बालोद	236	0
	25	14वीं वाहिनी, धनोरा-बालोद	180	0
10	26	21 वीं वाहिनी, बालोद	0	0
	27	बेमेतरा	174	2

रिक्त एवं आबंटित आवासों की जिले/इकाईवार जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	आबंटित आवासगृह	रिक्त आवासगृह
11	28 बिलासपुर	264	0
	29 दूरसंचार, बिलासपुर	20	0
	30 एमटी वर्कशॉप, बिलासपुर	0	0
	31 2री वाहिनी, संकरी-बिलासपुर	318	76
12	32 रायगढ़	588	0
	33 6वीं वाहिनी, रायगढ़	366	0
13	34 कोरबा	296	10
	35 13वीं वाहिनी, कोरबा	0	132
14	36 जांजगीर-चांपा	397	0
	37 11वीं वाहिनी, जांजगीर	136	64
15	38 मुंगेली	128	0
16	39 सरगुजा	483	0
	40 पीटीएस, मैनपाट	0	0
17	41 बलरामपुर	392	0
	42 12वीं वाहिनी, रामानुजगंज	136	82
18	43 सूरजपुर	372	2
	44 10वीं वाहिनी, सूरजपुर	278	0
19	45 जशपुर	335	0
20	46 कोरिया	279	0
	47 18वीं वाहिनी कोरिया	164	0
21	48 जगदलपुर	921	6
	49 5वीं वाहिनी, जगदलपुर	246	168
	50 19 वीं वाहिनी, जगदलपुर	0	0
	51 पीटीएस जगदलपुर	61	3
	52 एमटी वर्कशॉप, जगदलपुर	36	0
22	53 कांकेर	454	0
	54 22 वीं वाहिनी, कांकेर	0	0
	55 सीटीजेडब्ल्यू, कांकेर	89	0
23	56 दन्तेवाड़ा	751	6
	57 9वीं वाहिनी, कारली-दन्तेवाड़ा	127	19
24	58 बीजापुर	311	7
	59 15वीं वाहिनी, बीजापुर	0	0
25	60 सुकमा	374	53

रिक्त एवं आबंटित आवासों की जिले/इकाईवार जानकारी				
स.क्र.		जिला का नाम	आबंटित आवासगृह	रिक्त आवासगृह
26	61	कोण्डागांव	382	0
	62	पीटीसी बोरगांव, कोण्डागांव	40	4
27	63	नारायणपुर	228	0
	64	16वीं वाहिनी, नारायणपुर	0	0
28	65	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	50	0
		योग	17491	959


 अनुभाग अधिकारी
 उत्तीर्ण मंत्रालय
 गृह विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

अंतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से दिनांक 23.02.2022 तक सन्निर्माण श्रमिकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों द्वारा छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित मृत्यु सहायता योजना में किये आवेदन की जानकारी

क्र	मृतक का नाम पिता/पति का नाम	आवेदन प्रस्तुतकर्ता /उत्तराधिकारी का नाम	आवेदन तिथि	योजना का नाम	रिमांक
1	अंजू/सुखरंजन	गोपाल	18/10/2019	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह रीशि भुगतान योजना	स्वीकृत
2	गोपाल देवनाथ/अनंत देवनाथ	अमन	14/11/2019		स्वीकृत
3	तुषार विश्वास/सुनील	दिलिप	02-07-2020		स्वीकृत
4	पूजा/भागीरथ	भागीरथ	05-04-2020 06-04-2020	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह रीशि भुगतान योजना	आश्रित श्री भागीरथ द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.04.2020 में दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किया गया। पुनः दिनांक 06.04.2020 को दस्तावेज पूर्ण कर आवेदन करने पर स्वीकृत किया गया।
5	जितेन्द्र सोनवानी/स्व.भरतलाल	रोहित	02-09-2021 25/02/2021	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह रीशि भुगतान योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	आश्रित श्री रोहित द्वारा दिनांक 09.02.2021 को विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह रीशि भुगतान योजना के तहत किया गया जो कि, बंद हो गयी थी, जिसके उपरांत पुनः आश्रित द्वारा दिनांक 25.02.2021 को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत आवेदन करने पर स्वीकृत किया गया।
6	नीलिमा मृधा/प्रदीप मृधा	प्रताप मृधा	21/01/2021		स्वीकृत
7	नारायण/कन्होई	रीना	17/08/2021		स्वीकृत
8	जयन्त धुव/जगत धुरव	देविका	23/11/2021		स्वीकृत
9	व्दारिका प्रसाद/रैन सिंह	अनिता	20/12/2021		स्वीकृत
10	दीपक/धीरेन	शिप्रा	01-12-2022 24/1/2022	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	आश्रित शिप्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.01.2022 अपूर्ण दस्तावेज होने के कारण अस्वीकृत किया गया पुनः दिनांक 24.01.2022 को प्रावधान अनुरूप आवेदन करने पर स्वीकृत किया गया।

Prastig
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ हासन
1975 डिपार्ट

पारोक्ष - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1362) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर-केन्द्री एक्सप्रेस वे में अनियमितता तथा विभाग की कार्यवाही।

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्यरेशन का नाम	एजेंसी का नाम	अनियमितता के लिये निलंबित किये गये अधिकारी का नाम	अनियमितता के मूल विभाग का नाम	अनियमितता का विवरण	निलंबन पश्चात कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिनांक	विवरण	विभागीय जांच पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा	जांच पूर्ण / अपूर्ण	जांच अपूर्ण होने का कारण	निलंबित अधिकारी को बहाल करने का		निर्माणकर्ता ठेकेदार पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	टीप
												दिनांक	विवरण		
1	फाफाडीह-तेलीबांधा-नया रायपुर स्थित छोटी रेल लाईन के स्थान पर फोर लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य	छ.ग. सड़क एवं अधीनस्थ विकास निगम लिमिटेड, रायपुर।	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग लिमिटेड, अहमदाबाद।	श्री एस.सी. आर्य (परियोजना प्रबंधक)	जल संसाधन विभाग, (छ.ग.) से प्रतिनियुक्ति पर	रायपुर रेलवे स्टेशन-फाफाडीह-तेलीबांधा केन्द्री एक्सप्रेस-वे के सड़क व फ्लाई ओवर के पट्टा मार्ग निर्माण (आर.ई.वॉल) में पायी गई अनियमितताओं एवं पर्यवेक्षण में कमी तथा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण।	पत्र क्रमांक 583/छ.ग.रो.डे. का.लि./स्था. /2020, दि. 15/04/2020	1. सड़क व पुल निर्माण के पर्यवेक्षण के दायित्व निर्वहन करने में शिथिलता बरतने के कारण सभी पांच फ्लाई ओवर के पट्टा मार्ग भतिग्रस्त हुए एवं जांच में सड़क मार्ग की मोटाई मानक स्तर से कम होने के कारण। 2. कार्य की मॉनिटरिंग एवं कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु अपने दायित्व के निर्वहन में शिथिलता बरतने एवं माप पुस्तिका में लिये गये माप का किसी भी प्रकार का मौखिक सत्यापन नहीं करने के कारण।	1 वर्ष	अपूर्ण	प्रक्रियाधीन	13	14	15	16
				श्री जतिन्द्र सिंह (उप परियोजना प्रबंधक)	राज्य शहरी विकास अभिकरण, (छ.ग.) से प्रतिनियुक्ति पर		पत्र क्रमांक 595/छ.ग.रो.डे. का.लि./स्था. /2020, दि. 15/04/2020						संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक शा-1/विकिध/5833/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/11/2021		

1	फाफाडीह-तेलीबाधा-नया रायपुर स्थित छोटी रेल लाइन के स्थान पर फोर लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य	छ.ग. सड़क एवं अधीनस्थ विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ।	मेसर्स आयरन ट्रैंगल अहमदाबाद ।	श्री विवेक सिन्हा (सहायक परियोजना प्रबंधक)	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर से प्रतिनियुक्ति पर	रायपुर रेलवे स्टेशन-फाफाडीह-तेलीबाधा के बीच एक्सप्रेस-वे के सड़क व पलाई ओवर (आर.ई.वेल) में पारी गई अनियमितताओं एवं पर्यवेक्षण में कमी तथा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण ।	पत्र क्रमांक 596/छ.ग.रो.डे.का.लि./स्था./2020, दि. 15/04/2020	1. सड़क व पुल निर्माण के पर्यवेक्षण के दायित्व निर्वहन करने में शिथिलता बरतने के कारण सभी पांच पलाई ओवर के पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हुए एवं जांच में सड़क मार्ग की मोटाई मानक स्तर से कम होने के कारण। 2. कार्य की मॉनिटरिंग एवं कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु अपने दायित्व के निर्वहन में शिथिलता बरतने एवं माप पुस्तिका में लिये गये माप का किसी भी प्रकार का भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण।	1 वर्ष	अपूर्ण	प्रक्रियाधीन	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के आदेश क्रमांक.1028/स्था./उप.अभि./विप्रा./2021 रायपुर, दिनांक 12/08/2021	मूल द्वारा निलंबन से बहाल किया गया है।	निर्माणकर्ता ठेकेदार मेसर्स आयरन ट्रैंगल लिमिटेड अहमदाबाद को एक्सप्रेस वे रायपुर में आयी तकनीकी त्रुटी के कारण पुनः निर्माण/पुनरोद्धार/सुधार कार्य हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 287/सी.जी.आर.डी.सी./2020 रायपुर, दिनांक 13.02.2020 द्वारा निर्देशित किया गया
				श्री फरहाज फारूकी (सहायक परियोजना प्रबंधक)	नगर पालिक निगम रायपुर, जौन क्रमांक 2 से प्रतिनियुक्ति पर		पत्र क्रमांक 597/छ.ग.रो.डे.का.लि./स्था./2020, दि. 15/04/2020					निलंबित		
				श्री सतीश कुमार जाधव (उप महाप्रबंधक)	जल संसाधन विभाग, (छ.ग.) से प्रतिनियुक्ति पर		पत्र क्रमांक 592/छ.ग.रो.डे.का.लि./स्था./2020, दि. 15/04/2020						मूल विभाग द्वारा निलंबन से बहाल किया गया है।	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ-03-01/31/स्था/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/05/2021


मुख्य बाधियता

कार्या. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

परोशिष्ट - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 786) की जानकारी

प्रपत्र

किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की जानकारी
अवधि- जनवरी 2019 से दिनांक-12.02.2022 तक

अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग			योग
कृषिगत कारणों से	अन्य कारणों से	योग	कृषिगत कारणों से	अन्य कारणों से	योग	कृषिगत कारणों से	अन्य कारणों से	योग	
00	187	187	0	79	79	2	302	304	570


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "अ"

बस्तर जिले में वर्ष 2019 से दिनांक 20.02.2022 तक गांजा एवं शराब तस्करी के पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र.	वर्ष	गांजा तस्करी के दर्ज प्रकरण	शराब तस्करी के दर्ज प्रकरण
1	2019	37	76
2	2020	46	46
3	2021	52	40
4	2022	20	11


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र 'ब'स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही

- गांजा तस्करी पर पूर्ण नियंत्रण एवं प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ द्वारा ओड़िशा राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक एवं समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाकर अभियान चलाया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में गांजा एवं शराब तस्करी की रोकथाम हेतु अन्तर्राज्यीय सीमाओं के संभावित मार्गों पर पुलिस जॉच हेतु 23 स्थायी एवं 17 अस्थाई चौकियों का निर्माण कर नियमित रूप से चेकिंग एवं निगरानी की जा रही है। 23 चेकपोस्ट निर्माण हेतु 1 करोड़ 15 लाख रुपये आबटित किया गया है।
- छ.ग. राज्य में नारको को-ऑर्डिनेशन सेन्टर का पुर्नगठन नीतिगत मामलों में समन्वय सुधार के लिये साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली समस्याओं के तंत्र में सुधार एवं निराकरण हेतु "राज्य स्तरीय समन्वय समिति" का गठन दिनांक 05.02.2020 को किया गया है।
- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी है, जिसमें समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग, ड्रग कंट्रोलर को शामिल किया गया है। प्रत्येक माह बैठक लेकर ऐसे प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की जाती है।
- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.46) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त संभागीय आयुक्तों को निरुद्धकर्ता अधिकारी नियुक्त कर उक्त धारा के प्रयोजन हेतु उनके संबंधित क्षेत्राधिकार को विशेष रूप से सशक्त करती है।

एन.सी.बी.जोनल युनिट इंदौर (म.प्र.) के निर्देश पर Detention of Top Drug Traffickers Under PIT-NDPS Act के अन्तर्गत समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के संपादन हेतु उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर को "नोडल अधिकारी" नियुक्त किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

स.क्र.	एजेंसी का नाम	भुगतान दिनांक	कुल राशि रु.	भुगतान करने वाली संस्था का नाम
01	मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस	03.02.2021	14651435.00	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
02	मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस	28.05.2021	244313.00	
03	आदर्श किराया भंडार	21.10.2021	1454110.00	
04	मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस	28.10.2021	5932618.00	
05	रिलायंस जियो	01.09.2021	204185.00	
06	मेसर्स पी.सी. वर्ल्ड	16.11.2021	50000.00	
07	कोविड सेंटर में 06 डॉक्टर एवं 09 नर्स की व्यवस्था	16.06.2021	854386.00	
		03.08.2021	106000.00	
		15.09.2021	166998.00	
		योग -	23664045.00	


नगर निगम रायपुर द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

01	शिवदत्त इंटरप्राइजेस	11.11.2020	69000.00	नगर पालिक निगम रायपुर
02	राजकुमार यादव	12.11.2020	84627.00	
03	राजू कृषि केन्द्र	19.11.2020	65624.00	
04	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	27.08.2020	45430.00	
05	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	29.09.2020	43070.00	
06	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	26.03.2021	20160.00	
07	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	26.03.2021	63000.00	
08	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	26.03.2021	16800.00	
09	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	26.03.221	62540.00	
10	सुमित संनफ़ेब इंडिया प्रा.लि.	26.03.2021	52920.00	
11	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	08.04.2021	40320.00	
12	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	08.04.2021	37800.00	
13	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	08.04.2021	46220.00	
14	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	08.04.2021	8400.00	
15	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	05.05.2021	99120.00	
16	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	05.05.2021	99120.00	
17	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	05.05.2021	81620.00	
18	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	05.05.2021	61270.00	
19	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	05.05.2021	99120.00	


 अनुभाग अधिकारी

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भवन, महानदी भवन


20	पराग इन्फ्रा	05.05.2021	80000.00
21	पराग इन्फ्रा	05.05.2021	98040.00
22	गजानंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	10.05.2021	372977.00
23	पराग इन्फ्रा	09.06.2021	96000.00
24	राज कुमार यादव	22.09.2021	138001.00
		योग -	1881179.00


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - "ब"

स.क्र.	एजेंसी का नाम	भुगतान दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	उपयोगी दिवस	कुल राशि	कुल राशि जीएसटी सहित	रिमार्क
1	मे. व्यापक इंटरप्राइजेस (उपयोगी दिवस 12.04.21 से 31.05.2021 तक)	28.10.2021	मेटल हेलाइड (2X400वॉट)	23	150.00	50	172500.00	203550.00	
			70 वर्ग मि.मी. x 3.5एमएम कोर के केबल प्रदान करने, बिछाने एवं रख-रखाव सहित	740	8.00	50	296000.00	349280.00	
			35 वर्ग मि.मी. x 3.5एमएम कोर के केबल प्रदान करने, बिछाने एवं रख-रखाव सहित	352	5.00	50	88000.00	103840.00	
			10 वर्ग मि.मी. x 2 एमएम कोर के केबल प्रदान करने, बिछाने एवं रख-रखाव सहित	352	5.00	50	88000.00	103840.00	
			इंटरकाम (दर स्वीकृत नहीं होने के कारण भुगतान शेष)	25	0.00	50	0.00	0.00	
			सीएफएल बल्ब (85वॉट)	157	40.00	50	314000.00	370520.00	
			स्प्रीलिट ए.सी. (2टन)	1	1500.00	50	75000.00	88500.00	
			जम्बो कुलर	5	280.00	50	70000.00	82600.00	
कुल भुगतान							1302130.00		
2	मे.आदर्श किराया भंडार (उपयोगी दिवस 12.04.21 से 31.05.2021 तक)	21.10.2021	साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित कालम स्पीकर (500 वॉट) प्रदाय कार्य	25	500.00	50	625000.00	737500.00	राशि रु. 94,935 की कटौती पश्चात् भुगतान किया गया
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित ट्रम्पड हार्न प्रदाय कार्य	7	90.00	50	31500.00	37170.00	
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित हाई पॉवर एम्पली फायर (2000 वॉट) प्रदाय कार्य	4	500.00	50	100000.00	118000.00	
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित कार्डलेस माइक्रोफोन प्रदाय कार्य	1	300.00	50	15000.00	17700.00	
			सीसीटीवी कैमरा (नाईट विजन के साथ एचडी कैमरा)	71	95.00	50	337250.00	397955.00	
			सीसीटीवी कैमरेज	7	240.00	50	84000.00	99120.00	
कुल भुगतान							1407445.00		
			मेटल हेलाइड (2X400वॉट)	16	150.00	94	225600.00	266208.00	
			70 वर्ग मि.मी. x 3.5एमएम कोर के केबल प्रदान करने, बिछाने एवं रख-रखाव सहित	390	8.00	94	293280.00	346070.40	

स.क्र.	एजेंसी का नाम	भुगतान दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	उपयोगी दिवस	कुल राशि	कुल राशि जीएसटी सहित	रिमार्क
3	मे. व्यापक इंटरप्राइजेस (उपयोगी दिवस 25.07.2020 से 29.10.2020 तक)	03.02.2021	35 वर्ग मि.मी. x 3.5एमएम कोर के केबल प्रदान करने, बिछाने एवं रख-रखाव सहित	282	5.00	94	132540.00	156397.20	
			10 वर्ग मि.मी. x 2 एमएम कोर के केबल प्रदान करने, बिछाने एवं रख-रखाव सहित	120	5.00	94	56400.00	66552.00	
			सीएफएल बल्ब (85वॉट)	55	40.00	94	206800.00	244024.00	
			स्पीलिट ए.सी. (2टन)	1	1500.00	94	111000.00	130980.00	राशि रु. 30,000 की कटौती पश्चात् भुगतान किया गया
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित कालम स्पीकर (500 वॉट) प्रदाय कार्य	8	500.00	94	376000.00	443680.00	
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित ट्रम्पड हार्न प्रदाय कार्य	4	90.00	94	33840.00	39931.20	
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित हाई पॉवर एम्पली फायर (2000 वॉट) प्रदाय कार्य	1	500.00	94	47000.00	55460.00	
			साउण्ड सिस्टम उपयुक्त ध्वनि के साथ आडियो सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग प्रदान करने के साथ पूर्ण संचालन संधारण सहित कार्डलेश माइक्रोफोन प्रदाय कार्य	2	300.00	94	56400.00	66552.00	
			सीसीटीवी कैमरा (नाईट विजन के साथ एचडी कैमरा)	12	900.00	94	862920.00	1018245.60	सीसीटीवी के दर में 15 प्रतिशत कटौती पश्चात् भुगतान किया गया है
सीसीटीवी कॅबरेज के साथ कंट्रोल रूम में सेटप	1	1800.00	94	169200.00	199656.00				
							कुल भुगतान	3033756.40	
							महायोग	5743331.40	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र				
कैलेण्डर वर्ष 2020 एवं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (रायपुर-जगदलपुर मार्ग) में सड़क दुर्घटना के पंजीबद्ध प्रकरण की वर्षवार एवं थानावार जानकारी				
क्र.	जिला का नाम	थाना का नाम	कुल पंजीबद्ध प्रकरण	
			2020	2021
1	रायपुर	टिकरापारा	17	9
2	रायपुर	राजेन्द्र नगर	13	8
3	रायपुर	माना	13	24
4	रायपुर	राखी	5	6
5	रायपुर	अभनपुर	41	28
6	धमतरी	कुरुद	31	43
7	धमतरी	अर्जुनी	16	19
8	धमतरी	कोतवाली	28	21
9	बालोद	गुरुर	17	28
10	जगदलपुर	कोतवाली	16	19
11	जगदलपुर	बोधघाट	3	4
12	जगदलपुर	बरतर	29	10
13	जगदलपुर	भानपुरी	20	18
14	कोण्डागांव	कोण्डागांव	52	53
15	कोण्डागांव	फरसगांव	29	31
16	कोण्डागांव	केशकाल	47	32
17	सुकमा	सुकमा	20	11
18	सुकमा	छिन्दगढ़	8	11
19	सुकमा	दोरनापाल	7	14
20	सुकमा	एराबोर	6	7
21	सुकमा	कुकानार	3	3
22	सुकमा	केरलापाल	4	5
23	सुकमा	कोन्टा	5	6
24	सुकमा	तोंगपाल	2	3
25	कांकेर	चारामा	42	34
26	कांकेर	कांकेर	16	33
कुल योग			490	480


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशिष्ट - सत्रह
तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 16) की जानकारी

प्रपत्र

जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनारी तक नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग में लगाए गये पौधे।

स. क्र.	कि.मी.		रोपित पौधों की प्रजाति	रोपित पौधों की संख्या			जीवित	अजीवित
				माह जुलाई, अगस्त, 2018-19	माह जुलाई, अगस्त, 2021-22	कुल		
1	2		3	4			5	6
1	127+500	128+000						
2	128+000	129+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	44	40	84	60	24
3	129+000	130+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	48	60	108	77	31
4	130+000	131+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	230	280	510	361	149
5	131+000	132+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	200	250	450	319	131
6	132+000	133+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	215	235	450	319	131
7	133+000	134+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	208	260	468	332	136
8	134+000	135+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	190	230	420	298	122
9	135+000	136+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	238	230	468	332	136
10	136+000	137+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	260	280	540	383	157
11	137+000	138+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	321	345	666	472	194
12	138+000	139+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	362	370	732	519	213
13	139+000	140+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	304	320	624	442	182

निरन्तर अगले पृष्ठ में

14	140+000	141+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	312	240	552	391	161
15	141+000	142+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	260	220	480	340	140
16	142+000	143+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	259	215	474	336	138
17	143+000	144+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	264	180	444	315	129
18	144+000	145+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	207	195	402	285	117
19	147+000	148+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	252	180	432	306	126
20	148+000	149+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	190	170	360	255	105
21	149+000	150+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	244	200	444	315	129
22	150+000	151+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	132	-	132	94	38
23	151+000	152+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	162	-	162	115	47
24	152+000	153+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	78	-	78	55	23
25	153+000	154+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	78	-	78	55	23
26	154+000	155+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	42	-	42	30	12
27	155+000	156+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	54	-	54	38	16
28	156+000	157+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	102	-	102	72	30
29	157+000	158+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	82	-	82	58	24
30	158+000	159+000	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	48	-	48	34	14
31	159+000	160+692	नीम, करंज, कचनार, गुलमोहर, पेन्टाफार्म, नेरियम	36	-	36	26	10
		कुल		5422	4500	9922	7034	2748

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष्य - अट्टारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1343) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में धान खरीदी की जिलेवार जानकारी

क्र	जिले का नाम	समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की मात्रा (मे.टन में)		
		खरीफ वर्ष 2019-20	खरीफ वर्ष 2020-21	खरीफ वर्ष 2021-22
1	बस्तर	119205.7	142633.2	158915.4
2	बीजापुर	58283.9	60284.0	63710.3
3	दन्तेवाड़ा	10554.2	16307.1	17437.2
4	कांकेर	280370.6	296518.2	318970.0
5	कौडागांव	114677.4	143468.4	153345.6
6	नारायणपुर	14871.5	19544.1	22794.8
7	सुकमा	32035.4	38489.9	46291.0
8	बिलासपुर	482803.0	451142.3	484120.6
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	0.0	74907.2	69524.6
10	जाजगीर चाम्पा	786775.0	798398.6	824555.6
11	कोरबा	98807.0	135271.0	170237.2
12	मुंगेली	327762.2	361356.4	383823.6
13	रायगढ़	484600.9	533510.0	573687.1
14	बालोद	501604.3	521715.8	519469.1
15	बेमेतरा	526315.4	587672.4	630615.5
16	दुर्ग	362257.2	407348.0	417096.8
17	कवर्धा	337060.4	393469.9	416301.2
18	राजनांदगांव	675400.9	760590.9	825127.2
19	बलौदाबाजार	649904.4	669411.7	696430.9
20	धमतरी	417407.3	427749.6	431397.0
21	गरियाबंद	300621.7	323584.6	331515.1
22	महासमुद	727304.0	750901.3	774177.7
23	रायपुर	494448.9	503714.4	509949.0
24	बलरामपुर	123404.6	156311.1	193871.3
25	जशपुर	80377.8	116918.9	154181.0
26	कोरिया	89984.6	119154.4	140092.7
27	सरगुजा	137401.4	181108.2	219967.2
28	सुरजपूर	160350.8	210910.8	250976.0
योग:-		8394590.0	9202392.2	9798580.8

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - उन्नोस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 116) की जानकारी

प्रपत्र - अ


निर्मित होटल, मोटल, रिसॉर्ट की सूची :-

क्र.	निर्मित होटल, मोटल, रिसॉर्ट का नाम	जिला	रिमाक
01	जोहार होटल, सिरपुर	महासमुंद	
02	दण्डामी लग्जरी रिसॉर्ट, चित्रकोट	बस्तर	
03	हरेली ईको रिसॉर्ट, मोहदा (बारनवापारा)	बलोदाबाज़ार	
04	सोनभद्र टूरिस्ट रिसॉर्ट, आमाडोब	गौरैला-पेंड्रा- मरवाही	
05	ईको हिल रिसॉर्ट, कबीरचबूतरा	गौरैला-पेंड्रा- मरवाही	
06	कुरदर हिल ईको रिसॉर्ट, कुरदर	बिलासपुर	
07	बैगा टूरिस्ट रिसॉर्ट, सरोधादादर	कबीरधाम	
08	शैला टूरिस्ट रिसॉर्ट, मैनपाट	सरगुजा	
09	सरना एथनिक रिसॉर्ट, बालाछापार	जशपुर	
10	धनकुल एथनिक रिसॉर्ट, कौंडागांव	कौंडागांव	
11	बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट रिसॉर्ट, गंगरेल (प्रबंधकीय अनुबंधधारक के माध्यम से संचालित)	धमतरी	
12	मितान मोटल / हिल मैना हाईवे ट्रीट, नथियानवागांव (वे साईड एमिनिटी)	कांकेर	
13	मितान मोटल, चिरगुडा	कोरिया	
14	मितान मोटल, चढ़ीरमा	सरगुजा	
15	मितान मोटल, कोनकोना	कोरबा	
16	मितान मोटल, कुलीपोटा	जांजगीर-चांपा	
17	मितान मोटल, कोडातराई	रायगढ़	
18	मितान मोटल, कवर्धा	कबीरधाम	
19	मितान मोटल, सरगांव	बिलासपुर	
20	मितान मोटल, खपरी	दुर्ग	
21	मितान मोटल, तुमड़ीबोर्ड	राजनांदगांव	
22	मितान मोटल, केंद्री	रायपुर	
23	मितान मोटल, भाटागांव	धमतरी	
24	मितान मोटल, राजिम	गरियाबंद	
25	मितान मोटल, कौंडागांव	कौंडागांव	
26	मितान मोटल, हारम	दंतेवाड़ा	
27	मितान मोटल, तीरथगढ़	बस्तर	
28	भोजली टूरिस्ट रिसॉर्ट, मानातुता	रायपुर	
29	मितान मोटल आसना, जगदलपुर	बस्तर	जिला प्रशासन के अधीन बस्तर अकादमी ऑफ़ डांस आर्ट एण्ड लिटरेचर संचालित है।


अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमशः...2

30	मितान मोटल, नगरनार	बस्तर	एन एम डी सी को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
31	मितान मोटल, कांपा	महासमुंद	कृषि महाविद्यालय महासमुंद को हस्तांतरित
32	मितान मोटल, सिंगारभाट	कांकेर	बी एस एफ को किराये पर हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
33	जोहार ट्रस्ट रिसॉर्ट, केशकाल	कांकेर	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधीन


 अनुभाग अधिकारी
 पर्यटन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र - ब

तारांकित प्रश्न क्रमांक 116

निर्मित किये गये संचालित होटल, मोटल, रिसॉर्ट की सूची :-

राशि रुपये में

क्र.	संचालित होटल, मोटल, रिसॉर्ट का नाम	जिला	लाभ-हानि की स्थिति (दिनांक 01.04.2021 से 31.01.2022 की स्थिति में)
01	जोहार होटल, सिरपुर	महासमुंद	- 2,79,396/-
02	दण्डामी लग्जरी रिसॉर्ट, चित्रकोट	बस्तर	+ 89,47,687/-
03	हरेली ईको रिसॉर्ट, मोहदा ,बारनवापारा	बलोदाबाजार	+ 14,96,358/-
04	सोनभद्र टूरिस्ट रिसॉर्ट, आमाडोब	गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	- 26,438/-
05	ईको हिल रिसॉर्ट, कबीरचबूतरा	गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	- 2,40,401/-
06	कुरदर हिल ईको रिसॉर्ट, कुरदर	बिलासपुर	+ 10,23,309/-
07	बैगा टूरिस्ट रिसॉर्ट, सरोधादादर	कबीरधाम	+ 49,18,121/-
08	शैला टूरिस्ट रिसॉर्ट, मैनापाट	सरगुजा	+ 10,04,987/-
09	सरना एथनिक रिसॉर्ट, बालाछापरा	जशपुर	- 2,41,440/-
10	धनकुल एथनिक रिसॉर्ट, कौंडागांव	कौंडागांव	- 9,24,841/-
11	मितान मोटल / हिल मैना हाईवे ट्रीट, नथियानवागांव (वे साईड एमिनिटी)	कांकेर	- 7,16,394/-
12	बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट रिसॉर्ट, गंगरेल (प्रबंधकीय अनुबंधधारक के माध्यम से संचालित)	धमतरी	+ 20,55,500/-
कुल राशि रुपये लाभ			+ 1,70,17,052 /-


अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
संचालय, नया रायपुर

प्रपत्र - स

निर्मित किये गये होटल, मोटल, रिसॉर्ट की सूची जिसे निजी निवेशको को दीर्घकालीन लीज पर संचालन हेतु दी जा रही है :-

क्र.	होटल, मोटल, रिसॉर्ट का नाम	जिला
01	मितान मोटल, चिरगुढा	कोरिया
02	मितान मोटल, चढीरमा	सरगुजा
03	मितान मोटल, कोनकोना	कोरबा
04	मितान मोटल, कुलीपोटा	जांजगीर-चांपा
05	मितान मोटल, कोडातराई	रायगढ़
06	मितान मोटल, कवर्धा	कबीरधाम
07	मितान मोटल, सरगांव	बिलासपुर
08	मितान मोटल, खपरी	दुर्ग
09	मितान मोटल, तुमड़ीबोर्ड	राजनांदगांव
10	मितान मोटल, केंद्री	रायपुर
11	मितान मोटल, भाटागांव	धमतरी
12	मितान मोटल, राजिम	गरियाबंद
13	मितान मोटल, कौंडागांव	कौंडागांव
14	मितान मोटल, हारम	दंतेवाड़ा
15	मितान मोटल, तीरथगढ़	बस्तर
16	भोजली टूरिस्ट रिसॉर्ट, मानातुता	रायपुर



अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - बीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 291) की जानकारी

प्रपत्र


बिलासपुर में संचालित सीवरेज परियोजना अंतर्गत
01 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 तक किये गये कार्य का विवरण :-

1. जोन-1 :-

- अ) प्रचलित नेटवर्क अंतर्गत 15 स्थानों के जाम नेटवर्क की सफाई/मरम्मत कर नेटवर्क बहाव को बहाल किया गया है।
- ब) 0.756 किमी. पाईप लाईन 12 मेनहोल सहित सफाई कार्य पूर्ण किया गया है।
- स) सीवरेज पम्पिंग स्टेशन जवाली पुल का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

2. जोन-2 :-

- अ) प्रॉपर्टी चेम्बर का नेटवर्क 5.36 किमी., प्रॉपर्टी चेम्बर 337 नग तथा हाउस कनेक्शन 345 नग पूर्ण किया गया है।
- ब) प्रचलित नेटवर्क के 21 स्थानों के जाम नेटवर्क की सफाई/मरम्मत कर नेटवर्क बहाव को बहाल किया गया है।
- स) 13.8 किमी. पाईप लाईन 357 मेनहोल सहित सफाई कार्य पूर्ण किया गया है।
- द) लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्रिज निर्माण के दौरान कार्य क्षेत्र में आने के कारण सीवरेज नेटवर्क को दबा दिया गया है। अतः लाईन परिवर्तित कर सीवरेज नेटवर्क 102 मीटर की पुनः नयी लाईन बिछाई गई।


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - इक्कीस

पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 313) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति प्रदान करने की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	किये गये कार्य की राईडिंग सरफेस की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	जिला रायगढ़ के रायगढ़- धरमजयगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य लंबाई 56 कि.मी.।	9369.25	08.09.2021	कार्य प्रगति पर	-
2	अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग के कि.मी. 139 से 157 = 19 कि.मी. (धरघोड़ा बायपास से जामपाली एस.ई.सी.एल. खदान तक) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (जमा मद अंतर्गत स्वीकृत)	4246.18	02.11.2020	कार्य प्रगति पर	-
3	धरमजयगढ़ से पथलगाँव जिला रायगढ़ सीमा तक मार्ग लंबाई 34 कि.मी. (जिला रायगढ़ के चन्द्रपुर-डभरा-खरसिया-धरमजयगढ़- पथलगाँव मार्ग लंबाई 102.50 कि.मी. के लिये प्रशासकीय स्वीकृति रु. 19092.19 लाख संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।)	7177.64	17.03.2021	कार्य प्रगति पर	-
4	पथलगाँव से जशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 (नया रा.रा. क्र.43) पथलगाँव से कुनकुरी के कि.मी. 469.000 से 531.000 तक (62.475 कि.मी.) 2-लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य ई. पी.सी. पद्धति से।	49294.00	18.03.2016	कार्य प्रगति पर	15.50 कि.मी. कार्य पूर्ण, राईडिंग सरफेस की स्थिति संतोषजनक है।
5	पथलगाँव से जशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 (नया रा.रा. क्र.43) कुनकुरी से छ.ग./झारखण्ड राज्य सीमा सेक्शन के कि.मी. 531.000 से 598.00 तक (66.675 कि.मी.) 2-लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य ई.पी.सी. पद्धति से।	42379.00	17.03.2017	कार्य प्रगति पर	65.69 कि.मी. कार्य पूर्ण, राईडिंग सरफेस की स्थिति अच्छी है।
	कुल 05 कार्य (कुल लंबाई 238.15 कि.मी.)	112466.07		05 कार्य प्रगति पर।	81.19 कि.मी. कार्य पूर्ण, राईडिंग सरफेस की स्थिति अच्छी है।


मुख्य अभियंता

कार्यालय, प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - बाईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 352) की जानकारी

प्रपत्र

कांकर जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा माकड़ी से सिंगारमाट सड़क का पैच वर्क कार्य।

क्र	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	टेकेदार का नाम	अनुबंध क्र/ कार्यादेश क्र एवं दिनांक/ अनुबंध की राशि (लाख में)	कार्य की समयावधि	अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की तिथि	निविदा दर प्रतिशत में (कम/ अधिक)	अद्यतन स्थिति	व्यय राशि (रु. लाख में)	कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो उस पर की गई कार्यवाही	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वर्ष 2020-2021											
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के कि. मी. 132.600 से कि. मी. 142.800 (कांकर शहर) एवं कि. मी. 162.600 से कि. मी. 167.000 (केशकाल घाट) क्षेत्र का ई. पी.सी. अनुबंध के तहत जोखिम एवं व्यय अंतर्गत बी.टी. पैच मरम्मत का कार्य।	61.52	मेसर्स शिवाय कंस्ट्रक्शन कांकर	16 डी.एल /2020-21 2800/ 22-12-2020 67.18 लाख	03 माह वर्षा ऋतु सहित दिनांक 06.04.2021	06.04.2021 प्रथम समयावृद्धि 15.07.2021 द्वितीय समयावृद्धि 15.12.2021	9.20 % अधिक	माह जनवरी 2021 में कि.मी. 135.00 से 142.00 (गोविंदपुर सिंगारमाट) एवं कि.मी. 162.600 से 167.000 (केशकाल घाट) के मध्य पैच मरम्मत कार्य किया गया है। व्यय राशि 18.95 लाख माह जून 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य कि.मी. 132.600 से 142.000 (माकड़ी से सिंगारमाट) के मध्य पैच मरम्मत कार्य किया गया है। व्यय राशि 23.91 लाख	42.86	पैच कार्य की गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	विभाग के द्वारा टेकेदार को शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 2463 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा अनुबंध के क्लोज 3 के तहत कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के पश्चात टेकेदार के द्वारा माह नवंबर से दिसम्बर 2021 के मध्य कार्य किया गया। टेकेदार के द्वारा वित्तीय कमी एवं विलम्ब से देयक का भुगतान न होने के कारण कार्य लंबित रखा था। शेष कार्य प्रारंभ करने हेतु पुनः दिनांक 18-02-2022 को नोटिस जारी किया गया है। टेकेदार द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने एवं कार्य प्रारंभ नहीं करने कारण इस कार्यालय के ज्ञाप.क्रमांक 510/ए.के. दिनांक 03-03-2022 द्वारा उक्त कार्य के अनुबंध की कंडिका 3 के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

क्र	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	उकेदार का नाम	अनुबंध क्र / कार्यदिश क्र एवं दिनांक / अनुबंध की राशि (लाख में)	कार्य की समाप्ति	अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की तिथि	निविदा दर प्रतिशत में (कम/अधिक)	अद्यतन स्थिति	व्यय राशि (रु. लाख में)	कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो उस पर की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वर्ष 2021-2022											
2	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 (नया रा. रा. क्र. 30) के कि.मी. 130.000 से कि.मी. 180.000 (कांकर से बेड़मा खण्ड) के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य अतर्गत ई.पी.सी. अनुबंध के तहत जोखिम एवं व्यय अतर्गत मरम्मत का कार्य।	98.68	मेसर्स एम. आर. कंस्ट्रक्शन कांकर	11 डी.एल / 2021-22 155/22-01-2022 90.89 लाख	02 माह वर्षा ऋतु सहित दिनांक 06.04.2022	06.04.2022	7.89% कम	कि.मी. 180.00, 170.500 (केशकाल घाट) कि.मी. 163.400 से कि.मी. 167.00 पेच वर्क कार्य पूर्ण है।	-	पेच कार्य की गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	कार्य प्रगति पर

Signature

मुख्य अभियंता,
कार्या. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर,
अटल नगर, (580ग0)

पारिशेष - तेईस

पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 353) की जानकारी

प्रपत्र

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केशकाल-विश्रामपुरी-बांसकोट-अमरावती मार्ग की मरम्मत

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक	क्या वर्तमान कार्य में उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर स्थिति में है ? यदि हाँ तो कब तक मरम्मत कर लिया जावेगा ?
		प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	मरम्मत हेतु स्वी. राशि (रु. लाख में)		
1	2	3	4	5	6
1	केशकाल बांसकोट माकड़ी अमरावती मार्ग लंबाई 86.60 कि.मी. (निर्माण कार्य)	4999.39	98.51	15.06.2020	उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर स्थिति में नहीं है। मार्ग के कुछ कि.मी. वर्षाऋतु के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे बी.टी. पंच रिपेयर के द्वारा मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - चौबीस


परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 363) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019 से जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत आवासों की जानकारी

क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत आवास			निर्माण स्थल	कब से निर्मित/ निर्माणाधीन है	निर्मित आवास	निर्माणाधीन आवास	अप्रारंभ आवास	आवास निर्माण हेतु कार्य एजेंसी	निर्मित आवास में से आर्बिट्रि, आर्बटन के लिए शेष एवं कारण का विवरण
		बीएलसी	एएचपी	योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10
1	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	109	0	109	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार क्षेत्र में	जून, 2019 से	35	41	33	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण किया जाता है।	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) अन्तर्गत आवासों का निर्माण स्वयं की भूमि पर हितग्राही द्वारा स्वतः करया जाता है। अतः योजना के बीएलसी घटक में हितग्राही को आवास आर्बटन नहीं किया जाता।
1	नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा	254	0	254	नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में	अगस्त, 2019 से	43	79	132	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण किया जाता है।	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) अन्तर्गत आवासों का निर्माण स्वयं की भूमि पर हितग्राही द्वारा स्वतः करया जाता है। अतः योजना के बीएलसी घटक में हितग्राही को आवास आर्बटन नहीं किया जाता।
योग		363	0	363			78	120	165		


टीप :- बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019 से जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक अन्तर्गत आवास स्वीकृत नहीं होने के कारण इस घटक अन्तर्गत आवासों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अतः आवास आर्बटन की जानकारी निरंक है।


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भद्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-‘ब’

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019 से जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत आवासों की जानकारी

क्र.	निकाय का नाम	निर्मित मकान को पूर्ण रूपेण निर्मित कर आबंटित करने की निर्धारित समयवधि	अद्यतन पूर्ण कार्य (आवास निर्माण)	अपूर्ण कार्य (आवास निर्माण)	अपूर्ण कार्य का कारण	अपूर्ण कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) अन्तर्गत आवासों का निर्माण स्वयं की भूमि पर हितग्राही द्वारा स्वतः कराया जाता है। अतः योजना के बीएलसी घटक में हितग्राही को आवास आबंटन करने या आबंटन हेतु समयवधि निर्धारित नहीं किया जाता।	35	74	हितग्राही द्वारा आवास निर्माण स्वयं के संसाधनों से किया जाता है, जिसमें प्रगति के समानुपातिक केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुदान प्रदान किया जाता है।	हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण स्वयं किया जाता है, मार्च, 2023 तक कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है।
1	नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) अन्तर्गत आवासों का निर्माण स्वयं की भूमि पर हितग्राही द्वारा स्वतः कराया जाता है। अतः योजना के बीएलसी घटक में हितग्राही को आवास आबंटन करने या आबंटन हेतु समयवधि निर्धारित नहीं किया जाता।	43	211	हितग्राही द्वारा आवास निर्माण स्वयं के संसाधनों से किया जाता है, जिसमें प्रगति के समानुपातिक केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुदान प्रदान किया जाता है।	हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण स्वयं किया जाता है, मार्च, 2023 तक कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है।
योग			78	285		


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्य - पच्चीस
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 391) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में मार्कफेड द्वारा लिये गये ऋण की जानकारी

खरीफ वर्ष	बैंको, वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया ऋण	राशि (करोड़ रुपये में)	ऋण की अवधि	ब्याज दर
2019-20	यूनियन बैंक	1500.00	01 वर्ष	8.00%
	यूको बैंक	500.00	01 वर्ष	7.80%
	नाबार्ड	2000.00	01 वर्ष	8.00%
	एन.सी.डी.सी.	5500.00	06 माह	8.22% से 8.34%
	भारतीय स्टेट बैंक	3350.00	01 वर्ष	7.95%
	कापरिशन बैंक	500.00	01 वर्ष	7.95%
	बैंक ऑफ बड़ौदा	500.00	01 वर्ष	7.95%
	बैंक ऑफ इंडिया	1000.00	01 वर्ष	8.15%
योग		14850.00		
2020-21	एन.सी.डी.सी.	12000.00	04-06 माह	6.56% से 6.97%
	नाबार्ड	2000.00	01 वर्ष	6.50%
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1000.00	01 वर्ष	6.40%
	यूनियन बैंक	2100.00	01 वर्ष	6.45%
योग		17100.00		
2021-22	भारतीय स्टेट बैंक	100.00	01 वर्ष	6.65%
	एन.सी.डी.सी.	10500.00	06 माह	6.37%
	नाबार्ड	2500.00	06 माह	4.65%
	इंडियन बैंक	2500.00	01 वर्ष	5.90%
	पंजाब नेशनल बैंक	1000.00	01 वर्ष	5.80%
	बैंक ऑफ इंडिया	250.00	01 वर्ष	4.40%
	यूको बैंक	500.00	01 वर्ष	5.00%
योग		17350.00		

नोट:- (01) वर्ष 2019-20 के शुरूवात में पूर्व वर्ष की प्रारंभिक शेष भुगतान राशि रु. 7704.00 करोड़ थी। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ऋण राशि रु. 14850.00 करोड़ लिया गया तथा कुल ऋण राशि रु. 13200.00 करोड़ के ऋणों का भुगतान किया गया।

(02) वर्ष 2020-21 के शुरूवात में पूर्व वर्ष की प्रारंभिक शेष भुगतान राशि 9347.00 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ऋण राशि रु. 17100.00 करोड़ लिया गया तथा कुल ऋण राशि रु. 15297.00 करोड़ के ऋणों का भुगतान किया गया।

(03) वर्ष 2021-22 के शुरूवात में पूर्व वर्ष की प्रारंभिक शेष भुगतान राशि 11150.00 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ऋण राशि रु. 17350.00 करोड़ लिया गया तथा आज दिनांक 04.03.2022 की स्थिति में कुल ऋण राशि रु. 420.00 करोड़ के ऋणों का भुगतान किया गया।

अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - छब्बिस

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 508) की जानकारी

प्रपत्र

अर्जित भूमि का विवरण (अधिग्रहित की गई भूमि का वर्ष 2014-15)

क्र.	भू-स्वामी का नाम, पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	रकबा (वर्ग मीटर)	मुआवजा दर	अवार्ड पारित मुआवजा भुगतान की राशि
1	2 ग्राम - नेवरा	3 प.ह.नं.- 18	4 तह.- तिल्दा, जिला-रायपुर	5 रा.नि.मं.- तिल्दा	6 63.00 लाख/ हेक्टेयर	7 908460.00
1	रामनिवास, बालकिशन वल्द उदेचंद	167/26	0.007	70.00		
	ग्राम - सिनोधा	प.ह.नं.- 19	तह.- तिल्दा, जिला-रायपुर	रा.नि.मं.- तिल्दा		
1	अमित अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल	411, 412	0.013	130		
2	भगीन बाई बेवा हीरालाल वगैरह	221/1	0.015	150		
		221/2	0.026	260		
		409/1	0.009	90		
3	बेदराम पिता हुलासराम वगैरह	409/2	0.026	260		
4	दीनदयाल पिता मस्तराम वगैरह	354/2	0.043	430		
5	बसीर खों पिता बिसाहू खों वगैरह	408/1	0.033	330		
6	नंद कुमार पिता मन्लाल साहू	403/5	0.009	90		
7	समारू पिता दुकालू सतनामी	354/1	0.032	320		
8	रमेशर पिता गुहन वर्मा	430/3	0.035	350		

मुआवजा हेतु
कार्यवाही
प्रक्रियाधीन है

अर्जित भूमि का विवरण (अधिग्रहित की गई भूमि का वर्ष 2014-15)

क्र.	भू-स्वामी का नाम, पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	रकबा (वर्ग मीटर)	मुआवजा दर	अवार्ड पारित मुआवजा भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
9	भगवान दास पिता द्वारिका दास	420/4	0.050	500		
10	शहीद खों पिता अब्दुल हमीद खों	318/1	0.037	370		
11	रूप राम पिता दरबलाल वर्मा वगैरह	319	0.054	540		
12	नवल किशोर पिता गोवर्धन दास भट्टर	263/1	0.066	660		
13	दिनेश उर्फ नवल किशोर पिता मदन लाल उर्फ देवकीनन्दन भट्टर	461/7	0.028	280		
14	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश गोयल	257/4	0.007	70		
15	बसंत उर्फ पुनाराम पिता जोधीराम वर्मा	257/5	0.003	30		
		234/6	0.013	130		
		234/1	0.022	220		
16	दौलत राम पिता जोधीराम वर्मा	257/1	0.003	30		
		234/5	0.024	240		
		234/7	0.007	70		
17	अनिल अग्रवाल पिता किशनलालजी	222	0.008	80		
		225/2	0.007	70		
		225/3	0.009	90		
18	बेनलाल पिता हीरालाल वर्मा	225/1	0.014	140		
19	अब्दुल अकतर खों पिता अब्दुल कादर खों	228/1	0.029	290		
20	बिसाहु राम पिता सहसराम साहू	231/1	0.036	360		

मुआवजा हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

अर्जित भूमि का विवरण (अधिग्रहित की गई भूमि का वर्ष 2014-15)

क्र.	भू-स्वामी का नाम, पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	रकबा (वर्ग मीटर)	मुआवजा दर	अवार्ड पारित मुआवजा भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
21	रामकुमार पिता चुड़ावन साहू वगैरह	320/1, 320/2, 322/1, 322/2	0.018	180	मुआवजा हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	-
22	कन्हैया पिता हेमसिंग वगैरह	422	0.054	540		
23	जितेन्द्र कुमार पिता नीलकण्ठ वर्मा	420/2, 421/1	0.017	170		
	योग-		0.747	7470		



मुख्य अभियंता

कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सत्ताईस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 509) की जानकारी

प्रपत्र

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत पुल-पुलियाँ, सड़क, भवन, मरम्मत निर्माण कार्यों की जानकारी

क्र.	विकासखंड	वर्ष	कार्य का प्रकार निर्माण/मरम्मत	कुल निर्माण एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण/प्रारंभ/अप्रारंभ/आवश्यकता नहीं कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लब्धित कार्यों की संख्या एवं लब्धित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1		2019-20	सड़क निर्माण	0	-	0
			पुल-पुलिया	0	-	0
			भवन निर्माण	4	3 पूर्ण, 1 प्रारंभ	0
			मरम्मत	5	5 पूर्ण	0
			योग:-	9	8 पूर्ण, 1 प्रारंभ	0
2	तिल्दा	2020-21	सड़क निर्माण	5	1 प्रारंभ	4 प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
			पुल-पुलिया	1	-	1 प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
			भवन निर्माण	0	-	0
			मरम्मत	1	1 पूर्ण	0
			योग:-	7	1 पूर्ण, 1 प्रारंभ	0
3		2021-22	सड़क निर्माण	2	2 प्रारंभ	0
			पुल-पुलिया	1	-	1 रेलवे विभाग से प्राक्कलन अप्राप्त है।
			भवन निर्माण	2	1 अप्रारंभ	1 प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
			मरम्मत	8	6 पूर्ण, 2 प्रारंभ	0
			योग:-	13	6 पूर्ण, 4 प्रारंभ 1 अप्रारंभ	0

क्र.	विकासखंड	वर्ष	कार्य का प्रकार निर्माण/मरम्मत	कुल निर्माण एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण/प्रारंभ/अप्रारंभ/आवश्यकता नहीं कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लम्बित कार्यों की संख्या एवं लम्बित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1		2019-20	सड़क निर्माण	2	1 पूर्ण, 1 प्रारंभ	0
			पुल-पुलिया	0	-	0
			भवन निर्माण	9	8 पूर्ण, 1 आव. नहीं	0
			मरम्मत	17	17 पूर्ण	0
			योग:-	28	26 पूर्ण, 1 प्रारंभ 1 आव. नहीं	0
2	बलौदाबाजार	2020-21	सड़क निर्माण	9	9 पूर्ण	0
			पुल-पुलिया	0	-	0
			भवन निर्माण	7	3 पूर्ण, 2 प्रारंभ 2 अप्रारंभ	0
			मरम्मत	19	19 पूर्ण	0
			योग:-	35	31 पूर्ण, 2 प्रारंभ 2 अप्रारंभ	0
3		2021-22	सड़क निर्माण	16	2 प्रारंभ 11 अप्रारंभ 2 आवश्यकता नहीं	1 कार्य वित्तीय बजट से लुप्त हो गया है।
			पुल-पुलिया	0	-	0
			भवन निर्माण	7	1 प्रारंभ 2 अप्रारंभ 2 आवश्यकता नहीं	2 प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
			मरम्मत	19	15 पूर्ण, 4 अप्रारंभ	0
			योग :-	42	15 पूर्ण, 3 प्रारंभ 17 अप्रारंभ 4 आवश्यकता नहीं	0

क्र.	विकासखंड	वर्ष	कार्य का प्रकार निर्माण/मरम्मत	कुल निर्माण एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण/प्रारंभ/ अप्रारंभ/आवश्यकता नहीं कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लम्बित कार्यों की संख्या एवं लम्बित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
			सड़क निर्माण	0	0	0
			पुल-पुलिया	0	-	0
1		2019-20	भवन निर्माण	2	2 पूर्ण	0
			मरम्मत	9	9 पूर्ण	0
			योग:-	11	11 पूर्ण	0
			सड़क निर्माण	8	7 पूर्ण, 1 प्रारंभ	0
			पुल-पुलिया	0	-	0
2	सिमगा	2020-21	भवन निर्माण	0	0	0
			मरम्मत	7	7 पूर्ण	0
			योग:-	15	14 पूर्ण, 1 प्रारंभ	0
			सड़क निर्माण	12	2 प्रारंभ 6 अप्रारंभ 1 आवश्यकता नहीं	3 प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3		2021-22	पुल-पुलिया	0	-	0
			भवन निर्माण	0	0	0
			मरम्मत	3	2 पूर्ण, 1 आव.नही	0
			योग :-	15	2 पूर्ण, 2 प्रारंभ 6 अप्रारंभ 2 आव. नहीं	0

Singh
मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि., नवा रायपुर (छ.ग.)

Singh

परिशेष - अट्टाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 563) की जानकारी

प्रपत्र

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में चावल की मासिक पात्रता एवं केन्द्र तथा राज्य की भागीदारी की जानकारी

क्र	राशनकार्ड का प्रकार	चावल की मासिक पात्रता (किलोग्राम में)	केन्द्रीय पूल से आबंटित मात्रा (किलो ग्राम में)	स्टेट पूल से आबंटित मात्रा (किलो ग्राम में)
राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड				
1	अन्त्योदय राशनकार्ड	35	35	0
2	प्राथमिकता राशनकार्ड			
	1 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10	5	5
	2 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20	10	10
	3 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35	15	20
	4 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35	20	15
	5 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35	25	10
	5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य	5 किलो प्रति सदस्य	2 किलो प्रति सदस्य
राज्य योजना के राशनकार्ड				
3	अन्त्योदय राशनकार्ड	35	-	35
4	प्राथमिकता राशनकार्ड			
	1 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10	-	10
	2 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20	-	20
	3 से 5 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35	-	35
	5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य	-	7 किलो प्रति सदस्य
5	एकल निराश्रित राशनकार्ड	10	-	10
6	निःशक्तजन राशनकार्ड	10	-	10
7	सामान्य राशनकार्ड			
	1 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	10	-	10
	2 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	20	-	20
	3 या 3 से अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	35	-	35

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वास्थ्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 603) की जानकारी

प्रपत्र

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पुल निर्माण।

क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		पुल निर्माण नहीं होने का विवरण
		राशि (लाख में)	दिनांक	
1	2	3	4	5
1	ग्राम विचारपुर के पास मोहपाड़ नाला पर पुल निर्माण।	37.53	14.9.06	स्थल पर उपयुक्त स्ट्राटा न मिलने के कारण आर.सी.सी. स्लेब के स्थान पर बॉक्स टाईप उच्च स्तरीय पुल निर्माण के निर्देश दिये गये थे, जिसके तारतम्य में दिनांक 12/06/2012 को कार्यपालन अभियंता मुंगेली द्वारा निर्मित पुल (आमागोहन-मोहाली मार्ग, अरपा नदी पर) की कार्यकारी मानचित्र "जो कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु, परिक्षेत्र रायपुर द्वारा अनुमोदित है" मोहपाड़ नाला के लिए अनुमोदन हेतु उच्च अधिकारी को लेख किया गया, जिसे दिनांक 20/06/2013 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किया गया। कार्यकारी ड्राइंग परिवर्तन होने एवं पुल के दोनो तरफ पहुंच मार्ग में निजी जमीन आने के कारण मध्यम पुल की लागत में बढ़ोत्तरी हुई, जिससे स्वीकृत राशि से कार्य कराया जाना संभव नहीं था।

क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		पुल निर्माण नहीं होने का विवरण
		राशि (लाख में)	दिनांक	
1	2	3	4	5
1	ग्राम विचारपुर के पास मोहपाड़ नाला पर पुल निर्माण।	37.53	14.9.06	पुनरीक्षित प्राक्कलन रू. 199.50 लाख का तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर के पत्र क्र. 6212935/कार्य/दिनांक 01/08/2018 के द्वारा सचिव छ.ग. शासन की ओर प्रेषित किया गया था तथा सचिव छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 17/362/ 2006-07 /19/तक-2 नवा रायपुर दिनांक 11.09.2018 को ड्राईंग में परिवर्तन किया गया तथा एलाईनमेंट में भी परिवर्तन किया गया, जिस वजह से शासन द्वारा प्राक्कलन मूलतः वापस किया गया एवं निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को आगामी बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया जावे के निर्देश प्राप्त थे जिसके तारतम्य में रू. 199.50 लाख का बजट प्रस्ताव प्रेषित की गई थी। बजट में नवीन कार्य के रूप में शामिल नहीं हो पाया है तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया है।



मुख्य अभियंता

कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष - तीस
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 642) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

कंपनी का नाम एवं कुर्क की गई राशि की जानकारी
 (वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक)

क्रं.	अनियमित वित्तीय कंपनी का नाम	नीलामी से प्राप्त राशि
1	कोलकाता वियर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	1604000
2	कन्या वेलफेयर सोसायटी	280000
3	याल्को रियल स्टेट एण्ड एग्री फार्मिंग लिमिटेड कंपनी	97895528
4	अनमोल इण्डिया कंपनी	9742431
5	दिव्यानी प्रॉपर्टी प्रा. लिमिटेड कंपनी	41492500
6	साई प्रसाद कंपनी	15800000
7	जी.एन.गोल्ड लिमिटेड कंपनी	50750
8	जे.एन.डी इण्डिया लिमि. कंपनी	150000
9	गरिमा रियल स्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी	21470
10	ग्रीन इण्डिया महन्ती स्टेट मेसर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी	3000
11	भाग्योदय इन्फ्रा. डेवलेपर्स लिमिटेड कंपनी	100000
12	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी.आई.एच. कंपनी	2140000
	योग	169279679


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-“ब”

जिलेवार वितरित राशि एवं पाने वाले निवेशकों की संख्या
(वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक)

क्र.	जिला	अनियमित वित्तीय कंपनी का नाम	वापस की गई राशि	निवेशकों की संख्या
1	दुर्ग	कोलकाता वियर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	1604000	1
2	बिलासपुर	कन्या वेलफेयर सोसायटी	280000	468
3	राजनांदगांव	याल्को रियल स्टेट एण्ड एग्री फार्मिंग लिमिटेड कंपनी	97895528	16796
4	राजनांदगांव	अनमोल इण्डिया कंपनी	9742431	100
5	रायपुर	दिव्यानी प्रॉपर्टी प्रा. लिमिटेड कंपनी	-	-
6	कोरबा	साई प्रसाद कंपनी	-	-
7	बेमेतरा	जी.एन.गोल्ड लिमिटेड कंपनी	50750	3
8	बेमेतरा	जे.एन.डी इण्डिया लिमि. कंपनी	150000	1
9	बेमेतरा	गरिमा रियल स्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी	21470	1
10	जशपुर	ग्रीन इण्डिया महन्ती स्टेट मेसर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी	3000	1
11	जशपुर	भाग्योदय इन्फ्रा. डेवलेपर्स लिमिटेड कंपनी	100000	1
12	बिलासपुर	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी.आई.एच. कंपनी	2140000	6
		योग	111987179	17378


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - इक्तीस
परिवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 674) की जानकारी

प्रपत्र

किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की जानकारी वित्तीय वर्ष- 01.04.2019 से 31.01.2022 तक				
क.	जिला	कुल योग		
		कृषिगत कारणों से	अन्य कारणों से	योग
1	रायपुर	0	2	2
2	बलौदाबाजार	0	101	101
3	महासंमुद	0	0	0
4	गरियाबंद	0	0	0
5	धमतरी	0	0	0
6	रेल-रायपुर	0	0	0
7	बिलासपुर	0	175	175
8	रायगढ़	0	0	0
9	जांजगीर	0	0	0
10	कोरबा	0	16	16
11	मुंगेली	0	0	0
12	गौ.-पें0-मरवाही	0	0	0
13	दुर्ग	1	3	4
14	राजनांदगांव	0	8	8
15	कबीरधाम	0	17	17
16	बेमेतरा	0	0	0
17	बालोद	0	0	0
18	सरगुजा	0	91	91
19	बलरामपुर	1	3	4
20	सुरजपुर	0	23	23
21	जगदलपुर	0	0	0
22	दंतेवाडा	0	0	0
23	कांकेर	0	0	0
24	बीजापुर	0	0	0
25	नारायणपुर	0	0	0
26	सुकमा	0	0	0
27	जशपुर	0	8	8
28	कोरिया	0	2	2
29	कोण्डागांव	0	1	1
	महायोग	2	450	452

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - बत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 879) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की जिलेवार जानकारी

(मात्रा में. टन में)

क्र.	जिला	खरीदे गये धान की मात्रा
1	बस्तर	158915
2	बीजापुर	63710
3	दन्तेवाड़ा	17437
4	कांकेर	318970
5	कोडागांव	153346
6	नारायणपुर	22795
7	सुकमा	46291
8	बिलासपुर	484121
9	गौरैला-पेन्डा-मरवाही	69525
10	जांजगीरचाम्पा	824556
11	कोरबा	170237
12	मुंगेली	383824
13	रायगढ़	573687
14	बालोद	519469
15	बेमेतरा	630616
16	दुर्ग	417097
17	कवर्धा	416301
18	राजनादगांव	825127
19	बलौदाबाजार	696431
20	धमतरी	431397
21	गरियाबंद	331515
22	महासमुंद	774178
23	रायपुर	509949
24	बलरामपुर	193871
25	जशपुर	154181
26	कोरिया	140093
27	सरगुजा	219967
28	सुरजपूर	250976
कुल योग		9798581





अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
सामर्थ्य संरक्षण विभाग
संभलपुर, रायपुर

प्रपत्र- 'ब'

खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान में से राईस मिलरों को तथा संग्रहण केन्द्रों को
प्रदाय धान की जिलेवार जानकारी

(मात्रा में. टन में)

क्रं.	जिला	कस्टम मिलिंग हेतु मिलर को प्रदाय धान की मात्रा	संग्रहण केन्द्र में संग्रहित धान की मात्रा
1	बस्तर	52407	124564
2	बीजापुर	4888	0
3	दन्तेवाड़ा	6563	0
4	कांकेर	156143	77891
5	कोंडागांव	59630	42616
6	नारायणपुर	11667	1968
7	सुकमा	7694	16789
8	बिलासपुर	439235	25166
9	गौरैलापेन्द्रामरवाही	69525	0
10	जांजगीरचाम्पा	733259	125178
11	कोरबा	170237	0
12	मुंगेली	270336	9414
13	रायगढ़	536975	19003
14	बालोद	297835	136769
15	बेमेतरा	246169	106146
16	दुर्ग	322080	184177
17	कवर्धा	228253	79631
18	राजनांदगांव	333814	264154
19	बलौदाबाजार	403746	79356
20	धमतरी	405524	121586
21	गरियाबंद	212314	89783
22	महासमुंद	568887	134505
23	रायपुर	477040	312003
24	बलरामपुर	118623	52823
25	जशपुर	137531	0
26	कोरिया	126248	0
27	सरगुजा	129768	70601
28	सुरजपूर	143884	70543
कुल योग		6670275	2144663



 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तैतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1001) की जानकारी

प्रपत्र

क.	प्रस्तावक	निगम से प्राप्त प्रस्ताव	की गई कार्यवाही
1	आयुक्त, नगर निगम रायपुर	प्रस्ताव दिनांक 06.09.2016	सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिनांक 06.03.2016 को राशि रु.43.12 करोड़, जिसमें रु. 36.95 करोड़ क्षतिपूर्ति राशि एवं रु.6.17 करोड़ निर्माण कार्य से संबंधित था। जिसके पालन में संचालनालय द्वारा दिनांक 23.03.2017 को विशिष्ट प्रयोजनार्थ मद अंतर्गत ऋण अनुदान बाबत प्रस्ताव चाहे गये थे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय के पत्र क्र. 08.12.2016 से इस कार्य को निकाय के स्वयं के स्रोत से कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
2	महापौर, नगर निगम रायपुर	प्रस्ताव दिनांक 09.01.2017	नगर निगम रायपुर के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ करने हेतु प्रथम चरण में राशि रु. 58.00 करोड़ एवं द्वितीय चरण में 18.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करने पर वित्त विभाग से भवन/भूमि क्षतिपूर्ति की राशि अधिक होने के कारण वित्त विभाग द्वारा अन्य विकल्प से कराये जाने हेतु विभाग को परामर्श दिया गया था। जिसके पालन में नगर निगम रायपुर के द्वारा वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार प्रभावित भवन/भूमि स्वामियों को एफ.ए.आर. के विकल्प पर भूमि निगम को सौंपने के प्रस्ताव पर प्रभावितों द्वारा रुचि नहीं लेने पर पुनः ऋण/अनुदान की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भेजा गया।
3	मान. विधायक, रायपुर दक्षिण, श्री बृजमोहन अग्रवाल	पत्र क्र.428 दि. 23.01.2020	शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिये मुआवजा व सड़क निर्माण के लिये राशि रु.43.00 करोड़ का प्रस्ताव को वर्ष 2020-21 के बजट में सम्मिलित करने बाबत। विभाग में दिनांक 01.02.2020 को प्राप्त हुआ था परन्तु तब तक मंत्रीय स्तरीय चर्चा हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा वित्त विभाग के द्वारा दि.19.12.2018 को तकनीकी आधार पर प्रस्ताव को नवीन मद होने के कारण बजट में शामिल नहीं होने के कारण तदानुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।



अनुभाग अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया मंत्रालय, महानदी भवन

रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - चौतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1205) की जानकारी

प्रपत्र

नेहरू नगर चौक से मिनीमाता चौक तक जीई रोड का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण।

कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	स्वीकृत दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की समय-सीमा	वर्तमान में पूर्ण कार्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
जिला दुर्ग शहर के नेहरू नगर चौक से राजेन्द्र पार्क गंजपारा मिनीमाता चौक तक मार्ग चौड़ीकरण सुदृढीकरण कार्य लंबाई 6.35 किमी.	6818.94	29.01.2020	मेसर्स किरण बिल्डकॉन बेमेतरा	15.12.2020	14.01.2023	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण


अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
पंजाब, नया रायपुर (छ.ग.)

मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - पेंतीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1220) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति राशि (दिनांक)
1	शिव मंदिर उद्यान विकास	39.49	01.10.2016
2	बुढ़ी माई उद्यान विकास कार्य	42.92	09.12.2016
3	सक्शन कम जेटिंग मशीन एवं वैक्यूम इम्पीटर क्रय	55.00	09.12.2016
	ट्रैक्टर 2 नग क्रय	11.00	
4	रायगढ़ जल प्रदाय योजना	13948.90	02.05.2017
5	बिटिया रानी उद्यान विकास कार्य	20.92	13.09.2017
6	रायगढ़ सीवेज मास्टर प्लान योजना	8869.07	03.10.2018
7	बाबाधाम बाल उद्यान विकास कार्य	120.34	05.10.2018
	योग	23107.64	



 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1220 की जानकारी

क्र.	घटक	कार्य का नाम	निविदा दिनांक	कार्यदेश दिनांक (समयावधि)	फर्म का नाम	वित्तीय स्वीकृति (रु. लाख में)	कार्य की अवलोकन स्थिति (पूर्ण/आर्ध्र/ प्रगतिरत)	समयावधि में पूर्ण (हां/नहीं)	समयावधि में पूर्ण नहीं होने के कारण	कृत कार्यवाही की जानकारी
1	उद्यान विकास	शिव मंदिर उद्यान विकास (सिविल कार्य)	07.01.2017	05.05.2017 (01 माह)	मेसर्स सिंघा कुमार अग्रवाल	27.36	पूर्ण	नहीं	1. निर्माण कार्य हेतु चयनित स्थल में स्थल विवाद 2. निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किया गया।	निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
		शिव मंदिर उद्यान विकास (खेलकुद सामग्री)	05.04.2017	30.10.2017 (01 माह)	मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन	6.89	पूर्ण	नहीं	1. उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण खेलकुद सामग्री कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ। 2. निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किया गया।	निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
		शिव मंदिर उद्यान विकास (सोलर कार्य)	05.04.2017	30.10.2017 (01 माह)	मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन	6.52	पूर्ण	नहीं	1. उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण खेलकुद सामग्री कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ। 2. निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किया गया।	निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
2	उद्यान विकास	बुढ़ी माई उद्यान विकास कार्य (सिविल कार्य)	07.04.2017	08.11.2017 (02 माह)	मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन	27.04	पूर्ण	नहीं	1. स्थल विवाद। 2. निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किया गया।	निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
		बुढ़ी माई उद्यान विकास कार्य (खेलकुद सामग्री)	06.04.2017	30.10.2017 (01 माह)	मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन	7.07	पूर्ण	नहीं	उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण खेलकुद सामग्री कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ।	परिस्थितिविषय कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		बुढ़ी माई उद्यान विकास कार्य (सोलर कार्य)	26.04.2017	07.09.2018 (01 माह)	मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन	8.70	पूर्ण	नहीं	उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण सोलर कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ।	परिस्थितिविषय कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3	सोबेज/ सेप्टेज मैनेजमेंट	सखान कम जेटिंग मशीन एवं वैक्यूम इम्पीटर क्रय	22.02.2019	14.02.2020 (04 माह)	मेसर्स कम एविदा इन्वयरो इंजीनियर्स प्रा. लि.	58.50	पूर्ण	हां	-	-
		ट्रैक्टर 2 नया क्रय	28.11.2019	30.12.2019 (02 माह)	जेम पोर्टल	9.36	पूर्ण	हां	-	-
4	जल प्रदाय	रघुगढ़ जल प्रदाय योजना	27.10.2017	05.02.2018 (30 माह)	मेसर्स चन्दा निर्माण प्रा. लि.	13100.00	प्रगतिरत (96% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हेतु चयनित स्थल में स्थल विवाद। 2. पानी टंकियों हेतु चयनित स्थल में स्थल विवाद। 3. नेशनल हाइवे/स्टेट हाइवे क्रॉसिंग कार्य हेतु संबंधित विभाग से थर्डप लार्डीन विधान हेतु अनुमति में विलंब हुआ। 4. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिविषय कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समय वृद्धि प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।


क्र.	घटक	कार्य का नाम	निविदा दिनांक	कार्यदिनांक (समयावधि)	फर्म का नाम	वित्तीय स्वीकृति (रु. लाख में)	कार्य की उद्यम स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत)	समयावधि में पूर्ण (हाँ/नहीं)	समयावधि में पूर्ण नहीं होने के कारण	कृत् कार्यवाही की जानकारी	
5	उद्यान विकास	बिटिया रानी उद्यान विकास कार्य (सिविल कार्य)	14.03.2018	13.04.2018 (06 माह)	मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन	12.63	पूर्ण	नहीं	निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किया गया।	निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया एवं अर्धवर्ष अतिरिक्त किया गया।	
		बिटिया रानी उद्यान विकास कार्य (खेलकुद सामग्री)	05.12.2017	13.02.2019 (01 माह)	मेसर्स त्रिविद्या डेवलपर्स	1.91	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण खेलकुद सामग्री कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		बिटिया रानी उद्यान विकास कार्य (सोलर कार्य)	05.12.2017	25.01.2019 (01 माह)	मेसर्स जगनी कन्स्ट्रक्शन	4.45	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण सोलर कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6	सीवेज/सेप्टेज मैनेजमेंट	रायगढ़ सीवेज मास्टर प्लान योजना	29.11.2018	25.06.2019 (30 माह)	मेसर्स इन्वियरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्रा. लि.	5753.00	प्रगतिरत (92% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. 25 एमएलडी एसटीपी के स्थल परिवर्तन होने के कारण। 2. सीवर पाईप लाईन डालते वक्त अत्य अधिक कठोर घटनाओं के आने की वजह से। 3. रेत्ये क्रॉसिंग की परमिशन में विलंब। 4. बारिश की वजह से नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण। 5. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 30 मार्च 2022 तक समय वृद्धि प्रदान की गयी है।	
		बाबाधाम बाल उद्यान विकास कार्य (सिविल कार्य)	03.12.2018	22.02.2019 (06 माह)	मेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेस	66.40	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	परियोजना के शुरूआती दौर में प्रस्तावित स्थल के सीमांकन में देरी होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7	उद्यान विकास	बाबाधाम बाल उद्यान विकास कार्य (खेलकुद सामग्री)	07.12.2019	26.06.2020 (03 माह)	मेसर्स मल्दीपाल सोल्यूशन	15.89	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	1. उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण खेलकुद सामग्री कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ। 2. निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किया गया।	निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया एवं अर्धवर्ष अतिरिक्त किया गया।
		बाबाधाम बाल उद्यान विकास कार्य (सोलर कार्य)	14.10.2019	13.02.2020 (03 माह)	मेसर्स जैन एंजिनिअर्स	10.73	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	1. उद्यान के सिविल कार्य में विलंब होने के कारण सोलर कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ। 2. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
 नगरपालिका प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया बजार, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - छत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1227) की जानकारी

प्रपत्र

1. नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा खुर्सीपार क्षेत्र में राशि रू. 100.00 लाख का सिवरेज लाईन नवीनीकरण कार्य कराया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुडकों सेक्टर में राशि रू. 261.92 लाख का सिवरेज पाईप लाईन का नवीनीकरण कार्य कराया गया है।
3. राज्य शासन द्वारा दिनांक 19.03.2020 को जोन क्र. 04 अंतर्गत सिवरेज पाईप लाईन संधारण हेतु राशि रू. 100.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है,
4. राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.02.2021 को वार्ड क्र. 69 एवं 70 में सिवरेज लाईन लगाने हेतु राशि रू. 52.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका कार्य प्रगति पर है।


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - सैंतीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1228) की जानकारी

प्रपत्र
छत्तीसगढ़ में स्थित पीएसीएल कंपनी की सम्पत्ति की जानकारी :-
<p>अचल संपत्ति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-जिला महासमुंद तहसील महासमुंद ग्राम मानपुर में कुल 21 खसरो में कुल 11.539 हेक्टेयर भूमि। 2-जिला महासमुंद तहसील महासमुंद ग्राम चौकबेड़ा में कुल 07 खसरो में कुल रकबा 1.59 हेक्टेयर भूमि। 3-जिला रायगढ़ तहसील रायगढ़ ग्राम नटवरपुर में कुल 117 खसरो में कुल रकबा 86.985 हेक्टेयर भूमि। 4-जिला राजनांदगांव तहसील छुईखदान ग्राम तुमड़ादाह में कुल 13 खसरो में कुल रकबा 14.624 हेक्टेयर भूमि। 5-जिला गरियाबंद तहसील छुरा ग्राम मुड़हीपानी में कुल 07 खसरो में कुल रकबा 17.55 हेक्टेयर भूमि। 6-जिला बिलासपुर तहसील पेण्ड्रा रोड नेवरी नवापारा कुल 23 खसरो में कुल रकबा 143 हेक्टेयर भूमि। 7-जिला बस्तर तहसील लोहणडीगुड़ा ग्राम चित्रकूट में खसरा नं. 54/1 में कुल रकबा 1.07 हेक्टेयर भूमि। 8-जिला रायपुर में रायपुर ऑफिस, रकबा-रायपुर 6000 स्क्वायर फीट।


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - अड़तीस


परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1229) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य।

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ कर लिया गया है (हाँ/नहीं)	अद्यतन स्थिति	पूर्ण करने का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
खरसिया से पथलगांव मार्ग					
1	जिला रायगढ़ के हाटी-खरसिया डमरा चन्द्रपुर मार्ग कि.मी. 62/6 से 64/8 तक 2.60 कि.मी. का उन्नयन (खरसिया से डमरा) का उन्नयन एवं नवीनीकरण	1160.60	हाँ	मिट्टी कार्य प्रगति पर, आर.सी.सी. नाली-830 मी. पूर्ण 01 नग स्लेब पुलिया कैप लेबल तक प्रगति पर	06.10.2022
2	जिला रायगढ़ के हाटी-खरसिया-डमरा-चन्द्रपुर मार्ग कि.मी. 58.00 से 62/4 तक 4.40 कि.मी. का उन्नयन (शानीसागर से खरसिया) का उन्नयन एवं नवीनीकरण	1470.64	हाँ	मिट्टी कार्य प्रगति पर ह्यूम पाईप पुलिया-06 नग प्रगति पर स्लेब कलवर्ट प्रगति पर	05.05.2022
3	जिला रायगढ़ के चन्द्रपुर - डमरा - खरसिया - धरमजयगढ़ - पथलगांव मार्ग लंबाई 102.50 कि.मी.। जिला रायगढ़ अंतर्गत 91.00 कि.मी.	19092.19	हाँ	जंगल सफाई प्रगति पर रिटर्निंगवाल -350 मी. पूर्ण ह्यूम पाईप कलवर्ट 2 नग प्रगति पर 1 नग 1.50 मीटर स्पान का पुलिया एवं 3.00 मीटर स्पान का 02 नग पुलिया कार्य प्रगति पर	06.04.2024
योग :- 03 कार्य		21723.43	-	03 कार्य प्रगति पर	

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ कर लिया गया है (हों/नहीं)	अद्यतन स्थिति	पूर्ण करने का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
रायगढ़ से पथलगांव मार्ग					
1	जिला रायगढ़ के रायगढ़- धरमजयगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य लंबाई 56.00 कि. मी.।	9369.25	हों	केलो डेम के पास रिटर्निंग वाल कार्य प्रगति पर	09.01.2025
2	अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग के कि.मी. 139 से 157 = 19.00 कि.मी. (धरघोड़ा बायपास से जामपाली एस.ई. सी.एल. खदान तक) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	4246.18	हों	कार्य प्रगति पर।	01.11.2022
योग :- 02 कार्य		13615.43	-	02 कार्य प्रगति पर	
महायोग :- 05 कार्य		35338.86	-	05 कार्य प्रगति पर	


 मुख्य अभियंता,
 कार्या. प्रमुख अभियंता
 लो.नि.वि., नवा रायपुर,
 अटल नगर, (छ0ग0)

परिशेष - उनतालीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1230) की जानकारी


प्रपत्र

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत संधारण एवं पंच वर्क हेतु स्वीकृत राशि

लो.नि.वि. रायगढ़ संभाग रायगढ़

क्र.	मार्ग का नाम	जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	प्रारंभ कार्य पूर्ण/अपूर्ण	अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है हों/नहीं
1	2	3	4	5	6
बजट वर्ष 2019					
1	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 88 से 130 किमी.	55.00	21.54	पूर्ण	नहीं
2	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 131 से 171 किमी.	79.63	68.87	पूर्ण	नहीं
3	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 131 से 171 किमी.		30.86	पूर्ण	नहीं
4	धरमजयगढ़ खरसिया मार्ग लं. 1 से 25/4 किमी.	79.97	25.00	पूर्ण	नहीं
5	घरघोड़ा लैलूंगा मार्ग लं. 35/4 से 55/10 किमी.		9.57	पूर्ण	नहीं
	योग- 05 कार्य	214.60	155.84	05 पूर्ण	
बजट वर्ष 2020					
1	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 131 से 171 किमी.		20.57	पूर्ण	नहीं
2	धरमजयगढ़ खरसिया मार्ग लं. 1 से 25/4 किमी.	55.00	20.00	पूर्ण	नहीं
3	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 131 से 171 किमी.	79.24	57.54	पूर्ण	नहीं
4	धरमजयगढ़ खरसिया मार्ग लं. 1 से 24/4 किमी.		29.79	पूर्ण	नहीं
5	घरघोड़ा लैलूंगा मार्ग लं. 35/4 से 55/10 किमी.	79.96	27.85	पूर्ण	नहीं
6	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 131 से 171 किमी.		15.88	पूर्ण	नहीं
7	धरमजयगढ़ खरसिया मार्ग लं. 1 से 25/4 किमी.	19.98	2.60	पूर्ण	नहीं

क्र.	मार्ग का नाम	जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	प्रारंभ कार्य पूर्ण/अपूर्ण	अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है हों/नहीं
1	2	3	4	5	6
8	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 88 से 130 किमी.	79.83	58.17	पूर्ण	नहीं
	योग- 08 कार्य	234.18	174.23	08 पूर्ण	
बजट वर्ष 2021					
1	धरमजयगढ़ खरसिया मार्ग लं. 1 से 25/4 किमी.	19.98	-	पूर्ण	नहीं
2	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 88 से 130 किमी.		-	पूर्ण	नहीं
3	घरघोड़ा लैलूंगा मार्ग		-	पूर्ण	नहीं
4	दनौट कया कमतरा मार्ग		-	पूर्ण	नहीं
5	राजपुर कोइसिया बहमा मार्ग		-	पूर्ण	नहीं
6	तमनार उरबा लैलूंगा मार्ग		-	पूर्ण	नहीं
7	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 88 से 130 किमी.	20.00	19.23	पूर्ण	नहीं
8	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग लं. 131 से 171 किमी.	99.95	40.93	पूर्ण	नहीं
9	घरघोड़ा लैलूंगा मार्ग लं. 35/4 से 55/10 किमी.		-	पूर्ण	नहीं
	योग- 09 कार्य	139.93	60.16	09 पूर्ण	
*बजट वर्ष जनवरी 2022					
—निरंक—					
	महायोग- 22 कार्य	588.71	390.23	22 पूर्ण	


 मुख्य अभियंता
 कार्या. प्रमुख अभियंता
 लेनि. वि. अटल नगर रायपुर (छ.ग.)


परिशेष - चालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1253) की जानकारी

प्रपत्र

कोण्डागांव-मर्दापाल-मटवाल-कोरमेल रोड का निर्माण।

सं. क्र.	मार्ग का नाम	पैकेज नम्बर	अनुबंधित कम्पनी का नाम एवं अनुबंध क्र.	अनुबंध का आधार	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	अनुबंध के तहत व्यय राशि (रु. लाख में)	मुग्तान राशि के अनुरूप सड़क निर्माण किया गया। हां/नहीं	कार्यादेश तिथि	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	अनुबंधानुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया गया। हां/नहीं	समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण एवं अनुबंधित कम्पनी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	जिला कोण्डागांव के कोण्डागांव-मर्दापाल-मटवाल-कोरमेल मार्ग लं. 54.00 कि.मी. (कोण्डागांव आर.डी. 51 कि.मी. पटेलघरा कोरमेल)	CG2604	मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्रा.लि. दुर्ग मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्रा.लि. दुर्ग 06/डी.एल. आर.आर.पी.-2/2018-19	भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुमोदित निविदा अभिलेख में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। न्यूनतम दर के निविदाकार को घयनित कर कार्य आर्बिट्रेट किया जाता है।	4027.87	3864.78	जी हाँ	28.11.2018	18 माह 25.06.2020	11	नहीं	कार्य नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र होने एवं कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कार्य अनुबंधित समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः अनुबंधित कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता।


मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि., नवा रायपुर

प्रपत्र 'अ'

सत्र 2019-20	निरंक	सत्र 2020-21	निरंक
1	बूढ़ातालाब में 2डी पेंटिंग का कार्य क्र. 345 दिनांक 14.10.2020	19.94	क्र. 798 दिनांक 09.12.2020
2	बूढ़ातालाब में 3डी पेंटिंग का कार्य क्र. 345 दिनांक 14.10.2020	19.74	क्र. 800 दिनांक 09.12.2021
3	लैंडस्केपिंग एंड प्लेसमेकिंग जोन-04 क्र. 66482 दिनांक 13.05.2020	191.04	क्र. 806 दिनांक 14.01.2021

अनुभाग अधिकारी


य पशासन एवं विकास विभाग
का मंत्रालय, महामंदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

सत्र 2021-22

निरंक

प्रपत्र 'ब'

सं. क्र.	कार्य का नाम	निविदा क्र. एवं दिनांक	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम	कार्यादेश क्र. एवं दिनांक	पुताई किये गये पेड़ों की मात्रा	दर प्रति वर्ग मी.	भुगतान राशि	वित्तीय स्थिति	भौतिक स्थिति
सत्र 2018-19										
1	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत हेरिटेज वॉक में किये जाने वाले विभिन्न सौंदर्यीकरण कार्य	क्र. 49458 दिनांक 08.02.2019	157.49	मेसर्स रेखचंद अग्रवाल, रायपुर	क्र. 343 दिनांक 08.03.2019	26 नग 3.75 वर्गमीटर	690	2,587.50	100%	पूर्ण
सत्र 2019-20										
निरंक										
सत्र 2020-21										
1	बूढ़ातालाब में 2डी पेंटिंग का कार्य	क्र. 345 दिनांक 14.10.2020	19.94	मेसर्स मिथ, रायपुर	क्र. 798 दिनांक 09.12.2020	109 नग 325.35 वर्गमीटर	642	2,08,875.00	100%	पूर्ण
2	बूढ़ातालाब में 3डी पेंटिंग का कार्य	क्र. 345 दिनांक 14.10.2020	19.74	मेसर्स मिथ, रायपुर	क्र. 800 दिनांक 09.12.2021	17 नग 103.62 वर्गमीटर	810	83,932.00	100%	पूर्ण
3	लैंडस्केपिंग एंड प्लेसमेंटिंग जोन-04	क्र. 66482 दिनांक 13.05.2020	191.04	मेसर्स एम.एस. कंस्ट्रक्शन, रायपुर	क्र. 806 दिनांक 14.01.2021	742 नग 1536.88 वर्गमीटर	870	13,37,085.60	100%	पूर्ण
सत्र 2021-22										
निरंक										


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भवन, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)


परिशेष - बयालीस

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1269) की जानकारी

प्रपत्र -अ

राज्य में 20-02-2022 तक प्रचलित योजनावार/जिलेवार राशनकार्ड की जानकारी

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार
1	बस्तर	46879	133006	56	625	21823
2	बीजापुर	23674	39929	42	9	3986
3	दन्तेवाड़ा	28901	41945	365	84	6382
4	कांकेर	34973	116470	227	361	26379
5	कोंडागांव	33203	92122	18	464	11405
6	नारायणपुर	16944	13860	31	70	4020
7	सुकमा	30286	42705	17	91	2361
8	बिलासपुर	89352	320310	729	3779	73525
9	गौरैला-पेन्ड्रा	28105	73889	95	317	5946
10	जांजगीर	83989	330450	1110	4168	56270
11	कोरबा	53723	204729	299	2097	39490
12	मुंगेली	50517	145729	273	1264	12074
13	रायगढ़	96854	262794	222	3064	61408
14	बालोद	29338	133262	844	867	32377
15	बेमेतरा	40232	157436	303	3300	25561
16	दुर्ग	70840	224956	2592	2141	138454
17	कवर्धा	63725	165852	109	947	22011
18	राजनांदगांव	71165	274775	393	810	48184
19	बलौदा बाजार	54319	244998	709	2515	46328
20	धमतरी	43882	123919	204	777	32758
21	गरियाबंद	45772	116451	422	1217	15005
22	महासमुंद	50371	218919	1083	2616	42998
23	रायपुर	63138	357606	1015	3071	127821
24	बलरामपुर	56060	118609	44	786	19939
25	जशपुर	54806	141040	100	801	24099
26	कोरिया	41014	104144	82	464	28995
27	सरगुजा	64704	166217	117	928	23568
28	सुरजपुर	55125	147452	101	1010	18341


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

Seema

प्रपत्र -ब

राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईड आयोडाइज्ड अमृत	चना	गुड़
1	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10 किलोग्राम	प्रति राशन कार्ड 01 किलोग्राम	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो प्रति राशनकार्ड, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड	बस्तर संभाग के जिलों में 2 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड	20 किलोग्राम				
	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड	35 किलोग्राम				
	05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड	35 किलोग्राम के साथ प्रति अतिरिक्त सदस्य 07 किलोग्राम				
2	अन्त्येदय राशन कार्ड	35 किलोग्राम				
	एकल निराश्रित राशन कार्ड	10 किलोग्राम				
3	निःशक्त राशन कार्ड	10 किलोग्राम				
	01 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड	10 किलोग्राम				
4	02 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड	20 किलोग्राम				
	03 या अधिक सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड	35 किलोग्राम				
5			निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

Seema

अनुमान अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
प्रभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


परिशेष - तिरालीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1323) की जानकारी

प्रश्न

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिलौनी के हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की लागत।

क्र.	भवन का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की प्रगति पूर्ण/अपूर्ण	कार्य पूर्णता की तिथि	कार्य पर अद्यतन व्यय राशि (लाख में)	शिकायत का विवरण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	टीप
1	जिला- जांजीर- चापा वि.ख. पामगढ़ के भिलौनी में शा.उ.मा. विद्यालय भवन का निर्माण	56.22	पूर्ण	05.05.2021	49.83	(1) श्रीमती इंदू बजावे, समापति स्वास्थ्य स्थायी समिति, जिला पंचायत, जांजीर द्वारा दिनांक 05.10.2016 को ग्राम पंचायत भिलौनी में नवनिर्मित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन जर्जर एवं घटिया निर्माण कराने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। (2) श्रीमती इंदू बजावे, माननीया विधायक, पामगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2020 को भिलौनी में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में अनियमितता एवं अपूर्ण निर्माण कार्य की शीघ्र जांच करा कर पूर्ण कराये जाने के संबंध में पुनः शिकायत प्राप्त हुई है।	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. चापा द्वारा दिनांक 08.11.2016 को कार्य का निरीक्षण किया गया। भवन में मुख्यतः फ्लोरिंग कार्य को मानक अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अमान्य किया गया है तथा फ्लोरिंग कार्य पुनः करने के निर्देश अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर दिये गये एवं अनुबंधानुसार मुगतान योग्य राशि लगभग रु. 57,044/- मात्र का मुगतान नहीं किया गया है। उक्त भवन में अनियमितता संबंधी पूर्व शिकायत के आधार पर कार्यालय अवीक्षण अभियंता से गठित जांच समिति द्वारा जांच की गई, जांच के दौरान अमानक फ्लोरिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य उपरंत कार्य भी जांचे गए। प्लास्टर कार्य इत्यादि कार्यों को भी जांचे गए। जांच के कारण मुगतान राशि लगभग रु. 1,22,269/- मात्र का मुगतान नहीं किया गया है। भवन में विभागीय निर्देश दिये जाने पर शीघ्र ही ठेकेदार द्वारा अमानक स्तर के कार्यों में मानक अनुरूप सुधार न करने व कार्य को अधूरा छोड़ देने के कारण ठेकेदार के पंजीयन वर्ग 'स' से वर्ग 'द' में पदावत किया गया है (अद्यप्रति संलग्न)। आवश्यक सुधार परवात कार्य दिनांक 05.05.2021 को पूर्ण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के वाद दायर क्र. 2545/2020 एवं मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र के कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 1226/सा./21-4-2019 बिलासपुर दिनांक 04.02.2021 के परिपालन में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, उप अभियंता एवं ठेकेदार द्वारा उक्त भवन का निरीक्षण कर भवन में आवश्यक सुधार कार्य होने के कारण उक्त चेकी गई राशि रु. 57,044.00 एवं राशि रु. 1,22,269.00 कुल राशि रु. 1,79,313.00 का मुगतान किया गया।	भवन के शेष भाग को पूर्ण करने हेतु रु. 88.02 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर का ज्ञाप क्र. 73074/1/142/ कार्य-भवन/21 नवा रायपुर दि. 17.02.2022 द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरंत शेष निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा।


मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
सिरपुर भवन, रायपुर (छ.ग.)

क्र. प्र.अ./4342506/सा. /2014/717, रायपुर, दिनांक 25/04/2017

---0---

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विलासपुर परिक्षेत्र, विलासपुर के पत्र क्र. 8701/सा. 4-548-13, दिनांक 21.10.2016 द्वारा सूचित किया गया कि श्री कमल वसईवाल, पिता स्व. श्री बजरंग ताल अग्रवाल, मेन. रोड नैला, वार्ड-5, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग चांपा के अंतर्गत 1. ग्राम बनारी विकासखण्ड नयागढ़ में हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य, 2. भिलौनी विकासखण्ड पागगढ़ में हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य हेतु अनुबंध किया गया, जिसका अनुबंध क्र. क्रमशः 206/डी.एल./2013-14 एवं 201/डी.एल./2013-14 है। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य गुणवत्ताविहीन करने एवं निर्धारित समयवधि ध्यतीत होने के उपरान्त भी सगानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण अनुबंध समाप्त किया गया। इसके पश्चात उनके द्वारा दोनों कार्यों के अनुबंध को पुनर्जीवित करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् भी कार्य में सगानुपातिक प्रगति नहीं दी गई।

उक्त संबंध में इस कार्यालय का ज्ञाप क्र. प्र.अ./43425053/सा/2014/717, दिनांक 17.11.2016 द्वारा उक्त ठेकेदार के पंजीयन को पदावनत करने हेतु कारण बताओ सूचना जारी किया गया।

ठेकेदार के पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत किया गया। उनसे प्राप्त जवाब को इस कार्यालय के ज्ञाप क्र. प्र.अ./43425050/सा/2014/717, दिनांक 26.12.2016 द्वारा मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विलासपुर परिक्षेत्र, विलासपुर की ओर भेजते हुए उनसे अभिमत सहित प्रतिवेदन मांगा गया।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विलासपुर परिक्षेत्र, विलासपुर के ज्ञाप क्र. 2095/सा/4-548-13, दिनांक 29.03.2017 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख किया गया है कि कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग अंतर्गत अनुबंध क्र. 206/डी.एल./2013-14 एवं 201/डी.एल./2013-14 के अंतर्गत अनुबंधित हाई स्कूल भवन निर्माण कार्यों को अनुबंधित श्री कमल वसईवाल, स-वर्ग ठेकेदार, नैला द्वारा अनुबंधित समयवधि में पूर्ण न करने के कारण अनुबंध की धारा 3 के तहत समाप्त किया गया था। ठेकेदार के शपथ पत्र के आधार पर गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध को पुनर्जीवित किया गया, किन्तु उनके द्वारा गुणवत्तापूर्वक कार्य न करने व कार्य को अधूरा छोड़ देने के कारण उनके अभ्यावेदन से असहमत होते हुए मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को पदावनत करने की अनुशंसा की गई।

अतः मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विलासपुर परिक्षेत्र, विलासपुर की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए विचारोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एन 5-8/19/2013/निविदा दिनांक 29.10.2014 के साथ संलग्न दिशा निर्देशों की पैरिका-7.2 के तहत श्री कमल वसईवाल, 'स' वर्ग ठेकेदार, नैला के पंजीयन (पंजीयन आई.डी. क्रमांक CGER07827, दिनांक 01.04.2016) को तत्काल प्रभाव से 'द' वर्ग में पदावनत किया जाता है।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
सिरपुर भवन, रायपुर (छ.ग.)
24/4/17


125/69

/सा. /2014 /717,

रायपुर, दिनांक 25/04 /2017

सूचना, शासन, लो.नि.वि., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग रायपुर
 कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रायपुर
 मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र
 प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर
 अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मण्डल,
 सचिव, नगर निगम जिला,
 सी.ई.ओ., सिम्स स्टेट डाटा सेंटर सिविल लाईन, रायपुर
 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग,
 सचिव कक्षा प्रभारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 रायपुर
 श्री कमल दसईवाल, पिता स्व. श्री वजरंग लाल अग्रवाल, मेन रोड नैला, वार्ड-5, जिला जांजगीर
 सोन (छ.ग.)
 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संक्षेप :- शून्य।


 प्रमुख अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 रायपुर
 24/4/17

परिशेष - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1329) की जानकारी

प्रपत्र-'अ'

प्रदेश में खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में धान खरीदी की जिलेवार जानकारी

क्र	जिले का नाम	समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की मात्रा (मे.टन में)		
		खरीफ वर्ष 2019-20	खरीफ वर्ष 2020-21	खरीफ वर्ष 2021-22
1	बस्तर	119205.7	142633.2	158915.4
2	बीजापुर	58283.9	60284.0	63710.3
3	दन्तेवाड़ा	10554.2	16307.1	17437.2
4	काकेर	280370.6	296518.2	318970.0
5	कोंडागांव	114677.4	143468.4	153345.6
6	नारायणपुर	14871.5	19544.1	22794.8
7	सुकमा	32035.4	38489.9	46291.0
8	बिलासपुर	482803.0	451142.3	484120.6
9	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	0.0	74907.2	69524.6
10	जांजगीर चाम्पा	786775.0	798398.6	824555.6
11	कोरबा	98807.0	135271.0	170237.2
12	मुंगेली	327762.2	361356.4	383823.6
13	रायगढ़	484600.9	533510.0	573687.1
14	बालोद	501604.3	521715.8	519469.1
15	बेमेतरा	526315.4	587672.4	630615.5
16	दुर्ग	362257.2	407348.0	417096.8
17	कवर्धा	337060.4	393469.9	416301.2
18	राजनांदगांव	675400.9	760590.9	825127.2
19	बलौदाबाजार	649904.4	669411.7	696430.9
20	धमतरी	417407.3	427749.6	431397.0
21	गरियाबंद	300621.7	323584.6	331515.1
22	महासमुंद	727304.0	750901.3	774177.7
23	रायपुर	494448.9	503714.4	509949.0
24	बलरामपुर	123404.6	156311.1	193871.3
25	जशपुर	80377.8	116918.9	154181.0
26	कोरिया	89984.6	119154.4	140092.7
27	सरगुजा	137401.4	181108.2	219967.2
28	सुरजपूर	160350.8	210910.8	250976.0
योग:-		8394590.0	9202392.2	9798580.8

3

उ. अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संयोजक

प्रदेश में खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में उपार्जन केन्द्रों में शार्टेज धान की जिलेवार जानकारी

क्र	जिले का नाम	शार्टेज धान की मात्रा (मे.टन में)	
		खरीफ वर्ष 2019-20	खरीफ वर्ष 2020-21
1	बस्तर	0.56	440.25
2	बीजापुर	192.92	642.33
3	टन्तेवाड़ा	4.23	0.00
4	काकेर	826.05	6038.24
5	कोडागांव	0.30	1292.86
6	नारायणपुर	0.00	340.40
7	सुकमा	456.91	166.07
8	बिलासपुर	330.17	8904.36
9	गौरैला पेन्डा मरवाही	0.00	818.25
10	जाजगीर चाम्पा	0.60	4385.97
11	कोरबा	0.00	0.00
12	मुंगेली	6205.21	12372.78
13	रायगढ़	2055.32	0.00
14	बालोद	134.63	9040.86
15	बेमेतरा	2785.85	17759.86
16	दुर्ग	0.00	3025.74
17	कवर्धा	2747.08	24762.99
18	राजनांदगांव	3018.02	22865.36
19	बलौदाबाजार	9298.21	12709.79
20	धमतरी	7.20	5271.32
21	गरियाबद	4979.96	7277.90
22	महासमुद	10050.40	23509.62
23	रायपुर	15.88	7594.80
24	बलरामपुर	335.75	1942.85
25	जशपुर	0.00	0.00
26	कोरिया	0.00	1321.55
27	सरगुजा	0.00	900.89
28	सुरजपूर	211.46	3188.25
योग:-		43656.70	176573.27


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाध नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

परिशेष - पेंतालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1340) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

2020-21 में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उपार्जन केन्द्रों से माहवार धान उठाव की
(मात्रा किं. में)

क्र.	माह का नाम	उठाव किये गये धान की मात्रा
1	दिसम्बर, 2020	333930.40
2	जनवरी, 2021	713007.60
3	फरवरी, 2021	157274.00
4	मार्च, 2021	92995.60
5	अप्रैल, 2021	61999.44
6	मई, 2021	97257.99
7	जून, 2021	3291.80
8	जुलाई, 2021	6833.69
9	अगस्त, 2021	0.00
10	सितम्बर, 2021	152.00
11	अक्टूबर, 2021	2082.55
12	नवम्बर, 2021	536.40
13	दिसम्बर, 2021	0.00


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - छियालीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1349) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र जैजपुर के बजट वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शामिल सड़कों वर्षवार जानकारी।

सं.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई		प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने का कारण	निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति			कब तक प्रारंभ किया जावेगा
		हों	नहीं		प्रारंभ	अप्रारंभ	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बजट वर्ष- 2020-21								
1	जिला जांजगीर चांपा के तुषार से ओड़केरा मार्ग लं.-3.00 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित (प्रस्तावित लं.-3.10 कि.मी.)	हों	-	-	प्रारंभ		मिट्टी कार्य-2.00 कि.मी. जी.एस.बी.- 1.50 कि.मी., पुलिया - 3 नग	-
2	जिला जांजगीर चांपा के सक्ती मालखरौदा हसौद बरेकेल मार्ग के 10.00 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (वास्तविक लं.-10.98 कि.मी.) कार्य।	हों	-	-	प्रारंभ		डामरीकरण-10.50 कि.मी. नाली-400 रनिंग मी. प्रोटेक्शन कार्य -0.20 कि.मी.	-
3	जिला जांजगीर चांपा के बिरा हसँद छपोरा डमरा मार्ग लं.-13.80 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (वास्तविक लं.-23.435 कि.मी.)	हों	-	-	प्रारंभ		डामरीकरण-5.99 कि.मी., नाली- 1740 रनिंग मी.	-
4	जिला जांजगीर चांपा के बड़गड़ी से चारपारा मार्ग लं.-2.00 कि.मी. (प्रस्तावित लं.-2.20 कि.मी.) का निर्माण पुल पुलियों सहित	हों	-	-	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई		प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने का कारण	निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति			कब तक प्रारंभ किया जावेगा
		हों	नहीं		प्रारंभ	अप्रारंभ	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	जिला जांजगीर चांपा के सेमरिया से मुक्ता मार्ग लं.- 1.50 कि.मी. (प्रस्तावित लं.-1.40 कि.मी.) का निर्माण पुल पुलियों सहित।	हों	-	-	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
6	जिला जांजगीर चांपा के सारागांव बम्हनीडीह मार्ग लं. 10.15 कि.मी. (वास्तविक लं.- 9.55 कि.मी.) का उन्नयन एवं नवीनीकरण	हों	-	-	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
7	जिला जांजगीर चांपा के दरमाठा से झालरौदा मार्ग लंबाई 9.00 कि.मी. (वास्तविक लं.- 10.00 कि.मी.) (द्वितीय अनुपूरक बजट वर्ष 2020-21)	-	नहीं	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
8	जिला जांजगीर चांपा के ठठारी से अकलसरा होते हुये केकरमाठ मार्ग लं.-3.00 कि.मी. (प्रस्तावित लं.-1.45 कि.मी.) पुल पुलियों सहित	-	नहीं	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
9	जिला जांजगीर चांपा के बंसुला से कपिस्टा मार्ग लं.-2.50 कि.मी. (प्रस्तावित लं.-3.00 कि.मी.) का निर्माण पुल पुलियों सहित	-	नहीं	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
10	जिला जांजगीर चांपा के ओड़ेकरा से जूनवानी मार्ग लं.- 4.00 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित (प्रस्तावित लं.-1.75 कि.मी.)	-	नहीं	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई		प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने का कारण	निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति			कब तक प्रारंभ किया जावेगा
		हों	नहीं		प्रारंभ	अप्रारंभ	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	जिला जाजगीर चांपा के डभरा, कोसमझर, मांजरकूद, मरघट्टी, मरघट्टी, मिरौनी से अमोदा मार्ग लं.-15.50 कि.मी. का निर्माण एवं उन्नयन कार्य पुल पुलियों सहित	-	नहीं	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
12	जिला जाजगीर चांपा के सोठी आश्रम से संजय ग्राम दरभाठा सलनी दीपाडीह लं.- 11.00 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित	-	नहीं	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
	योग :- 12 कार्य			06 प्रक्रियाधीन	03- प्रारंभ	09-अप्रारंभ		
बजट वर्ष- 2021-22								
1	जिला जाजगीर चांपा के झर्रा से भदरा मार्ग का निर्माण लंबाई 2.00 कि.मी		-	प्रक्रियाधीन	-	अप्रारंभ	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
	योग :- 01 कार्य		-	01 प्रक्रियाधीन		01-अप्रारंभ		



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, नवा
रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - सैतालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 1358) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

नगर निगम रायपुर

अधोसंरचना मद


क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	जारी राशि (लाख में)
1	2018-19	अधोसंरचना	2578.02	665.00
	2019-20		6178.56	892.53
	2020-21		5651.57	1404.74
	2021-22 (22 फरवरी 2022)		2112.47	300.00
	महायोग		16520.62	3262.27

राज्य प्रवर्तित योजना

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	जारी राशि (लाख में)
2	2018-19	राज्य प्रवर्तित योजना	50.18	35.39
	2019-20		78.69	39.35
	2020-21		240.00	48.00
	2021-22 (22 फरवरी 2022)		878.63	324.06
	महायोग		1247.50	446.80


प्रधानमंत्री आवास योजना

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	जारी राशि (लाख में)
3	2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक	10311.69	2268.16
	2019-20		9189.78	3304.13
	2020-21		5453.71	2700.00
	2021-22 (22 फरवरी 2022)		11831.57	5214.15
	योग (बीएलसी)		36786.75	13486.44
3	2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक	27433.66	5763.74
	2019-20		0.00	12887.97
	2020-21		0.00	9477.50
	2021-22 (22 फरवरी 2022)		0.00	0.00
	योग (एएचपी)		27433.66	28129.21
	महायोग		64220.41	41615.65


अनुभाग अधिकारी
राज्य प्रशासन एवं विकास विभाग
नया सत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.स.)

मिशन अमृत

क.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	जारी राशि (लाख में)
4	2018-19	मिशन अमृत	51827.84	3500.60
	2019-20		1088.00	13161.75
	2020-21		935.55	5866.40
	2021-22 (22 फरवरी 2022)		0.00	10266.66
	महायोग		53851.39	32795.41


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भवन, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)


निरस्त कार्यों की सूची।

क	मद	कं.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)
1	अधोसंरचना	1	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड अंतर्गत दया नगर क्षेत्र भाग-2 में नाली निर्माण कार्य।	22.30
		2	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड हाउसिंग गोर्ड के पीछे एवं सेक्टर 04 शिवम सिटी के समीप सड्डू में डबल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य।	12.00
		3	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. गली नं. 4 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	8.50
		4	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. गली नं. 5 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	8.00
		5	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. गली नं. 6 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	8.00
		6	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. गली नं. 8 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	9.50
		7	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. गली नं. 9 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	9.00
		8	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड अंतर्गत दलदल सिवनी के अवनि प्राइड के पीछे बी.एस.यू.पी. कालोनी में पेयजल व्यवस्था हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य।	15.70
		9	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत अशोका हाईट्स से हरियाणा टिम्बर वाली गली तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	10.00
		10	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत आदर्श नगर चन्द्रभान साहू वाली गली में सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.00
		11	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत आदर्श नगर, मोवा शिरीष तिवारी के घर से मठलू के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.00
		12	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत प्रेम नगर, बबलू प्लाट, शंकर साहू वाली गली में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.00
		13	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत अमन नगर गली नं. 10 रियाज खान के घर से असगर अली के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.00
		14	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत प्रेम नगर में अनिल केसरकर के घर से बडा नाला तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4.00
		15	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत प्रेम नगर में नारायण भारद्वाज के घर से तुकाराम पटेल के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.00
		16	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत प्रेम नगर में झंडा चौक से इकबाल के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	17.00
		17	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत कांणा बस्ती, पतंग पारा में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.00
		18	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. विहार के सामने दायी ओर रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	48.43
		19	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड अंतर्गत व्ही.व्ही. विहार के सामने बायी ओर रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	49.26
		20	रमण मंदिर वार्ड अंतर्गत आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	48.27
		21	महाषि वाल्मिकी वार्ड क्र. 28 अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण सहित अन्य कार्य।	30.83
		22	महाषि वाल्मिकी वार्ड क्र. 28 अंतर्गत स्ट्रीट सिटी के पास से नाला तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.33
		23	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 33 अंतर्गत सिंवाई कॉलोनी के विभिन्न गलियों में सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	36.39

24	गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्र. 34 अंतर्गत समस्या गली में कॉक्रीटीकरण कराने का कार्य।	10.36
25	गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्र. 34 अंतर्गत चपरासी कॉलोनी में नाली एवं रोड निर्माण कार्य।	10.35
26	कविता नगर में खाली प्लॉट से बाईं ओर एल.आई.जी बी-1 के सामने ट्रांसफार्मर के पास तक कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	194.81
27	कविता नगर में पम्पा श्री टॉवर के सामने कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	194.81
28	कविता नगर में गर्ल्स हॉस्टल के पास से शाजिदा कम्पाउण्ड गायत्री नगर तक कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	94.39
29	अनुद्वत कॉम्प्लेक्स शंकर नगर से जगन्नाथ नगर सुलभ शौचालय के मध्य नाला निर्माण कार्य।	97.09
30	जगन्नाथ नगर सुलभ शौचालय से गोरखा कॉलोनी तक कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	134.01
31	गोरखा कॉलोनी से दुर्गा मैदान कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	146.49
32	महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्र. 28 अंतर्गत विजय नगर चौक से महामाया विहार कॉलोनी तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	24.00
33	महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्र. 28 अंतर्गत आकाश नगर हाउसिंग बोर्ड गली में नाली निर्माण कार्य।	9.00
34	महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्र. 28 अंतर्गत राजीव गांधी नगर में रोड निर्माण कार्य।	12.00
35	महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्र. 28 अंतर्गत आकाश नगर कॉलोनी में नाली निर्माण कार्य।	9.00
36	गुरु घासीदास वार्ड क्र. 44 अंतर्गत काशीराम नगर के बी.एस.यू.पी. क्लस्टर में चैम्बर रिपेयरिंग सिंवर लाईन पाईप लाईन एवं छत मरम्मत कार्य।	49.80
37	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड क्र. 32 अंतर्गत जिम निर्माण कार्य।	17.00
38	सिविल लाईन वार्ड क्र. 42 अंतर्गत पंचशील नगर गार्डन के पास नाली निर्माण कार्य।	18.71
39	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क्र. 47 अंतर्गत में पी.आर. नारंग हाउस (सी-288) से राजू मनोज सलूजा प्लॉट शैलेन्द्र नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	7.10
40	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क्र. 47 अंतर्गत अशोक धाडीवाल हाउस (सी-7) व्हाया सी-21, सी-17 से चौधरी हाउस शैलेन्द्र नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	7.64
41	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क्र. 47 में अशोक ननेश छाया (डी-62,63) से जयचन्द्र बैस हाउस, फनफेस्टा गार्डन के पास, शैलेन्द्र नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	8.24
42	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क्र. 47 में अशोक केशरवानी हाउस व्हाया वी.एस. ठाकुर हाउस व्हाया प्रकाश चंद गोलछा हाउस (सी-34, 35) से एस. कुजूर हाउस (सी-23) शैलेन्द्र नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	10.00
43	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क्र. 47 में तुरें हाउस (सी-289) व्हाया आकाश शर्मा हाउस (सी-296) से वी.वी. विद्यापीठ, शैलेन्द्र नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	9.27
44	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्र. 46 अंतर्गत प्रियदर्शनी नगर में 150, 100 एवं 200 एम.एम. व्यास की डी.आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	26.55


45	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत शंकर किराना स्टोर्स के बाजू रोड कटोरा तालाब में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	10.72
46	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत हरिराम चतवानी गली, कटोरा तालाब में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	12.83
47	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 में जयप्रकाश मसंद गली, कटोरा तालाब में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	10.50
48	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत डॉ. सुंदरानी घर के सर्विस गली के बाजू कटोरा तालाब में पीसीसी नाली एवं प्रीकॉस्ट स्लेब निर्माण कार्य।	10.56
49	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत शंकर आटा चक्की के सर्विस गली के बाजू कटोरा तालाब में पीसीसी नाली एवं प्रीकॉस्ट स्लेब निर्माण कार्य।	10.56
50	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत इंदू गोदवानी हाउस के सर्विस गली के बाजू कटोरा तालाब में पीसीसी नाली एवं प्रीकॉस्ट स्लेब निर्माण कार्य।	10.56
51	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत जयश्याम दास वकील लाईन गली नं 06 कटोरा तालाब में पीसीसी नाली, आर.सी.सी. पुलिया एवं प्रीकॉस्ट स्लेब निर्माण कार्य।	7.60
52	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत मनोहर चतवानी हाउस के सर्विस गली के बाजू कटोरा तालाब में पीसीसी नाली, आर.सी.सी. पुलिया एवं प्रीकॉस्ट स्लेब निर्माण कार्य।	16.04
53	।हीद बिग्रेडियर उस्मान वार्ड क 55 अंतर्गत नूतन शासकीय उ.मा. शाला टिकरापारा से नर्सिंग हॉस्टल/हसन कालोनी तक सडक का डामरीकरण कार्य।	14.20
54	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क 46 अंतर्गत संत दानेश्वर स्कूल के सामने प्रियदर्शनी नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	19.03
55	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क 46 अंतर्गत विजय विहार में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	8.24
56	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत रावण पुतला से गोवर्धन चौक तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	14.03
57	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत वी.के. झों (सी-83/5) घर के बाजू से सी-124/5 होते हुये (गार्डन के सामने) गिरधर हुरकत हाउस (बी-24/5) तक टैगोर नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	7.36
58	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत सी-151 से होते हुये कैलाश राठी (सी-150) हाउस (एस.बी.आई. गार्डन के पीछे) से सी-244 (मुख्य रोड) शैलेन्द्र नगर में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	12.76
59	ले. अरविंद दिक्षित वार्ड क 47 अंतर्गत सोलंकी के घर के बाजू से होते हुये कटोरा तालाब ग्राउंड होते हुये शिव मंदिर कटोरा तालाब तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	12.83
60	पं भगवतीचरण शुक्ल वार्ड क 48 अंतर्गत मीनाक्षी ब्युटी पार्लर के बाजू से महिला पॉलिटेक्निक तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	14.94
61	पं भगवतीचरण शुक्ल वार्ड क 48 अंतर्गत आर्शीवाद भवन से जाकिर वकिल के घर के पीछे तक बैरन बाजार में बी.टी. रोड निर्माण।	31.67
62	रानी दुर्गावती वार्ड क 45 अंतर्गत विशाल नगर में फेस-1 में गार्डन के दोनो तरफ सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	10.00
63	रानी दुर्गावती वार्ड क 45 अंतर्गत विशाल नगर फेस-1 में राठौर जी के घर मेन रोड वाली लाईन में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	8.00
64	रानी दुर्गावती वार्ड क 45 अंतर्गत महावीर नगर में राजेश मिश्रा घर के पास नाली निर्माण कार्य।	8.00
65	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क 46 अंतर्गत अमलीडीह बस्ती (गांव) में नाली निर्माण कार्य।	8.00

66	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्र 46 अंतर्गत कृष्णपुरी सोसायटी के निकट जी.एच. रोड में सड़क निर्माण कार्य।	10.00
67	गौरा चौरा गली नं. 01, 02 एवं 03 में सी.सी. नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	15.00
68	सोनचन्द्र वर्मा गली, ब्रम्हपुरी क्षेत्र में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	15.00
69	मदर्स प्राईड स्कूल एवं सेक्टर 02 क्षेत्र में सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	15.25
70	ताज बेकरी कुकरी पारा क्षेत्र में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	14.67
71	पुजारी नगर एवं कैलाशपुरी क्षेत्र में सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	15.24
72	वामन राव लाखे वार्ड क्र. 64 अंतर्गत कर्मचारी कालोनी क्षेत्र में डामरीकरण कार्य।	21.46
73	वामन राव लाखे वार्ड क्र. 64 अंतर्गत कुशालपुर शीतला कालोनी क्षेत्र में डामरीकरण कार्य।	33.32
74	वामन राव लाखे वार्ड क्र. 64 अंतर्गत गुरुघासी दास नगर क्षेत्र में डामरीकरण कार्य।	22.67
75	वामन राव लाखे वार्ड क्र. 64 अंतर्गत आदिवासी कालोनी क्षेत्र में डामरीकरण कार्य।	21.85
76	वामन राव लाखे वार्ड क्र. 64 अंतर्गत प्रोफेसर कालोनी सेक्टर 03 में डामरीकरण कार्य।	43.43
77	महामाया मंदिर वार्ड क्र. 62 अंतर्गत परशुराम नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु नया पाईप लाईन बिछाने कार्य।	49.70
78	वीर सावरकर नगर वार्ड अंतर्गत अवधपारा सोनडोगरी में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.00
79	संत कबीर दास वार्ड अंतर्गत सीता नगर गोगांव में 200 मीटर नाली निर्माण कार्य।	15.00
80	संत कबीर दास वार्ड अंतर्गत बंजरंग नगर गोगांव में 200 मीटर नाली व सड़क निर्माण कार्य।	9.00
81	गुरु घासीदास वार्ड क्र. 44 अंतर्गत मुक्तिधाम सौन्दर्यीकरण कार्य।	70.00
	योग	2131.15
2	राज्य प्रवर्तित योजना	70.00
3	प्रधानमंत्री आवास	70.00
4	मिशन अमृत	
5	केन्द्र प्रवर्तित (14/15 वा वित्त)	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र – स

क्र	योजना का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि (लाख में)
1	14वें वित्त आयोग	14वें वित्त आयोग	2018-19	0.00
			2019-20	0.00
			2020-21	2510.04
			2021-22 (22 फरवरी 2022)	264.48
2	15वें वित्त आयोग	15वें वित्त आयोग	2018-19	0.00
			2019-20	0.00
			2020-21	0.00
			2021-22 (22 फरवरी 2022)	0.00
योग				2774.52
3	मिशन अमृत	जल प्रदाय	2018-19	1244.94
		सीवेज/सैप्टेज		267.21
		उद्यान विकास		99.50
		जल प्रदाय	2019-20	3379.85
		सीवेज/सैप्टेज		2491.05
		उद्यान विकास		124.00
		जल प्रदाय	2020-21	1333.20
		सीवेज/सैप्टेज		1333.20
		जल प्रदाय	2021-22 (22 फरवरी 2022)	2333.33
		सीवेज/सैप्टेज		2333.33
योग				14939.61
4	स्मार्ट सिटी मिशन	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय मद(ए. एण्ड.ओ.ई)	2018-19	600.00
		-	2019-20	0.00
		परियोजना मद	2020-21	9300.00
		-	2021-22 (दिनांक 22 फरवरी 2022 तक)	0.00
योग				9900.00
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	केन्द्र सरकार के मद से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 02 घटकों क्रमशः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) एवं भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक अन्तर्गत कार्य संपादित हुए हैं।	2018-19	4617.00
			2019-20	4874.40
			2020-21	5755.80
			2021-22 (22 फरवरी 2022)	0.00
योग				15247.20


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन

प्रपत्र


अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

स.क्र	अनुभाग	उ.मु.दु.की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम
1	अंतागढ़	601005004	जय चुंगा बाबा महिला स्व सहायता समूह अंतागढ़
2	अंतागढ़	602006003	आ.जा.सेवा सह.समिति अन्तागढ़
3	अंतागढ़	602006001	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह एडनार
4	अंतागढ़	602006002	आदिम जाति सेवा सह. समिति आमाबेडा
5	अंतागढ़	602006004	वन सुरक्षा समिति, बैहासालहेभाट
6	अंतागढ़	602006005	ग्राम पंचायत कोदागांव
7	अंतागढ़	602006006	ग्राम पंचायत, कोलर
8	अंतागढ़	602006007	लक्ष्मी स्व सहायता समूह कोलियारी
9	अंतागढ़	602006008	ग्राम पंचायत, देवगांव
10	अंतागढ़	602006009	ग्राम पंचायत, फुपगांव
11	अंतागढ़	602006010	ग्राम पंचायत, गोडरी
12	अंतागढ़	602006011	शीतला स्व सहायता समूह, मंडागांव,
13	अंतागढ़	602006012	शीतला स्व सहायता समूह, मासबरस
14	अंतागढ़	602006013	धन लक्ष्मी स्व सहायता समूह, पोण्डागांव
15	अंतागढ़	602006014	ग्राम पंचायत, सरण्डी
16	अंतागढ़	602006015	आ.जा.सेवा सह समिति ताडोकी
17	अंतागढ़	602006016	लक्ष्मी स्व सहायता समूह, तालाबेडा
18	अंतागढ़	602006017	ग्राम पंचायत, टीमनार
19	अंतागढ़	602006018	जय सरस्वती म.स्व सहायता समूह, तुमसनार
20	अंतागढ़	602006019	शीतला स्व सहायता समूह, उसेली
21	अंतागढ़	602006020	ग्राम पंचायत, भैसगांव
22	अंतागढ़	602006021	समाहित समूह, नवागांव
23	अंतागढ़	602006022	जय दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, बडेतोपाल
24	अंतागढ़	602006023	ग्राम पंचायत बडेपिजोडी
25	अंतागढ़	602006024	संतोषी स्व सहायता समूह, अमोडी
26	अंतागढ़	602006025	लक्ष्मी स्व सहायता समूह, बडेतेवडा
27	अंतागढ़	602006026	नाहासमाहित समूह, गोडबीनापाल
28	अंतागढ़	602006027	आदिम जाति सेवा सह समिति अंतागढ़
29	अंतागढ़	602006028	संतोषी स्व सहायता समूह, जेठेगांव
30	अंतागढ़	602006029	ग्राम पंचायत, टेमरूपानी
31	अंतागढ़	602006031	लेम्पस, अंतागढ़-2
32	अंतागढ़	602006032	ग्राम पंचायत, भैसासुर
33	अंतागढ़	602006033	ग्राम पंचायत, कानागांव

स.क्र	अनुभाग	उ.मु.दु.की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम
34	अंतागढ़	602006034	ग्राम पंचायत, अर्रा
35	अंतागढ़	602006035	ग्राम पंचायत, आमागांव
36	अंतागढ़	602006036	ग्राम पंचायत, बोदानार
37	अंतागढ़	602006037	वेद माता स्व सहायता समूह , नागरबेड़ा
38	अंतागढ़	602006038	ग्राम पंचायत, कलगांव
39	अंतागढ़	602006039	ग्राम पंचायत, करमरी
40	अंतागढ़	602006040	ग्राम पंचायत कलेपरस
41	अंतागढ़	602006041	ग्राम पंचायत मातला ब
42	अंतागढ़	602006042	ग्राम पंचायत सुरेवाही
43	अंतागढ़	602006043	ग्रामपंचायत कोसरोण्डा
44	अंतागढ़	602006044	ग्राम पंचायत बेलोण्डी
45	अंतागढ़	602006045	ग्राम पंचायत आलानार
46	अंतागढ़	602006046	ग्राम पंचायत मुल्ले
47	अंतागढ़	602006047	ग्राम पंचायत गुमड़ीर
48	अंतागढ़	602006048	ग्राम पंचायत कड़ाईखोदरा
49	अंतागढ़	602006049	ग्राम पंचायत हिन्दुबिनापाल
50	अंतागढ़	602006050	ग्राम पंचायत मंगतासाल्हेभाट
51	अंतागढ़	602006051	ग्राम पंचायत बोडागांव
52	अंतागढ़	602006052	ग्राम पंचायत बंडापाल
53	अंतागढ़	602006053	जय तुलसी स्व सहायता समूह लामकन्हार
54	अंतागढ़	602006054	ग्राम पंचायत कोतकुड़
55	अंतागढ़	602006055	ग्राम पंचायत फुलपाड़
56	अंतागढ़	602006056	ग्राम पंचायत मातला (अ)
57	अंतागढ़	602006057	ग्राम पंचायत गवांडी
58	अंतागढ़	602006058	ग्राम पंचायत चंगोड़ी
59	पखांजूर	601004001	परलकोट स.विपणन संस्था पखांजूर
60	पखांजूर	601004002	माँ काली महिला स्व सहायता समूह (चांदीपुर) पखांजूर
61	पखांजूर	601004003	जनसेवा महिला स्व सहायता समूह पखांजूर
62	पखांजूर	602007001	परलकोट स.विपणन संस्था पखांजूर
63	पखांजूर	602007002	परलकोट स.विपणन संस्था छोटेकापसी
64	पखांजूर	602007003	परलकोट स.विपणन संस्था हरनगढ़
65	पखांजूर	602007004	परलकोट स.विपणन संस्था माटोली
66	पखांजूर	602007005	परलकोट स.विपणन संस्था मायापुर
67	पखांजूर	602007006	परलकोट स.विपणन संस्था कारेकटटा
68	पखांजूर	602007007	परलकोट स.विपणन संस्था मरोडा
69	पखांजूर	602007008	परलकोट स.विपणन संस्था, बेलगाल
70	पखांजूर	602007009	ग्राम पंचायत बान्दे कालोनी
71	पखांजूर	602007010	परलकोट स.विपणन संस्था, कुरेनार
72	पखांजूर	602007011	परलकोट स.विपणन संस्था, नागलदण्ड
73	पखांजूर	602007012	परलकोट स.विपणन संस्था, रैगावाही
74	पखांजूर	602007013	परलकोट स.विपणन संस्था, धरमपुर

स.क्र	अनुभाग	उ.मु.दु.की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम
75	पखांजूर	602007014	परलकोट स.विपणन संस्था, कंदाडी
76	पखांजूर	602007016	आ.जा.वि.स.सं., बारदा
77	पखांजूर	602007017	आ.जा.स.सं. बडेकापसी
78	पखांजूर	602007018	माँ सरस्वती महिला स्व सहा समूह पीव्ही 33 उदयपुर
79	पखांजूर	602007019	ग्राम पंचायत, भिन्गीडार
80	पखांजूर	602007020	ग्राम पंचायत, चन्दनपुर
81	पखांजूर	602007021	नारी उन्नती समिति पखांजूर पीव्ही 55 सत्यनगर
82	पखांजूर	602007022	ग्राम पंचायत एसेबेडा
83	पखांजूर	602007023	ग्राम पंचायत, पूरुषोतमनगर
84	पखांजूर	602007025	ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
85	पखांजूर	602007027	ग्राम पंचायत, पाडेगा
86	पखांजूर	602007028	मनमोहनी स्व सहा समिति पी व्ही 77 (पेनकोडो)
87	पखांजूर	602007029	माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह लखनपुर
88	पखांजूर	602007030	ग्राम पंचायत, दुर्गापुर
89	पखांजूर	602007031	ग्राम पंचायत, इरकबूटा
90	पखांजूर	602007032	ग्राम पंचायत उलिया
91	पखांजूर	602007033	ग्राम पंचायत, प्रेमनगर
92	पखांजूर	602007034	प्रमिता महिला स्व सहा समूह pv 128 कोयगांव
93	पखांजूर	602007036	वनीपज सह.समिति, देवपुर
94	पखांजूर	602007037	ग्राम पंचायत इन्द्रप्रस्थ
95	पखांजूर	602007038	जय मां लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत सावेर
96	पखांजूर	602007039	ग्राम पंचायत विकासपल्ली
97	पखांजूर	602007040	ठाकुर दाई महिला स्व. सहा.समूह बडगांव
98	पखांजूर	602007041	महिला स्व सहायता समूह, छिन्दपाल
99	पखांजूर	602007042	ग्राम पंचायत परतापुर
100	पखांजूर	602007043	महिला स्व. सहायता समूह मंडागांव
101	पखांजूर	602007044	महिला स्व.सहायता समूह, कृष्णनगर
102	पखांजूर	602007045	महिला स्व.सहायता समूह द्वारिकापुरी
103	पखांजूर	602007046	धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह पीव्ही 114 पित्तेभोडिया
104	पखांजूर	602007047	जनहित महिला स्व सहायता समूह चाणक्यपुरी
105	पखांजूर	602007048	माँ दुर्गा स्व सहायता समिति पी.व्ही. 31
106	पखांजूर	602007049	वन सुरक्षा समिति हांकेर
107	पखांजूर	602007050	राधास्वामी स्व सहायता समूह पी व्ही 16 कल्याणपुर
108	पखांजूर	602007051	महिला स्व.सहायता समूह ढोरकटटा
109	पखांजूर	602007052	महिला स्व.सहायता समूह रामकृष्णपुर
110	पखांजूर	602007053	ग्राम पंचायत श्यामनगर
111	पखांजूर	602007054	नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह पीव्ही 43 जयश्रीनगर
112	पखांजूर	602007055	जय राधे महिला स्व.सहायता समूह पीव्ही 79
113	पखांजूर	602007056	महिला स्व.सहायता समूह शंकरनगर
114	पखांजूर	602007057	महिला स्व.सहायता समूह इररपानार
115	पखांजूर	602007058	जय मां लक्ष्मी स्व समूह पी व्ही 87 पानावार
116	पखांजूर	602007059	ग्राम पंचायत आकमेटा
117	पखांजूर	602007060	महिला स्व.सहा.समूह माचपल्ली
118	पखांजूर	602007062	ग्राम पंचायत कोडोसाल्हेभाठ
119	पखांजूर	602007063	ग्राम पंचायत, उदनपुर
120	पखांजूर	602007064	ग्राम पंचायत, चारगांव
121	पखांजूर	602007065	ग्राम पंचायत, पोरोन्डी

स.क्र	अनुभाग	उ.मु.दु.की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम
122	पखांजूर	602007066	ग्राम पंचायत कडमे
123	पखांजूर	602007067	ग्राम पंचायत, कामतेडा
124	पखांजूर	602007068	ग्राम पंचायत केसेकोडी
125	पखांजूर	602007069	ग्राम पंचायत गूडाबेडा
126	पखांजूर	602007070	ग्राम पंचायत पानीडोबीर
127	पखांजूर	602007071	अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह
128	पखांजूर	602007072	लेम्पस सह. समिति, गोण्डाहर
129	पखांजूर	602007073	ग्राम पंचायत, घोडागांव
130	पखांजूर	602007074	लेम्पस सहकारी समिति, कायेलीबेडा
131	पखांजूर	602007075	परलकोट सहकारी विपणन संघ मर्या आलोर
132	पखांजूर	602007076	ग्राम पंचायत, बैकूठपुर
133	पखांजूर	602007077	ग्राम पंचायत, विष्णुपुर
134	पखांजूर	602007078	ग्राम पंचायत, सुलंगी
135	पखांजूर	602007079	ग्राम पंचायत, बेडझाकड़ा
136	पखांजूर	602007080	ग्राम पंचायत जयपुर
137	पखांजूर	602007081	ग्राम पंचायत, आलपरस
138	पखांजूर	602007082	जय सत्यानंद स्व सहायता समूह पी वही 17
139	पखांजूर	602007083	ग्राम पंचायत चांदीपुर
140	पखांजूर	602007084	ग्राम पंचायत श्रीपुर
141	पखांजूर	602007085	रेशमी महिला स्व सहायता समूह हनुमानपुर
142	पखांजूर	602007086	ग्राम पंचायत ताडवायली
143	पखांजूर	602007087	जय गुरुदेव महिला स्व सहायता समूह नहगोदा
144	पखांजूर	602007088	ग्राम पंचायत यशवंतनगर
145	पखांजूर	602007089	नारी उन्नती समिति पी.व्ही. 55 बापूनगर
146	पखांजूर	602007090	ग्राम पंचायत मुरावण्डी
147	पखांजूर	602007091	ग्राम पंचायत वनश्रीनगर
148	पखांजूर	602007092	ग्राम पंचायत जवेली
149	पखांजूर	602007093	ग्राम पंचायत विजयनगर
150	पखांजूर	602007094	ग्राम पंचायत मदले
151	पखांजूर	602007095	बाल विकास महिला स्व सहायता समूह बलरामपुर
152	पखांजूर	602007096	ग्राम पंचायत सितरम
153	पखांजूर	602007097	ग्राम पंचायत त्रसानी
154	पखांजूर	602007098	ग्राम पंचायत छोटेबोदली
155	पखांजूर	602007099	ग्राम पंचायत दवडीसालेभाठ
156	पखांजूर	602007100	ग्राम पंचायत विवेकानंदनगर
157	पखांजूर	602007101	ग्राम पंचायत बदरंगी
158	पखांजूर	602007103	श्री राधे महिला स्व सहा समूह औरछागांव
159	पखांजूर	602007104	ग्राम पंचायत मेण्ड्रा
160	पखांजूर	602007105	ग्राम पंचायत जीरामतराई
161	पखांजूर	602007106	ग्राम पंचायत स्वरूपनगर
162	पखांजूर	602007107	ग्राम पंचायत जानकीनगर
163	पखांजूर	602007108	ग्राम पंचायत राधानगर
164	पखांजूर	602007109	ग्राम पंचायत छोटेबेठिया


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंगलूर, रायपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट - उच्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 290) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	थाना	भादवि/विशेष/स्था. अधि.	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी 2022	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	भादवि.	भादवि.	157	98	121	56	78	78	114	141	113	149	156	131	112	1504
2	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	11	5	6	6	7	20	5	9	13	11	15	18	16	142
3	भादवि.	भादवि.	22	13	27	5	1	13	11	17	19	26	22	31	22	229
4	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	11	0	4	4	0	7	4	2	12	28	2	6	5	85
5	भादवि.	भादवि.	7	16	13	6	9	14	21	31	27	34	37	22	25	262
6	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	1	2	5	5	11	5	14	13	12	9	12	9	10	108
7	भादवि.	भादवि.	32	17	30	15	19	26	28	43	31	35	31	30	37	374
8	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	9	1	3	3	1	15	13	7	5	11	6	10	5	89
9	भादवि.	भादवि.	57	28	45	24	49	32	53	58	64	56	64	48	61	639
10	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	9	0	14	14	16	37	22	8	8	24	14	15	27	208
11	भादवि.	भादवि.	29	23	44	16	37	30	39	39	33	40	43	33	21	427
12	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	11	12	13	13	10	20	12	9	12	8	12	10	5	147
13	भादवि.	भादवि.	121	87	137	64	99	100	121	156	116	153	139	72	87	1452
14	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	42	12	16	16	35	46	24	24	19	29	50	20	43	376
15	भादवि.	भादवि.	26	12	22	11	10	26	34	28	33	25	22	23	23	295
16	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	2	0	4	4	15	9	7	8	13	9	4	13	12	100
17	भादवि.	भादवि.	11	10	13	7	14	14	11	19	19	20	17	14	18	187
18	लघु/विशेष/अधि.	लघु/विशेष/अधि.	4	1	7	7	10	8	5	0	11	6	8	26	4	97

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

10	भूकम्प	भादवि.	35	23	36	14	26	49	53	65	55	50	54	34	43	537
		लघु/विशेष/अधि.	9	20	5	5	22	12	14	8	8	12	5	1	1	122
11	भूकम्प	भादवि.	39	21	49	23	22	40	49	48	48	50	35	17	26	467
		लघु/विशेष/अधि.	9	11	15	15	33	26	33	15	19	11	19	10	11	227
12	भूकम्प	भादवि.	12	13	14	12	10	18	30	12	26	18	22	8	8	203
		लघु/विशेष/अधि.	8	5	17	17	30	15	24	23	31	16	12	6	5	209
13	भूकम्प	भादवि.	41	17	47	26	39	58	45	55	34	30	32	31	44	499
		लघु/विशेष/अधि.	8	3	9	9	12	20	10	7	8	7	11	7	11	122
14	भूकम्प	भादवि.	15	15	19	5	10	12	13	18	20	21	24	9	20	201
		लघु/विशेष/अधि.	3	4	10	10	21	27	10	5	15	14	11	8	3	141
15	भूकम्प	भादवि.	4	9	8	4	3	9	17	9	8	9	5	11	1	97
		लघु/विशेष/अधि.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	भूकम्प	भादवि.	52	35	43	22	48	43	79	62	52	41	59	35	52	623
		लघु/विशेष/अधि.	23	15	24	24	21	42	35	48	18	22	28	42	53	395
17	भूकम्प	भादवि.	45	45	41	18	34	37	59	51	39	53	41	36	40	539
		लघु/विशेष/अधि.	9	6	2	2	15	15	8	24	36	4	6	15	8	150
18	भूकम्प	भादवि.	31	17	33	13	14	18	38	48	34	37	50	22	27	382
		लघु/विशेष/अधि.	16	21	25	25	23	32	19	23	17	9	7	23	22	262
19	भूकम्प	भादवि.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
		लघु/विशेष/अधि.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	भादवि.	736	501	742	342	522	617	815	900	771	847	853	607	668	8921
		लघु/विशेष/अधि.	185	118	179	179	282	356	259	233	257	230	222	239	241	2980


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - पचास

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 5 (क्र. 293) की जानकारी

प्रपत्र - 'अ'

श्रम विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के कार्यालयों को 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक आबंटित राशि की जानकारी

क्र०	कार्यालय का नाम	श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा आबंटित राशि			छठगठ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा आबंटित राशि			महायोग		
		कार्यालयीन व्यय	योजना अंतर्गत	योग	कार्यालयीन व्यय	योजना अंतर्गत	योग	कार्यालयीन व्यय	योजना अंतर्गत	योग
1	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जिला-बिलासपुर	26705962	69154500	95860462	1523843	103679434	105203277	28229805	172833934	201063739
2	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय, जिला-बिलासपुर	16948971	0	16948971	0	0	0	16948971	0	16948971
	योग	43654933	69154500	112809433	1523843	103679434	105203277	45178776	172833934	218012710




अनुभाग अधिकारी
प्रतियोगिता प्रालय
बिना विभाग

प्रपत्र - 'ब'

बिलासपुर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक योजनाओं में किये गये व्यय एवं लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी

(अ) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत

क्र०	योजना का नाम	लाभांवित हितग्राही की संख्या
1	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	145
2	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	1399
3	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	227
4	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	13867
5	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	21
8	श्रम मित्र योजना	81
9	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन योजना	7657
10	मिनीमाता कन्या विवाह योजना (यह योजना शासन के आदेश दिनांक- 30/05/2019 से बंद कर दिया गया है।)	1508
11	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना (इस योजना को दिनांक 09/06/2020 से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में विलय किया गया है।)	341
योग		25246



 अनुभाग अधिकारी
 उत्तरीयक शासन
 श्रम विभाग

(ब) छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत

क्र0	योजना का नाम	लाभांवित हितग्राही की संख्या
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	94
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	116
3	ई-रिक्शा सहायता योजना	96
4	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	2
5	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना	47
6	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	194546
7	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	372
8	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	180
9	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना	33
10	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	42
11	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	258
12	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	111
13	सफाई कर्मकार विवाह योजना	35
14	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	13
15	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	759
16	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	441
17	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना	217
योग		197362

(स) कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ अंतर्गत

क्र0	योजना का नाम	लाभांवित हितग्राही की संख्या
1	बंधक श्रम पुनर्वास योजना	586


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

परोशेष - इनक्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 315) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में योजनावार देय लाभ एवं लाभान्वित की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	देय लाभ	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (दिनांक 08-02-2022 तक की स्थिति में)	महायोग	रिमार्क
1	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	कक्षा अनुसार 1000 से 10000 ₹ तक की छात्रवृत्ति	270	13	134	417	-
2	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना	50000 ₹ अंशदान प्रति हितग्राही	6	0	0	6	
3	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	10000 ₹ प्रति हितग्राही	331	165	90	586	
4	मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	कक्षा अनुसार 5500 से 48000 ₹ तक की छात्रवृत्ति	14	1	10	25	
5	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	30000 ₹ प्रति हितग्राही	18	6	0	24	यह योजना दिनांक 6-9-2020 को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में विलय किया गया है
6	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	सुरक्षा उपकरण किट	13	0	0	13	
7	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक के मृत्यु पर 01 लाख एवं स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 50 हजार की सहायता राशि	0	13	35	48	
8	निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	50000 ₹ प्रति हितग्राही	0	1	1	2	
9	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना	श्रमिकों को गर्म भोजन प्रदाय किया जाता है	14458	13884	34940	63282	
	योग		15110	14083	35210	64403	



अनुभाग अधिकारी

कल्याण मण्डल रायपुर

उत्तर विभाग

प्रपत्र - "ब"

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रशनांकित अवधि में योजनावार देय लाभ एवं लाभांवित की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	देय लाभ	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (दिनांक 08-02-2022 तक की स्थिति में)	महायोग	रिमार्क
1	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	पंजीकृत असंगठित कर्मकार के मृत्यु पर 01 लाख एवं स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 50 हजार की सहायता राशि	0	15	7	22	-
2	असंगठित कर्मकार अंत्योष्ठि सहायता योजना	₹0.5000 की सहायता राशि	4	2	0	6	यह योजना दिनांक 09-11-2019 से बंद कर दी गयी है।
3	असंगठित कर्मकारों के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	कक्षा अनुसार ₹0.5000/- से ₹0.5000/- तक की छात्रवृत्ति	5	0	0	5	-
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल प्रति महिला हितग्राही	11	0	0	11	-
5	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	₹0.10000 की सहायता राशि	1	11	2	14	-
6	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना	₹0.15000 की सहायता राशि	1	0	0	1	यह योजना दिनांक 01-06-2019 से बंद कर दी गयी है।
7	ई-रिक्शा सहायता योजना	₹0.50000 का अनुदान	5	19	0	24	-


अनुभाग अधिकारी
सर्वाधिकार शासन
बन विभाग

क्र.	योजना का नाम	देय लाभ	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (दिनांक 08-02-2022 तक की स्थिति में)	महायोग	रिमार्क
8	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	01 नग सायकल एवं छतरी, चप्पल/जूता क्रय करने हेतु रुपये 500 प्रति महिला हितग्राही	56	0	0	56	-
9	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	₹0 10000 की सहायता राशि (2 किशतों में)	0	4	0	4	-
10	ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	₹0 10000 की सहायता राशि	0	19	6	25	-
	योग		83	70	15	168	-

Raathig
अनुभाग अधिकारी
उत्तरीखण्ड शासन
अन्न विभाग

पारिशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 354) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21

नगर पंचायत केशकाल

(राशि लाख रु. में)

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
1	अधोसंरचना	70.00	1	वार्ड क्र. 01 से 15 में बोर खनन् कार्य (कुल 19 नग)।
			2	वार्ड क्र. 02, 03, 05 एवं 15 में सी.सी. रोड निर्माण।
			3	वार्ड क्र. 10 बोरगांव मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य।
			4	वार्ड क्र. 10 में सौंदर्यीकरण एवं चौपाटी निर्माण कार्य।
			5	वार्ड क्र. 05 एस.बी.आई. से युनूस घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			6	वार्ड क्र. 02 में आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			7	वार्ड क्र. 03 में आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			8	वार्ड क्र. 05 समीर माण्डवी घर से मिन्दू शॉप तक सी.सी. रोड निर्माण।
			9	वार्ड क्र. 13 में निजाम घर से मेनरोड तक सी.सी. रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य।
			10	वार्ड क्र. 10 नाला से मोनू यादव घर तक आर.सी.सी. नाली/पुलिया निर्माण।
			11	मस्जिद गली में आर.सी.सी. नाली निर्माण।
		6.47	1	वार्ड क्र. 01 हर्रापड़ाव में डाडा भाई घर से सलीम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण।
			2	वार्ड क्र. 01 हर्रापड़ाव में एन.एच. 30 से दिनेश ध्रुव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण।
			3	वार्ड क्रमांक 03 हर्रापड़ाव में मिरधा के घर के कन्या आश्रम तक आ.सी.सी. नाली निर्माण।
			4	वार्ड क्र. 04 निचेपारा सुरडोंगर में विष्णु के घर से विश्रामपुरी रोड तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			5	वार्ड क्र. 05 समता कॉलोनी में रफीक के घर से दुर्गा मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण।
			6	वार्ड क्र. 06 ढोडरापारा में आंगनबाड़ी से पेट्रोल पंप तक आर.सी.सी. नाली निर्माण, भाग - 1।
			7	वार्ड क्र. 06 ढोडरापारा में आंगनबाड़ी से पेट्रोल पंप तक आर.सी.सी. नाली निर्माण, भाग - 2।
			8	वार्ड क्रमांक 07 डबरीपारा में पुलिया से श्मशानघट तक सी.सी. रोड निर्माण।
			9	वार्ड क्रमांक 09 मूगबाड़ी में नथानी कॉम्प्लेक्स से कन्या स्कूल चौक तक आर.सी. नाली निर्माण।

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
			10	वार्ड क्र. 12 उपरपारा बोरगांव में दिनेश ध्रुव के घर से अभिराम ध्रुव के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण भाग - 1।
			11	वार्ड क्र. 15 डिहीपारा में अटल चौक से दरों के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			12	वार्ड क्रमांक 13 बोरगांव में खेमलता घर से केशव पटेल घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण 150 मीटर।
		30.00	1	मंच एवं शेड का निर्माण अंबेडकर वार्ड में सतनाम भवन केशकाल।
			2	डिहीपारा में हल्बा समाज के अधूरे सामुदायिक भवन को पूर्ण करने बाबत।
			3	मुस्लिम कब्रिस्तान में पहुंच मार्ग का सड़क चौड़ीकरण कार्य।
			4	सामुदायिक भवन आदिवासी समाज श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड।
			5	सामुदायिक भवन सर्व ब्राम्हण समाज केशकाल।
			6	जमात खाना भवन का निर्माण सुन्नी, मुन्नी जमात केशकाल।
		30.00	1	वार्ड क्र. 11 वाहिद घर से नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			2	वार्ड क्र. 05 जे.पी. कुर्मी के घर से अभिषेक चौहान घर तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण।
			3	वार्ड क्र. 14 अनिल धामेजा घर से मनोज रूपानी घर आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			4	वार्ड क्र. 03 मनबोध सोरी घर से यशोदा यादव के घर आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			5	वार्ड क्र. 06 कुंवरपाट मंदिर से लच्छंदर घर तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नाली एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण।
			6	वार्ड क्र.01 बाजार स्थल में सी.सी. रोड निर्माण।
			7	वार्ड क्र. 07 बिसेन बाड़ा से गौरा चौक तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
		40.00	1	वार्ड क्र.01 बाजार स्थल पास सी.सी. सड़क।
			2	सांस्कृतिक भवन से मेनरोड तक रोड निर्माण।
			3	राजा तालाब पास रोड निर्माण।
			4	बाम्ही तालाब पास रोड निर्माण।
			5	डिहीपारा में रोड निर्माण।
			6	वार्ड क्र. 15 में शमशान के पास रोड निर्माण।
			7	वार्ड क्र. 15 आई.टी.आई. से बालक स्कूल रोड निर्माण।
			8	कन्हैया मण्डवी से शिव सलाम घर तक रोड निर्माण।
			9	वार्ड क्र. 04 गजा घर से राजेश घर तक नाली निर्माण।
			10	नाली निर्माण दरों घर से सूरजा घर।

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
			11	वार्ड क्र. 15 शितला चौक से सामुदायिक भवन तक नाली निर्माण कार्य।
			12	वार्ड क्र. 03 लक्की घर से सूरज घर तक नाली निर्माण कार्य।
			13	नाली निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 08।
			14	वार्ड क्र. 15 सी.सी. रोड निर्माण कॉलेज में प्रथम द्वार से द्वितीय द्वार तक।
			15	वार्ड क्र. 15 में मेनरोड से कोडोपी आचार्य के घर तक सी.सी. रोड निर्माण।
	योग	176.47		
2	राज्य प्रवर्तित योजना	5.11	1	पौनी पसारी बाजार निर्माण कार्य में व्यय किया गया है।
		0.96	2	26 हितग्राहियों के लिए वर्दी क्रय में व्यय किया गया है।
		16.65	3	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड निर्माण कार्य में व्यय किया गया है।
	योग	22.72		
	महायोग	199.19		

नगर पंचायत फरसगांव

(राशि लाख रू. में)

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
1	अधोसंरचना	60.00	1	प्राथमिक स्कूल से हरिबती घर तक 70 मीटर सी सी रोड निर्माण कार्य।
			2	अगनू घर से राजाराम नेताम घर तक 612 मी सी सी रोड।
			3	दुर्गा मंदिर से बाजपेयी घर तक 70 मीटर सी सी रोड मरम्मत कार्य।
			4	एन एच 30 रांधना रोड तक 975 मीटर सी सी रोड।
			5	एन0एच030से बंशी मरकाम घर तक 300 मीटर सी सी रोड।
			6	पोयाम घर से मरकाम घर तक 235 मी आर सी सी नाली
			7	अटल चौक से कुर्माकोट सीमा तक 1335 मीटर आर सीसी निर्माण।

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
		10.00	1	मैथिल घर से श्रीराम घर तक आर सी सी नाली निर्माण कार्य।
		10.00	2	मनराखन घर से सुकालु निशाद घर तक आर सी सी नाली निर्माण कार्य।
		28.00	1	वार्ड क्रमांक - 01 में युसूफ घर से नारायण साहू घर तक निर्माण कार्य (90 मी.)।
		28.00	2	वार्ड क्रमांक - 01 में वर्मा घर से पिन्ना घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य दोनो ओर (100 मी.)।
		28.00	3	वार्ड क्रमांक - 02 में जगदीश घर से ज्ञानू घर तक आर सी. सी. नाली निर्माण कार्य (200 मी.)।
		28.00	4	वार्ड क्रमांक - 03 में (1) सुन्दर घर से जगदीश घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (120 मी.)। (2) उमेन्दी घर से शंकरदास घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100 मी.)।
		28.00	5	वार्ड क्रमांक - 05 में (1) हरिराम घर से नेशनल हाईवे तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100 मी.)। (2) दिलीप निर्मलकर घर शंकरपुर रोड तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100 मी.)।
		28.00	6	वार्ड क्रमांक - 07 में गुनी साहू घर से राधना रोड तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (150 मी.)।
		28.00	7	वार्ड क्रमांक - 09 में राम मरकाम घर से राम दरौ घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (150 मी.)।
		28.00	8	वार्ड क्रमांक - 10 में मेघोतीन घर से राधना रोड तक आर सी. सी. नाली निर्माण कार्य दोनो ओर (80 मी.)।
		28.00	9	वार्ड क्रमांक - 11 में (1) सामे बाई नेताम घर से हरभजन सिंह घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100मी.)। (2) धनीराम घर से सनबती यादव घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100 मी.)।
		28.00	10	वार्ड क्रमांक - 12 में नन्दी वेल्डींग वर्क से नरेन्द्र कबाडी घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य दोनो ओर (120 मी.)।
		28.00	11	वार्ड क्रमांक - 13 में आशा राम घर से दशरथ नरेटी घर तक आर सी.सी. नाली निर्माणकार्य दोनो ओर (100मी.)।
		28.00	12	वार्ड क्रमांक - 15 में (1) राधना रोड से विश्राम घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100 मी.)। (2) रमेश पाण्डे घर से रामसाय घर तक आर सी.सी. नाली निर्माण कार्य (100 मी.)।
		28.00	13	वार्ड क्रमांक - 06 में (1) पोयाम घर से महादेव ध्रुव घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (70 मी.)।

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
			14	(2) ग्राऊण्ड से राजा राम कोराम घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (70 मी.)।
			15	वार्ड क्रमांक - 08 में अनिल बाजपेयी घर से असीम दत्ता घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (120 मी.)।
			16	वार्ड क्रमांक - 13 में सुदनी बाई घर से नारद हिडको घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (120 मी.)।
			17	वार्ड क्रमांक - 14 में प्राथमिक स्कूल से श्याम लाल घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (120 मी.)।
	योग	98.00		
2	राज्य प्रवर्तित योजना	6.00	1	वार्ड क्र.12 में पौनी पसारी बाजार निर्माण में व्यय किया गया है।
		0.592	2	16 हितग्राहियों के लिए वर्दी क्रय में व्यय किया गया है।
	योग	6.59		
	महायोग	104.59		

वित्तीय वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)

नगर पंचायत केशकाल

(राशि लाख रु. में)

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
1	अधोसंरचना	10.00	1	वार्ड क्र. 11 वाहिद घर से नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			2	वार्ड क्र. 05 जे.पी. कुर्मी के घर से अभिषेक चौहान घर तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण
			3	वार्ड क्र. 14 अनिल धामेजा घर से मनोज रूपानी घर आर.सी. सी. नाली निर्माण
			4	वार्ड क्र. 03 मनबोध सोरी घर से यशोदा यादव के घर आर.सी. सी. नाली निर्माण
			5	वार्ड क्र. 06 कुंवरपाट मंदिर से लच्छिंदर घर तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी. नाली एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण।
			6	वार्ड क्र.01 बाजार स्थल में सी.सी. रोड निर्माण।
			7	वार्ड क्र. 07 बिसेन बाड़ा से गौरा चौक तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
		18.19	1	वार्ड क्र.01 बाजार स्थल पास सी.सी. सड़क।
			2	सांस्कृतिक भवन से मेनरोड तक रोड निर्माण।
			3	राजा तालाब पास रोड निर्माण।
			4	बाम्ही तालाब पास रोड निर्माण।
			5	डिहीपारा में रोड निर्माण।
			6	वार्ड क्र. 15 में भामान के पास रोड निर्माण।
			7	वार्ड क्र. 15 आई.टी.आई. से बालक स्कूल रोड निर्माण।

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
			8	कन्हौया मण्डवी से शिव सलाम घर तक रोड निर्माण।
			9	वार्ड क्र. 04 गजा घर से राजेश घर तक नाली निर्माण।
			10	नाली निर्माण दरों घर से सूरजा घर।
			11	वार्ड क्र. 15 शितला चौक से सामुदायिक भवन तक नाली निर्माण कार्य।
			12	वार्ड क्र. 03 लक्की घर से सूरज घर तक नाली निर्माण कार्य।
			13	नाली निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 08।
			14	वार्ड क्र. 15 सी.सी. रोड निर्माण कॉलेज में प्रथम द्वार से द्वितीय द्वार तक।
			15	वार्ड क्र. 15 में मेनरोड से कोडोपी आचार्य के घर तक सी.सी. रोड निर्माण।
		10.00	1	वार्ड क्र. 01 से 15 तक पेयजल पाईप लाईन निर्माण कार्य।
		20.00	1	वार्ड क्र. 03 एवं 04 में शा.उ.मा.वि. सुरडोंगर से दरों घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
	2		निकाय क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्र. 01 से 15 तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।	
	3		वार्ड क्र. 14 में साहू घर से जयराम कुलदीप घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।	
	4		वार्ड क्र. 04 में पब्लिक शेड एवं मंच निर्माण।	
		10.00	1	मंच एवं शेड का निर्माण अंबेडकर वार्ड में सतनाम भवन केशकाल।
	2		डिहीपारा में हल्बा समाज के अधूरे सामुदायिक भवन को पूर्ण करने बाबत।	
	3		3. मुस्लिम कब्रिस्तान में पहुंच मार्ग का सड़क चौड़ीकरण कार्य।	
	4		सामुदायिक भवन आदिवासी समाज श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड।	
	5		सामुदायिक भवन सर्व ब्राम्हण समाज केशकाल।	
	6		जमात खाना भवन का निर्माण सुन्नी, मुन्नी जमात केशकाल।	
		60.00	1	वार्ड क्र. 01 से 15 में बोर खनन् कार्य (कुल 19 नग)।
	2		वार्ड क्र. 02, 03, 05 एवं 15 में सी.सी. रोड निर्माण।	
	3		वार्ड क्र. 10 बोरगांव मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	
	4		वार्ड क्र. 10 में सौंदर्यीकरण एवं चौपाटी निर्माण कार्य।	
	5		वार्ड क्र. 05 एस.बी.आई. से युनूस घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।	
	6		वार्ड क्र. 02 में आर.सी.सी. नाली निर्माण।	
	7		वार्ड क्र. 03 में आर.सी.सी. नाली निर्माण।	
	8		वार्ड क्र. 05 समीर माण्डवी घर से मिन्टू शॉप तक सी.सी. रोड निर्माण।	


क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
			9	वार्ड क्र. 13 में निजाम घर से मेनरोड तक सी.सी. रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य
			10	वार्ड क्र. 10 नाला से मोनू यादव घर तक आर.सी.सी. नाली/पुलिया निर्माण
			11	मस्जिद गली में आर.सी.सी. नाली निर्माण।
	योग	128.19		
2	राज्य प्रवर्तित योजना	31.32	1	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य में व्यय किया गया है।
	योग	18.244	2	पौनी पसारी बाजार निर्माण कार्य में व्यय किया गया है।
	महायोग	177.75		

नगर पंचायत फरसगांव

(राशि लाख रु. में)

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
1	अधोसंरचना	23.12	1	डी0एन0पाण्डे घर से विद्या सागर घर तक 70 मीटर आर सी सी नाली।
			2	आई एल नेताम से एन एच 30 तक 300 मीटर आर सी सी नाली निर्माण।
			3	रहमान घर से पिन्ना घर तक 210 मीटर आर सी सी नाली।
			4	पति घर से साह घर तक 65 मीटर आर सी सी नाली निर्माण।
			5	आरीफ घर से दिवान घर तक 475 मीटर नाली निर्माण।
			6	02 नग पुलिया निर्माण कार्य (रांधना रोड/चैतराम के खेत के पास)।
			7	02 नग पुलिया निर्माण कार्य (जयसिंग घर/मोहन घर के पास)।
		20.00	1	सामुदायिक भवन वार्ड 15 पासंगी पटेल समाज।
			2	सामुदायिक भवन वार्ड 14 पासंगी गोडवाना समाज।
			3	सामुदायिक भवन वार्ड 13 तोन्देपारा आदिवासी समाज।
			4	सामुदायिक भवन वार्ड 13 कुर्मीकोट घोडुल भवन के पास।
			5	वार्ड क. 05 सोनी घर से सुखचंद घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			6	वार्ड क. 08 शीतला मंदिर से गणेश मरावी घर आंगनबाड़ी के पास आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			7	वार्ड क. 08 रहमान घर से चनब घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।

क.	मद का नाम	प्रदत्त राशि	कार्य का स.क.	कार्यों का विवरण जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग किया गया
1	3	4	5	6
			8	वार्ड क्रमांक 07 सिन्हा कृषि सेंटर से थाना परिसर तक सी.सी. रोड निर्माण।
			9	वार्ड क्रमांक 03 उमेश मेडिकल स्टोर से महानंद तक सी.सी. रोड निर्माण।
			10	वार्ड क्र. 01 स्टेडियम के सामने आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			11	वार्ड क्र. 04 आरिफ घर से दिलीप घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
			12	वार्ड क्र. 07 कांजी हाउस से बाली घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण।
		10.00	1	रांधना रोड से धनीराम घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य।
			2	गौर घर से टेमरे घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य।
			3	दिलीप घर से अनिल घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य।
			4	शैल सेठिया घर के पीछे नाली निर्माण कार्य।
			5	मूलचंद घर के पीछे नाली निर्माण कार्य।
			6	सिदेश घर के सामने नाली निर्माण कार्य।
			7	सोमेश ठाकुर घर से वीरसिंग घर तक रोड निर्माण कार्य।
			8	जोधा पान ठेला के पास रोड मरम्मत कार्य।
			9	रहमान घर के पास रोड मरम्मत कार्य।
			10	सीमन्त जैन घर से योगेश साहू घर तक नाली निर्माण कार्य।
			11	सीमन्त जैन घर से योगेश साहू घर तक रोड निर्माण कार्य।
	योग	53.12		
2	राज्य प्रवर्तित योजना	19.98	1	वार्ड क्र.01 में मुक्तिधाम निर्माण कार्य में व्यय किया गया है।
		14.96	2	वार्ड क्र.12 में पौनी पसारी बाजार निर्माण में व्यय किया गया है।
	योग	34.94		
	महायोग	88.06		


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)


पारिशेष - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 355) की जानकारी

प्रपत्र

जिला कोंडागांव अंतर्गत चिन्हांकित दर्शनीय एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों की सूची

स. क्रं.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1.	कोंडागांव	सांस्कृतिक	शिल्पग्राम
2.	केशकाल	प्राकृतिक	घाटी, तेलिनमाता का मंदिर
3.	भोंगापाल	पुरातात्विक	बौद्ध विहार
4.	गढ़घनोरा	पुरातात्विक	प्राचीन शिव, विष्णु, नरसिंह मंदिरों का समूह



अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 393) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपार्जित फोर्टिफाइड चावल एवं मिल संख्या की जिलेवार
जानकारी

क्रमांक	जिला	फोर्टिफाइड चावल जमा करने वाली राईस मिलों की संख्या	उपार्जित फोर्टिफाइड चावल (मात्रा मेट्रिक टन में)
1	बस्तर	25	21108.2
2	बीजापुर	2	1592.91
3	दन्तेवाड़ा	3	1071.15
4	कांकेर	48	46770.73
5	कोंडागांव	20	14905.63
6	नारायणपुर	3	4838.29
7	सुकमा	4	3209.21
8	बिलासपुर	34	10977.06
9	गौरैला-पेन्द्रा	3	519.91
10	जांजगीर	44	7529.12
11	कोरबा	77	47138.56
12	मुंगेली	29	5246.52
13	रायगढ़	126	65373.16
14	बालोद	15	1652.13
15	बेमेतरा	38	7678.96
16	दुर्ग	28	11680.17
17	कवर्धा	53	18551.02
18	राजनांदगांव	67	27803.78
19	बलौदा बाजार	10	1400.48
20	धमतरी	116	19184.74
21	गरियाबंद	4	376.4
22	महासमुंद	138	31708.87
23	रायपुर	42	10851.21
24	बलरामपुर	7	515.82
25	जशपुर	3	549.38
26	कोरिया	11	1503.31
27	सरगुजा	17	1647.75
28	सुरजपुर	10	2008.42

Seema

परिशेष - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 698) की जानकारी

"प्रपत्र"

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण
		प्राप्त	अप्राप्त	
1	3	4	5	6
2019-20				
1	जिला रायगढ़ के विकासखंड लैलूंगा के मुड़ापारा(नारायणपुर) से कर्राहन लमडांड सड़क निर्माण लं.8.00 कि.मी.(कार्य वर्ष 2019-20)	हाँ	-	-
2	जिला रायगढ़ के डारआमा से झिटीपाली पर सड़क निर्माण लं. 7.00 कि.मी. (कार्य वर्ष 2019-20)	-	-	वर्ष 2017-18 के बजट मद क्र. 5741 अंतर्गत सम्मिलित कार्य पूर्ण दिनांक 30.10.2020 पुनः कार्य की आवश्यकता नहीं।
3	जिला रायगढ़ के वि.खं तमनार के मिलूपारा तोलगे मार्ग (हिंझर नाला) पुल निर्माण।	हाँ	-	-
4	जिला रायगढ़ के बिजना से हमीरपुर के मध्य कोलडेगा नाला पर पुल निर्माण।	हाँ	-	-
योग :- 04 कार्य				
2020-21				
1	जिला रायगढ़ के लमनीपारा चौक कोड़ासिया से शिवपुर चौक लं. 3.50 कि.मी. (कार्य वर्ष 2020-21)	हाँ	-	-
2	जिला रायगढ़ के लैलूंगा तह. अन्तर्गत ग्राम सरडेगा से घटगांव लं. 3.00 कि.मी. (कार्य वर्ष 2020-21)	हाँ	-	-
3	जिला रायगढ़ के तमनार विकासखंड अंतर्गत पालीघाट से अमलीढोडा मार्ग का निर्माण पुल पुलियों सहित लं. 6.00 कि.मी. (कार्य वर्ष 2020-21)	हाँ	-	-
4	जिला रायगढ़ के राजपुर-कोड़ासिया-बहमा मार्ग लं. 19.40 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (कार्य वर्ष 2020-21)	हाँ	-	-
5	कृषक सेवा केन्द्र झरन में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण
		प्राप्त	अप्राप्त	
1	3 हाईस्कूल भवन बगुड़ेगा में पहुँच मार्ग निर्माण	4 हाँ	5 -	6 -
6	हाईस्कूल भवन लोहाड़पानी में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
7	हाईस्कूल भवन करवारजोर में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
8	हाईस्कूल भवन किलकिला में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
9	हाईस्कूल भवन बसंतपुर में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
10	हाईस्कूल भवन लारीपानी में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
11	हाईस्कूल भवन राजपुर में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
12	हाईस्कूल भवन कसडोल तमनार में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
13	हाईस्कूल भवन सामारूमा तमनार में पहुँच मार्ग निर्माण	हाँ	-	-
14	बालक छात्रावास भवन कुजेमुरा में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
15	प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास भवन तराईमाल में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
16	प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास भवन गोढी में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र सराईपाली में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
18	उप स्वास्थ्य केन्द्र उरबा में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
19	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन पतरापाली में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
20	मिनी पीएचसी भवन टारपाली में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
21	मिनी पीएचसी भवन सपनई में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
22	मिडिल स्कूल भवन भगोरा में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण
		प्राप्त	अप्राप्त	
1	3	4	5	6
24	हाईस्कूल भवन बंगुरसिया में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
25	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन गेरवानी में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
26	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन राजपुर में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
27	आंगनबाड़ी भवन राजपुर में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
28	हाईस्कूल भवन मुड़ापारा में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
29	मुख्य मार्ग से आंगनबाड़ी ग्राम लिबरा में पहुँच मार्ग का निर्माण	हाँ	-	-
30	जिला रायगढ़ के लिबरा से होरोगुड़ा मार्ग का निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2020-21)	-	-	-
31	जिला रायगढ़ के तारागढ़ से रामपुर भेड़ीपुडा से भराली नाला पर पुल निर्माण।	हाँ	-	-
32	जिला रायगढ़ के लैलूंगा के पाकरगांव मार्ग पर खारून नदी पर पुल निर्माण।	हाँ	-	-
योग :- 32 कार्य		31 प्राप्त		
2021-22				
1	जिला रायगढ़ के ग्राम पंचायत केशला के लखन पारा में सी.सी. रोड निर्माण	हाँ	-	-
2	पुंजीपथरा से तमनार मिलुपारा मार्ग लं. 26.00 कि.मी. (सी.सी. रोड़)	हाँ	-	-
3	मिडिल स्कूल भवन, कटकलिया पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
4	हाई स्कूल भवन, लैलूंगा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
5	आंगनबाड़ी भवन उरांवपारा, (राजपुर) पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
6	हाई स्कूल भवन तोलमा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
7	हाई स्कूल भवन सोनाजोरी पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण
		प्राप्त	अप्राप्त	
1	3	4	5	6
8	हाई स्कूल भवन टटकेला पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
9	माध्यमिक शाला भवन तोलगे पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
10	आवासीय विद्यालय भवन झगरपुर पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बंगुरसियां पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
12	हाई स्कूल भवन सबलपुरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
13	शासकीय प्राथ. शाला भवन पतरापाली (पूर्व) पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
14	शासकीय प्राथ. शाला भवन कुम्हबहाल पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
15	शासकीय हाई स्कूल/माध्यमिक शाला एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भवन गोरखा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
16	शासकीय प्राथ. शाला एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भवन कृष्णापुर पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
17	शासकीय प्राथ. शाला एवं शास. माध्यमिक शाला भवन चिराईपाली (प.) पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
18	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन रांवा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
19	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन देवगढ़ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
20	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन देवगांव पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
21	शासकीय हाई स्कूल भवन जिवरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	हाँ	-	-
22	जिला रायगढ़ के बड़गांव जुनवानी पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण	-	अप्राप्त	प्रक्रियाधीन
23	जिला रायगढ़ के कसडोल-भैनापारा-बडगांव होते हुये बरलिया तक सडक मरम्मत/निर्माण	-	अप्राप्त	प्रक्रियाधीन

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण
		प्राप्त	अप्राप्त	
1	3	4	5	6
24	जिला रायगढ़ के ग्राम राजपुर के उरांवपारा से राजगांव तक मार्ग का निर्माण लं. 1. 80 कि.मी.	-	अप्राप्त	प्रक्रियाधीन
25	जिला रायगढ़ के तमनार, उरबा, लैलूंगा (मिलूपारा से कुंजारा) मार्ग का निर्माण लं. 28.00 किमी. (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	प्रक्रियाधीन
26	जिला रायगढ़ के कसडोल से भेसगडी बडगाँव होते हुए बरलिया तक सडक निर्माण लंबाई 18.00 किमी	-	-	-
27	जिला रायगढ़ के सुबरा से कटंगपारा पहुँच मार्ग पर खारून नदी पर पुल निर्माण।	-	अप्राप्त	प्रक्रियाधीन
28	जिला रायगढ़ के लैलूंगा से पोतरा मार्ग पर खारून नदी पर पुल निर्माण।	-	अप्राप्त	प्रक्रियाधीन
योग :- 28 कार्य		21 प्राप्त	6 अप्राप्त	21 प्राप्त, 6 अप्राप्त 1 पुनरावृत्ति



मुख्य-अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 877) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2020 के कोरोना काल में अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ राज्य गृह जिले में वापस आये मजदूरों की जिलेवार जानकारी

क्र०	जिले का नाम	वर्ष 2020
1	रायपुर	4048
2	दुर्ग	4048
3	बिलासपुर	108061
4	कोरबा	10009
5	रायगढ़	25427
6	राजनादगाव	8971
7	जाजगीर चापा	79050
8	धमतरी	971
9	बस्तर	11007
10	महासमुद	61786
11	सरगुजा	1043
12	कवधी	28246
13	बालोद	8327
14	कोण्डागाव	5524
15	गरियाबद	7672
16	काकेर	5027
17	मुंगेली	40044
18	बलौदाबाजार	74777
19	दतेवाड़ा	3610
20	जशपुर	14387
21	सुरजपुर	1096
22	बेमतरा	29577
23	कोरिया	1814
24	नारायणपुर	1987
25	सुकमा	2569
26	बलरामपुर	4713
27	बीजापुर	6197
28	गौरिला पेण्ड्रा मरवाही	4512
योग		554500


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 जन विभाग

परिशेष - सनतावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 991) की जानकारी

प्रपत्र

थाना लैलूंगा (अवधि - वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक))

क्र	अपराध शीर्ष	वर्ष	प्रकरण	खात्मा	चालान	विवेचनाधीन	
1	हत्या	2020-21	4	-	4	-	
		2021-22	11	-	11	-	
2	हत्या का प्रयास	2020-21	3	-	3	-	
		2021-22	5	-	3	2	
3	अप.मानव वध	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	2	-	2	-	
4	बलात्कार	2020-21	15	1	14	-	
		2021-22	12	-	9	3	
5	अपहरण,व्यपहरण	2020-21	6	3	3	-	
		2021-22	2	-	1	1	
6	मानव तस्करी	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	-	-	-	-	
7	लूट	2020-21	3	1	2	-	
		2021-22	2	-	2	-	
8	नकबजनी	2020-21	10	6	4	-	
		2021-22	16	-	3	13	
9	चोरी	2020-21	21	12	4	5	
		2021-22	26	4	6	16	
10	घोखाघडी	2020-21	5	1	2	2	
		2021-22	1	-	-	1	
11	चोट	2020-21	88	-	86	2	
		2021-22	55	-	32	23	
12	शीलमंग	2020-21	10	-	8	2	
		2021-22	5	-	4	1	
13	यौन उत्पीडन छेडछाड	2020-21	2	1	1	-	
		2021-22	1	-	1	-	
14	पति एवं रिश्तेदारों केद्वारा प्रताडना	2020-21	7	-	6	1	
		2021-22	3	-	3	-	
15	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2020-21	29	12	16	1	
		2021-22	27	7	13	7	
16	अन्य मादवि	2020-21	33	3	29	1	
		2021-22	10	-	6	4	
17	आयुध अधिनियम 1959	2020-21	1	-	1	-	
		2021-22	-	-	-	-	
18	स्वापक औषधि एवं मनः प्रमावी पदार्थ अधिनियम 1985	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	4	-	1	3	
19	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सट्टा	2020-21	1	-	1	-
			2021-22	2	-	2	-
20		जुआ	2020-21	7	-	7	-
			2021-22	6	-	6	-
21	आबकारी अधिनियम 1915	2020-21	86	-	79	7	
		2021-22	72	-	57	15	
22	विस्फोटक अधिनियम 1884	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	2	-	2	-	
23	आवश्यक वस्तु अधिनियम	2020-21	1	-	-	1	
		2021-22	-	-	-	-	
24	दहेज प्रतिषेध अधिनियम	2020-21	1	-	1	-	
		2021-22	-	-	-	-	
25	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम	2020-21	4	-	4	-	
		2021-22	4	-	3	1	
	महायोग	2020-21	341	40	279	22	
		2021-22	268	11	167	90	

टीप :- रिकार्ड का संधारण थानेवार होने के कारण लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के आँकड़े भी शामिल है।

अनुमान अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

थाना-तमनार (अवधि - वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक)

क्र.	अपराध शीर्ष	वर्ष	प्रकरण	खात्मा	चालान	विवेचनाधीन
1	हत्या	2020-21	4	-	4	-
		2021-22	3	-	3	-
2	हत्या का प्रयास	2020-21	4	-	4	-
		2021-22	1	-	1	-
3	अपराधिक मानव वध	2020-21	1	1	-	-
		2021-22	1	-	1	-
4	बलात्कार	2020-21	10	1	9	-
		2021-22	7	-	4	3
5	अपहरण/व्यपहरण	2020-21	7	5	1	1
		2021-22	-	-	-	-
6	लूट	2020-21	6	2	4	-
		2021-22	-	-	-	-
7	नकबजनी	2020-21	9	5	4	-
		2021-22	3	1	-	2
8	चोरी	2020-21	20	9	11	-
		2021-22	18	4	9	5
9	बलवा	2020-21	4	-	4	-
		2021-22	-	-	-	-
10	खयानत	2020-21	1	-	1	-
		2021-22	-	-	-	-
11	धोखाधड़ी	2020-21	3	1	1	1
		2021-22	5	2	1	2
12	आगजनी	2020-21	2	2	-	-
		2021-22	3	1	2	-
13	चोट	2020-21	85	-	85	-
		2021-22	53	1	39	13
14	शीलभंग	2020-21	14	1	13	-
		2021-22	4	-	4	-
15	यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़	2020-21	2	-	2	-
		2021-22	1	-	-	1
16	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	2020-21	4	-	4	-
		2021-22	1	-	-	1
17	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2020-21	14	4	9	1
		2021-22	19	7	10	2
18	अन्य भा.द.वि.	2020-21	40	5	35	-
		2021-22	33	3	18	12
19	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	2020-21	2	-	2	-
		2021-22	4	-	3	1
20	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	2020-21	9	-	9	-
		2021-22	21	-	21	-
21	जुआ	2020-21	18	-	18	-
		2021-22	14	-	13	1
22	आबकारी अधिनियम 1915	2020-21	175	-	175	-
		2021-22	113	-	110	3
23	विस्फोटक अधिनियम 1884	2020-21	1	-	1	-
		2021-22	-	-	-	-
महायोग		2020-21	435	36	396	3
		2021-22	304	19	239	46

टीप :- रिकार्ड का संघारण थानेवार होने के कारण लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ऑफडे भी शामिल है।

थाना-घरघोड़ा (अवधि-वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक))

क्र	अपराध शीर्ष	वर्ष	प्रकरण	खात्मा	चालान	विवेचनाधीन	
1	हत्या	2020-21	5	-	5	-	
		2021-22	8	1	6	1	
2	हत्या का प्रयास	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	2	-	2	-	
3	अपराधिक मानव वध	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	1	-	1	-	
4	बलात्कार	2020-21	6	-	6	-	
		2021-22	13	-	12	1	
5	अपहरण/व्यपहरण	2020-21	4	4	-	-	
		2021-22	2	2	-	-	
6	डकैती	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	-	-	-	-	
7	लूट	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	4	-	3	1	
8	नकबजनी	2020-21	7	2	3	2	
		2021-22	6	1	5	-	
9	चोरी	2020-21	31	11	15	5	
		2021-22	24	8	14	2	
10	बलवा	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	-	-	-	-	
11	खयानत	2020-21	3	-	2	1	
		2021-22	-	-	-	-	
12	धोखाधड़ी	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	1	-	-	1	
13	आगजनी	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	2	-	2	-	
14	चोट	2020-21	63	-	54	9	
		2021-22	58	-	43	15	
15	शीलमंग	2020-21	3	-	3	-	
		2021-22	4	-	3	1	
16	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	-	-	-	-	
17	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2020-21	27	10	14	3	
		2021-22	23	7	10	6	
18	अन्य भा.द.वि.	2020-21	13	1	11	1	
		2021-22	27	-	21	6	
19	आयुध अधिनियम 1959	2020-21	1	-	1	-	
		2021-22	-	-	-	-	
20	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	2020-21	4	-	4	-	
		2021-22	1	-	-	1	
21	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सददा	2020-21	7	-	5	2
		जुआ	2021-22	9	-	9	-
22	जुआ	2020-21	23	-	20	3	
		2021-22	39	-	38	1	
23	आबकारी अधिनियम 1915	2020-21	127	-	125	2	
		2021-22	133	-	128	5	
24	आई0टी0 अधिनियम	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	-	-	-	-	
25	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम	2020-21	1	-	1	-	
		2021-22	1	-	-	1	
महायोग		2020-21	337	28	281	28	
		2021-22	358	19	297	42	

टीप :- रिकार्ड का संघारण थानेवार होने के कारण लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ऑकडे भी शामिल है।

थाना-पूँजीपथरा (अवधि -वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक)								
क	अपराध शीर्ष		वर्ष	प्रकरण	खात्मा	खारजी	चालान	विवेचनाधीन
1	हत्या		2020-21	1	-	-	1	-
			2021-22	-	-	-	-	-
2	हत्या का प्रयास		2020-21	1	-	-	1	-
			2021-22	-	-	-	-	-
3	अपराधिक मानव वध		2020-21	-	-	-	-	-
			2021-22	-	-	-	-	-
4	बलात्कार		2020-21	6	-	-	6	-
			2021-22	-	-	-	-	-
5	अपहरण/व्यपहरण		2020-21	3	1	1	1	-
			2021-22	1	-	-	-	1
6	लूट		2020-21	3	-	-	3	-
			2021-22	-	-	-	-	-
7	नकबजनी		2020-21	3	-	-	3	-
			2021-22	3	-	-	3	-
8	चोरी		2020-21	20	9	-	11	-
			2021-22	16	11	-	3	2
9	बलवा		2020-21	-	-	-	-	-
			2021-22	1	-	-	1	-
10	खयानत		2020-21	1	-	-	1	-
			2021-22	1	-	-	-	1
11	धोखाधड़ी		2020-21	1	-	-	1	-
			2021-22	-	-	-	-	-
12	चोट		2020-21	33	1	-	32	-
			2021-22	13	-	-	13	-
13	दहेज मृत्यु		2020-21	2	-	-	2	-
			2021-22	-	-	-	-	-
14	शीलभंग		2020-21	3	-	-	3	-
			2021-22	1	-	-	1	-
15	यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़		2020-21	1	-	-	1	-
			2021-22	-	-	-	-	-
16	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु		2020-21	27	10	-	17	-
			2021-22	21	11	-	9	1
17	अन्य भा.द.वि.		2020-21	27	3	-	24	-
			2021-22	16	-	-	16	-
18	आयुध अधिनियम 1959		2020-21	4	-	-	4	-
			2021-22	1	-	-	1	-
19	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सट्टा	2020-21	8	-	-	8	-
			2021-22	2	-	-	2	-
20	जुआ	जुआ	2020-21	7	-	-	7	-
			2021-22	4	-	-	4	-
21	आबकारी अधिनियम 1915		2020-21	178	-	-	178	-
			2021-22	155	-	-	144	11
महायोग			2020-21	329	24	1	304	-
			2021-22	235	22	-	197	16

टीप :- रिकार्ड का संघारण थानेवार होने के कारण लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ऑकड़े भी शामिल है।

थाना-कोतवाली (अवधि -वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक)

क	अपराध शीर्ष	वर्ष	प्रकरण	खात्मा	खारजी	चालान	विवेचनाधीन
1	हत्या	2020-21	2			2	-
		2021-22	1	-	-	1	-
2	हत्या का प्रयास	2020-21	10			10	-
		2021-22	2			1	1
3	अपराधिक मानव वध	2020-21	-			-	-
		2021-22	1			1	-
4	बलात्कार	2020-21	20			20	-
		2021-22	21			17	4
5	अपहरण/ व्यपहरण	2020-21	19	10	4	4	1
		2021-22	26	17	1	1	7
6	लूट	2020-21	6	1	-	5	-
		2021-22	12	-	-	10	2
7	नकबजनी	2020-21	33	18	-	15	-
		2021-22	46	15	-	26	5
8	चोरी	2020-21	105	72	-	32	1
		2021-22	123	77	-	28	18
9	बलवा	2020-21	4	-	-	4	-
		2021-22	4	-	-	3	1
10	खयानत	2020-21	5	-	-	2	3
		2021-22	3	-	-	2	1
11	धोखाधड़ी	2020-21	20	4	-	8	8
		2021-22	30	3	1	14	12
12	आगजनी	2020-21	2	2	-	-	-
		2021-22	3	-	-	2	1
13	चोट	2020-21	238	5	-	230	3
		2021-22	204	1	-	163	40
14	दहेज मृत्यु	2020-21	-			-	-
		2021-22	1			-	1
15	शीलमंग	2020-21	14			13	1
		2021-22	22	1		19	2
16	यौन उत्पीड़न/ छेड़छाड़	2020-21	6	3	-	2	1
		2021-22	6	-	-	4	2
17	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	2020-21	12	-	1	10	1
		2021-22	4	-	-	1	3
18	लड़कियों का आयात	2020-21	1			1	-
		2021-22	-			-	-
19	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2020-21	26	14	-	11	1
		2021-22	50	17	-	20	13
20	अन्य भा.द.वि.	2020-21	115	15	2	92	6
		2021-22	191	8	-	163	20
21	आयुध अधिनियम 1959	2020-21	6	-	-	6	-
		2021-22	5	-	-	4	1
22	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	2020-21	3	-	-	3	-
		2021-22	3	-	-	3	-
23	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सदटा	2020-21	114		114	-
		2021-22	92	-	-	88	4
24	जुआ	2020-21	45	-	-	45	-
		2021-22	55	-	-	55	-
25	आबकारी अधिनियम 1915	2020-21	509	-	-	509	-
		2021-22	590	1	-	556	33
26	अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम	2020-21	1			1	-
		2021-22	1	-	-	1	-
27	आवश्यक वस्तु अधिनियम	2020-21	1	-	-	1	-
		2021-22	-	-	-	-	-
28	कॉपी राईट अधिनियम	2020-21	1	-	-	1	-
		2021-22	4	-	-	4	-
29	आईटी0 अधिनियम	2020-21	1	-	-	-	1
		2021-22	4	-	-	2	2
30	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम	2020-21	2	1	-	1	-
		2021-22	1			1	-
31	अन्य विशेष/स्थानीय अधिनियम	2020-21	1	-	-	1	-
		2021-22	-	-	-	-	-
महायोग		2020-21	1,322	145	7	1,143	27
		2021-22	1,505	140	2	1,190	173

टीप :- रिकार्ड का संधारण थानेवार होने के कारण लैलूगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ऑकड़े भी शामिल हैं।

थाना- चकधर नगर (अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक)

क्र	अपराध शीर्ष	वर्ष	प्रकरण	खात्मा	खारजी	चालान	विवेचनाधीन	
1	हत्या	2020-21	3			3	-	
		2021-22	5	-	-	5	-	
2	हत्या का प्रयास	2020-21	3			3	-	
		2021-22	-	-	-	-	-	
3	अपराधिक मानव वध	2020-21	2	1		1	-	
		2021-22	-			-	-	
4	बलात्कार	2020-21	20	-		16	4	
		2021-22	9			6	3	
5	अपहरण/ व्यपहरण	2020-21	12	5	2	1	4	
		2021-22	10	4	2	-	4	
6	लूट	2020-21	3	-		3	-	
		2021-22	1	-		1	-	
7	नकबजनी	2020-21	18	9		9	-	
		2021-22	26	9		6	11	
8	चोरी	2020-21	34	23		10	1	
		2021-22	36	20		3	13	
9	बलवा	2020-21	5	-		5	-	
		2021-22	4	-		2	2	
10	खयानत	2020-21	2	-		2	-	
		2021-22	4	-		1	3	
11	धोखाघड़ी	2020-21	14	4		7	3	
		2021-22	13	3	1	2	7	
12	चोट	2020-21	114	3		97	14	
		2021-22	121	1		66	54	
13	दहेज मृत्यु	2020-21	-			-	-	
		2021-22	1			1	-	
14	शीलभंग	2020-21	12		1	10	1	
		2021-22	6	-		6	-	
15	यौन उत्पीड़न/ छेड़छाड़	2020-21	7	2		4	1	
		2021-22	1	-		1	-	
16	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	2020-21	9			6	3	
		2021-22	5			4	1	
17	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2020-21	19	9		9	1	
		2021-22	21	4		7	10	
18	अन्य भा.द.वि.	2020-21	40	2	2	35	1	
		2021-22	53	-		36	17	
19	आयुध अधिनियम 1959	2020-21	5			5	-	
		2021-22	1			1	-	
20	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	2020-21	1			1	-	
		2021-22	1			1	-	
21	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सट्टा	2020-21	24			24	-
			2021-22	34			34	-
22	जुआ	2020-21	11			11	-	
		2021-22	13			13	-	
23	आबकारी अधिनियम 1915	2020-21	206			185	21	
		2021-22	164			146	18	
24	विस्फोटक अधिनियम 1884	2020-21	1			1	-	
		2021-22	-			-	-	
25	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908	2020-21	1			1	-	
		2021-22	-			-	-	
26	अन्य विशेष/स्थानीय अधिनियम	2020-21	1			1	-	
		2021-22	-			-	-	
महायोग		2020-21	567	58	5	450	54	
		2021-22	529	41	3	342	143	

टीप :- रिकार्ड का संघारण थानेवार होने के कारण लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े भी शामिल हैं।

थाना-कोतरा रोड (अवधि-वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (जनवरी तक))							
क	अपराध शीर्ष	वर्ष	प्रकरण	खात्मा	चालान	विवेचनाधीन	
1	हत्या	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	1	-	1	-	
2	हत्या का प्रयास	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	5	-	5	-	
3	बलात्कार	2020-21	9	-	9	-	
		2021-22	3	-	3	-	
4	अपहरण/ व्यपहरण	2020-21	12	10	1	1	
		2021-22	8	7	-	1	
5	लूट	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	-	-	-	-	
6	नकबजनी	2020-21	6	2	4	-	
		2021-22	4	3	1	-	
7	चोरी	2020-21	13	9	4	-	
		2021-22	8	4	2	2	
8	खयानत	2020-21	1	-	-	1	
		2021-22	1	-	-	1	
9	धोखाधड़ी	2020-21	4	1	2	1	
		2021-22	1	-	-	1	
10	चोट	2020-21	68	-	68	-	
		2021-22	37	-	34	3	
11	शीलभंग	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	1	-	1	-	
12	यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़	2020-21	-	-	-	-	
		2021-22	1	-	-	1	
13	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	2020-21	2	-	2	-	
		2021-22	1	-	1	-	
14	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2020-21	23	12	11	-	
		2021-22	16	3	7	6	
15	अन्य भा.द.वि.	2020-21	27	4	23	-	
		2021-22	22	-	18	4	
16	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	2020-21	1	-	1	-	
		2021-22	-	-	-	-	
17	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सट्टा	2020-21	4	-	4	-
			2021-22	15	-	15	-
18	जुआ	2020-21	9	-	9	-	
		2021-22	8	-	8	-	
19	आबकारी अधिनियम 1915	2020-21	111	-	111	-	
		2021-22	134	-	133	1	
योग		2020-21	294	38	253	3	
		2021-22	266	17	229	20	

टीप :-रिकार्ड का संचारण थानेवार होने के कारण लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ऑफिस भी शामिल है।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोक्ष - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क. 1012) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

हत्या,आत्महत्या एवं बलात्कार की जिलेवार जानकारी

01 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2022 तक

क्र.	जिला	वर्ष	हत्या	आत्महत्या	बलात्कार
1	रायपुर	2019	76	708	116
		2020	76	747	103
		2021	62	576	206
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	5	114	31
2	बलौदाबाजार	2019	30	365	41
		2020	34	333	32
		2021	26	317	79
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	3	63	16
3	गरियाबंद	2019	9	166	14
		2020	26	180	14
		2021	18	211	53
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	1	29	7
4	घमतरी	2019	22	284	20
		2020	18	290	28
		2021	17	341	60
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	2	57	8
5	महासमुंद	2019	12	301	24
		2020	25	354	47
		2021	23	431	59
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	3	57	9
6	दुर्ग	2019	35	462	68
		2020	33	499	63
		2021	42	490	145
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	7	94	18
7	बेमेतरा	2019	17	139	11
		2020	17	182	17
		2021	22	164	65
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	2	28	8

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क.	जिला	वर्ष	हत्या	आत्महत्या	बलात्कार
8	कबीरघाम	2019	29	131	22
		2020	18	140	25
		2021	19	143	69
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	2	22	7
9	राजनांदगांव	2019	20	342	30
		2020	44	429	41
		2021	53	453	115
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	6	72	15
10	बालोद	2019	20	272	33
		2020	22	318	14
		2021	10	331	67
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	1	44	11
11	बिलासपुर	2019	48	460	110
		2020	52	449	88
		2021	48	489	146
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	6	17	12
12	जांजगीर	2019	44	435	34
		2020	53	518	35
		2021	57	487	121
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	3	81	8
13	कोरबा	2019	46	1152	34
		2020	44	312	47
		2021	40	487	100
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	5	78	9
14	रायगढ़	2019	67	354	124
		2020	58	379	161
		2021	71	477	141
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	9	79	17
15	मुंगेली	2019	16	92	10
		2020	28	108	13
		2021	16	142	40
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	2	11	4

क्र.	जिला	वर्ष	हत्या	आत्महत्या	बलात्कार
16	पेण्ड्रा	2019	0	0	0
		2020	17	88	4
		2021	12	99	25
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	1	11	3
17	सरगुजा	2019	44	260	72
		2020	48	321	96
		2021	65	283	143
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	3	32	19
18	सूरजपुर	2019	47	256	48
		2020	43	235	50
		2021	34	253	138
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	5	37	15
19	बलरामपुर	2019	37	194	51
		2020	38	242	96
		2021	49	199	160
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	7	23	19
20	जशपुर	2019	64	227	55
		2020	69	315	54
		2021	51	334	154
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	6	32	19
21	कोरिया	2019	34	190	30
		2020	23	266	70
		2021	38	239	115
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	8	23	26
22	जगदलपुर	2019	33	200	38
		2020	29	215	35
		2021	31	295	113
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	3	24	16
23	कांकेर	2019	45	272	22
		2020	31	310	42
		2021	25	323	86
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	5	44	17

क्र.	जिला	वर्ष	हत्या	आत्महत्या	बलात्कार
24	कोण्डागांव	2019	11	129	12
		2020	21	210	10
		2021	19	254	59
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	1	23	9
25	नारायणपुर	2019	13	36	2
		2020	11	42	7
		2021	21	43	26
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	1	6	0
26	दंतेवाड़ा	2019	24	59	2
		2020	18	95	5
		2021	26	54	20
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	6	12	2
27	बीजापुर	2019	33	50	9
		2020	43	56	5
		2021	36	51	29
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	8	4	2
28	सुकमा	2019	36	60	3
		2020	32	65	7
		2021	29	88	19
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	3	7	2
29	रेल	2019	0	33	1
		2020	1	12	4
		2021	2	10	2
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	2	0
महायोग:-			2960	24529	5153

टीप:- जिला गौरेला पेंड्रा दिनांक 10.02.2020 को अस्तित्व में आने के कारण प्रश्नांश अवधि वर्ष-2019 की घटित अपराधों की रिपोर्ट पूर्ववर्ति जिला बिलासपुर में सम्मिलित है।

अनुनाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

आत्महत्या की जिलेवार जानकारी
01 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2022 तक

क्र.	जिला	वर्ष	किसान	युवा
1	रायपुर	2019	0	290
		2020	0	308
		2021	5	287
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	36
2	बलौदाबाजार	2019	71	140
		2020	52	133
		2021	11	149
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	20
3	गरियाबंद	2019	0	59
		2020	0	70
		2021	0	83
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	10
4	धमतरी	2019	0	99
		2020	0	102
		2021	0	142
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	21
5	महासमुंद	2019	0	125
		2020	0	151
		2021	0	147
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	22
6	दुर्ग	2019	0	186
		2020	3	173
		2021	0	130
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	26
7	बेमेतरा	2019	1	63
		2020	0	74
		2021	0	64
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	8

अनुष्ठा अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	जिला	वर्ष	किसान	युवा
8	कबीरघाम	2019	9	66
		2020	5	60
		2021	3	63
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	6
9	राजनांदगांव	2019	0	102
		2020	0	133
		2021	0	203
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	27
10	बालोद	2019	10	109
		2020	0	121
		2021	1	115
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	13
11	बिलासपुर	2019	61	171
		2020	86	191
		2021	29	52
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	0
12	जांजगीर	2019	0	209
		2020	0	247
		2021	0	225
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	30
13	कोरबा	2019	0	518
		2020	12	126
		2021	0	152
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	32
14	रायगढ़	2019	0	148
		2020	0	133
		2021	19	210
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	23
15	मुंगेली	2019	0	31
		2020	0	42
		2021	0	48
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	8

क्र.	जिला	वर्ष	किसान	युवा
16	पेण्ड्रा	2019	0	0
		2020	0	31
		2021	0	39
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	5
17	सरगुजा	2019	29	70
		2020	34	122
		2021	39	112
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	2	7
18	सूरजपुर	2019	31	75
		2020	0	81
		2021	0	108
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	18
19	बलरामपुर	2019	3	61
		2020	1	94
		2021	0	67
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	10
20	जशपुर	2019	7	94
		2020	1	112
		2021	1	89
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	8
21	कोरिया	2019	11	78
		2020	32	107
		2021	0	103
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	8
22	जगदलपुर	2019	0	71
		2020	0	68
		2021	0	85
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	7
23	कांकेर	2019	0	93
		2020	0	134
		2021	0	103
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	13
24	कोण्डागांव	2019	0	64
		2020	1	61
		2021	0	56
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	3

क.	जिला	वर्ष	किसान	युवा
25	नारायणपुर	2019	0	13
		2020	0	15
		2021	0	21
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	1
26	दंतेवाड़ा	2019	0	24
		2020	0	32
		2021	0	24
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	3
27	बीजापुर	2019	0	23
		2020	0	28
		2021	2	27
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	1
28	सुकमा	2019	0	26
		2020	0	34
		2021	0	3
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	0
29	रेल	2019	0	9
		2020	0	3
		2021	0	5
		01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक	0	0
महायोग:-			572	9281


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परीशेष्ट - उन्सठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1126) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन मंडलों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी

क्र०	मंडल का नाम	वर्तमान में संचालित योजनाओं की संख्या
1	छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	24
2	छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	35
3	छ०ग० श्रम कल्याण मंडल	11
योग		70


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

प्रपत्र - ब

श्रम विभाग के अधीन मंडलों के अंतर्गत लाभांवित श्रमिकों की विकासखंडवार जानकारी

क्र०	मंडल का नाम	विकासखंड मगरलोड	विकासखंड नगरी	महायोग
1	छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	12941	8689	21630
2	छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	404	1138	1542
3	छ०ग० श्रम कल्याण मंडल	0	0	0
योग		13345	9827	23172



अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

परीशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क. 1127) की जानकारी

"प्रपत्र"

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	प्रशा. स्वी		कार्य प्रारंभ किया गया	
			प्राप्त	अप्राप्त	हाँ	नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1	नगरी	जिला धमतरी के छिपलीपारा पहुंच मार्ग में चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण कार्य पुल पुलिया सहित, लं. 1.50 किमी. (कार्य वर्ष 2019-20)	प्राप्त	-	हाँ	-
2	नगरी	जिला धमतरी के सम्बलपुर से कमार बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य पुल पुलिया सहित, लं. 1.00 किमी. (कार्य वर्ष 2019-20)	प्राप्त	-	हाँ	-
3	नगरी	जिला धमतरी के पदमपुर पहुंच मार्ग का मजबूतीकरण कार्य पुल पुलिया सहित, लं. 2.50 किमी. (कार्य वर्ष 2019-20)	-	अप्राप्त	-	नहीं
4	नगरी	जिला धमतरी के बजरंग चौक पोड़ागांव से लखनपुरी बस्ती तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पुल पुलिया सहित, लं. 2.20 किमी. (कार्य वर्ष 2019-20)	-	अप्राप्त	-	नहीं
5	नगरी	जिला धमतरी वि.खं. नगरी के भोथापारा हाई स्कूल भवन का निर्माण। (कार्य वर्ष 2019-20)	प्राप्त	-	हाँ	-
6	नगरी	जिला धमतरी के दुधावा नगरी बासीन मार्ग के किमी. 58/4 में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल निर्माण कार्य। (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)	प्राप्त	-	हाँ	-
7	नगरी	जिला धमतरी के बिरगुड़ी से कसपुर मार्ग लं. 12.00 किमी. में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पुल पुलिया सहित (लोन-3) (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)	प्राप्त	-	हाँ	-
8	नगरी	जिला धमतरी के दुधावा नगरी बासीन मार्ग किमी. 64/4 से 67/6 एवं 72/6 से 81/4= 11.40 किमी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (लोन-3) (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)	प्राप्त	-	हाँ	-
9	नगरी	जिला धमतरी के मेघा सिंगपुर दुगली मार्ग किमी. 1/2 से 12/10=12.00 किमी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (लोन-3) (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)	प्राप्त	-	हाँ	-

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	प्रशा. स्वी		कार्य प्रारंभ किया गया	
			प्राप्त	अप्राप्त	हाँ	नहीं
1	2	3	4	5	6	7
10	नगरी	जिला धमतरी के बोरई से मैनपुर मार्ग निर्माण पुल पुलिया सहित, लं. 2.50 किमी. (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)		अप्राप्त		नहीं
11	नगरी	जिला धमतरी के मेघा सिंगपुर दुगली मार्ग किमी. 16/2 से 31/10=16.00 किमी. का चौड़ीकरण कार्य वास्तविक लंबाई 23.00 किमी. (लोन-3) (वर्ष 2021-22)	प्राप्त	-	हाँ	-
12	नगरी	जिला धमतरी के हीरापुर से घटुला मार्ग पुल पुलिया सहित, लंबाई 4.00 किमी. का निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
13	नगरी	जिला धमतरी के सांकरा पुरानी बस्ती पहुंच मार्ग का मजबूतीकरण कार्य लं. 0.80 किमी. (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
14	नगरी	जिला धमतरी के बोकराबेडा हिरीडीह से बेलगांव मुख्यमार्ग तक पुलिया सहित, लं. 2.40 किमी. का निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
15	नगरी	जिला धमतरी के नवागांव से भुरसीडोंगरी मार्ग पुलिया सहित, लं. 3.00 किमी. का निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
16	नगरी	जिला धमतरी के करघाटी से राजपुर तक पुलिया सहित, लं. 3.50 किमी. का निर्माण कार्य। (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
17	नगरी	जिला धमतरी के झुरानदी से कसपुर मार्ग पुलिया सहित, लं. 4.00 किमी. का निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
18	नगरी	जिला धमतरी के घटुला मेन रोड से भीषमपुरी-बिरनासिल्ली-सी.आर.पी.एफ. कैम्प तक मार्ग निर्माण पुल पुलिया सहित लं. 9.60 कि.मी. (कार्य वर्ष 2021-22)	-	अप्राप्त	-	नहीं
19	मगरलोड	जिला धमतरी वि.खं. मगरलोड के मोहरेंगा में शास. हाईस्कूल भवन का निर्माण (कार्य वर्ष 2019-20)	प्राप्त	-	हाँ	-
20	नगरी	जिला धमतरी के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल निर्माण (कार्य वर्ष 2018-19)	प्राप्त	-	हाँ	-

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	प्रशा.		स्वी		कार्य प्रारंभ किया गया	
			प्राप्त	4	अप्राप्त	5	हाँ	6
1	2	3	4	5	6	7		
21	नगरी	जिला धमतरी के विकासखण्ड नगरी के ग्राम चिवरी से चारभाठा पहुंच मार्ग के पास सलेरिया नदी पर पुल निर्माण (कार्य वर्ष 2018-19)	प्राप्त	—	हाँ	—		
22	नगरी	जिला धमतरी के नवागांव आदिवासीपारा से कट्टीगांव पहुंचमार्ग के बीच में सीतानदी पर पुल निर्माण। (कार्य वर्ष 2020-21)	प्राप्त	—	हाँ	—		



मुख्य अभियंता

VC कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1207) की जानकारी

प्रपत्र

दुर्ग नगर निगम क्षेत्रांतर्गत साईंस कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम।

क्र.	संभाग	कार्य का नाम	आधारशीला रखने का वर्ष	स्वीकृति राशि (रु०लाखमें)	स्वीकृत दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दुर्ग	संभागीय मुख्यालय दुर्ग में ऑडिटोरियम का निर्माण (750 सीटर)	2017	1344.74	24.07.2017	01.05.2019	भवन (सिविल कार्य) पूर्ण एच.वी.ए.सी., एकास्टीकल, आंतरिक एवं बाहरी विद्युतीकरण कार्य, साउण्ड सिस्टम, फर्नीचर, लैण्डस्कोपिंग कार्य शेष।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

लो०नि०वि०, नवा रायपुर, अटल नगर


पारिशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1208) की जानकारी

प्रपत्र

दुर्ग नगर निगम क्षेत्रांतर्गत ठगड़ाबांध का सौंदर्यीकरण

क.	निकाय का नाम	कार्य विवरण	संचालनालय द्वारा स्वीकृत राशि	संचालनालय का स्वीकृति दिनांक	कार्य हेतु एजेंसी का नाम	निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	वर्तमान में कार्य पूर्णता की प्रतिशत	31 जनवरी 2022 की स्थिति में इस कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार को कुल भुगतान राशि
1	न.पा.नि.दुर्ग	ठगड़ाबांध का सौंदर्यीकरण	8.13 करोड़	13061/22-11-2019	में. ओम एस्सोसिएट्स रायपुर	निर्माण कार्य दिनांक 15.10.2020 को प्रारंभ हुआ।	अनुबंध अनुसार जुलाई 2021 में पूर्ण किया जाना था, किन्तु कोरोना महामारी के तहत लॉक डाउन होने एवं भुगतान में विलंब होने के कारण कार्य में विलंब हुआ।	60%	योजना कार्यों हेतु राशि रु. 7.22 करोड़ का भुगतान किया गया है।


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नगर संचालनालय, महाबन्दी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1212) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में
1	2019-20	सियादेवी मंदिर ट्रस्ट नारागांव को नवरात्र महोत्सव हेतु अनुदान आबंटन	रु. 1.00 लाख
2	2019-20	ग्राम पंचायत कनेरी के कंकालीन मंदिर जीर्णोद्धार हेतु	रु.5.00 लाख
3	2019-20	ग्राम व ग्राम पंचायत ओझागहन वि.खं.गुरुर में शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
4	2019-20	ग्राम व ग्राम पंचायत ओझागहन वि.खं.गुरुर में शीतला मंदिर में आहाता निर्माण	रु. 5.00 लाख
5	2019-20	ग्राम पड़कीभाट शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
6	2019-20	ग्राम पड़कीभाट के शीतला मंदिर में आहाता निर्माण	रु. 5.00 लाख
7	2019-20	ग्राम भेजा मैदानी शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 5.00 लाख
8	2019-20	ग्राम पंचायत कनेरी कंकालीन परिसर में आहाता निर्माण	रु. 5.00 लाख
9	2019-20	ग्राम पंचायत कनेरी कंकालीन मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
10	2020-21	ग्राम पंचायत गुरुर के कालभैरव देउर मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
11	2020-21	ग्राम पंचायत गुरुर के कालभैरव देउर मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 5.00 लाख
12	2020-21	ग्राम पंचायत ओझागहन विकास खंड गुरुर में शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
13	2020-21	ग्राम पड़कीभाट शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
14	2020-21	ग्राम भेजा मैदानी शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 5.00 लाख
15	2020-21	ग्राम पंचायत कनेरी कंकालीन मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
16	2020-21	ग्रामचुहापथरा ग्राम पंचायत कन्हारपुरी के शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण	रु. 4.70 लाख
17	2020-21	जय सरना देवी माली पानी अमृत कुंड मंदिर ग्राम ओड़गांव वि.खं.डौण्डी में सामुदायिक भवन निर्माण	रु. 5.00 लाख
18	2020-21	ग्राम कमरौद वि.खं.गुण्डरदेही में हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार	रु. 5.00 लाख
19	2021-22	शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण अर्जुन्दा	रु. 5.00 लाख
20	2021-22	शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष निर्माण परसवानी (परना)	रु. 5.00 लाख
21	2021-22	ग्राम कंकालीन पेटेचुवा में कंकालीन माता मंदिर का जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य	रु. 5.00 लाख


 अनुभाग अधिकारी
 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1215) की जानकारी

प्रश्न

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की संचालन एजेंसीवार, दुकानवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
1	रायगढ़	412001040	कोसमपाली	कोसमपाली सचिव, ग्राम पंचायत
2	रायगढ़	412001042	पतरापाली पूर्व	ग्राम पंचायत
3	रायगढ़	412001045	खैरपुर	खैरपुर सचिव, ग्राम पंचायत
4	रायगढ़	412001046	रायगढ़	जनता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार
5	रायगढ़	412001047	रायगढ़	उज्जवला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित भगवानपुर
6	रायगढ़	412001049	कलमी	कलमी सचिव ग्राम पंचायत
7	रायगढ़	412001050	लाखा	लाखा सचिव ग्राम पंचायत
8	रायगढ़	412001051	गेरवानी	गेरवानी ग्राम पंचायत गेरवानी
9	रायगढ़	412001052	देलारी	ग्राम पंचायत
10	रायगढ़	412001053	बंगुरसिया	संलग्न मीनाक्षी महिला स्व सहायता समूह रेगडा
11	रायगढ़	412001054	नावागाँव	ग्राम पंचायत नवागाँव
12	रायगढ़	412001056	रेगडा	मीनाक्षी महिला स्व सहायता समूह रेगडा
13	रायगढ़	412001057	भेलवाटिकरा	संलग्न जय माँ जगदम्बा महिला स्व सहायता समूह
14	रायगढ़	412001058	रायगढ़	संलग्न ज्योति महिला स्व सहायता समूह भगवानपुर
15	रायगढ़	412001059	संबलपुरी	मां जय जगदम्बा महिला स्व सहायता समूह
16	रायगढ़	412001060	रायगढ़	संलग्न जागृति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार
17	रायगढ़	412001061	रायगढ़	आदर्श महिला बहु. उपभोक्ता भंडार मर्या. रायगढ़
18	रायगढ़	412001062	पंडरीपानी पूर्व	बहुददेशीय प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित

क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
19	रायगढ़	412001064	भगोरा	ग्राम पंचायत
20	रायगढ़	412001065	कोटमार	बन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कोटमार
21	रायगढ़	412001066	बरलिया	रुकमणी महिला स्व सहायता समूह बरलिया
22	रायगढ़	412001067	टारपाली	संलग्न मीनाक्षी महिला स्व सहायता समूह रेगडा
23	रायगढ़	412001068	गोपालपुर	संलग्न बहु0 सह0 उपभोक्ता भण्डार मर्यादित
24	रायगढ़	412001070	तिलगा	शारदा वनोपज महिला स्व सहायता समूह
25	रायगढ़	412001071	झारमुडा	झारगुडा सचिव ग्राम पंचायत
26	रायगढ़	412001073	मनुवापाली	संलग्न बहुउद्देश्य उपभोक्ता भण्डार रायगढ़
27	रायगढ़	412001078	सपनई	सपनई संलग्न सचिव ग्राम पंचायत कोटमार
28	रायगढ़	412001091	बलभद्रपुर	ग्राम पंचायत अडबहाल
29	रायगढ़	412001092	बडेअंतरमुडा	बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या रायगढ़
30	रायगढ़	412001093	लामीदरहा	रौशनी महिला स्व सहायता समूह लामिदरहा
31	लैलूंगा	411010072	लैलूंगा	सहभागिता स्व सहायता समूह
32	लैलूंगा	412008001	बहामा	संस्कार स्व सहायता समूह
33	लैलूंगा	412008002	गुडुबहाल	मां सती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिती गहनाझरिया
34	लैलूंगा	412008003	रुपडेगा	सचिव ग्राम पंचायत
35	लैलूंगा	412008004	मुडागांव	ज्योति स्व सहायता समूह
36	लैलूंगा	412008005	घटगांव	सचिव ग्राम पंचायत
37	लैलूंगा	412008006	कोडासिया	सचिव ग्राम पंचायत
38	लैलूंगा	412008007	तारागढ़	महिला स्व सहायता समूह
39	लैलूंगा	412008008	गहनाझरिया	वन सुरक्षा समिति
40	लैलूंगा	412008009	खेड़आमा	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह
41	लैलूंगा	412008010	पोतरा	कृष्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति


क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
42	लैलूंगा	412008011	बासडांड	नव लक्ष्मी स्व सहायता समूह
43	लैलूंगा	412008012	रुडुकेला	अनन्या महिला स्व सहायता समूह
44	लैलूंगा	412008013	कुपाकानी	सचिव ग्राम पंचायत
45	लैलूंगा	412008014	झारआमा	सचिव ग्राम पंचायत
46	लैलूंगा	412008015	कटकलिया	सचिव ग्राम पंचायत
47	लैलूंगा	412008016	भुईयापानी	किसान स्व सहायता समूह
48	लैलूंगा	412008017	कमरगा	सचिव ग्राम पंचायत
49	लैलूंगा	412008018	करवारजोर	सचिव ग्राम पंचायत
50	लैलूंगा	412008019	चिराईखार	सचिव ग्राम पंचायत
51	लैलूंगा	412008020	मुकडेगा	सचिव ग्राम पंचायत
52	लैलूंगा	412008021	बैस्कीमुडा	सचिव ग्राम पंचायत
53	लैलूंगा	412008022	कुंजारा	पार्वती स्व सहायता समूह
54	लैलूंगा	412008023	रेगडी	मोंगरा स्व सहायता समूह
55	लैलूंगा	412008024	खार	सचिव ग्राम पंचायत
56	लैलूंगा	412008025	सुबरा	सचिव ग्राम पंचायत
57	लैलूंगा	412008026	केशला	जगदम्बा महिला स्व सहायता समूह
58	लैलूंगा	412008027	टटकेला	जीवनदीप स्व सहायता समूह
59	लैलूंगा	412008028	लिबरा	सचिव ग्राम पंचायत
60	लैलूंगा	412008029	कोडकेल	सचिव ग्राम पंचायत
61	लैलूंगा	412008030	नारायणपुर	सचिव ग्राम पंचायत
62	लैलूंगा	412008031	गेरुपानी	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह
63	लैलूंगा	412008032	किलकिला	महिला स्व सहायता समूह
64	लैलूंगा	412008033	बसंतपुर	सचिव ग्राम पंचायत
65	लैलूंगा	412008034	टुरटुरा	सचिव ग्राम पंचायत
66	लैलूंगा	412008035	धौराडाड	सचिव ग्राम पंचायत
67	लैलूंगा	412008036	आमापाली	महिला कल्याण स्व सहायता समूह
68	लैलूंगा	412008037	भेडीमुडा अ	सचिव ग्राम पंचायत
69	लैलूंगा	412008038	बगुडेगा	सचिव ग्राम पंचायत
70	लैलूंगा	412008039	चौरांगा	सचिव ग्राम पंचायत
71	लैलूंगा	412008040	खम्हार	गणपति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिती खम्हार
72	लैलूंगा	412008041	जामबहार	सचिव ग्राम पंचायत
73	लैलूंगा	412008042	सलखिया	सचिव ग्राम पंचायत
74	लैलूंगा	412008043	घियारमुडा	सचिव ग्राम पंचायत

क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
75	लैलूंगा	412008044	झरन	सचिव ग्राम पंचायत
76	लैलूंगा	412008045	लैलूंगा	सहभागिता स्व सहायता समूह
77	लैलूंगा	412008046	पाकरगांव	सहभागिता स्व सहायता समूह
78	लैलूंगा	412008047	बीरसिंघा	मां तारिणी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिती कुपाकानी
79	लैलूंगा	412008048	ढोरोबीजा	महामाया महिला स्व सहायता समूह
80	लैलूंगा	412008049	जतरा	सचिव ग्राम पंचायत
81	लैलूंगा	412008050	गमेकेला	मोंगरा महिला स्व सहायता समूह
82	लैलूंगा	412008051	सोनाजोरी	सचिव ग्राम पंचायत
83	लैलूंगा	412008052	तोलमा	सचिव ग्राम पंचायत
84	लैलूंगा	412008053	चवंरपुर	सचिव ग्राम पंचायत
85	लैलूंगा	412008054	राजगांव	सचिव ग्राम पंचायत
86	लैलूंगा	412008055	कुरी	सचिव ग्राम पंचायत
87	लैलूंगा	412008056	राजपूर	सचिव ग्राम पंचायत
88	लैलूंगा	412008057	ढाप	सचिव ग्राम पंचायत
89	लैलूंगा	412008058	लारीपानी	सचिव ग्राम पंचायत
90	लैलूंगा	412008059	गूनू	सचिव ग्राम पंचायत
91	लैलूंगा	412008060	फुलीकुण्डा	सचिव ग्राम पंचायत
92	लैलूंगा	412008061	मोहनपुर	सचिव ग्राम पंचायत
93	लैलूंगा	412008062	झगरपुर	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह
94	लैलूंगा	412008063	भेडीमुडा ब	मधु स्व सहायता समूह
95	लैलूंगा	412008064	केराबहार	सचिव ग्राम पंचायत
96	लैलूंगा	412008065	दियागढ़	लक्ष्मी स्व सहायता समूह
97	लैलूंगा	412008066	गंजपुर	सचिव ग्राम पंचायत
98	लैलूंगा	412008067	भकुरी	सचिव ग्राम पंचायत
99	लैलूंगा	412008068	लमडांड	जगदम्बा महिला स्व सहायता समूह
100	लैलूंगा	412008069	बरडीह	मां समलाई महिला स्व सहायता समूह
101	लैलूंगा	412008070	तोलगे	सचिव ग्राम पंचायत
102	लैलूंगा	412008071	लैलूंगा	मां सम्लेश्वरी स्व सहायता समूह
103	लैलूंगा	412008072	बैगिनझरिया	वन सुरक्षा समिति
104	लैलूंगा	412008073	गहनाझरिया	सती मां स्व सहायता समूह
105	लैलूंगा	412008074	हिरापुर	सचिव ग्राम पंचायत
106	लैलूंगा	412008075	सिहारधार	सचिव ग्राम पंचायत
107	लैलूंगा	412008076	सरडेगा	संतोषी स्व सहायता समूह

क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
108	लैलूंगा	412008077	लोहरापानी	सचिव ग्राम पंचायत
109	लैलूंगा	412008078	हल्दीझरिया	सचिव ग्राम पंचायत तोलगे
110	लैलूंगा	412008079	केन्दाटिकरा	सचिव ग्राम पंचायत रुडुकेला
111	तमनार	412007001	पेलमा	ग्राम पंचायत पेलमू
112	तमनार	412007002	उरबा	ग्राम पंचायत उरबा
113	तमनार	412007003	लालपुर	ग्राम पंचायत लालपुर
114	तमनार	412007004	हिन्झर	ग्राम पंचायत हिन्झर
115	तमनार	412007005	नूनदरहा	ग्राम पंचायत नूनदरहा
116	तमनार	412007006	बनाई	ग्राम पंचायत बनाई
117	तमनार	412007007	रोडोपाली	जय गुरुदेव महिला स्व सहायता समूह रोडोपाली
118	तमनार	412007008	चितवाही	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह चितवाही
119	तमनार	412007009	बजरमुड़ा	ग्राम पंचायत बजरमुड़ा
120	तमनार	412007010	मिलुपारा	ग्राम पंचायत मिलुपारा
121	तमनार	412007011	बरकसपाली	ग्राम पंचायत बरकसपाली
122	तमनार	412007012	खम्हरिया	ग्राम पंचायत खम्हरिया
123	तमनार	412007013	बरपाली	ग्राम पंचायत बरपाली
124	तमनार	412007014	मौहापाली	ग्राम पंचायत मौहापाली
125	तमनार	412007015	डोलेसरा	ग्राम पंचायत डोलेसरा
126	तमनार	412007016	पाता	ग्राम पंचायत पाता
127	तमनार	412007017	सराईटोला	ग्राम पंचायत सराईटोला
128	तमनार	412007018	गारे	ग्राम पंचायत सराईटोला
129	तमनार	412007019	सारसमाल	ग्राम पंचायत सारसमाल
130	तमनार	412007020	कोंडकेल	ग्राम पंचायत कोंडकेल
131	तमनार	412007021	देवगढ़	ग्राम पंचायत देवगढ़
132	तमनार	412007022	कचकोबा	ग्राम पंचायत कचकोबा
133	तमनार	412007023	जरेकेला	ग्राम पंचायत जरेकेला
134	तमनार	412007024	बासनपाली	महिला स्व सहायता समूह बासनपाली
135	तमनार	412007025	सलिहाभांठा	तुलसी स्व सहायता समूह सलिहाभांठा
136	तमनार	412007026	कुजेमुरा	ग्राम पंचायत कुजेमुरा
137	तमनार	412007027	झिकाबहाल	ग्राम पंचायत झिकाबहाल
138	तमनार	412007028	लिबरा	ग्राम पंचायत लिबरा
139	तमनार	412007029	जांजगीर	ग्राम पंचायत जांजगीर

क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
140	तमनार	412007030	आमाघाट	ग्राम पंचायत आमाघाट
141	तमनार	412007031	गोढी	ग्राम पंचायत गोढी
142	तमनार	412007032	तमनार	ग्राम पंचायत तमनार
143	तमनार	412007033	बुड़िया	ग्राम पंचायत बुड़िया
144	तमनार	412007034	झरना	ग्राम पंचायत झरना
145	तमनार	412007035	धौराभाठा	ग्राम पंचायत धौराभाठा
146	तमनार	412007036	आमगांव	संलग्न ग्राम पंचायत आमगांव
147	तमनार	412007037	टांगरघाट	सितारा महिला स्व सहायता समूह टांगरघाट
148	तमनार	412007038	राबो	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह राबो
149	तमनार	412007039	गदगांव	महिला शाखा स्व सहायता समूह गदगांव
150	तमनार	412007040	तराईमाल	ग्राम पंचायत तराईमाल
151	तमनार	412007041	कसडोल	ग्राम पंचायत कसडोल
152	तमनार	412007042	महलोई	ग्राम पंचायत महलोई
153	तमनार	412007043	समकेरा	लक्ष्मीनारायण स्व सहायता समूह समकेरा
154	तमनार	412007044	बिजना	ग्राम पंचायत बिजना
155	तमनार	412007045	खुरूषलेंगा	ग्राम पंचायत बिजना
156	तमनार	412007046	केशरचुंवा	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह केशरचुंवा
157	तमनार	412007047	डारआमा	ग्राम पंचायत डारआमा
158	तमनार	412007048	जिवरी	ग्राम पंचायत जिवरी
159	तमनार	412007049	भुईकुर्ी	ग्राम पंचायत भुईकुर्ी
160	तमनार	412007050	सराईपाली	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह सराईपाली
161	तमनार	412007051	देवगांव	ग्राम पंचायत देवगांव
162	तमनार	412007052	पड़िगांव	मंगला महिला स्व सहायता समूह पड़िगांव
163	तमनार	412007053	गौरबहरी	श्रीराम महिला स्व सहायता समूह गौरबहरी
164	तमनार	412007054	बड़गांव	ग्राम पंचायत बड़गांव
165	तमनार	412007055	जोबरो	ग्राम पंचायत जोबरो
166	तमनार	412007056	हमीरपुर	ग्राम पंचायत हमीरपुर
167	तमनार	412007057	भगोरा	ग्राम पंचायत भगोरा

क्र.	विकासखण्ड	उचित मूल्य दुकान की आई. डी.	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
168	तमनार	412007058	औराईमुड़ा	ग्राम पंचायत औराईमुड़ा, बरपटिया
169	तमनार	412007059	उत्तररेगांव	ग्राम पंचायत उत्तररेगांव, दक्षिण रेगाव
170	तमनार	412007060	टिहलीरामपुर	ग्राम पंचायत टिहलीरामपुर
171	तमनार	412007061	पूंजीपथरा	ग्राम पंचायत सामारूमा


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


परोशेष्ट - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1222) की जानकारी

प्रपत्र

01 अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की थानावार/चौकीवार जानकारी:-

स.क्र.	थाना/चौकी का नाम	कुल सड़क दुर्घटना मौत
01.	कोतवाली	35
02.	चौकी जूटमिल	80
03.	चकधर नगर	40
04.	कोतरा रोड	47
05.	पूंजी पथरा	42
06.	पूसौर	82
07.	सरिया	37
08.	सारगढ़	48
09.	चौकी कनकबीरा	19
10.	बरमकेला	36
11.	डोंगरीपाली	11
12.	कोसीर	8
13.	केडार	0
14.	खरसिया	52
15.	चौकी खरसिया	7
16.	चौकी जोबी	16
17.	छाल	33
18.	भूपदेवपुर	31
19.	धरमजयगढ़	38
20.	चौकी रैरुमा	15
21.	लैलूंगा	82
22.	कापू	24
23.	घरघोड़ा	68
24.	तमनार	46
योग		897


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1224) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा के क्षेत्रान्तर्गत थानों में पशु तस्करी के दर्ज प्रकरणों की स्थानवार एवं पशुओं की संख्या सहित थानेवार जानकारी

अवधि- 01 अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक

क्र.	विकास खण्ड	थाने का नाम	दर्ज प्रकरणों की संख्या	स्थान	पशुओं की संख्या	आरोपियों की संख्या
1	लैलूंगा	लैलूंगा	01	सतनामी पारा बांधाखार टिकरा चिकटानारा	02	04
			01	ग्राम काराडेंगा बस्तीपारा	01	03
			01	ग्राम सारसमाल केनाल मोड़	63	07
			01	ग्राम किलकिला	170	08
			01	ग्राम सारसमाल जंगल	23	04
			01	ग्राम तोलमा रक्शामुंडा जंगल	49	02
			01	ग्राम नारायणपुर पुलिया के पास	05	02
			01	लैलूंगा	40	0
			01	डगला पेट्रोल पम्प के पास लैलूंगा	30	02
2	तमनार	पूंजीपथरा	01	ग्राम बगबुड़ा तमनार	18	04
		तमनार	01	खम्हरिया	05	02
		01	बासनपाली	12	04	
योग			12	योग	418	42

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - सड़सठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1232) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत एवं घायल व्यक्तियों के थानावार दर्ज प्रकरणों की जानकारी-

स.क्र.	थाना का नाम	सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज प्रकरण	
		मृत्युकारित	घायल कारित
01.	कोतवाली	109	132
02.	चकधर नगर	46	61
03.	कोतरा रोड	45	41
04.	पूजी पथरा	43	26
05.	पूसौर	77	44
06.	सरिया	38	15
07.	सारगढ़	74	89
08.	बरमकेला	37	22
09.	डोंगरीपाली	11	1
10.	कोसीर	9	9
11.	केडार	0	3
12.	खरसिया	73	94
13.	छाल	33	26
14.	भूपदेवपुर	31	22
15.	धरमजयगढ़	46	48
16.	लैलूंगा	82	64
17.	कापू	24	20
18.	घरघोड़ा	70	26
19.	तमनार	53	58
योग		901	801

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्य - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1237) की जानकारी

पुलिस विवेचना में लंबित साइबर अपराध में दर्ज प्रकरणों की जानकारी जिला-रायगढ़ प्रपत्र			
क्र	थाने का नाम	अपराध क्रमांक	धारा
1	कोतवाली	73/19	153 (ख) (1) क ता.हि. 67 आई.टी. एक्ट
2	कोतवाली	166/19	509 ख, 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधि.
3	कोतवाली	940/19	420 ता.हि. 66 आई.टी. एक्ट
4	कोतवाली	412/20	507 ता.हि. 67 आई.टी. एक्ट
5	कोतवाली	370/21	67 (बी) सूचना प्रौ. अधिनियम
6	कोतवाली	635/21	67 बी आई.टी. एक्ट
7	सारंगढ़	34/20	498ए ताहि/67 आई.टी. एक्ट
8	खरसियां	488/21	509(ख),506 ताहि. 67(ए) आई.टी.एक्ट, 3(2)(6)(क)एस.सी./एस.टी.एक्ट
9	खरसियां	96/22	417,420 भादवि., 66 आई.टी.एक्ट,
10	पुसौर	22/20	66 आई.टी.एक्ट
11	पुसौर	23/20	420 भादवि, 66 आई.टी.एक्ट
12	लैलुगा	04/21	420 भादवि, 66 सी, 66डी आई.टी.एक्ट

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर


परिशेष - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1254) की जानकारी

क०		प्राप्त राशि		मद का नाम
		वर्ष-2020-21	वर्ष-2021-22 दिनांक- 31 जनवरी 2022 तक	
16वीं वाहिनी छ0स0बल, नारायणपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त राशि का विवरण				
1	370000000	370000000	विशेष पुलिस) - 01-वेतन मद-वेतन मद-001 वेतन	
2	55500000	47307414	विशेष पुलिस) -01-वेतन मद-003 महंगाई भत्ता	
3	6563500	6600000	विशेष पुलिस) -01-वेतन मद-006 मकान किराया भत्ता	
4	65000000	64500000	विशेष पुलिस) -01-वेतन मद-014 अन्य भत्ते	
5	4200000	4500000	विशेष पुलिस) -01-वेतन मद-015-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	
6	5000000	5000000	विशेष पुलिस) -01-वेतन मद-020-त्योहार अग्रिम	
7	1600000	2000000	विशेष पुलिस) -03-यात्रा भत्ता-यात्रा भत्ता-001 दौरे आदि पर	
8	20000	50000	विशेष पुलिस) -03-यात्रा भत्ता-यात्रा भत्ता-002-यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	
9	100000	100000	विशेष पुलिस) -03-यात्रा भत्ता-005-मोटर वारेन्टस का मूल्य	
10	5000	5000	विशेष पुलिस) -03-यात्रा भत्ता-006-अवकाश यात्रा सुविधा	
11	5000	15000	विशेष पुलिस) -04-कार्यालय व्यय-001-वेतन मद-डाक तार व्यय	
12	45000	30000	विशेष पुलिस) -04-कार्यालय व्यय-002-दूरभाष पर व्यय	
13	250000	200000	विशेष पुलिस) -04-कार्यालय व्यय-003-यात्रा भत्ता-फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण	
14	20000	10000	विशेष पुलिस) -04-कार्यालय व्यय-004-कार्यालय व्यय-पुस्तक एवं पत्रिकाएं	
15	600000	600000	विशेष पुलिस) -04-कार्यालय व्यय-005-विजली एवं जल प्रसार	
16	280000	250000	विशेष पुलिस) -04-कार्यालय व्यय-007-स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	


 उपनिर्देशक, नारायणपुर
 पुलिस विभाग
 नया रायपुर
 कंचालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब					
स.क.	कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	मुगतान की गई राशि	मद का विवरण	कार्य की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2020-21					
1	04 सेट टॉवर मोर्चा एवं 01 सेट शौचालय ब्लॉक एवं पानी टंकी निर्माण कार्य।	मेसर्स सोनातन भद्र ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	1741928	4492-27-006 (लघु निर्माण कार्य)	कार्यपूर्ण
2	वाहिनी में जवानों के उपयोग के लिए 02 ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स बैरक निर्माण कार्य हेतु। (प्रतिनग 9.00 लाख के मान से)	मेसर्स प्रभात सिंह ठेकेदार 'डी' श्रेणी रायपुर	1800000		कार्यपूर्ण
3	वाहिनी में 08 टॉवर मोर्चा निर्माण कार्य हेतु। (प्रतिनग 2.00 लाख के मान से)	मेसर्स राठी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	396000		निर्माणधीन
4	वाहिनी में 01 नग आर.सी.सी. बैरक निर्माण कार्य हेतु।	मेसर्स सोनातन भद्र ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	1407597		कार्यपूर्ण
5	भूमि समतलीकरण कार्य हेतु।	मेसर्स सोनातन भद्र ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	500000		कार्यपूर्ण
6	वाहिनी में 03 नग मोर्चा सह गार्ड रूम निर्माण कार्य हेतु (प्रतिनग 5.60 लाख के मान से)	मेसर्स कुरेसी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	1661520		कार्यपूर्ण
7	वाहिनी में 01 नग एमटी शेड निर्माण कार्य।	मेसर्स प्रभात सिंह ठेकेदार 'डी' श्रेणी रायपुर	1999312		कार्यपूर्ण
8	वाहिनी परिसर में 01 नग शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य।	मेसर्स गणेश नंदी ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	1813680		कार्यपूर्ण
9	वाहिनी में 01 नग परेड ग्राउण्ड निर्माण कार्य हेतु।	मेसर्स सोनातन भद्र ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	483000		कार्यपूर्ण
10	वाहिनी परिसर में 01 नग मच एवं झण्डा पोस्ट निर्माण कार्य हेतु।	मेसर्स सोनातन भद्र ठेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	456000		कार्यपूर्ण
कुल राशि-			12259037		


 अश्विनी ठेकेदार
 अश्विनी ठेकेदार
 अश्विनी ठेकेदार
 अश्विनी ठेकेदार
 अश्विनी ठेकेदार

वाहिनी मुख्यालय के नव निर्मित कैम्प ग्राम गढ़बैंगल एवं गरांजी स्थित परिसर में विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु		छ.ग. विद्युत वितरण मर्या. कंपनी, नारायणपुर	761729	2629-26-006 (राज्य बजट)	कार्यपूर्ण	
1	वाहिनी में आर.सी.सी. बैरक सह बरामदा निर्माण कार्य (01 नग)	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	1950000	4492-27-006 (लघु निर्माण कार्य)	कार्यपूर्ण	
2	वाहिनी में मेस भवन निर्माण कार्य । (01 नग)	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	698834		कार्यपूर्ण	
3	पुराना वाहिनी मुख्यालय कार्यालय में टॉयलेट निर्माण कार्य ।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	0		कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)	
4	वाहिनी के 'अ' समवाय कैम्प-रानीबोदली, बीजापुर के आफिसर रुम निर्माण कार्य ।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	224264		कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)	
5	वाहिनी के 'अ' समवाय कैम्प-रानीबोदली, बीजापुर के आफिस भवन निर्माण कार्य ।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	412785		कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)	
6	वाहिनी मुख्यालय कार्यालय का मरम्मत कार्य ।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	500000		4492-24-009 (अनुरक्षण कार्य)	कार्यपूर्ण
7	वाहिनी के 'अ' समवाय कैम्प-रानीबोदली, बीजापुर में मनोरंजन कक्ष निर्माण कार्य ।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेंदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	0			कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)
कुल राशि-			3785883			
वित्तीय वर्ष 2021-22						
कुल राशि-			2287859			


 राजेश कुमार शर्मा
 सहायक निरीक्षक
 वाहिनी मुख्यालय
 बीजापुर

1	आर.सी.सी. डबल स्टोरी बैरक निर्माण भाग-01	मेसर्स गणेश नंदी टेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	796935	2629-26-006 (राज्य बजट)	कार्यपूर्ण
2	आर.सी.सी. डबल स्टोरी बैरक निर्माण भाग-02	मेसर्स गणेश नंदी टेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	796935		कार्यपूर्ण
3	वाहिनी में स्लैब पुलिया निर्माण कार्य। (05 नग)	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	0		निर्माणाधीन
4	वाहिनी पार्किंग शेड निर्माण कार्य।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	0		कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)
5	वाहिनी में एट्री गेट निर्माण कार्य।	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	0		कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)
6	वाहिनी में मोर्चा निर्माण कार्य।	मेसर्स टीनू राज टेकेदार 'डी' श्रेणी नारायणपुर	0		कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)
		कुल राशि-	1593870		
1	वाहिनी मुख्यालय हेतु कंसर्टिना क्वायल फेन्सिंग कार्य	मेसर्स प्रवीण जैन टेकेदार 'बी' श्रेणी नारायणपुर	0	6717-27-006 (एसआरई)	कार्यपूर्ण (भुगतान शेष)
		कुल राशि-	0		


 अनयाग अधिकाारी
 डीपीएसडि मंत्रालय
 मूह विभाग
 ब्रह्मपुर, नया रायपुर

पारिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 1263) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में समितियों भुगतान किये गये कमीशन राशि की जिलेवार जानकारी
(राशि रुपये में)

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2019-20				खरीफ वर्ष 2020-21			
		समिति को प्राप्त योग्य कमीशन की राशि	समायोजन परचात समिति को कमीशन भुगतान की गई राशि	विपणन संघ द्वारा समायोजित राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	समिति को प्राप्त योग्य कमीशन की राशि	समायोजन परचात समिति को कमीशन भुगतान की गई राशि	विपणन संघ द्वारा समायोजित राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1	बस्तर	37533887.16	33188437	4345450.16	0	44625143.82	39439020.97	5186122.854	0
2	बीजापुर	18153997.58	12012564.1	6141433.48	0	18637861.82	7816089.21	10821772.61	0
3	दन्तेवाड़ा	3298468.74	3041939.2	256529.54	0	5096803	4094713.282	1002089.718	0
4	कांकेर	88931683.19	63950614.42	24981068.77	0	92157601.4	8656064.846	83501536.55	0
5	कोडागांव	36597537.58	32720567.89	3876969.69	0	45365894.16	27210315.67	18155578.5	0
6	नारायणपुर	4747309.13	4382813.79	364495.34	0	6127779.14	1281443.595	4846335.545	0
7	सुकमा	9868289.45	4661846.55	5206442.9	0	11976204.07	4560961.556	7415242.514	0
8	बिलासपुर	152033581.2	108805382.5	43228198.7	0	138905642.1	12072749.99	126832892.1	0
9	गोरेला पन्ड्रा मरवाही	0	0	0	0	21432419.35	8320691.9	13111727.45	0
10	जांजगीर चाम्पा	245867061.9	172774972.1	73092089.8	0	248128946.1	120429819.2	127699126.9	0
11	कोरबा	30897775.65	24798156.47	6099619.18	0	42289119.2	33121999.43	9167119.77	0
12	गुंगुली	100989317.8	16810216.89	84179100.86	0	109304720.8	925.4742758	109303795.4	0
13	रायगढ़	150795708	83811494.31	66984213.69	0	166721887.5	123001140.5	43720747.04	0
14	बालोद	158484947.2	117392465.9	41092481.3	0	161823746.9	20692644.36	141131102.6	0
15	बैमतरा	164162448.5	76343810.98	87818637.53	0	178564529.9	16335318.69	162229211.2	0
16	दुर्ग	113675201	92230325.33	21444875.62	0	126771300.3	54272930.41	72498369.88	0
17	कवर्धा	106079388.1	53409680.44	52669707.65	0	116794833.5	19960708.99	96834124.46	0
18	राजनांदगांव	212791951.2	113768983.4	99022967.85	0	233145992.3	0	233145992.3	0
19	बलौदाबाजार	200549612.8	40837297.09	159712315.8	0	205482011.5	19294903.45	186187108.1	0
20	धमतरी	132024942	118807221	13217721.01	0	133537344.8	36061410.81	97475934.03	0
21	गरियाबंद	93086502.83	15239629.22	77846873.61	0	99539143.64	0	99539143.64	0
22	महासमुंद	224370357.9	115287954.7	109082403.2	0	227366416	59481333.45	167885082.6	0
23	रायपुर	154883706.7	128877472.8	26006233.82	0	155340069.9	37425876.99	117914192.9	0
24	बलरामपुर	39243706.52	21409588.66	17834117.86	0	49262703.04	26946919.8	22315783.24	0
25	जशपुर	25118069.5	22185294.53	2932774.97	0	36537150	31045448.09	5491701.91	0
26	कोरिया	28794828.32	26947076.48	1847751.84	0	36097362.3	15421667.25	20675695.05	0
27	सरगुजा	43960176	39378576.02	4581599.98	0	57652705.9	35885946.66	21766759.25	0
28	सुरजपुर	51228988.66	41126713.91	10102274.75	0	64836853.15	36205962.96	28630890.18	0
	योग	2628169445	1584201096	1043968349	0	2833522186	799037007.5	2034485178	0

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
सम्भोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पपत्र- 'ब'

खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में समितियों के कमीशन में से सूखत धान की वसूली राशि की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	सूखत की वसूली राशि (रूपये में)	
		खरीफ वर्ष 2019-20	खरीफ वर्ष 2020-21
1	बस्तर	10230	2089058.454
2	बीजापुर	3518860.8	9484868.174
3	दन्तेवाड़ा	77184.85	0
4	कोकर	14936980.97	77164301.65
5	कोंडागांव	0	14735993.06
6	नारायणपुर	8684.39	4539946.588
7	सुकमा	4145910.73	3103347.3
8	बिलासपुर	6023786.56	103850524.3
9	गौरिला पेन्द्रा मरवाही	0	10837271.98
10	जांजगीर चाम्पा	6931.2	71434127.45
11	कोरबा	0	114055.07
12	मुंगेली	15551545.15	99531597.09
13	रायगढ़	0	368965.5284
14	बालोद	2474387.28	121806023.9
15	बेमेतरा	50884782.6	149719912.9
16	दुर्ग	0	49238595.91
17	कवधी	35280756.24	84740552.15
18	राजनांदगांव	55407733.88	221488692.6
19	बलौदाबाजार	0	162969253.4
20	धमतरी	131328	79977707.94
21	गरियाबंद	60988873.93	94562186.46
22	महासमुंद	27627807.12	146563797.5
23	रायपुर	400764.8	100371492.8
24	बलरामपुर	0	16815819.22
25	जशपुर	0	0
26	कोरिया	0	17538417.22
27	सरगुजा	0	14417613.57
28	सुरजपूर	2599988.83	22452244.6
योग		280076537.3	1679916367

अनुभाग आ.६ जारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - इकहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1299) की जानकारी


प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गरियाबंद जिले में खाद्यान्न भंडारण, परिवहनकर्ता, परिवहन आदेश, परिवहन में विलंब एवं विलंब से सामग्री प्रदाय करने पर वसूली राशि की माहवार जानकारी

माह	प्रदाय केन्द्र का नाम	परिवहनकर्ता का नाम	नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी परिवहन आदेश दिनांक	उठाव की निर्धारित तिथि	परिवहन आदेश के विरुद्ध विलंबित दिनों की संख्या	कुल वसूली राशि	विलंब से सामग्री प्रदाय करने पर परिवहन कर्ता के विरुद्ध जुर्माना /दंड की कार्यवाही की जानकारी
अप्रैल 2020	गरियाबंद	बाबी सिंह होरा	12-03-2020	31-03-2020	60	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	देवभोग	हरमीत रोडवेज	12-03-2020	31-03-2020	57		
	राजिम	सलीम खान	12-03-2020	31-03-2020	57		
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-03-2020	31-03-2020	62		
मई 2020	गरियाबंद	बाबी सिंह होरा	12-03-2020	30-04-2020	27	0	
	देवभोग	हरमीत रोडवेज	12-03-2020	30-04-2020	29		
	राजिम	सलीम खान	12-03-2020	30-04-2020	27		
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-03-2020	30-04-2020	29		
जून 2020	गरियाबंद	बाबी सिंह होरा	12-05-2020	31-05-2020	30	0	
	देवभोग	हरमीत रोडवेज	12-05-2020	31-05-2020	0		
	राजिम	सलीम खान	12-05-2020	31-05-2020	29		
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-05-2020	31-05-2020	29		
जुलाई 2020	गरियाबंद	बाबी सिंह होरा	12-06-2020	30-06-2020	29	0	
	देवभोग	सकील अहमद	12-06-2020	30-06-2020	31		
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-06-2020	30-06-2020	29		
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-06-2020	30-06-2020	31		
अगस्त 2020	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-07-2020	31-07-2020	31	0	
	देवभोग	सकील अहमद	12-07-2020	31-07-2020	29		
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-07-2020	31-07-2020	30		
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-07-2020	31-07-2020	28		
सितम्बर 2020	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-08-2020	31-08-2020	28	0	
	देवभोग	सकील अहमद	12-08-2020	31-08-2020	12		
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-08-2020	31-08-2020	15		
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-08-2020	31-08-2020	29		

अक्टूबर 2020	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-09-2020	30-09-2020	31	0
	देवभोग	सकील अहमद	12-09-2020	30-09-2020	28	
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-09-2020	30-09-2020	13	
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-09-2020	30-09-2020	22	
नवम्बर 2020	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-10-2020	31-10-2020	25	0
	देवभोग	सकील अहमद	12-10-2020	31-10-2020	09	
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-10-2020	31-10-2020	05	
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-10-2020	31-10-2020	29	
दिसम्बर 2020	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-11-2020	30-11-2020	23	0
	देवभोग	सकील अहमद	12-11-2020	30-11-2020	07	
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-11-2020	30-11-2020	04	
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-11-2020	30-11-2020	26	
जनवरी 2021	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-12-2020	31/12/2020	30	0
	देवभोग	सकील अहमद	12-12-2020	31/12/2020	20	
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-12-2020	31/12/2020	23	
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-12-2020	31/12/2020	19	
फरवरी 2021	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-01-2021	31/01/2021	15	0
	देवभोग	सकील अहमद	12-01-2021	31/01/2021	02	
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-01-2021	31/01/2021	26	
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-01-2021	31/01/2021	46	
मार्च 2021	गरियाबंद	जय माता दी रोड लाईन	12-02-2021	28/02/2021	61	0
	देवभोग	सकील अहमद	12-02-2021	28/02/2021	25	
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-02-2021	28/02/2021	22	
	मैनपुर	के.जी.एन.रोड कैरियर	12-02-2021	28/02/2021	61	

Seema


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 खाद्य ना.आ. एवं उप.सं. विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


प्रपत्र- ब

ई निविदा में विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर संबंधित फर्म पर जुर्माना या दण्ड के प्रावधान

2020-21 में ई निविदा दस्तावेज (द्वार प्रदाय परिवहन कार्य) डीपीटी के 26.1 से 26.5 तक परिवहन कार्यक्रम अनुसार परिवहन कार्य न करने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत 26.1 -"परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम अनुसार परिवहन कार्य संपादित नहीं किये जाने की दशा में विलंबित कार्य की मात्रा हेतु रूपये 15 (रूपये पंद्रह मात्र) प्रति क्विंटल प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी बतौर राशि वसूली की जा सकेगी। वसूली की कार्यवाही के संबंध में परिवहनकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। जिला प्रबंधक द्वारा अग्रिम 90 प्रतिशत किये जाने वाले भुगतान से इसका कटौता करेगा।"

26.2 - "यदि कोई परिवहनकर्ता कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करता है तो जिला प्रबंधक को अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किये स्वतंत्र रूप से स्वयं के वाहनों/अन्य परिवहनकर्ता/ छत्तीसगढ़ शासन के किसी निगम/संस्था से इस संविदा के अधीन अनुबंधित परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्च पर परिवहन कार्यक्रम का नोटिस देने के तीन दिन बाद से अनुपातिक तौर पर स्वीकृत समान/अधिक दर पर परिवहन कार्य संपादित करा ले। इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति, हानि एवं खर्चों को स्वीकृत दर का 25 प्रतिशत या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित परिवहनकर्ता का होगा। यह परिवहनकर्ता के पुन-कार्य आरंभ या उनके द्वारा निरंतर कार्य नहीं करने पर उनके द्वारा जमा जमानत राशि की सीमा तक ही होगा एवं ऐसी स्थिति में संपूर्ण जमानत राशि तक रिस्क एंड कास्ट हो जाता है तो वह कार्पोरेशन के समस्त कार्यों के लिए अयोग्य घोषित किया जावेगा व परिवहन कार्यों के लिए उस वर्ष व आगामी 03 वर्ष के लिए प्रतिबंधित/अनुपयुक्त/ अयोग्य घोषित होगा।"


26.3 - "इस प्रकार से प्रतिबंधित/अनुपयुक्त/ अयोग्य घोषित करने के पूर्व सात दिवस का कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा और उत्तर संतोषजनक प्राप्त न होने अथवा कोई भी उत्तर प्राप्त न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।"


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य ना.आ. एवं उप.सं. विभाग
मंत्रालय, रायपुर

वित्तीय वर्ष 2021-22 में गरियाबंद जिले में खाद्यान्न भंडारण, परिवहनकर्ता, परिवहन आदेश, परिवहन में विलंब एवं विलंब से सामग्री प्रदाय करने पर वसूली राशि की माहवार जानकारी

माह	प्रदाय केन्द्र का नाम	परिवहनकर्ता का नाम	नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी परिवहन आदेश दिनांक	उठाव की निर्धारित तिथि	परिवहन आदेश के विरुद्ध विलंबित दिनों की संख्या	कुल वसूली राशि	विलंब से सामग्री प्रदाय करने पर परिवहन कर्ता के विरुद्ध जुर्माना /दंड की कार्यवाही की जानकारी
अप्रैल 2021	गरियाबंद	जय माता दि रोडलाइन्स	12-03-21	31-03-2021	9	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-03-21	31-03-2021	20		
	मैनपुर	केजीएन रोड कैरिएर	12-03-21	31-03-2021	23		
	देवभोग	सकील अहमद	12-03-21	31-03-2021	0		
मई 2021	गरियाबंद	जय माता दि रोडलाइन्स	12-03-21	30-04-2021	32	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-03-21	30-04-2021	18		
	मैनपुर	केजीएन रोड कैरिएर	12-03-21	30-04-2021	31		
	देवभोग	सकील अहमद	12-03-21	30-04-2021	25		
जून 2021	गरियाबंद	जय माता दि रोडलाइन्स	12-05-21	31-05-2021	30	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-05-21	31-05-2021	14		
	मैनपुर	केजीएन रोड कैरिएर	12-05-21	31-05-2021	30		
	देवभोग	सकील अहमद	12-05-21	31-05-2021	29		
जुलाई 2021	गरियाबंद	जय माता दि रोडलाइन्स	12-06-21	30-06-2021	26	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	तिरुपति ट्रांसपोर्ट	12-06-21	30-06-2021	15		
	मैनपुर	केजीएन रोड कैरिएर	12-06-21	30-06-2021	22		
	देवभोग	सकील अहमद	12-06-21	30-06-2021	22		
अगस्त 2021	गरियाबंद	छत्तीसगढ़ रोड लाइन्स	12-07-21	31-07-2021	19	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	राजीव लोचन शुक्ला	12-07-21	31-07-2021	21		
	मैनपुर	छत्तीसगढ़ रोड लाइन्स	12-07-21	31-07-2021	7		
	देवभोग	छत्तीसगढ़ रोड लाइन्स	12-07-21	31-07-2021	26		

सितम्बर 2021	गरियाबंद	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-08-21	31-08-2021	22	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	राजीव लोचन शुक्ला	12-08-21	31-08-2021	23		
	मैनपुर	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-08-21	31-08-2021	28		
	देवभोग	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-08-21	31-08-2021	6		
अक्टूबर 2021	गरियाबंद	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-09-21	30-09-2021	29	528972	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स से राशि 528972.00 वसूल की गई
	राजिम	राजीव लोचन शुक्ला	12-09-21	30-09-2021	9		
	मैनपुर	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-09-21	30-09-2021	9		
	देवभोग	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-09-21	30-09-2021	11		
नवम्बर 2021	गरियाबंद	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-10-21	31-10-2021	30	190154	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स से राशि 190154.00 वसूल की गई
	राजिम	राजीव लोचन शुक्ला	12-10-21	31-10-2021	25		
	मैनपुर	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-10-21	31-10-2021	30		
	देवभोग	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-10-21	31-10-2021	27		
दिसम्बर 2021	गरियाबंद	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-11-21	30-11-2021	28	0	सहकारी समितियों में हड़ताल के कारण विलंब हुआ
	राजिम	राजीव लोचन शुक्ला	12-11-21	30-11-2021	11		
	मैनपुर	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-11-21	30-11-2021	21		
	देवभोग	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-11-21	30-11-2021	11		
जनवरी 2022	गरियाबंद	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-12-21	31-12-2021	24	0	कोरोनाकाल एवं अन्य प्राकृतिक कारण तथा कोर पीडीएस दुकानों में डीओ आबंटन माह में ही जारी होने इत्यादि कारणों से भण्डारण में आंशिक विलम्ब कि स्थिति निर्मित होती है इस वजह से विलम्ब वसूली उचित नहीं पाई गई है।
	राजिम	राजीव लोचन शुक्ला	12-12-21	31-12-2021	10		
	मैनपुर	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-12-21	31-12-2021	7		
	देवभोग	छत्तीसगढ़ रोड लाईन्स	12-12-21	31-12-2021	0		


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य ना.आ. एवं उप.संर. विभाग
मंत्रालय, रायपुर

Seema


परिशेष - बहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क. 1303) की जानकारी

प्रपत्र-अ

केन्द्री एक्सप्रेस-वे रोड निर्माण।

स.क्र	दिनांक	फर्म का नाम	राशि	देयक विवरण	टीप
1	12-12-2017	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	310,066,137.00	प्रथम चल देयक	
2	06-01-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	34,451,793.00		
3	16-01-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	129,328,345.00	द्वितीय चल देयक	
4	14-02-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	14,369,817.00		
5	28-02-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	315,408,298.00	तृतीय चल देयक	
6	28-03-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	35,045,366.00		
7	20-04-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	483,405,164.00	चतुर्थ चल देयक	
8	08-06-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	53,711,685.00		
9	03-07-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	687,272,195.00	पांचवा चल देयक	
10	28-07-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	76,363,577.00		
11	14-09-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	304,408,747.00	छठवा चल देयक	
12	03-11-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	33,823,194.00		
13	01-12-2018	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	170,253,644.00	सातवां चल देयक	
14	25-02-2019	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	82,155,972.00	आठवां चल देयक	
15	31-03-2019	मेसर्स आयरन ट्रैंगल, लिमिटेड, अहमदाबाद।	64452720.00		

16	08-01-2021	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	16,213,687.00	नौवां चल देयक
17	16-02-2021	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	15,331,018.00	
18	03-11-2021	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	11,256,931.00	दसवां चल देयक
		कार्य में व्यय	2,83,73,18,290.00	
1	01-11-2018	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	121,592,605.00	मूल्य वृद्धि
2	31-03-2019	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	2,92,79,388.00	मूल्य वृद्धि
		मूल्य वृद्धि	15,08,71,993.00	
1	21-01-2019	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	55,390,011.00	जी.एस.टी.
2	03-08-2019	मेसर्स आयरन ट्रेडिंग, लिमिटेड, अहमदाबाद।	18,303,613.00	जी.एस.टी.
		जी.एस.टी.	7,36,93,624.00	


 मुख्य अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग
 नगर रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग)

प्रपत्र-ब



EPC Agreement for Construction of Four Lane Road including Three Flyovers and One Elevated Corridor on existing Fafadih - Telibandha - Naya Raipur Narrow gauge Railway Track in the State of Chhattisgarh on Engineering Procurement & Construction (EPC) Mode

convey its observations on any Drawings shall relieve the Contractor of its obligations and liabilities under this Agreement in any manner nor shall the PMC or the Authority be liable for the same in any manner; and if errors, omissions, ambiguities, inconsistencies, inadequacies or other Defects are found in the Drawings, they and the construction works shall be corrected at the Contractor's cost, notwithstanding any review under this Article 10;

- (f) the Contractor shall be responsible for delays in submitting the Drawing as set forth in Schedule-I caused by reason of delays in surveys and field investigations, and shall not be entitled to seek any relief in that regard from the Authority; and
- (g) the Contractor warrants that its designers, including any third parties engaged by it, shall have the required experience and capability in accordance with Good Industry Practice and it shall indemnify the Authority against any damage, expense, liability, loss or claim, which the Authority might incur, sustain or be subject to arising from any breach of the Contractor's design responsibility and/or warranty set out in this Clause.

10.2.5 Any cost or delay in construction arising from review by the PMC shall be borne by the Contractor.


10.2.6 Works shall be executed in accordance with the Drawings provided by the Contractor in accordance with the provisions of this Clause 10.2 and the observations of the PMC thereon as communicated pursuant to the provisions of Clause 10.2.4 (d). Such Drawings shall not be amended or altered without prior written notice to the PMC. If a Party becomes aware of an error or defect of a technical nature in the design or Drawings, that Party shall promptly give notice to the other Party of such error or defect.

10.2.7 Within 90 (ninety) days of the Project Completion Date, the Contractor shall furnish to the Authority and the PMC a complete set of as-built Drawings, in 2 (two) hard copies and in micro film form or in such other medium as may be acceptable to the Authority, reflecting the Project Road as actually designed, engineered and constructed, including an as-built survey illustrating the layout of the Project Road and setback lines, if any, of the buildings and structures forming part of Project Facilities.

10.3 Construction of the Project Road

10.3.1 The Contractor shall construct the Project Road as specified in Schedule- B and Schedule-C, and in conformity with the Specifications and Standards set forth in Schedule-D. The Contractor shall be responsible for the correct positioning of all parts of the Works, and shall rectify any error in the positions, levels, dimensions or alignment of the Works. The 485th (Four hundred and eighty fifth) day from the Appointed Date shall be the scheduled completion date (the "Scheduled Completion Date") and the Contractor agrees and undertakes that the construction shall be completed on or before the Scheduled Completion Date, including any extension thereof.


10.3.2 The Contractor shall construct the Project Road in accordance with the Project Completion Schedule set forth in Schedule-J. In the event that the Contractor fails to achieve any Project Milestone or the Scheduled Completion Date within a period of 30 (thirty) days from the date set forth in Schedule-J, unless such failure has occurred due to



Chhattisgarh Road Development Corporation Ltd.

42

General Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

 EPC Agreement for Construction of Four Lane Road including Three Flyovers and One Elevated Corridor on existing Fafadih – Telibandha – Naya Raipur Narrow gauge Railway Track in the State of Chhattisgarh on Engineering Procurement & Construction (EPC) Mode

Force Majeure or for reasons solely attributable to the Authority, it shall pay Damages to the Authority of a sum calculated at the rate of 0.05% (zero point zero five percent) of the Contract Price for delay of each day reckoned from the date specified in Schedule –J and until such Project Milestone is achieved or the Works are completed; provided that if the period for any or all Project Milestones or the Scheduled Completion Date is extended in accordance with the provisions of this Agreement, the dates set forth in Schedule-J shall be deemed to be modified accordingly and the provisions of this Agreement shall apply as if Schedule-J has been amended as above; provided further that in the event the Works are completed within or before the Scheduled Completion Date including any Time Extension, applicable for that work or section, the Damages paid under this Clause 10.3.2 shall be refunded by the Authority to the Contractor, but without any interest thereon. For the avoidance of doubt, it is agreed that recovery of Damages under this Clause 10.3.2 shall be without prejudice to the rights of the Authority under this Agreement including the right of Termination thereof. The Parties further agree that Time Extension hereunder shall only be reckoned for and in respect of the affected works as specified in Clause 10.5.2.

10.3.3 The Authority shall notify the Contractor of its decision to impose Damages in pursuance with the provisions of this Clause 10.3. Provided that no deduction on account of Damages shall be effected by the Authority without notifying the Contractor of its decision to impose the Damages, and taking into consideration the representation, if any, made by the Contractor within 20 (twenty) days of such notice. The Parties expressly agree that the total amount of Damages under Clause 10.3.2 shall not exceed 10% (ten percent) of the Contract Price.

10.4 Maintenance during Construction Period

During the Construction Period, the Contractor shall maintain, at its cost, the existing lane(s) of the Project Road so that the traffic worthiness and safety thereof are at no time materially inferior as compared to their condition 10 (ten) days prior to the date of this Agreement, and shall undertake the necessary repair and maintenance works for this purpose; provided that the Contractor may, at its cost, interrupt and divert the flow of traffic if such interruption and diversion is necessary for the efficient progress of Works and conforms to Good Industry Practice; provided further that such interruption and diversion shall be undertaken by the Contractor only with the prior written approval of the PMC which approval shall not be unreasonably withheld. For the avoidance of doubt, it is agreed that the Contractor shall at all times be responsible for ensuring safe operation of the Project Road. It is further agreed that in the event the Project includes construction of a bypass or tunnel and realignment of the existing carriageway, the Contractor shall maintain the existing Road in such sections until the new Works are open to traffic.

10.5 Extension of time for completion

10.5.1 Without prejudice to any other provision of this Agreement for and in respect of extension of time, the Contractor shall be entitled to extension of time in the Project Completion Schedule (the "Time Extension") to the extent that completion of any Project Milestone is or will be delayed by any of the following, namely:


- (a) delay in providing the Right of Way, environmental clearances or approval of railway authorities, specified in Clause 4.1.4;



Chhattisgarh Road Development Corporation Ltd.

43


General Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.E.)

 EPC Agreement for Construction of Four Lane Road including Three Flyovers and One Elevated Corridor on existing Fafadih – Telibandha – Naya Raipur Narrow gauge Railway Track in the State of Chhattisgarh on Engineering Procurement & Construction (EPC) Mode

- (b) Change of Scope (unless an adjustment to the Scheduled Completion Date has been agreed under Article 13);
- (c) occurrence of a Force Majeure Event;
- (d) any delay, impediment or prevention caused by or attributable to the Authority, the Authority's personnel or the Authority's other contractors on the Site; and
- (e) any other cause or delay which entitles the Contractor to Time Extension in accordance with the provisions of this Agreement.

10.5.2 The Contractor shall, no later than 15 (fifteen) business days from the occurrence of an event or circumstance specified in Clause 10.5.1, inform the PMC by notice in writing, with a copy to the Authority, stating in reasonable detail with supporting particulars, the event or circumstances giving rise to the claim for Time Extension in accordance with the provisions of this Agreement. Provided that the period of 15 (fifteen) business days shall be calculated from the date on which the Contractor became aware, or should have become aware, of the occurrence of such an event or circumstance.

Provided further that notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, Time Extension shall be due and applicable only for the Works which are affected by the aforesaid events or circumstances and shall not in any manner affect the Project Completion Schedule for and in respect of the Works which are not affected hereunder.

10.5.3 In the event of the failure of the Contractor to issue to the PMC a notice in accordance with the provisions of Clause 10.5.2 within the time specified therein, the Contractor shall not be entitled to any Time Extension and shall forfeit its right for any such claims in future. For the avoidance of doubt, in the event of failure of the Contractor to issue notice as specified in this clause 10.5.3, the Authority shall be discharged from all liability in connection with the claim.


10.5.4 The PMC shall, on receipt of the claim in accordance with the provisions of Clause 10.5.2, examine the claim expeditiously within the time frame specified herein. In the event the PMC requires any clarifications to examine the claim, the PMC shall seek the same within 15 (fifteen) days from the date of receiving the claim. The Contractor shall, on receipt of the communication of the PMC requesting for clarification, furnish the same to the PMC within 10 (ten) days thereof. The PMC shall, within a period of 60 (sixty) days from the date of receipt of such clarifications, forward in writing to the Contractor its determination of Time Extension after getting approval from the Authority.

Provided that when determining each extension of time under this Clause 10.5, the PMC shall review previous determinations and may increase, but shall not decrease, the total Time Extension.

10.5.5 If the event or circumstance giving rise to the notice has a continuing effect:


- (a) a fully detailed claim shall be considered as interim;

(b) the Contractor shall, no later than 10 (ten) days after the close of each month, send



Chhattisgarh Road Development Corporation Ltd.

General Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

 EPC Agreement for Construction of Four Lane Road including Three Flyovers and One Elevated Corridor on existing Fafadih – Telibandha – Naya Raipur Narrow gauge Railway Track in the State of Chhattisgarh on Engineering Procurement & Construction (EPC) Mode

further interim claims specifying the accumulated delay, the extension of time claimed, and such further particulars as the PMC may reasonably require; and

- (c) the Contractor shall send a final claim within 30 (thirty) days after the effect of the event or the circumstance ceases.


Upon receipt of the claim hereunder, the PMC shall examine the same in accordance with the provisions of Clause 10.5.4 within a period of 60 (sixty) days of the receipt thereof.

10.6 Incomplete Works

In the event the Contractor fails to complete the Works in accordance with the Project Completion Schedule, including any Time Extension granted under this Agreement, the Contractor shall endeavour to complete the balance work expeditiously and shall pay Damages to the Authority in accordance with the provisions of Clause 10.3.2 for delay of each day until the Works are completed in accordance with the provisions of this Agreement. Recovery of Damages under this Clause shall be without prejudice to the rights of the Authority under this Agreement including the right to termination under Clause 23.1.

10.7 Maintenance Manual

No later than 60 (sixty) days prior to the Project Completion Date, the Contractor shall, in consultation with the PMC, evolve a maintenance manual (the “**Maintenance Manual**”) for the regular and preventive maintenance of the Project Road in conformity with the Specifications and Standards, safety requirements and Good Industry Practice, and shall provide 5 (five) copies thereof to the PMC. The PMC shall review the Maintenance Manual within 15 (fifteen) days of its receipt and communicate its comments to the Contractor for necessary modifications, if any, after getting approval of the Authority.


General Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G)




प्रपत्र-स

केन्द्री एक्सप्रेस-वे रोड निर्माण ।

क्र	निलंबित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद	निलंबन आदेश क्रमांक व दिनांक	कारण	विभागीय जांच की स्थिति	निलंबन से बहाल अधिकारी का नाम एवं दिनांक	टीप
1	श्री एस.सी. आर्य (परियोजना प्रबंधक)	छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ -8/2019/19/वि.जां. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/02/2020 के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 429/छ.ग. रो.डे.का.लि./2020 रायपुर, दिनांक 03/03/2020	4 रायपुर रेल्वे स्टेशन-फाफाडीह-तेली बांधा एक्सप्रेस-वे के सड़क निर्माण के सड़क व पलाई ओव्हर के पट्टुच मार्ग निर्माण (आर.ई. वॉल) में पायी गयी अनियमितताओं एवं पर्यवेक्षण में कमी तथा अपने कर्तव्य में घोर लापारवाही बरतने ।	5	6	7
2	श्री निशेष भट्ट (उप परियोजना प्रबंधक)	छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ -8/2019/19/वि.जां. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/02/2020 के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 431/छ.ग. रो.डे.का.लि./2020 रायपुर, दिनांक 03/03/2020		प्रक्रियाधीन	निलंबित	-
3	श्री जतिन्द्र सिंह (उप परियोजना प्रबंधक)	छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ -8/2019/19/वि.जां. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/02/2020 के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 435/छ.ग. रो.डे.का.लि./2020 रायपुर, दिनांक 03/03/2020		प्रक्रियाधीन	निलंबित	उनके मूल विभाग द्वारा बहाल किया गया है ।

4	श्री विवेक सिन्हा (सहायक परियोजना प्रबंधक)	छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ-8/2019/19/वि.जां. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/02/2020 के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 433/छ.ग. रो.डे.का.लि./2020 रायपुर, दिनांक 03/03/2020	रायपुर रेल्वे स्टेशन- फाफाडीह-तेली बाधा एक्सप्रेस-वे के सड़क निर्माण के सड़क व फलाई ओवर के पडुच मार्ग निर्माण (आर.ई. वॉल) में पायी गयी अनियमितताओं एवं पर्यवेक्षण में कमी तथा अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने।	प्रक्रियाधीन	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के आदेश क्रमांक 1028/स्था./उप.अभि. /विप्रा/2021 रायपुर, दिनांक 12/08/2021	उनके मूल विभाग द्वारा बहाल किया गया है।
5	श्री फरहाज फारूकी (सहायक परियोजना प्रबंधक)	छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ-8/2019/19/वि.जां. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/02/2020 के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 437/छ.ग. रो.डे.का.लि./2020 रायपुर, दिनांक 03/03/2020		प्रक्रियाधीन	निलंबित	-
6	श्री सतीश कुमार जाधव (उप महाप्रबंधक)	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ-03-01/31/स्था/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/03/2020		सेवानिवृत्त	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ-03-01/31/स्था/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/05/2021	उनके मूल विभाग द्वारा बहाल किया गया है।


 मुख्य अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग
 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - तेहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क. 1310) की जानकारी

प्रपत्र

खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण।

सो क्र०	कार्य का नाम	कार्य पूर्णता की तिथि	भुगतान किये जाने योग्य राशि (रु०लाखमें)	भुगतान की गई राशि (रु०लाखमें)	शेष भुगतान की राशि (रु०लाखमें)	शेष राशि व कब तक भुगतान की जावेगी
1	2	3	4	5	6	7
1	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में बालक - बालिका छात्रावास एवं कम्प्यूटर सेंटर एवं सेमीनार हॉल का निर्माण।	20.03.2021	605.99	594.62	11.37	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
कमिनि०वि०, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1314) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर जिले में वर्ष 2019 से 20.02.2022 तक चोरी के दर्ज प्रकरण की वर्षवार जानकारी :-

क्र.	वर्ष	रिपोर्ट	पूर्ण विवेचना	विवेचनाधीन
1	2019	177	154	23
2	2020	209	147	62
3	2021	258	112	146
4	01 जनवरी 2022 से 20.02.2022 तक	18	5	13
योग		662	418	244


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेद - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1321) की जानकारी

प्रपत्र

गरियाबंद जिला अंतर्गत संचालित 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण में अनियमितता।

स. क्र.	जिला का नाम	मद का विवरण	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		प्राप्त आबंटन की राशि (लाखमें)	कार्य की अद्यतन स्थिति		अनियमितता/ गुणवत्ताहीन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं या नहीं	शिकायत पर की गई कार्यवाही
				राशि (लाखमें)	दिनांक		मौलिक व्यय राशि (लाखमें)	कार्य पूर्ण/ पूर्णता तिथि		
1	गरियाबंद	जमा मद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	जिला गरियाबंद विकासखण्ड देवमोग में कस्तुरबा गांधी विद्यालय हेतु 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	107.00	20.01.12	105.93	8	9	10	11
							कार्य पूर्ण। पूर्णता तिथि 05.04.2014	100.31	हां	निर्माण कार्य में विभागीय अनियमितता के संबंध में मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. परिक्षेत्र रायपुर द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनियमितता सही पायी गयी। अतः छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 8-8/19/वि.जां/रायपुर दिनांक 23.01.2015 के द्वारा श्री एम.एस.धुव अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री पी.के. भट्ट उपअभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तदनुसार विभागीय पत्र दिनांक 06.04.2015 द्वारा उक्त दोनों अभियंताओं को आरोप-पत्रादि जारी किये गये। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क्र. एफ 8-8/19/वि.जां/रायपुर दिनांक 06.04.2016 द्वारा उक्त निलंबित अपचारी लोक सेवकों को निलंबन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया एवं उनके विरुद्ध विभागीय जांच संचालित कर अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल जगदलपुर में पदस्थ किया गया। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्र. क्र. एफ 8-8/19/वि.जां/रायपुर दिनांक 05.05.2018 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत उपरोक्त अभियंताओं के विरुद्ध एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित करते हुए उनके विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त किया गया है।


मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
ऑफिसिनिवि, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1322) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	कार्य/मद् का नाम	अनुमानित लागत राशि रूपये में
01	02	03
1	सांस्कृतिक मंच निर्माण एवं साज-सज्जा, सूचना केन्द्र, व्ही.आई.पी. कक्ष तथा अस्थायी कार्यालय का निर्माण कार्य।	1200000.00
2	संत समागम व अन्य संबंधित क्षेत्रों में टीन का घेरा लगाना तथा वहां के मुख्य-मुख्य स्थलों पर भव्य स्वागत द्वारों का कार्य।	723000.00
3	डोम लगाना तथा आंतरिक रहवासी केबिन, हॉल कक्ष, पंडाल व्यवस्था का कार्य तथा निर्देशानुसार मंचों का निर्माण कार्य।	3640000.00
4	किराया भंडार सामग्री (टेन्ट व्यवस्था) यथा - सोफा, सेंटर टेबिल, प्लाई, तखत टेबिल, शामियाना, कुर्सी, दरी, कारपेट, बर्तन आदि कार्य।	2380000.00
5	यज्ञ शाला एवं कुटिया निर्माण कार्य।	300000.00
6	मेला स्थल का लेबलिंग हेतु ट्रैक्टर व जे.सी.बी. उपलब्ध कराना आदि कार्य।	224000.00
7	कड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, बेशरम की डंडिया, गिट्टी रेती, व ईटा आपूर्ति कार्य कराने बाबत।	80000.00
8	मुख्य मंच, सूचना केन्द्र व जुड़े हुए कार्यालयों के कक्ष व मंच के आसपास, मुख्य मार्ग व खुले मैदानों के आसपास विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, टावर लाईट, फोकस आदि कार्य।	455000.00
9	संत समागम क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था, पंखे, कूलर, लाईट आदि कार्य।	1911000.00
10	फैंसी लाईटिंग स्वागत द्वार (कलकत्ता पैटर्न) कार्य।	153000.00
11	सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर स्टेज डेकोरिटिव लाईट इफेक्ट लगाने।	1000000.00
12	सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु।	350000.00
13	माईक व्यवस्था/पी.ए. सिस्टम आदि उपलब्ध कराने कार्य।	800000.00
14	सुरक्षाकर्मी व्यवस्था हेतु योग्य कर्मचारी/गार्ड उपलब्ध कराना आदि कार्य।	436000.00
15	प्रचार हेतु इको फ्रेडली फेब्रीक मीडिया में मल्टीकलर प्रिंटिंग सहित।	3500000.00
16	पाम्पलेट, पोस्टर-कागज सहित मुद्रण आदि कार्य।	150000.00
17	हल्के वाहन- सुमो, तवेरा, स्कार्पियो एवं अन्य वाहन उपलब्ध कराने कार्य।	900000.00
18	मिनीबस, बस, मेटाडोर वाहन उपलब्ध कराने कार्य।	880000.00
19	मोमेन्टो (स्मृति चिन्ह) आदि का कार्य।	500000.00
20	बांस से निर्माण कार्य हेतु आवश्यक हार्डवेयर सामग्री (खीला, बूच, रस्सी आदि) कार्य।	250000.00
21	बांस का टट्टा निर्माण आदि का कार्य।	550000.00
22	यज्ञ सामग्री प्रदाय का कार्य।	130000.00
23	संत महात्माओं के भोजन निर्माण हेतु कारीगर उपलब्ध आदि कार्य।	100000.00
24	मिनरल वाटर व्यवस्था कार्य।	195000.00

25	दूध प्रदाय कार्य।	200000.00
26	डोम के प्रवेश द्वारा व अन्य स्थलों पर फेंसिया बनाने आदि कार्य।	500000.00
27	विविध ध्वज/तोरण निर्माण कार्य।	150000.00
28	विडियो शूटिंग व प्रसारण आदि कार्य।	300000.00
29	फोटोग्राफी कार्य।	400000.00
30	एल.ई.डी. स्क्रीन आदि लगाकर प्रचार-प्रसार का कार्य।	300000.00
31	टी शर्ट, गमछा, कैप हेतु।	150000.00
32	किराना सामाग्री आपूर्ति कार्य।	3000000.00
33	अनाज आपूर्ति प्रदाय का कार्य।	100000.00
34	फल एवं सब्जी प्रदाय का कार्य।	50000.00
35	कलाकारों/कर्मचारियों को भोजन व्यवस्था प्रति थाली (सामाग्री कारीगर एवं वेटर सहित) कार्य।	1950000.00
36	स्वल्पाहार व्यवस्था कार्य (चाय/काफी/नस्ता आदि)।	300000.00
37	भोजन, स्वल्पाहार परोसने कार्य हेतु वेटर उपलब्ध कराना।	120000.00
38	फूल-माला, बुके आपूर्ति का कार्य।	350000.00
39	साफ-सफाई का कार्य।	250000.00
40	पर्व स्नान एवं शोभायात्रा हेतु रथ एवं झाकियां प्रदत्त कार्य।	350000.00
41	बैलून आकाश में प्रदर्शन कार्य।	48000.00
42	मिडिया सेंटर की स्थापना एवं संचालन।	675000.00
योग :-		30000000.00


 अनुभाग अधिकारी
 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


परिशेष - सततर

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1324) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)
नगर पंचायत राहौद

क.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य क.	स्वीकृत कार्यों का विवरण	कार्यवार स्वीकृत राशि	(राशि लाख रु. में)	
						पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधोसंरचना	50.00	1	वार्ड क्र. 01 में नगर पंचायत कार्यालय परिसर में 03 नग शौचालय निर्माण कार्य।	3.84	पूर्ण	-
			2	वार्ड क्र. 07 में आंगनबाड़ी भवन के पास भोड निर्माण कार्य।	10.75	-	अपूर्ण
			3	वार्ड क्र. 01 में कार्यालय भवन में बोर खनन कार्य।	1.20	पूर्ण	-
			4	वार्ड क्र. 01 में कार्यालय भवन परिसर में वाहन शेड निर्माण कार्य।	10.75	पूर्ण	-
			5	कार्यालय भवन का प्रथम तल निर्माण कार्य।	23.46	-	अपूर्ण
	योग	50.00	5		50.00	3	2
2	राज्य प्रवर्तित योजना	0.00		निरंक			
3	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	38.19	0		0.00	0	0
			1	वार्ड क्र. 01, 02 सीसी रोड निर्माण कार्य बुन्देला रोड से बिलारी रोड केनाल लिंक रोड तक।	33.87	-	अपूर्ण
	योग	38.19	2		4.32	-	अपूर्ण
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	0.00	2	वार्ड क्र. 01 सीसी रोड निर्माण कार्य बुन्देला रोड से दिनेश के घर तक।	38.19	0	2
	योग	0.00	0		0.00	0	0
	महायोग	88.19	7		88.19	3	4


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवालय, महानदी भवन

नगर पंचायत खरौद


क.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य क.	स्वीकृत कार्यों का विवरण	कार्यवार स्वीकृत राशि	(राशि लाख रु. में)	
						पूर्ण	अपूर्ण
1	3	4	5	6	7	8	9
1	अधोसंरचना	49.09	1	वार्ड क्रमांक 07 कृष्णाराम घर से गौरहा तालाब तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	11.32	-	अपूर्ण
			2	वार्ड क्रमांक 10 होरी लाल घर से संतोष कॅवट घर तक सी.सी. रोड़ मरम्मत कार्य।	3.59	-	अपूर्ण
			3	वार्ड क्रमांक 11 राजेन्द्र घर से श्याम लाल घर तक नाली निर्माण कार्य।	1.90	-	अपूर्ण
			4	श्रीराम यादव घर से देवनाथ यादव घर तक सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	0.75	-	अपूर्ण
			5	वार्ड क्रमांक 08 बलराम यादव के पास नाली निर्माण कार्य।	0.28	-	अपूर्ण
			6	वार्ड क्रमांक 11 बड़े साव सोनी घर से गजेन्द्र घर तक नाली निर्माण कार्य।	0.32	-	अपूर्ण
			7	राधे घर से भैरव तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	3.41	-	अपूर्ण
			8	वार्ड क्रमांक 10 युगलकिशोर सोनी घर से फन्दे चौक तक सी.सी. रोड़ मरम्मत कार्य।	1.72	-	अपूर्ण
			9	वार्ड क्रमांक 10 मनहरण देवांगन घर से नवीन सोनी घर तक सी.सी. रोड़ मरम्मत कार्य।	3.59	-	अपूर्ण
			10	वार्ड क्रमांक 01 से 05 मुरारी यादव घर से मनकाडीह तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	18.62	-	अपूर्ण
			11	भगाऊ घर से भैरव तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	1.19	-	अपूर्ण
			12	वार्ड क्रमांक 15 कमल सिदार घर से बट्टी धीवर घर तक आर.सी.सी. नाली एवं कच्छर निर्माण कार्य।	1.80	-	अपूर्ण
			13	वार्ड क्रमांक 11 धनेन्द्र यादव घर से विजय शर्मा घर तक तक आर.सी.सी. नाली एवं कच्छर निर्माण कार्य।	0.60	-	अपूर्ण
	योग	49.09	13		49.09	0	13
2	राज्य प्रवर्तित योजना	0.00		निरंक			
	योग	0.00	0		0.00	0	0

3	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	93.61	1	वार्ड क्र. 07 भागवत घर से धनसाय घर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	6.66	-	अपूर्ण
			2	वार्ड क्र. 07 रामसाय घर से शीतला मंदिर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	7.79	-	अपूर्ण
			3	वार्ड क्र. 07 शबरी मंदिर से पुरुषोत्तम घर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	7.79	-	अपूर्ण
			4	वार्ड क्र. 01 तिवारीपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से छत्तराम यादव घर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	11.73	-	अपूर्ण
			5	वार्ड क्र. 15 देवरी चौक से कसौंदी तालाब तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	12.99	-	अपूर्ण
			6	वार्ड क्र. 15 मंगलु यादव से लक्ष्मणेश्वर मंदिर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	11.73	-	अपूर्ण
			7	वार्ड क्र. 06 मांझापारा इंदलदेव मंदिर से कपाटनी मंदिर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	12.44	-	अपूर्ण
			8	वार्ड क्र. 15 तिवारीपारा विजय यादव घर से कपाटनी मंदिर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	9.49	-	अपूर्ण
			9	वार्ड क्र. 15 बजरंगबली मंदिर से बमरी तालाब रोड तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	12.99	-	अपूर्ण
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	33.77	9		93.61	0	9
			1	वार्ड क्रमांक 15 में मेन रोड में रेवक साहू घर से विजय केशरवानी घर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	12.99	-	अपूर्ण
			2	वार्ड क्रमांक 15 कांति कुलर फैक्ट्री से दयाल घर बिलासपुर मेन रोड तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	12.99	-	अपूर्ण
			3	वार्ड क्रमांक 15 बैगा धीवर घर से लक्ष्मी वर मंदिर तक द्यूबलरपोल विस्तार कार्य।	7.79	-	अपूर्ण
	योग	33.77	33.77	0	3		
	महायोग	176.47	176.47	0	25		

नगर पंचायत शिवरीनारायण

क.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य क.	स्वीकृत कार्यो का विवरण	कार्यवार स्वीकृत राशि	(राशि लाख रु. में)	
						पूर्ण	अपूर्ण
1	3	4	5	6	7	8	9
1	अधोसंरचना	45.00	1	वार्ड क्र.15 में मेन रोड से श्रीराम गार्डन तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	2.39	पूर्ण	-
			2	वार्ड क्र.13 में ठाकुर देव तिराहा से छोटी नहर तक नाली निर्माण कार्य।	10.96	-	अपूर्ण
			3	केरा चौक से श्रीराम इलेक्ट्रिकल तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य।	16.14	-	अपूर्ण
			4	वार्ड क्र.11 में लिखवा हाउस केरा रोड साहू मेडिकल तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य।	10.64	पूर्ण	-
			5	वार्ड क्र.09 में रपटाघाट से छतदार चबूतरा निर्माण।	4.87	-	अपूर्ण
2	योग	50.00	1	सूत सारथी समाज सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00	-	अपूर्ण
			2	डॉ.भीम राव अम्बेडकर चौक निर्माण कार्य।	20.00	-	अपूर्ण
			3	यादव समाज सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00	-	अपूर्ण
			4	कोटवार हेतु निवास भवन निर्माण कार्य।	10.00	-	अपूर्ण
3	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	4.21	1	अम्बेडकर चौक में बाबा साहब डॉ.भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापना एवं चौक सौंदर्यकरण कार्य।	11.19	-	अपूर्ण
			2	ठाकुरदीया डबरी तालाब का सौंदर्यकरण कार्य।	15.49	-	अपूर्ण
2	योग	26.89	1	वार्ड क्र.13 ठाकुरदीया गार्डन निर्माण।	11.40	-	अपूर्ण
			2		26.89	0	2
3	योग	4.21	1	जनकपुर रोड से एसएलआरएम सेंटर पहुंच मार्ग तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	4.21	-	अपूर्ण
			1		4.21	0	1

क.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य क.	स्वीकृत कार्यों का विवरण	कार्यवार स्वीकृत राशि	कार्यों की भौतिक स्थिति	
						पूर्ण	अपूर्ण
1	3	4	5	6	7	8	9
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)			निरंक			
	योग	0.00	0		0.00	0	0
	महायोग	137.29	13		137.29	2	11


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)


पारोशेष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1330) की जानकारी

प्रपत्र

नागरिकों से प्राप्त शिकायत अनुसार कार्यवाही विवरण की जानकारी

क्र.	शिकायत दिनांक	अवैध प्लाटिंग/कालोनी विकसितकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल	जांच दिनांक	निष्कर्ष	कार्यवाही विवरण
1	24-08-2020	3 1. श्री प्रदीप पटेल, 2. श्री नंदू यादव, 3. श्री बंटी ठाकुर	4 शिकायत कर्ता श्री संजय अग्रवाल द्वारा रमा रियल स्टेट प्रा.लि. विलासपुर द्वारा, मीजा सकरी नगर पालिक निगम अन्तर्गत प्रदीप, नंदू यादव, बंटी ठाकुर आदि के द्वारा किये जा रहे अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 61(क), 61(ख), 61(ग), 61(घ), 61(ड), 61(घ) एवं 61(छ) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने बाबत।	5 सकरी	6 993/381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 389/8, 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, 389/16, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/1, 371/10, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7	7 5.03 एकड़	8 15-12-2020	9 अवैध प्लाटिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	10 यह कालोनी नगर पालिक निगम विलासपुर की सीमावृद्धि पूर्व की अवैध कालोनी है। इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पत्थर को हटाया गया।
2	22-07-2020	श्री विकास भोजवानी	शिकायत कर्ता श्री नरेंद्र कुशवाहा पिता श्री भगवान दास कुशवाहा द्वारा, मिल्डर विकास भोजवानी पिता स्व. चन्द्रप्रकाश भोजवानी द्वारा संचालक पैरामाउट रियल्टिस (अरुण विहार) मो. 7999989630 माला में अवैध प्लाटिंग कर विक्रय करने बाबत।	माला (नदी किनारे घुरी पास)	475/1, 479, 480/1, 480/2, 481/1, 482, 485, 522/1, 523, 524, 554	7.00 एकड़	23-06-2021	गलत शिकायत	स्थल परीक्षण करने पर शिकायत निवारण पाया गया संबंधित खसरा नं. का स्वीकृत अभिवास होने के कारण इसे अवैध कालोनी सूची से विलोपित किया गया।
3	15-11-2021	रोशन बी. राशिद अली, रहमत अली, फरीदा बानो एवं अन्य	शिकायत कर्ता - मुस्ताज बेगम दारुह की तरफ से मुस्लिमर खास सिद्धीक अहमद कुरेशी द्वारा, अवैध प्लाटिंग कर विक्रय करने के संबंध में।	उरलापुर	409, 413, 415, 424, 430, 434, 438, 345, 407, 408, 423, 515, 421	18.04 एकड़	15-12-2020	अवैध प्लाटिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	यह कालोनी नगर पालिक निगम विलासपुर की सीमावृद्धि पूर्व की कालोनी है। नोटिस जारी किया गया है। स्थल पर कच्ची सड़क है एवं नागरिक लोग निवासरत है इसलिए जिस स्थान पर नागरिक लोग निवासरत है को छोड़कर अन्य स्थान पर कच्ची सड़क को हटाया गया।
4	24-01-2020	श्रीमती सुशीला बाई एवं अन्य	शिकायत कर्ता - श्री रामखिलावन सेगर द्वारा, विलासपुर नगर निगम वार्ड क्र.10 सिरगिट्टी सरकारी भूमि खसरा नं. 436, 80 डि.मी. भूमि को श्रीमती सुशीला बाई एवं उनके पुत्रों द्वारा अवैध तरीके से तुकड़े कर विक्रय एवं निर्माण कार्य पर रोक लगाने कब्जा हटाने आवेदन।	सिरगिट्टी	436	0.717 हेक्टेयर	18-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	यह कालोनी नगर पालिक निगम विलासपुर की सीमावृद्धि पूर्व की कालोनी है। इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पत्थर को हटाया गया।
5	20-06-2020	नेसरस राघव विरुडस	शिकायत कर्ता - श्रीमती नमता भास्कर यादव द्वारा, राघव विरुडस (शांति नगर) द्वारा किये जा रहे अवैध भूखण्ड विभाजन (प्लाटिंग) के संबंध में निष्पक्ष जांच बाबत।	शांति नगर	1684	0.84 एकड़	15-12-2020	अवैध प्लाटिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पत्थर को हटाया गया एवं एक.आई.आर. रज।


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भनालय, महानदी भवन

क्र.	शिकायत दिनांक	अवैध प्लाटिंग/कालोनी विकसितकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल	जांच दिनांक	निष्कर्ष	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	29-06-2020	मेसर्स श्री राम गुरु बिल्डर्स कोलोनाइजर प्रा.लि.	शिकायत कर्ता - भरत कश्यप द्वारा अवैध प्लाटिंग व भवन निर्माण को रोकने बाबत।	अयोध्या नगर	458/10	0.0850 हेक्टेयर	15-12-2020	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया एवं यह क्षेत्र विलासपुर शहर के विकसित क्षेत्र का भाग है एवं यह स्थल निरीक्षण उपरान्त छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासरत होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार किया गया है। अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया।
7	13-07-2020	प्रतिमा मिश्रा 7566445757	शिकायत कर्ता - श्री संदीप मसीह एवं श्रीकान्त मौर्य पिता बबुलाल मौर्यद्वारा, खसरा नंबर 207/3 रकबा 0.243 हेक्टेयर भूमि के अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाये जाने बाबत।	बहतराई	207/3	0.243 हेक्टेयर	11-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	यह क्षेत्र विलासपुर शहर के विकसित क्षेत्र का भाग है एवं यह स्थल निरीक्षण उपरान्त छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासरत होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन परचायत भवन इन कोसिल से विकास शुल्क का निर्धारण करने उपरान्त भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
8	03-03-2020	गुलाब	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अवैध प्लाटिंग भू-माफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	चिल्हाटी	224/9, 224/10, 224/8, 162/20	2.81 हेक्टेयर	11-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई सी.सी. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
9	03-03-2020	छोटे कुमार	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अवैध प्लाटिंग भू-माफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	चिल्हाटी	224 का भाग	0.251 हेक्टेयर	11-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई सी.सी. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
10	03-03-2020	श्री हरबश सिंह	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अवैध प्लाटिंग भू-माफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	चिल्हाटी	224/7	0.30 एकड़	11-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई सी.सी. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर एवं विद्युत पोल को हटाया गया।
11	03-03-2020	भू-स्वामी का नाम बलदाऊ, राजेन्द्र देवानन श्री राम देवानन, श्यामभाऊ, प्लाटिंग कर्ता का नाम श्री वित्पाल सिंह वसिया	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अवैध प्लाटिंग भू-माफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	चिल्हाटी	2319/11, 2300/12, 2315/3	1.00 एकड़	11-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर एवं विद्युत पोल को हटाया गया।
12	03-03-2020	भू-स्वामी गुलाब कुरे, छोटेलाल कुरे, प्लाटिंग कर्ता का नाम श्री राजकुमार चन्द्राकर	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अवैध प्लाटिंग भू-माफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	चिल्हाटी	224/9, 224/10	5.15 एकड़	11-01-2021	अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई सी.सी. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।

क्र.	शिकायत दिनांक	अध्वक्ष/कालोनी विकासितकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल	जांच दिनांक	निष्कर्ष	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	03-03-2020	मू-स्वामी गुलाब कुरें, छोटेलाल कुरें, प्लाटिंग कर्ता का नाम श्री नवल किशोर शर्मा	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अध्वक्ष प्लाटिंग मू-मफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अध्वक्ष प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	धिल्लाटी	224/9, 224/10	5.15 एकड़	11-01-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	इनके द्वारा बनाई गई सी.सी. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
14	03-03-2020	मू-स्वामी गुलाब कुरें, छोटेलाल कुरें, प्लाटिंग कर्ता का नाम श्री सुरेश मिश्रा	शिकायत कर्ता - विमला यादव (पार्षद), अध्वक्ष प्लाटिंग मू-मफिया पर कठोर कार्यवाही एवं अध्वक्ष प्लाटिंग पर रोक लगाने बाबत।	धिल्लाटी	224/9, 224/10	5.15 एकड़	11-01-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	इनके द्वारा बनाई गई सी.सी. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
15	11-09-2020	सियासत करण्य/भागीरथी करण्य	शिकायत कर्ता पुरुषोत्तम पटेल द्वारा, अध्वक्ष प्लाटिंग/अध्वक्ष कॉलोनी पर रोक लगाने बाबत।	खमतराई	801/1	0.101 हेक्टेयर	10-08-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
16	11-09-2020	देवा करण्य	शिकायत कर्ता पुरुषोत्तम पटेल द्वारा, अध्वक्ष प्लाटिंग/अध्वक्ष कॉलोनी पर रोक लगाने बाबत।	खमतराई	801/1	0.101 हेक्टेयर	10-08-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
17	29-12-2020	निधलेश सेन्धरी, श्रीमती तारा बाई सेन्धरी, शांति सेन्धरी	शिकायत कर्ता - श्री डी.के. द्वारा ग्राम मोंपका, प.ह.नं. 19/29 खसरा नम्बर 1310/1 रकबा 0.80 एकड़/0.234 हे. भूमि पर उक्त भूमि के स्वामी निधलेश सेन्धरी, श्रीमती तारादेवी सेन्धरी एवं शांति सेन्धरी अध्वक्ष व गैर कानूनी रूप से कालोनीज्जर एक्ट, रेश कागज के विरुद्ध बनाये जा रहे अध्वक्ष प्लाट कटिंग कर विरुद्ध पर रोक लगाने हेतु तथा उक्त भूमि का अध्वक्ष कालोनी के टुकड़ों पर प्लाट बिक्री पर रोक लगाने बाबत विरुद्ध हेतु बी-1, खसरा, नक्शा जारी न करने बाबत/रोक बाबत तथा उक्त भूमि का नामान्तरण न किये जाने बाबत।	मोंपका	1310/1	0.234 हेक्टेयर	11-01-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	यह कॉलोनी नगर पालिक निगम बिलासपुर को सीमावृद्धि पूर्व की कॉलोनी है एवं लगभग 80 प्रतिशत जगह पर मकान निर्मित है एवं लोग निवासरत है एवं विकास कार्य पूर्ण है। मार्ग संरचना के अनुपयुक्त पाया गया है मार्ग संरचना सर्वेक्षण कर तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	16-12-2020	श्रीमती गीता विद्यानी पति श्री विजय विद्यानी	शिकायतकर्ता - श्री संतोष निषाद, श्री श्याम सुन्दर निषाद, नसीब निषाद, द्वारा अध्वक्ष प्लाटिंग की शिकायत एवं उचित कार्यवाही हेतु बाबत।	तोरवा	275/6	0.421 हेक्टे.	25-08-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया।
19	03-04-2021	ईशान भंडारी एवं विकास पाल	शिकायत कर्ता श्री कविन्द्र चौहान, बंधवामारा बिलासपुर द्वारा सरकण्डा निवासी एवं जमीन दलाल ईशान भंडारी एवं विकास पाल ने अध्वक्ष प्लाटिंग कर छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन विक्रय कर दिया है, बेचने के पूर्व नगर निगम तथा टाउन एवं कट्टी प्लाटिंग से अनुमति नहीं ली है। वर्तमान हलका पटवारी से साठ-गाठ करके नामांतरण भी करा लिया है। आवेदक के साथ उल्लेखित सूची के अनुसार टीम गठित कर जांच कर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।	सरकण्डा	342, 269, 268, 264, 270, 992, 991, 1000, 959,		iwoZ l s bl {ks- dk eksZ jpuak vuqeksfar gS	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	खसरा क्र. 342, 269, 268, 264, 270 पर निर्मित कॉलोनी लगभग 2012 यह कॉलोनी में लगभग 80 प्रतिशत जगह पर मकान निर्मित है एवं लोग निवासरत है। इस लिए नागरिकों के निवेदन पर मार्ग संरचना तैयार कराया गया है एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पश्चात् विकास शुल्क को दर मेयर इन कॉलेज की बैठक दिनांक 23.05.18 को विकास शुल्क 35/- निर्धारित की गई है। नोटिस जारी किया गया है। जिसका जवाब प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार खसरा 992, 991, एवं 1000, 959 का विक्रय ईशान भंडारी द्वारा परीक्षण करने पर पाया गया कि कुछ क्षेत्र नगर पालिक निगम बिलासपुर सीमा के बाहर ग्राम सम्बलपुरी का है। जिसका मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत है।
20	25-03-2021	प्रदीप पटेल	शिकायत कर्ता रवि मेहर, एडवोकेट, छ.ग. उच्च न्यायालय, बटालियन रोड, सकरी बिलासपुर द्वारा मीजा सकरी प.ह.नं. 45, रा.नि.मं. सकरी, तहसील सकरी, नगर पालिक निगम के अंशदान पत्र पर अंशदाता तन्वन्तार मोंपका	सकरी	291/1, 290/60, 322/1, 322/15, 757/1 से 757/71, 507, 518/1, 518/2, 291 एवं 42	2.50 एकड़	06-07-2021	अध्वक्ष प्लाटिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पया गया।	नोटिस जारी किया गया है। एवं उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है वह खसरा क्र. से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है और न ही मेरे द्वारा किसी प्रकार का विक्रय किया जा रहा है।

क्र.	शिकायत दिनांक	अधिका/कालोनी स्थापित/कालोनी विकासकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल	जांच दिनांक	निष्कर्ष	कार्यवाही विवरण
1	2	संतोष वस्त्रकार, सौरभ पाण्डेय एवं अन्य व्यक्तियों	4 पाण्डेय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिका स्थापित किया जा रहे हैं। अधिका स्थापित के विरुद्ध छ. म. पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 (क), 61 (ख), 61 (ग), 61 (घ), 61 (ङ), 61 (च), 61 (छ) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने बाबत शिकायत।	5	6	7	8	9 अधिका स्थापित कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	10 नोटिस जारी किया गया है। एवं उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि इस कालोनी का निर्माण नगर निगम सीमावृद्धि पूर्व का है एवं लगभग 80 प्रतिशत मकान निर्मित है जिसकी स्वीकृति तत्कालीन नगर पंचायत सचिवी द्वारा प्रदान की गई है वर्तमान में नगर निगम में सम्मिलित होने के कारण अधिका स्थापित किया गया है। स्थल निरीक्षण पर चूंकि 80 प्रतिशत मकान बन चुका है। स्थल निरीक्षण उपरान्त छ.म. नगर पालिका (कालोनी)जर निर्बंधन तथा शर्तों नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनीयों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासित होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुसूचन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश सेवा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुसूचन परश्चात् मेयर इन कौंसिल से विकास शुल्क का निर्धारण करने उपरान्त भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।
21	20-04-2021	नीता दुआ पति श्री नरेश कुमार दुआ, दिनेश गुप्ता, उषा गुप्ता	शिकायतकर्ता श्रीमती अर्चना पाण्डेय, शिकायतकर्ता, निवासी शांति नगर बिलासपुर एवं स्थायी पता आफिसर कालोनी वार्ड 15 सक्ती जांजगीर चापा द्वारा - आलेटिका द्वारा शिकायत किया गया है कि मुक्तिधाम से चांटीडीह जाने वाले रोड पर स्थित भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये पूर्व भूमि स्वामी नीता दुआ पति श्री नरेश कुमार दुआ निवासी गोडपारा द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख जरिये अधिका स्थापित कर निम्न जमीन बेचा गया है। ख.नं. 550, 551, 552/1, 540, 541, 539/3, 538/3, 515/1. अतः नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 292 की उपधारा के तहत कार्यवाही करने बाबत।	चांटीडीह	550, 551, 552/1, 540, 541, 539/3, 538/3, 515/1.		03-07-2021	नगत शिकायत	नोटिस जारी किया गया था। परीक्षण करने पर पाया गया कि इस स्थल पर कोई भी अधिका स्थापित नहीं पाया गया। शिकायत निरधार पाया गया एवं आलेटिका शीमली अर्चना पाण्डेय द्वारा दिनांक 14.07.2021 की गई शिकायत वापस ली है।
22	17-03-2021	मुकेश कुमार सलूजा एवं राकेश सलूजा दोनों आ. श्रीराम शरण सलूजा,	शिकायतकर्ता समस्त मोहल्लेवासी, जबड़पारा, सरकण्डा बिलासपुर द्वारा - मुकेश कुमार सलूजा एवं राकेश सलूजा दोनों आ. श्रीराम शरण सलूजा निवासी लाजपतराय नगर, खपरगंज, बिलासपुर के द्वारा मौजा सरकण्डा जबड़पारा में प.ह.नं. 32 खसरा नंबर 1173 की कुल भूमि 0.441 हेक्टर पर अधिका स्थापित करके कालोनी बनाकर स्थापित विक्रय किये जाने बाबत।	चांटीडीह	1173	0.441 हेक्टे.	02-07-2021	अधिका स्थापित कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इसके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पत्थर को हटाया गया एवं जानकारी एकत्र की जा रही है उसके उपरान्त आगे की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	शिकायत दिनांक	अवैध प्लानिंग/कालोनी विकसितकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल	जांच दिनांक	निकर्ष	कार्यवाही विवरण
1	23-01-2020	मनीष तिवारी	शिकायतकर्ता पकज खण्डेलवाल द्वारा - अवैध कालोनी का निर्माण बिना सक्षम स्वीकृति के किया जा रहा है।	5 मोपका	6 1317	7 2 एकड़	8 08-09-2020	9 अवैध प्लानिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	10 यह कालोनी नगर पालिका निगम बिलासपुर की सीमावृद्धि पूर्व की कालोनी है। नोटिस जारी किया गया है। परिष्कार कर पाया गया कि यह कालोनी नगर निगम विस्तार के पूर्व की है एवं लगभग 80 प्रतिशत में मकानों का निर्माण हो चुका है जिसकी स्वीकृति तत्कालीन ग्राम पंचायत मोपका द्वारा प्रदान की गई है। जोन क्र.07 द्वारा इस कालोनी मार्ग संरचना तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।
24	18-02-2020	बिल्डर नरेंद्र यादव एवं बंटी ठाकुर	शिकायतकर्ता श्री रवि मेहर (अधिवक्ता) द्वारा - अवैध कालोनी का निर्माण बिना सक्षम स्वीकृति करने के संबंध में।	5 अमेरी	171, 172, 173 (का भाग), 174 (का भाग), 278 (का भाग), 286 (का भाग)	8565.12 वर्गमीटर	15-02-2021	अवैध प्लानिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	स्थल निरीक्षण उपरांत छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्तु होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पश्चात् मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 15.02.2021 द्वारा विकास शुल्क 75/- प्रति वर्गफीट निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
25	18-02-2020	तेजकुमार बाबेकर एवं मनीष ठाकुर	शिकायतकर्ता श्री रवि मेहर (अधिवक्ता) द्वारा - अवैध कालोनी का निर्माण बिना सक्षम स्वीकृति करने के संबंध में।	5 अमेरी	5/1, 5/2, 5/3, 10, 12/1	27685.34 वर्गमीटर	11-10-2021	अवैध प्लानिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	स्थल निरीक्षण उपरांत छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्तु होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पश्चात् मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 11.10.2021 द्वारा विकास शुल्क 67/- प्रति वर्गफीट निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
26	18-02-2020	सरिता शर्मा, राकेश शर्मा एवं कार्तिक यादव	शिकायतकर्ता श्री रवि मेहर (अधिवक्ता) द्वारा - अवैध कालोनी का निर्माण बिना सक्षम स्वीकृति करने के संबंध में।	5 सकरी	51, 52 (का भाग), 54, 55/12, 55/25, 56/1, 56/5	5949.35 वर्गमीटर	16-07-2021	अवैध प्लानिंग कर कालोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	स्थल निरीक्षण उपरांत छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्तु होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पश्चात् मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 16.07.2021 द्वारा विकास शुल्क 107/- प्रति वर्गफीट निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

क्र.	शिकायत दिनांक	अधिकाधिकार/कालोनी विकासकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल वर्गमीटर	जांच दिनांक	निष्कर्ष	कार्यवाही विवरण
1	27-18-02-2020	3	4	5	6	7	8	9	10
		कमलेश कश्यप	शिकायतकर्ता श्री अमित भारती द्वारा - अधिकाधिकार/कालोनी विकासकर्ता का नाम एवं विवरण	उरलापुर	327/1, 327/2, 328	7055.56 वर्गमीटर	16-07-2021	अधिकाधिकार/कालोनी विकासकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल निरीक्षण उपरान्त छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्त होना पाया गया जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पर्याप्त मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 16.07.2021 द्वारा विकास शुल्क 80/- प्रति वर्गफीट निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
28	21-01-2021	बिल्डर- रेखा देवी, सुभाष कानुनगो, सुमन मोटवानी पति रवि मोटवानी	सीताराम जायसवाल	तालापारा	28 का भाग	6301.675 वर्गमीटर	11-10-2021	अधिकाधिकार/कालोनी विकासकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल निरीक्षण उपरान्त छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्त होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पर्याप्त मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 11.10.2021 द्वारा विकास शुल्क 54/- प्रति वर्गफीट निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
29	21-01-2021	बिल्डर- अमित अग्रवाल, अनिता दीक्षित, बटी खान	प्रफूल झा	तालापारा	683 एवं 681 का भाग	1852.317 वर्गमीटर	11-10-2021	अधिकाधिकार/कालोनी विकासकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल निरीक्षण उपरान्त छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्त होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन पर्याप्त मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 11.10.2021 द्वारा विकास शुल्क 71/- प्रति वर्गफीट निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

क्र.	शिकायत दिनांक	अभिेच प्लानिंग/कालोनी विकासकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं विवरण	स्थल का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल वर्गमीटर	जांच दिनांक	निष्कर्ष	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	25-08-2020	(लाल बहादुर सिंह पवार, सुशीला सिंह पवार, शकुन सिंह पवार, दादू करयप)	नागरिकों द्वारा प्रदीप कुमार शर्मा/मिश्रा (अधिवक्ता)	घाटीडीह	12 का भाग	5145.415 वर्गमीटर	30-12-2021	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	स्थल निरीक्षण उपरांत छ.ग. नगर पालिका (कालोनाहजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्त होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन परचात भेज इन कौंसिल की बैठक दिनांक 30.12.2021 द्वारा विकास शुल्क 82/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित कर भवन अनुज्ञा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
31	30-09-2020	धरम प्रसाद सूर्यवंशी एवं अन्य	बृजेश साहू	घाटीडीह	207 का भाग	11269.668 वर्गमीटर	10-12-2021	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	स्थल निरीक्षण उपरांत छ.ग. नगर पालिका (कालोनाहजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्त होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से दिनांक 10.12.2021 को अनुमोदित एवं विकास शुल्क निर्धारण कार्यवाही पर है।
32	01-08-2021	महेन्द्र कुमार गौरहा	नागरिकों द्वारा शिकायत पूनम तिवारी, रिजू शर्मा, राजेंद्र कौशिक, प्रीति सिंह, एवं अन्य	लिंगियाडीह	9 का भाग	11023.201 वर्गमीटर	16-02-2022	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	स्थल निरीक्षण उपरांत छ.ग. नगर पालिका (कालोनाहजर निबंधन तथा शर्त) नियम संशोधन 2016 के नियम 15(क), 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण के योग्य पाया गया। स्थल पर 10 प्रतिशत से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में लोगों निवासस्त होना पाया गया, जिसका मार्ग संरचना तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश भेजा गया। नगर तथा ग्राम निवेश से दिनांक 16.02.2022 को अनुमोदित एवं विकास शुल्क निर्धारण कार्यवाही पर है।
33	23-03-2021	श्रीराम इन्का, बिलासपुर भागीदार श्री विवेक अग्रवाल, अमित अग्रवाल	शिकायत कर्ता - जागरूक क्षेत्रवासी,	सकरी	344	0.69 एकड़	15-12-2020	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.डी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया एवं एक.आई.आर. दर्ज कराया गया।
34	23-03-2021	श्री रामखिलावन कोरी पिता श्री श्याम लाल कोरी	शिकायत कर्ता - जागरूक क्षेत्रवासी,	सकरी	399/1		15-12-2020	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.डी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया एवं एक.आई.आर. दर्ज कराया गया।
35	23-03-2021	श्री गोपाल करयप पिता श्री लक्ष्मण करयप	शिकायत कर्ता - जागरूक क्षेत्रवासी,	माला	623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625	3.00 एकड़	15-12-2020	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.डी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया एवं एक.आई.आर. दर्ज कराया गया।
36	23-03-2021	श्री संजीत यादवा	शिकायत कर्ता - जागरूक क्षेत्रवासी,	सकरी	399		15-12-2020	अधेच प्लानिंग कर कॉलोनी निर्माण कार्य होना पाया गया।	इनके द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.डी.एम. सड़क तथा सीमांकन हेतु लगाये गये पथर को हटाया गया एवं एक.आई.आर. दर्ज कराया गया।

अनुभाग अधिकारी टिप :- 1. उपरोक्त के अतिरिक्त वास्तुिक भूमि स्वामी तथा खसरा नम्बर व रकबा एवं तुकडों पर बिछी की जानकारी के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को निकाय द्वारा दिनांक 10.11.2020, 13.11.20, 07.12.20, 24.02.21, 23.09.21 एवं 09.11.21 को पत्र लिखा गया है।

रीय प्रशासन एवं विकास विभाग 2. तुकडों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप पंजीयक जिला बिलासपुर एवं तखतपुर एवं तखतपुर को निकाय द्वारा दिनांक 23.03.21 एवं 05.04.21 को पत्र प्रेषित किया गया है।

पारोशेष्ट - उन्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1331) की जानकारी

प्रपत्र-अ

01 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक जिलेवार, योजनावार बनाए गए नवीन राशनकार्ड

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार
1	बस्तर	44	451	4	2	19024
2	बीजापुर	296	1289	3	0	2320
3	दन्तेवाड़ा	56	313	1	0	2746
4	कांकेर	45	318	6	0	23377
5	कौंडागांव	15	48	0	0	9830
6	नारायणपुर	88	190	11	0	3617
7	सुकमा	91	1085	2	0	1883
8	बिलासपुर	623	6022	31	0	62009
9	जांजगीर	124	1987	27	0	55015
10	कोरबा	184	2706	18	6	37079
11	मुंगेली	199	1649	20	0	11212
12	रायगढ़	23	176	4	0	56608
13	बालोद	32	1715	38	0	30162
14	बेमेतरा	14	362	8	0	23668
15	दुर्ग	393	1902	85	7	105663
16	कवर्धा	177	1192	5	0	19376
17	राजनांदगांव	389	19810	54	0	42735
18	बलौदा बाजार	36	372	33	0	35227
19	धमतरी	131	1208	8	3	28031
20	गरियाबंद	88	386	25	0	14280
21	महासमुंद	9	47	3	0	37545
22	रायपुर	326	10585	47	0	98442
23	बलरामपुर	43	193	2	0	17976
24	जशपुर	28	167	4	0	21862
25	कोरिया	241	1517	9	2	26934
26	सरगुजा	386	3566	2	2	17611
27	सुरजपुर	108	1616	1	0	16804

अनुभाग 2
कक्षा क्रमांक-2
स्वाध्याय नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

01 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जिलेवार, योजनावार बनाए गए नवीन राशनकार्ड

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार
1	बस्तर	438	7480	22	6	1743
2	बीजापुर	782	4148	4	3	606
3	दन्तेवाड़ा	143	1807	8	5	2794
4	कांकेर	74	629	21	0	1580
5	कोंडागांव	29	218	1	0	834
6	नारायणपुर	415	554	4	0	143
7	सुकमा	380	5390	7	5	168
8	बिलासपुर	334	1793	12	1	4759
9	गौरैला-पेन्द्रा	887	8629	60	19	251
10	जांजगीर	118	1145	33	19	301
11	कोरबा	449	6289	33	13	238
12	मुंगेली	181	284	16	0	129
13	रायगढ़	786	5953	25	27	2657
14	बालोद	132	2978	45	4	1068
15	बेमेतरा	25	501	6	1	560
16	दुर्ग	616	3803	185	40	22252
17	कवर्धा	1207	285	6	5	296
18	राजनांदगांव	302	9999	51	25	3250
19	बलौदा बाजार	92	944	23	15	5830
20	धमतरी	192	1533	48	1	2476
21	गरियाबंद	359	3046	49	28	298
22	महासमुंद	96	1073	25	8	3881
23	रायपुर	1591	34423	201	44	15628
24	बलरामपुर	2073	3764	9	36	1241
25	जशपुर	77	411	14	0	1001
26	कोरिया	286	3216	18	10	1111
27	सरगुजा	642	9581	12	21	5030
28	सुरजपुर	282	5152	4	4	672

अभ्युक्त अधिकारी
 बन्दा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-स

01 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक जिलेवार, योजनावार बनाए गए नवीन राशनकार्ड

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार
1	बस्तर	163	1066	9	0	997
2	बीजापुर	735	4296	4	0	1035
3	दन्तेवाड़ा	125	2026	10	3	774
4	कांकेर	132	920	22	0	1333
5	कोंडागांव	126	1902	7	0	698
6	नारायणपुर	183	426	1	0	166
7	सुकमा	810	4799	2	14	290
8	बिलासपुर	1436	31810	181	33	6226
9	गौरैला-पेन्द्रा	108	730	2	13	268
10	जांजगीर	218	4212	57	0	792
11	कोरबा	459	13431	78	25	2031
12	मुंगेली	402	4443	33	1	612
13	रायगढ़	1505	8350	29	18	1856
14	बालोद	121	2335	30	3	1030
15	बेमेतरा	210	9458	16	3	1243
16	दुर्ग	899	2149	180	40	9583
17	कवर्धा	332	3166	23	34	486
18	राजनांदगांव	146	7988	42	15	2024
19	बलौदा बाजार	205	2165	39	10	2260
20	धमतरी	185	2033	15	2	2164
21	गरियाबंद	289	2034	34	42	399
22	महासमुंद	74	438	9	5	1453
23	रायपुर	2701	32696	122	22	12690
24	बलरामपुर	1333	3783	5	24	706
25	जशपुर	256	2022	16	0	1134
26	कोरिया	862	4094	4	7	879
27	सरगुजा	966	4916	6	12	854
28	सुरजपुर	625	6081	26	11	795

अनुसूचित जातों
के लिए
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
राजनांदगांव

प्रपत्र-द

01 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 तक जिलेवार, योजनावार बनाए गए नवीन राशनकार्ड

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार
1	बस्तर	75	42	0	0	48
2	बीजापुर	18	143	1	0	14
3	दन्तेवाड़ा	43	101	0	0	37
4	कांकेर	15	76	0	0	38
5	कोंडागांव	28	164	2	0	21
6	नारायणपुर	14	36	0	0	11
7	सुकमा	8	121	0	1	10
8	बिलासपुर	141	2384	15	1	351
9	गौरैला-पेन्ड्रा	3	71	0	1	14
10	जांजगीर	5	711	3	0	107
11	कोरबा	53	1199	5	4	114
12	मुंगेली	66	1844	17	0	28
13	रायगढ़	145	702	3	0	168
14	बालोद	15	428	4	0	81
15	बेमेतरा	107	3270	3	1	41
16	दुर्ग	75	198	6	4	522
17	कवर्धा	348	7165	17	15	32
18	राजनांदगांव	20	991	7	1	96
19	बलौदा बाजार	7	113	1	1	132
20	धमतरी	19	156	2	0	68
21	गरियाबंद	22	278	1	2	23
22	महासमुंद	12	40	1	1	94
23	रायपुर	268	3264	14	1	633
24	बलरामपुर	93	822	0	1	12
25	जशपुर	89	1039	3	0	59
26	कोरिया	132	304	2	1	45
27	सरगुजा	209	533	0	5	42
28	सुरजपुर	9	174	0	0	48

अनुभाग अधिकारी
कक्षा 2
स्वास्थ्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग



पारिशेष - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 1333) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6 चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002(यथा संशोधित 2020) में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

(एक) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2020) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1- नियम-4 में उप नियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रुपये 10,001 से 1,00,000 (रुपये दस हजार एक से रुपये एक लाख) तक हो । इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है । इसके लिये यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर किया जा सकेगा । परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा ।”

2- नियम-4 में उप नियम 4.3.3 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“खुली निविदा पद्धति :-

इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :-

1-जहां निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 1,00,001 से 2.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में ।

2-रु. 2.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में ।

3-रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो -प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में ।

4-रु. 20.00 लाख से अधिक -प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में ।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी ।

परंतु, केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा ।

परंतु, खुली निविदा पद्धति में आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा ।”

“ परंतु, सुरक्षा संबंधी उपकरणों वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय हेतु गृह विभाग को नियमावली की कौडिका-4.3.3 के पालन से छूट प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा।”

3- नियम-11 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा । प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे । विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है । भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा ।

प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहाँ पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे । इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी । समय-सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अग्रविष्ट किया जायेगा ।


ई-मानक पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee receipt-Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी। यह (PRC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा । (CRAC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।”

Prashant
अनुभाग अधिकारी
इस्तीसगद रखन
गृह विभाग

mmg

- (दो) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन विभागों के द्वारा जेम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाए।
- (तीन) यह सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनोज कुमार पिगुआ)

प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

पृष्ठां. क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग
.....मंत्रालय,
नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, प्रथम तल, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- समस्त कलेक्टर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करने हेतु।



प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

श्रम विभाग के अंतर्गत 01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक जेम पोर्टल एवं सीएसआईडीसी (ई-मानक पोर्टल) के माध्यम से कय की गई सामग्रीयो की जानकारी।

क्र0	क्रयकर्ता विभाग/ मंडल	सामग्री का नाम	क्रय का माध्यम (पोर्टल का नाम)	सामग्री कय तिथि	दर	सामग्री की संख्या	कुल राशि	आपूर्तिकर्ता संस्था का नाम	निर्धारित समय में प्राप्त सामग्री की संख्या	निर्धारित समय के बाद प्राप्त सामग्री की संख्या
1	छ0ग10 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर	मीटिंग टेबल	जेम पोर्टल	19.07.2021	150000	2	300000	मेसर्स, एम. आर. इंटरप्राइजेस, ए ब्लॉक-202, मारुति हाइट्स, जी. ई. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़	2	0
2		रिवाल्विंग चेयर		19.07.2021	14900	32	476800		32	0
3		कम्प्युटर सिस्टम		06.10.2021	45000	1	45000	मेसर्स वीपीसी केयर, रायपुर	1	0
4		एग्जीक्यूटिव टेबल		29.11.2021	14500	1	14500		1	0
5		कम्प्युटर टेबल		29.11.2021	4081	4	16324		4	0
6		प्रीमियम मिड बैक चेयर		29.11.2021	8775	4	35100		4	0
7	श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर	एग्जीक्यूटिव नेट मिड बैक रिवाल्विंग चेयर	सीएसआईडीसी (ई-मानक पोर्टल)	29.11.2021	5850	1	5850	मेसर्स एस.के. इंडस्टी, राजनांदगांव	1	0
8		एग्जीक्यूटिव विजिटर चेयर कैंटीलिवर		29.11.2021	4204	4	16816		4	0
9		कम्प्युटर सिस्टम		12.01.2022	52153	12	625836	मेसर्स श्री राम कम्प्युटर्स, रायपुर	12	0
10		प्रिंटर		12.01.2022	18750	12	225000		12	0
11	राज्य औद्योगिक न्यायालय, छ0ग10, रायपुर	नवीन वाहन	जेम पोर्टल	19.01.2022	715664.9 (फ्रेट चार्जस सहित)	2	1431330	मारुति सुजुकी इंडिया लि.	2	0
						75	3192556		75	0

योग

Handwritten signature and official stamp of the Department of Labour, Raipur.

पारोशेष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1336) की जानकारी

प्रपत्र

मस्तुरी विधानसभा के मस्तुरी एवं सीपत परिक्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में प्रतिमान खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 की अवधि की जानकारी

क्रमांक	माह	खाद्यान्न का नाम/आबंटन मात्रा मेट्रिक टन में					अन्य सामग्री केरोसिन (किलोलीटर में)
		चावल	नमक	शक्कर	चना	अरहर	
1	जनवरी 2019	26032.60	891.31	891.25	0.00	0.00	113.7
2	फरवरी 2019	26044.50	891.50	891.44	0.00	0.00	113.8
3	मार्च 2019	26044.50	891.52	891.44	0.00	0.00	113.8
4	अप्रैल 2019	26027.23	0.08	894.05	0.00	0.00	114.4
5	मई 2019	26027.23	0.00	894.05	0.00	0.00	114.5
6	जून 2019	26043.51	0.00	894.97	0.00	0.00	114.6
7	जुलाई 2190	26043.51	0.00	894.97	0.00	0.00	64.2
8	अगस्त 2019	29493.02	0.00	894.58	0.00	0.00	89.5
9	सितंबर 2019	29493.02	894.58	894.58	0.00	0.00	89.5
10	अक्टूबर 2019	29351.42	892.00	892.44	0.00	0.00	79.1
11	नवम्बर 2019	29993.50	847.05	847.05	0.00	0.00	83.9
12	दिसंबर 2019	29859.13	847.05	847.05	0.00	0.00	100.3
13	जनवरी 2020	30351.89	858.16	858.16	0.00	0.00	82.6
14	फरवरी 2020	30512.57	858.28	858.28	0.00	0.00	109.7
15	मार्च 2020	30512.22	858.28	858.28	0.00	0.00	117.1
16	अप्रैल 2020	38945.29	858.22	858.22	869.65	0.00	82.9
17	मई 2020	39603.32	880.67	881.94	869.65	0.00	115.7
18	जून 2020	38948.74	970.64	858.16	0.00	869.65	91.8
19	जुलाई 2020	39027.65	970.78	858.24	869.67	0.00	54.8
20	अगस्त 2020	39030.10	970.76	858.24	869.67	0.00	54.8
21	सितंबर 2020	39048.95	971.60	858.30	869.76	0.00	54.8
22	अक्टूबर 2020	39100.75	858.68	858.68	870.14	0.00	44.3
23	नवम्बर 2020	38993.65	859.36	859.36	870.91	0.00	60.5
24	दिसम्बर 2020	30608.20	859.68	859.68	0.00	0.00	64
25	जनवरी 2021	30613.01	859.88	859.88	0.00	0.00	55.6
26	फरवरी 2021	30666.02	860.20	860.20	0.00	0.00	59.6
27	मार्च 2021	30801.18	863.86	863.86	0.00	0.00	61.8
28	अप्रैल 2021	31018.85	871.16	871.16	0.00	0.00	45.8
29	मई 2021	39762.02	882.29	882.29	0.00	0.00	52.6
30	जून 2021	39762.02	882.29	882.29	0.00	0.00	51.2
31	जुलाई 2021	39847.88	884.42	884.42	0.00	0.00	44.4
32	अगस्त 2021	40135.58	894.17	894.17	0.00	0.00	44.8
33	सितंबर 2021	40222.45	895.29	895.29	0.00	0.00	45
34	अक्टूबर 2021	40618.45	901.95	901.95	0.00	0.00	45.1
35	नवम्बर 2021	40684.95	909.78	909.78	0.00	0.00	49.5
36	दिसम्बर 2021	40950.75	919.02	919.02	0.00	0.00	49.5

पारोशेष्ट - इक्यासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1336) की जानकारी


पारिशेष्य - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1337) की जानकारी


प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र कोटा के अंतर्गत एकमात्र नगरपालिका रतनपुर का विकास
(राशि रुपये लाख में)

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण
1	2020-21	अधोसंरचना मद	संचालनालय का पत्र क्र. 2320/चार/ले. अनु./2021-22, नवा रायपुर दिनांक 09.07. 2021		कार्य विवरण			
				1	वार्ड क्र. 01 एफएसटीपी पहुँच मार्ग काक्रीटीकरण कार्य	3.30	पूर्ण	-
				2	वार्ड क्र. 04 नूतन चौक से बड़ी बाजार होते हुये मुख्य मार्ग तक सीसी रोड पुनर्निर्माण कार्य (पूर्व निर्मित रोड को तोड़कर)	19.73	-	अपूर्ण
				3	वार्ड क्र. 06 गिरजाबंद रोड से लोकबंद तालाब मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	2.63	-	अपूर्ण
				4	वार्ड क्र. 07 कृपाल गोंड घर से दुकलहा यादव घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	4.72	पूर्ण	-
				5	वार्ड क्र. 08 मेला मैदान में आंगन बाड़ी से मंडी की ओर सीसी रोड निर्माण	10.25	-	अपूर्ण
				6	वार्ड क्र. 12 मस्जिद से गफूर के घर तक नवीन सीसी रोड निर्माण कार्य	5.31	पूर्ण	-
				7	वार्ड क्र. 14 मोदलापारा दैहान से बोधीबंद तक सीसी रोड निर्माण कार्य	8.85	-	अपूर्ण
				8	वार्ड क्र. 15 जूनाशहर ठाकुर देव मे सीसी रोड निर्माण कार्य	5.36	-	अपूर्ण
				9	वार्ड क्र. 02 केन्दा रोड में थाना से ट्रांसफार्मर तक आर सीसी नाली निर्माण कार्य	15.00	-	अपूर्ण
				10	वार्ड क्र. 04 नूतन चौक से बड़ी बाजार होते हुये मुख्य मार्ग तक दायी ओर नाली निर्माण कार्य	14.00	-	अपूर्ण
				11	वार्ड क्र. 05 रजहापारा में काली मंदिर हेडपंप से उमंद करणघर तक नाली निर्माण कार्य	6.00	-	अपूर्ण
				12	वार्ड क्र. 05 लालखंभा चौक से नूतन चौक की ओर नाली निर्माण कार्य	6.25	पूर्ण	-


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया पत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

1	2020-21	15वां वित्त आयोग	-	0	निरंक	0.00	-	-	-
2	2021-22	15वां वित्त आयोग	-	0	निरंक	0.00	-	-	-
	योग			0		0.00	0	0	0
1	2020-21	राज्य प्रवर्तित योजना	2222/05.11.2020	1	पोनी पसारी बाजार निर्माण	30.00	-	-	अपूर्ण
	योग			2		60.00	0	0	2
2	2021-22	राज्य प्रवर्तित योजना	2222/05.11.2020	-	निरंक	0	-	-	-
	योग			2		60.00	0	0	2
1	2020-21	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	-	0	निरंक	0.00	-	-	-
2	2021-22	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	08-06-2021	422	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीपलसी) घटक अंतर्गत 422 आवासों का निर्माण	1315.12	0	0	422
	कुल योग			422		1315.12	0	0	422
1	2020-21	सुविधा 24 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	-	0	निरंक	0.00	-	-	-
2	2021-22		-	0	निरंक	0.00	-	-	-
	कुल योग			0		0.00	0	0	0
	महायोग			475		1835.71	5	5	470


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1342) की जानकारी

प्रपत्र

क.	नाम	पदनाम
1	श्री गौरी शंकर अग्रवाल	संरक्षक
2	श्री गोविन्द्र अग्रवाल	प्रबंध न्यासी
3	श्री नीलाम्बर प्रसाद देवांगन	कोषाध्यक्ष
4	श्री शरद अग्रवाल	सचिव
5	श्री पूनम चंद अग्रवाल	ट्रस्टी
6	श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल	ट्रस्टी
7	श्री नवनीत जगतारामका	ट्रस्टी
8	श्री रणजीत दास वैष्णव	ट्रस्टी
9	श्री पवन अग्रवाल	ट्रस्टी
10	श्री अजीत पाण्डेय	ट्रस्टी
11	श्री डॉ राजेन्द्र अग्रवाल	ट्रस्टी
12	श्री देवेन्द्र सिंह	ट्रस्टी


 अनुभाग अधिकारी
 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1351) की जानकारी

प्रपत्र - अ

वर्ष 2021-22 में 10 फरवरी, 2022 तक बनाए गए नवीन राशनकार्ड की विकसखंडवार/योजनावार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	सामान्य परिवार
1	नवागढ़	52	1149	14	285
2	पामगढ़	6	251	4	47
3	अकलतरा	29	578	9	132
4	बलौदा	11	501	6	31
5	बम्हनीडीह	27	532	10	150
6	जैजैपुर	22	596	1	27
7	सक्ती	22	450	6	30
8	मालखरौदा	7	211	2	49
9	डभरा	7	163	1	61
	योग	183	4431	53	812



अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उत्प्रेक्षता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, राणपुर

प्रपत्र - ब


सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड बनाने के मापदण्ड

(1) अंत्योदय परिवार हेतु मापदण्ड -

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार;
- (ख) समस्त परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी/परित्यक्ता महिला है;
- (ग) समस्त परिवार जिसके मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं;
- (घ) समस्त परिवार जिसके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हैं;
- (ङ.) समस्त परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है;
- (च) समस्त परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर हैं;
- (छ) समस्त परिवार जिनके मुखिया आवासहीन हैं, तथा समस्त परिवार जो पंडो एवं भूजिया जनजाति के हैं,
- (ड) परिवारों का कोई अन्य समूह, जैसा कि विहित किया जाए;

(2) प्राथमिकता परिवार हेतु मापदण्ड -

- (क) भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार;
- (ख) सीमान्त एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार;
- (ग) समस्त परिवार, जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं;
- (घ) समस्त परिवार, जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।


 अनुभावा अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

Seema

(3) एकल निराश्रित राशनकार्ड हेतु मापदण्ड -

निराश्रित पेंशनधारियों को एकल निराश्रित राशनकार्ड जारी किया जा सकता है।

(4) निःशक्तजन राशनकार्ड हेतु मापदण्ड -

निःशक्त व्यक्ति को निःशक्तजन राशनकार्ड जारी किया जाता है।

(5) सामान्य राशनकार्ड हेतु मापदण्ड -

अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा अथवा निःशक्तजन राशनकार्डधारी परिवारों को छोड़कर राज्य के सभी परिवारों को सामान्य राशनकार्ड जारी किया जा सकता है।



Seema

अनुमान अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
समाज वागरिक आपूर्ति एवं
अपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, राधपुर

परोशेष्ट - पच्चासी

अतरांकेत प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1352) की जानकारी

प्रपत्र

जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (31 जनवरी 2022) तक लूट, हत्या, चोरी, डकैती एवं बलात्कार की पंजीबद्ध अपराध, पकड़े गये आरोपी एवं फरार आरोपी की थानावार जानकारी

क्र	थाना	अपराध शीर्ष	वित्तीय वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	पकड़े गये (गिरफ्तार आरोपी)		फरार आरोपी	
					प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति
1	जांजगीर	लूट	2020-21	6	4	12	0	0
			2021-22	3	2	5	0	0
		हत्या	2020-21	10	9	38	0	0
			2021-22	3	1	1	0	0
		चोरी	2020-21	48	6	9	0	0
			2021-22	79	4	6	0	0
		डकैती	2020-21	1	1	6	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	17	16	17	0	0
			2021-22	8	4	4	0	0
2	अकलतरा	लूट	2020-21	3	2	4	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	4	3	5	0	0
			2021-22	3	3	14	0	0
		चोरी	2020-21	22	4	8	0	0
			2021-22	23	7	23	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	1	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	6	5	6	1	1
			2021-22	3	2	2	1	0
3	पामगढ़	लूट	2020-21	1	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	3	3	6	0	0
			2021-22	4	3	10	0	0
		चोरी	2020-21	14	4	6	0	0
			2021-22	12	3	7	0	0
		डकैती	2020-21	1	1	5	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	8	8	9	0	0
			2021-22	8	7	7	1	1

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	थाना	अपराध शीर्ष	वित्तीय वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	पकड़े गये (गिरफ्तार आरोपी)		फरार आरोपी	
					प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति
4	नवागढ़	लूट	2020-21	3	2	5	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	5	5	14	0	0
			2021-22	2	2	4	0	0
		चोरी	2020-21	10	3	5	0	0
			2021-22	14	4	5	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
बलात्कार	2020-21	18	18	28	0	0		
	2021-22	4	4	4	0	0		
5	बलौदा	लूट	2020-21	5	4	9	0	0
			2021-22	4	4	15	0	0
		हत्या	2020-21	3	3	3	0	0
			2021-22	5	4	7	0	0
		चोरी	2020-21	22	4	5	0	0
			2021-22	18	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	1	1	5	0	0
			2021-22	1	1	10	0	0
बलात्कार	2020-21	11	11	11	0	0		
	2021-22	5	5	4	1	1		
6	शिवरीनारायण	लूट	2020-21	2	2	5	0	0
			2021-22	1	0	0	1	1
		हत्या	2020-21	4	4	4	0	0
			2021-22	4	3	10	1	0
		चोरी	2020-21	28	8	13	0	0
			2021-22	15	1	2	2	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
बलात्कार	2020-21	8	5	5	3	3		
	2021-22	9	9	9	0	0		
7	चांपा	लूट	2020-21	1	1	1	0	0
			2021-22	1	1	3	0	0
		हत्या	2020-21	5	4	7	0	0
			2021-22	2	2	4	0	0
		चोरी	2020-21	50	12	18	0	0
			2021-22	37	4	6	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
बलात्कार	2020-21	6	6	6	0	0		
	2021-22	6	5	5	1	1		

क्र.	स्थाना	अपराध शीर्ष	वित्तीय वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	पकड़े गये (गिरफ्तार आरोपी)		फरार आरोपी	
					प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति
8	सासागांव	लूट	2020-21	1	1	2	0	0
			2021-22	2	1	3	0	0
		हत्या	2020-21	2	2	3	0	0
			2021-22	3	3	11	0	0
		चोरी	2020-21	6	2	5	0	0
			2021-22	5	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	6	6	7	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0
9	बम्हनीडिह	लूट	2020-21	1	1	2	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	3	3	3	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		चोरी	2020-21	8	1	1	0	0
			2021-22	1	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	1	1	6	0	0
		बलात्कार	2020-21	1	1	1	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0
10	बिरा	लूट	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	1	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	2	2	4	0	0
			2021-22	2	2	3	0	0
		चोरी	2020-21	6	0	0	0	0
			2021-22	1	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	5	5	5	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0
1	बाराद्वार	लूट	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	2	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	4	2	6	0	0
			2021-22	3	0	0	3	0
		चोरी	2020-21	23	7	10	0	0
			2021-22	15	3	9	0	0
		डकैती	2020-21	1	1	7	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	12	11	11	1	1
			2021-22	1	1	2	0	0

क्र.	स्थाना	अपराध शीर्ष	वित्तीय वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	पकड़े गये (गिरफ्तार आरोपी)		फरार आरोपी	
					प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति
12	सक्ती	लूट	2020-21	2	2	8	0	0
			2021-22	2	1	3	1	2
		हत्या	2020-21	2	1	1	0	0
			2021-22	4	4	18	0	0
		चोरी	2020-21	40	7	13	0	0
			2021-22	18	5	9	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	11	11	12	0	0
			2021-22	13	12	12	1	1
13	मालखरीदा	लूट	2020-21	1	1	4	0	0
			2021-22	2	1	2	1	1
		हत्या	2020-21	3	3	6	0	0
			2021-22	5	5	12	0	4
		चोरी	2020-21	11	0	0	0	0
			2021-22	15	1	4	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	10	10	12	0	0
			2021-22	11	9	12	2	2
14	डभरा	लूट	2020-21	2	1	4	0	0
			2021-22	4	4	8	0	0
		हत्या	2020-21	5	4	6	1	1
			2021-22	4	3	3	1	1
		चोरी	2020-21	23	3	7	0	0
			2021-22	26	3	11	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	13	13	19	0	0
			2021-22	10	10	13	0	0
5	चंद्रपुर	लूट	2020-21	2	0	0	0	0
			2021-22	3	2	7	0	0
		हत्या	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		चोरी	2020-21	5	0	0	0	0
			2021-22	6	1	1	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	1	1	1	0	0
			2021-22	4	4	4	0	0

क्र.	स्थाना	अपराध शीर्ष	वित्तीय वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	पकड़े गये (गिरफ्तार आरोपी)		फरार आरोपी	
					प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति
16	जैजैपुर	लूट	2020-21	2	2	5	0	0
			2021-22	1	1	3	0	0
		हत्या	2020-21	1	1	1	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0
		चोरी	2020-21	12	2	2	0	0
			2021-22	13	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	10	9	9	1	1
			2021-22	8	6	9	2	2
17	हसीद	लूट	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	1	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	2	1	1	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0
		चोरी	2020-21	8	0	0	0	0
			2021-22	11	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	6	6	8	0	0
			2021-22	3	2	2	1	1
18	मुलमुला	लूट	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	2	2	2	0	0
			2021-22	4	2	3	0	0
		चोरी	2020-21	7	2	3	0	0
			2021-22	22	3	3	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	5	5	5	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0
9	अजाक	लूट	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		चोरी	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	1	1	1	0	0

क्र.	स्थाना	अपराध शीर्ष	वित्तीय वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	पकड़े गये (गिरफ्तार आरोपी)		फरार आरोपी	
					प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति
20	नगरदा	लूट	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		हत्या	2020-21	1	1	6	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		चोरी	2020-21	1	1	0	0	0
			2021-22	4	0	0	0	0
		डकैती	2020-21	0	0	0	0	0
			2021-22	0	0	0	0	0
		बलात्कार	2020-21	3	3	4	0	0
			2021-22	4	3	4	0	0


 अनुनाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1354) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडल अंतर्गत प्रशान्कित अवधि में रायगढ़ जिले में पंजीकृत श्रमिकों की मंडलवार एवं विकासखंडवार जानकारी।

क्र०	विकासखंड का नाम	असंगठित श्रमिक		संगठित श्रमिक	महायोग
		छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल		
1	खरसिया	2697	4827	2222	9746
2	घरघोडा	331	699	407	1437
3	तमनार	1049	88	674	1811
4	धरमजयगढ़	1045	581	0	1626
5	पुसौर	3378	1094	503	4975
6	बरमकेला	3113	2357	15	5485
7	रायगढ़	7308	7361	2945	17614
8	लैलूगा	734	166	70	970
9	सारगढ़	9371	3080	0	12451
	योग	29026	20253	6836	56115

Raething

अनुभाग अधिकारी
प्रशान्कित मंडल
श्रम विभाग

प्रपत्र - ब

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत प्रशुनिकित अवधि में रायगढ़ जिले में लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की संख्या

क्र0	योजना का नाम	लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की संख्या										योग			
		रायगढ़	पुसौर	बरमकेला	सारंगढ़	खरसिया	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	लैलुंगा	तमनार	योग	तमनार			
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	30	97	47	40	21	0	0	0	0	0	0	0	235	0
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	200	0	200	242	200	0	0	0	0	0	0	0	842	0
5	नौनिहाल छत्रवृत्ति योजना	896	642	334	1141	322	46	15	79	71	15	79	71	3546	71
6	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	51	29	36	69	3	0	1	0	10	1	0	10	199	10
7	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	47	15	59	55	28	4	1	3	1	4	3	1	213	1
8	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना (इस योजना को दिनांक 09.06.2020 से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में विलय किया गया है)	31	21	44	50	17	4	1	5	0	4	1	5	173	0
9	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	279	86	218	421	33	11	5	9	11	11	9	11	1073	11
10	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना	0	90149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90149	0
कुल योग -		1569	91039	938	2018	624	65	23	96	93	65	23	96	96465	93

Reethig

अनुभाग अधिकारी
रायगढ़ जिला
श्रम विभाग

प्रपत्र - स

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत प्रशान्कित अवधि में रायगढ़ जिले में लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र०	योजना का नाम	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या										योग	
		रायगढ़	पुरौर	बरमकेला	सांगरढ़	खरसिया	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	लैलुंगा	तमनार			
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	204	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1204
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	110	35	40	35	30	25	25	25	25	25	25	350
3	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हार्स सहायता योजना	45	35	50	0	0	0	0	0	0	0	0	130
4	मुख्यमंत्री असंगठित राउत घरवाहा एवं दूध दुहने वाले सहायता योजना	25	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	70
5	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति योजना	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्रियों हेतु सायकल सहायता योजना	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	89	23	21	0	0	0	0	0	0	0	0	133
8	सफाई कर्मकार विवाह सहायता योजना	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
9	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
10	ठेका श्रमिक घरलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	166	40	187	393	25	45	4	3	1	0	0	864
11	ठेका श्रमिक घरलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु विवाह योजना	12	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	23

Rachin
 1. मुख्य अधिकारी
 2. विकासखण्ड रायन

क्र०	योजना का नाम	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या										योग
		रायगढ़	पुसौर	बरमकेला	सारंगढ़	खरसिया	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	लैलुंगा	तमनार		
12	ठेका श्रमिक घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	191	37	23	34	12	1	4	0	0	0	302
13	घरेलु महिला कर्मकार सायकल छतरी चप्पल जूता सहायता योजना	227	200	200	200	200	200	200	150	150	150	1727
14	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूण और टोकर्री सहायता योजना	116	21	26	26	14	0	0	0	0	0	203
15	ई-रिक्शा सहायता योजना	35	1	0	1	0	0	0	0	0	0	37
16	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6
17	असंगठित कर्मकार प्रसूती सहायता योजना	92	48	238	69	6	58	2	3	4	4	520
18	असंगठित कर्मकार के बच्चों को छात्रवृत्ति सहायता योजना	56	4	2	11	3	0	0	0	0	0	76
19	असंगठित कर्मकार अंत्येच्छी सहायता योजना	17	2	3	2	0	0	0	0	0	0	24
20	असंगठित कर्मकार मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना	21	3	35	5	3	2	0	0	0	0	69
	कुल योग -	1429	587	991	910	420	456	360	306	305	305	5764

टीप - (1) असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना 01.06.2019 को समाप्त कर दी गई है किन्तु उसके पूर्व में प्राप्त आवेदन को निराकृत कर वर्ष 2020 में ठेका श्रमिक, हमाल एवं घरेलु महिला कामगार विवाह में 6 एवं असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना में 6 हितग्राही को लाभान्वित किया गया है।
(2) असंगठित कर्मकार अंत्येच्छी सहायता योजना 09.12.2019 में अधिकृत करते हुये असंगठित मृत्युदिव्यांग सहायता योजना में 6 हितग्राही को लाभान्वित किया गया है। पूर्व वर्ष में असंगठित कर्मकार अंत्येच्छी सहायता योजना में प्राप्त आवेदन को निराकृत कर वर्ष 2020 में 5 एवं वर्ष 2021 में 3 हितग्राही को लाभान्वित किया गया है।

Arshad

अनुभाग अधिकारी
प्रतीसंग्रह यत्न
अन विभाग

प्रपत्र - द

छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में रायगढ़ जिले में लाभान्वित संगठित श्रमिकों की योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र0	योजना का नाम	लाभान्वित संगठित श्रमिकों की संख्या											योग
		रायगढ़	पुसौर	बरमकेला	सारंगढ़	खरसिया	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	लैलुंगा	तमनार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	400	0	0	0	29	0	0	0	107	536		
2	कन्या विवाह सहायता योजना	7	0	0	0	2	0	0	3	0	12		
3	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	0	50069	0	0	0	0	0	0	0	50069		
	कुल योग -	407	50069	0	0	31	0	0	3	107	50617		

Reethig
 नाय अधिकारी
 जलोत्तमगढ़ खासन
 कल विभाग

पारोशेष्ट - सत्तासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1355) की जानकारी

प्रपत्र

द्वारा माननीय श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे जी विधानसभा सदस्य
(सारंगढ़ नगरपालिका के लिए स्वीकृत राशि तथा पूर्ण अपूर्ण कार्य)

(राशि लाख में)

अवधि	मद का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण		कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि	
		कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण		
01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020	अधोसंरचना मद	निरंक					
		वार्ड क्र. 01 रानीसागर में सामुदायिक भवन निर्माण	25.00	-	अपूर्ण	स्थल विवाद के कारण निरस्त	
		वार्ड क्र. 01 गिरी घर से बुटू यादव घर तक आर.सी.सी. नाली एवं कच्छर निर्माण	3.60	पूर्ण	-	-	
		वार्ड क्र. 01 कुटेला रामजी घर से पिताम्बर घर तक आर.सी.सी. नाली एवं कच्छर निर्माण	4.00	-	अपूर्ण	जून 2022	
		वार्ड क्र. 01 कुटेला तालाब में पचरी निर्माण	1.80	-	अपूर्ण	जून 2022	
		वार्ड क्र. 02 भोजपुर तालाब में पचरी निर्माण	0.90	-	अपूर्ण	जून 2022	
		वार्ड क्र. 03 कुशलनगर तालाब में पचरी निर्माण	1.04	-	अपूर्ण	जून 2022	
		वार्ड क्र. 03 में मवेशी बाजार पानी टंकी से झरियापारा तक पाईप लाईन विस्तार कार्य	5.00	-	अपूर्ण	जून 2022	
		वार्ड क्र. 03 में तुलाराम सोनवानी घर से सम्मेलाल बंजारे घर तक सी.सी.रोड निर्माण	7.28	पूर्ण	-	-	
		वार्ड क्र. 04 घसियापारा में रंगमंच निर्माण	2.10	-	अपूर्ण	जून 2022	
		वार्ड क्र. 05 विशालपुर में सखाराम घर से हैण्ड पम्प से झरपडीह पहुँच मार्ग तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण	19.92	पूर्ण	-	-	


अनुभाग अधिकारी


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन

अवधि	मद का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण		स्वीकृत राशि	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि
		क्र.	कार्य का नाम		पूर्ण	अपूर्ण	
01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	अधोसंरचना मद	11	वार्ड क्र. 05 विशालपुर में बाबुलाल घर से सखाराम घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण	12.38	-	अपूर्ण	जून 2022
		12	वार्ड क्र. 05 बावाकुटी रंगमंच से रहमुल्ला खान घर तक सी.सी.रोड निर्माण	12.13	पूर्ण	-	-
		13	वार्ड क्र. 06 सहसपुर में बलराम घर से ठाकुरदिया तक सी.सी.रोड एवं आर.सी.सी.नाली निर्माण	6.41	पूर्ण	-	-
		14	वार्ड क्र. 10 राकेश पटेल घर से कुलकित चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	9.93	पूर्ण	-	-
		15	वार्ड क्र. 10 में कमला साडेकर घर से डॉ. चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	9.93	पूर्ण	-	-
		16	वार्ड क्र. 10 बिलासपुर मेन रोड से तारिणी पटेल घर तक सी.सी.रोड निर्माण	7.94	पूर्ण	-	-
		17	वार्ड क्र. 10 राजू केशरवानी घर से पटेल सर घर तक सी.सी.रोड निर्माण	12.61	-	अपूर्ण	जून 2022
		18	वार्ड क्र. 11 में के.के. साहू घर से आदर्श विद्यालय तक पाईप लाईन विस्तार कार्य	1.97	-	अपूर्ण	जून 2022
		19	वार्ड क्र. 11 में कैलाश घर के पास रंगमंच निर्माण कार्य	2.10	-	अपूर्ण	जून 2022
		20	वार्ड क्र. 11 में छेदू घर के पास रंगमंच निर्माण कार्य	2.10	-	अपूर्ण	जून 2022
		21	वार्ड क्र. 11 बरपाली में रंगमंच निर्माण	2.10	पूर्ण	-	-
		22	वार्ड क्र. 11 सीताराम घर से चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	3.57	-	अपूर्ण	जून 2022
		23	वार्ड क्र. 11 में वबिल घर से संतोष सिदार घर तक सी.सी.रोड निर्माण	3.48	-	अपूर्ण	जून 2022
		24	वार्ड क्र. 12 में बनवारी श्रीवास घर से भागीरथी घर से होते हुये मदन यादव घर तक नाली निर्माण	2.97	-	अपूर्ण	जून 2022
		25	वार्ड क्र. 12 लाला घर से कुनू घर तक नाली निर्माण कार्य	1.42	-	अपूर्ण	जून 2022

अवधि	मद का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि
		क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	
01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	अधोसंरचना मद	26	वार्ड क्र. 12 अशोक पुजारी घर से पण्डा घर तक दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	3.84	-	अपूर्ण	जून 2022
		27	वार्ड क्र. 12 में शत्रुघन जायसवाल घर से त्रिनाथ घर तक नाली निर्माण कार्य	3.49	-	अपूर्ण	जून 2022
		28	वार्ड क्र. 12 शिव निबाद घर से विजय सिदार घर तक नाली निर्माण कार्य	2.60	-	अपूर्ण	जून 2022
		29	वार्ड क्र. 12 चमार गली से घोष गुरु जी के घर तक नाली निर्माण	1.57	-	अपूर्ण	जून 2022
		30	वार्ड क्र. 12 द्वारीका घर से रामा घर तक नाली निर्माण	1.74	-	अपूर्ण	जून 2022
		31	वार्ड क्र. 12 सहस्र गली में बिहारी कहार घर से गोपाल शर्मा घर तक नाली निर्माण	3.67	-	अपूर्ण	जून 2022
		32	वार्ड क्र. 12 विभिन्न स्थानों में नाली कव्हर निर्माण कार्य	5.41	-	अपूर्ण	जून 2022
		33	वार्ड क्र. 12 द्वारीका गली से देवघरा गली तक पाईप लाईन विस्तार कार्य	1.97	-	अपूर्ण	जून 2022
		34	वार्ड क्र. 12 इन्द्रा चौक में रंगमंच निर्माण	2.10	-	अपूर्ण	जून 2022
		35	वार्ड क्र. 14 नावापारा में प्राथमिक शाला से दुखनाथ घर तक सी.सी. रोड निर्माण	29.97	-	अपूर्ण	जून 2022
		36	वार्ड क्र. 14 नावापारा में प्राथमिक शाला से दुखनाथ घर तक आर.सी. सी. नाली निर्माण	6.30	-	अपूर्ण	जून 2022
		37	वार्ड क्र. 14 प्राथमिक शाला से दुखनाथ घर तक पाईप लाईन विस्तार कार्य	2.24	-	अपूर्ण	जून 2022
		38	वार्ड क्र. 15 बंगाली घर से सुषमा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	7.49	-	अपूर्ण	जून 2022
		39	वार्ड क्र. 15 मंदिर गली से अविनाश घर तक सी.सी.रोड निर्माण	4.99	पूर्ण	-	-
		40	वार्ड क्र. 15 शंकर चौहान घर से श्याम यादव घर तक सी.सी.रोड निर्माण	2.50	पूर्ण	-	-
		41	वार्ड क्र. 15 मुक्तिधाम से महेश घर तक सी.सी.रोड निर्माण	9.99	-	अपूर्ण	जून 2022

अवधि	मद का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य पूर्ण किये जाने की समावित तिथि
		क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	
01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	अधोसंरचना मद	42	वार्ड क्र. 01 रानीसागर में मुक्तिधाम निर्माण कार्य	12.77	-	अपूर्ण	जून 2022
		43	वार्ड क्र. 05 बावाकुटी में मुक्तिधाम निर्माण कार्य	12.77	-	अपूर्ण	जून 2022
		44	वार्ड क्र. 06 सहसपुर में मुक्तिधाम निर्माण कार्य	12.77	-	अपूर्ण	जून 2022
		45	वार्ड क्र. 10 खैराहा में मुक्तिधाम निर्माण कार्य	12.76	-	अपूर्ण	जून 2022
		46	वार्ड क्र. 05 स्वीपर मोहल्ला में मुक्तिधाम शेड निर्माण	8.00	पूर्ण	-	-
		47	वार्ड क्र. 10 नन्दकिशोर अग्रवाल घर से डॉ. मनहर घर तक नाली निर्माण	3.70	पूर्ण	-	-
		48	वार्ड क्र. 15 श्याम रात्रे घर से आनन्द रात्रे घर तक एवं मुक्तिधाम घर से बजरंग घर तक नाली निर्माण	11.02	पूर्ण	-	-
		49	वार्ड क्र. 02 गढ़ चौक से सिचाई विभाग के केनाल तक नाली निर्माण	18.94	-	अपूर्ण	जून 2022
		50	वार्ड क्र. 02 कोसीर मेन रोड से छात्रावास के सामने होते हुये पहुंच मार्ग निर्माण	21.22	पूर्ण	-	-
		51	वार्ड क्र. 15 परमेश्वर चौहान घर के पास रंगमंच निर्माण	2.10	पूर्ण	-	-
		52	वार्ड क्र. 15 चौहान पारा पठार में रंगमंच निर्माण	2.10	पूर्ण	-	-
		53	वार्ड क्र. 15 साहनी पारा में रंगमंच निर्माण	2.10	पूर्ण	-	-
		54	वार्ड क्र. 04 मिट्टी तेल टंकी गली से शितला छाया गली के पीछे अंतिम छोर तक सी.सी.रोड निर्माण	19.96	-	अपूर्ण	जून 2022
		55	वार्ड क्र. 04 सहनी मोहल्ला में नाली निर्माण कार्य	5.24	-	अपूर्ण	जून 2022
		56	विभिन्न वार्डों में सिनटेक्स पानी टंकी निर्माण कार्य	6.00	-	अपूर्ण	जून 2022
		57	वार्ड क्र. 15 केल्ली गली से मजार तक पुलिया क्रासिंग एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.34	-	अपूर्ण	जून 2022
		58	वार्ड क्र. 07 जेलपारा स्थित उद्यान उन्नयन कार्य	20.00	-	अपूर्ण	जून 2022
		59	वार्ड क्र. 07 लोहारीन डबरी तालाब गार्डन का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य	11.76	-	अपूर्ण	जून 2022

अवधि	मद का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य पूर्ण किये जाने की समाप्ति तिथि
		क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	
01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	अधोसंरचना मद	60	वार्ड क्र. 06 भोगीलाल तालाब गार्डन का सौंदर्यकरण एवं विकास कार्य	14.48	-	अपूर्ण	जून 2022
		61	वार्ड क्र. 09 नया तालाब में शनि मंदिर के पीछे पक्की निर्माण एवं सौंदर्यकरण कार्य	12.50	-	अपूर्ण	जून 2022
		62	वार्ड क्र. 14 बोर के पास से रोड क्रॉसिंग निर्माण	0.68	पूर्ण	-	-
		63	वार्ड क्र. 14 नया उद्यान के पास रोड क्रॉसिंग निर्माण	2.19	पूर्ण	-	-
		64	वार्ड क्र. 13 राजापारा गार्डन में रिटानिंग वाल निर्माण	2.11	-	अपूर्ण	जून 2022
		65	वार्ड क्र. 04 मोना मार्बल से सहनी मोहल्ला पानी टंकी तक आर.सी. सी. नाली निर्माण	6.03	-	अपूर्ण	जून 2022
		66	वार्ड क्र. 04 लखन जायसवाल गली चिंगरीपाली सी.सी.रोड निर्माण	6.35	पूर्ण	-	-
		67	वार्ड क्र. 02 न्यायालय रोड अपेक्स बैंक से जीतु गुप्ता घर तक पाईप लाईन विस्तार	1.56	-	अपूर्ण	जून 2022
					योग :-	500.00	21


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 शयपुर (छ.ग.)

परिशेष - अट्टासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 1356) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडल अंतर्गत प्रशान्कित अवधि (वर्ष 2019 से दिसंबर 2021 तक) में रायगढ़ जिले में किये गये श्रमिक पंजीयन एवं आबंटित श्रम कार्ड की मंडलवार एवं विकासखंडवार जानकारी।

क्र०	विकासखंड का नाम	असंगठित श्रमिक				संगठित श्रमिक		महायोग	
		छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल		छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल		छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल		पंजीयन संख्या	आबंटित श्रम कार्ड संख्या
		निर्माण श्रमिक पंजीयन संख्या	आबंटित श्रम कार्ड संख्या	असंगठित कर्मकार पंजीयन संख्या	आबंटित श्रम कार्ड संख्या	संगठित श्रमिक पंजीयन संख्या	आबंटित श्रम कार्ड संख्या		
1	खरसिया	2697	2697	4827	4827	2222	9746	7524	
2	घरघोडा	331	331	699	699	407	1437	1030	
3	तमनार	1049	1049	88	88	674	1811	1137	
4	धरमजयगढ	1045	1045	581	581	0	1626	1626	
5	पुसौर	3378	3378	1094	1094	503	4975	4472	
6	बरमकेला	3113	3113	2357	2357	15	5485	5470	
7	रायगढ	7308	7308	7361	7361	2945	17614	14669	
8	लैबूगा	734	734	166	166	70	970	900	
9	सारगढ	9371	9371	3080	3080	0	12451	12451	
	योग	29026	29026	20253	20253	6836	56115	49279	

Reetling

अनुभाग अधिकारी
कल्याण मंडल
श्रम विभाग

प्रपत्र - ब

प्रश्नांकित अवधि (वर्ष 2019 से दिसंबर 2021 तक) में रायगढ़ जिले में
मंडलवार लाभान्वित पंजीकृत श्रमिक एवं पंजीकृत श्रमिक के आश्रित की जानकारी

क्र०	मंडल का नाम	लाभान्वितों की संख्या
1	छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	96465
2	छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	5764
3	छ०ग० श्रम कल्याण मंडल	50617
योग		152846


अनुभाग अधिकारी
सतौसाद शसन
श्रम विभाग

परिशेष - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 1357) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में पुल, पुलिया निर्माण की स्वीकृति।

क.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	ठेकेदार/ फर्म/ एजेंसी का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2019 से दिसंबर, 2021 तक						
1	पुसौर	जिला रायगढ़ के लंकापाली से छीच मार्ग में लालडीपा नाला में पुलिया निर्माण।	789.49	मेसर्स अशोक केजरीवाल	अपूर्ण	भू-अर्जन एवं कोविड-19 के कारण विलंब।
2	पुसौर	जिला रायगढ़ के बुनगा डीपापारा से रनभांठा के बीच पुल निर्माण।	109.16	श्री राकेश कुमार अग्रवाल 'ए' वर्ग ठेकेदार खरसिया	अपूर्ण	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि 10.03.2023
3	रायगढ़	जिला रायगढ़ के साल्हेओना कुकुर्दा मार्ग के सपनई नाला पर पुल निर्माण।	740.29	सजन गुप्ता, रायगढ़	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 09.01.2023
4	खरसिया	जिला रायगढ़ के तुरेकेला तिउर के बीच सपनई नाला वि.ख. खरसिया पर पुल निर्माण।	627.42	मेसर्स विसम्भर दयाल अग्रवाल, लूडेग	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि-08.01.2023

क.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	ठेकेदार/ फर्म/ एजेंसी का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
5	खरसिया	जिला रायगढ़ के नवापारा भाटपारा के मध्य माकाखड़िया नाला पर पुल निर्माण।	457.17	श्री संतोष अग्रवाल, कोरबा	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि-11.09.2022
6	खरसिया	जिला रायगढ़ के हावड़ा मुबई रेलमार्ग के कि.मी. 620/13-15 में लेवल क्रॉसिंग नं. 313 खरसिया यार्ड के पास रेलवे ओवर ब्रिज एवं रेलवे अण्डर ब्रिज का निर्माण। (कार्य वर्ष 2021-22 नया कार्य)	6494.87	-	अपूर्ण	वर्ष 2021-22 का कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा दि. 02.01.21 निविदा कार्यवाही प्रगति पर।
7	धरमजयगढ़	जिला रायगढ़ के ग्राम तेन्दुमुडी (खरसिया) से ग्राम बेहरामुडा (धरमजयगढ़) के बीच स्थित कुरकुट नदी में पुल निर्माण	1,123.06	मेसर्स विसम्मर दयाल अग्रवाल, लूडेग	अपूर्ण	भू-अर्जन एवं कोविड-19 के कारण विलंब।
8	धरमजयगढ़	जिला रायगढ़ के रायमेर से ससकोबा मार्ग के माण्ड नदी पर पुल निर्माण।	789.75	मेसर्स विसम्मर दयाल अग्रवाल, लूडेग	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 27.07.2022
9	धरमजयगढ़	जिला रायगढ़ के नरकालो बायसी मार्ग पर मांड नदी पर पुल निर्माण	1,385.13	मेसर्स विसम्मर दयाल अग्रवाल, लूडेग	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 14.05.2023

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	ठेकेदार/ फर्म/ एजेंसी का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
10	तमनार	जिला रायगढ़ के वि.ख. तमनार के मिलूपारा तोलगे मार्ग (हिंझर नाला) पुल निर्माण।	300.72	श्री संतोष अग्रवाल, कोरबा	अपूर्ण	भू-अर्जन एवं कोविड-19 के कारण विलंब।
11	तमनार	जिला रायगढ़ के बिजना से हमीरपुर के मध्य कोलडेगा नाला पर पुल निर्माण।	495.11	सजन गुप्ता, रायगढ़	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 03 / 2022
12	लैलूंगा	जिला रायगढ़ के तारागढ़ से रामपुर भेडीपुडा से भराली नाला पर पुल निर्माण।	451.02	Sajan Gupta Raigarh	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 04.05.2022
13	लैलूंगा	जिला रायगढ़ के लैलूंगा के पाकरगोंव मार्ग पर खारून नदी पर पुल निर्माण।	639.06	Sajan Gupta Raigarh	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 04.05.2022
14	बरमकेला	जिला रायगढ़ के दानीघाटी से पैमिन मार्ग में दवेधरहा नाला में पुलिया निर्माण।	624.00	सजन गुप्ता, रायगढ़	अपूर्ण	कोविड-19 के कारण विलंब।
15	बरमकेला	जिला रायगढ़ के कोसमडीह कोतरा मार्ग के कि.मी. 2/6 पर किंकारी नाला पर पुल निर्माण।	717.34	मेसर्स विसम्मर दयाल अग्रवाल, लूडेग	अपूर्ण	कोविड-19 के कारण विलंब।
16	बरमकेला	जिला रायगढ़ के बरमकेला बडेनवापारा मार्ग पर किंकारी नाला पर पुल निर्माण।	1,303.05	मेसर्स विसम्मर दयाल अग्रवाल, लूडेग	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 24.01.2023

क.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	ठेकेदार/ फर्म/ एजेंसी का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
17	सारंगढ़	जिला रायगढ़ के गोड़ा से टांगर मार्ग के लात नाला पर पुल निर्माण।	665.10	सजन गुप्ता, रायगढ़	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 01.08.2022
18	सारंगढ़	जिला रायगढ़ के अमोदी (अमेठी) से साराडीह मार्ग पर घोघरा नाला पर पुल निर्माण।	480.19	मेसर्स अशोक केजरीवाल, सारंगढ़	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि- 06.05.2022



मुख्य अभियंता

कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.


जुबा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परीशेष्ट - नब्बे

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 1363) की जानकारी


प्रपत्र - "अ"

स. क.	जिले का नाम	आरक्षक		प्रधान आरक्षक		सहायक उपनिरीक्षक		उपनिरीक्षक		निरीक्षक		अनुविभागीय अधिकारी	
		पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क	पुर्क
1	जिला रायपुर	2590	2248	525	438	183	233	159	104	55	64	01	01
2	जिला बलौदाबाजार	943	790	188	186	79	57	44	16	16	17	03	03
3	जिला धमतरी	798	691	143	141	66	68	40	14	18	24	02	02
4	जिला महासमुंद	797	731	150	144	63	56	40	20	15	19	03	03
5	जिला गरियाबंद	758	612	140	131	62	46	31	09	12	08	02	02
6	जिला दुर्ग	1597	1483	338	297	118	143	122	73	34	38	01	01
7	जिला राजनांदगांव	1874	1558	366	350	161	137	100	63	37	39	05	05
8	जिला कबीरधाम	917	796	192	189	83	71	56	23	22	18	02	02
9	जिला बालोद	654	622	119	114	55	58	32	12	11	15	01	01
10	जिला बेमेतरा	423	372	100	99	39	30	26	11	08	10	02	02
11	जिला बिलासपुर	1339	1132	269	217	95	59	91	54	34	29	01	01
12	जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही	216	182	42	37	18	19	13	12	03	06	00	01
13	जिला रायगढ़	1044	865	222	193	88	82	66	28	24	21	03	03


 अनुपामा अधिकारी
 प्रमुख विभागा
 गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही
 रायगढ़ जिला

स. क.	जिले का नाम	आरक्षक		प्रधान आरक्षक		सहायक उपनिरीक्षक		उपनिरीक्षक		निरीक्षक		अनुविभागीय अधिकारी	
		पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज	पैकेज
14	जिला कोरबा	785	734	155	120	66	61	44	25	20	25	01	01
15	जिला जांजगीर-चांपा	896	838	185	167	88	86	59	29	25	24	04	04
16	जिला मुंगेली	409	338	87	78	43	38	28	15	10	06	01	01
17	जिला सरगुजा	813	791	154	143	52	48	51	30	19	19	01	02
18	जिला जशपुर	672	613	140	133	54	49	40	20	14	12	04	04
19	जिला सूरजपुर	908	791	188	164	70	64	51	30	19	16	04	03
20	जिला बलरामपुर	1063	816	195	171	82	74	57	37	21	16	03	03
21	जिला कोरिया	569	504	112	91	40	37	32	21	13	10	01	01
22	जिला बस्तर	1612	965	319	292	104	134	102	50	29	34	03	03
23	जिला बीजापुर	1848	1056	374	334	146	105	91	68	41	26	05	05
24	जिला दंतवाडा	1233	755	262	250	78	90	61	48	25	19	01	01
25	जिला कांकर	1539	1061	299	276	105	117	76	43	30	26	04	04
26	जिला नारायणपुर	1309	521	254	223	90	78	54	22	27	19	03	03
27	जिला कोण्डागांव	1136	715	238	220	85	90	56	29	19	21	03	03
28	जिला सुकमा	1536	996	307	290	120	83	63	42	29	16	05	05

टीप- अनुविभागीय अधिकारी, विधानसभा रायपुर के स्वीकृत पद पर नगर पुलिस अधीक्षक, विधानसभा, रायपुर पदनाम से श्री उदयन बेहार पदस्थ है।


 अनुभागा अधिकारी
 विकास मंत्रालय
 गृह विभाग
 नया रायपुर
 मंत्रालय

प्रपत्र - "ब"


स. क.	पदनाम	मत्तों की जानकारी				मत्तों में पिछले 3 वर्षों में की गई वृद्धि की जानकारी
		निश्चित यात्रा मत्ता	रिस्पांस मत्ता माह-03/2020 से प्रारंभ	पौष्टिक आहार मत्ता	वर्दी घुलाई मत्ता	
1	आरक्षक	25	1000	100	60	100
2	प्रधान आरक्षक	30	1000	100	60	100
3	सहायक उपनिरीक्षक	-	1200	100	80	100
4	उपनिरीक्षक	-	1200	100	80	100
5	निरीक्षक	-	1200	100	80	100
6	अनुविभागीय अधिकारी	-	-	-	100	-

रायफल मॉटेनेंस मत्ता में वर्ष 2019 में वृद्धि कर क्रमशः 300/- एवं 200/- स्वीकृत किया गया है।

1. नक्सल ड्यूटी मत्ता - नक्सल क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को शासनादेश के अनुसार 6वें वेतनमान के मूल वेतन का 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत संवेदनशील एवं अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र के अनुसार प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।

2. राशन मत्ता - नक्सल क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासनादेश अनुसार बस्तर संभाग एवं राजनांदगाँव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 650/- एवं बस्तर संभाग तथा राजनांदगाँव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 2000/- प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।

3. बस्तर मत्ता - बस्तर मत्ता क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों उप पुलिस अधीक्षक को - 600/- एवं आरक्षक से निरीक्षक को 500/- प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।


अनुपामा अशिक्षारी
अनुपामा अशिक्षारी
मुख्य विभाग
नया रायपुर,
संसारण,


4. अनुसूचित क्षेत्र भत्ता - अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को उप पुलिस अधीक्षक को 80/- से 400/- प्रतिमाह एवं आरक्षक से निरीक्षक को - 40/- से 200/- प्रतिमाह।
5. चिकित्सा भत्ता - ओपीडी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के एवज में 200/- प्रतिमाह सिर्फ विकल्प प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों को प्रदान किया जा रहा है।
6. रायफल मेंटेनेंस भत्ता - रायफल मेंटेनेंस भत्ता पूर्व में प्र.आर. आर्म्स एवं आरक्षक आर्म्स को क्रमशः 10/- एवं 05/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता था, जिसमें शासन द्वारा वर्ष 2019 में वृद्धि कर क्रमशः 300/- एवं 200/- स्वीकृत किया गया है।
7. विशेष जोखिम भत्ता - मूल वेतन का 50 प्रतिशत माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा में तैनात कर्मियों को प्रदान किया जाता है।
8. विशेष भत्ता - मूल वेतन का 50 प्रतिशत एसटीएफ एवं विशेष आसूचना शाखा में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
9. गृह भाड़ा भत्ता - अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास उपलब्ध नहीं है उन्हें मूलवेतन के निर्धारित प्रतिशत पर गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किया जाता है - रायपुर, दुर्ग-भिलाई के लिए 10 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्र के लिए 07 प्रतिशत भत्ता प्रदान किया जाता है। दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु 30 प्रतिशत।
10. नगर क्षतिपूर्ति भत्ता - रायपुर, दुर्ग-भिलाई के लिए 75/- एवं बिलासपुर तथा कोरवा के लिए 50/- प्रतिमाह आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रदान किया जाता है।


 अनुभाग अधिकारी
 कर्मचारी मंत्रालय
 विशेष विभाग
 गृह विभाग, नया रायपुर
 भिलाई

धान उपार्जन हेतु बारदानों की अनुमानित आवश्यकता ,प्राप्ति , दर एवं भुगतान की जानकारी

क्र-	खरीफ वर्ष	बारदाने की अनुमानित आवश्यकता (लाख गठान में)	बारदाने का प्रकार	प्राप्त बारदानें (गठान में)	दर प्रति नग (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (करोड़ में)	भुगतान हेतु शेष राशि
1	2018-19	3.75	जूट कमिश्नर से प्राप्त जूट बारदाना	223774	50.87	573.38	0.00
			पीडीएस बारदाना	28931	12.00	18.47	0.00
			किसान बारदाना	12289	12.00	5.74	0.00
2	2019-20	4.25	जूट कमिश्नर से प्राप्त जूट बारदाना	265135	54.83	711.63	0.00
			पीडीएस बारदाना	66304	14.00	38.85	0.00
			किसान बारदाना	21	14.00	0.01	0.00
3	2020-21	4.75	जूट कमिश्नर से प्राप्त जूट बारदाना	109696	57.87	366.64	0.00
			एचडीपीई	37512	21.05	39.50	0.00
			पीडीएस बारदाना	79648	15.00	56.49	0.00
			किसान बारदाना	81022	15.00	60.76	0.00
			समिति बारदाना	1027	15.00	0.77	0.00
4	2021-22	5.25	जूट कमिश्नर से प्राप्त जूट बारदाना	207095	74.75	800.53	0.00
			एचडीपीई	100112	26.00	106.81	41.02
			पीडीएस बारदाना	77744	25.00	0.00	97.24
			किसान बारदाना	71038	25.00	87.45	1.34

टीप - 1. जूट कमिश्नर से प्राप्त जूट बारदाना तथा एचडीपीई बारदाना की दर औसत दर प्रति नग दर्शाई गई है


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य ना.आ. एवं उप.संर. विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- 'ब'

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में धान उपार्जन हेतु निविदाकार अनुसार आपूर्ति किये गये नये एचडीपीई बारदानों की जानकारी

(मात्रा गठान में)

क्र-	खरीफ वर्ष	प्रदायकर्ता संस्था का नाम	क्रय मात्रा (गठान में)	दर प्रति गठान
1	2020-21	मेसर्स फॉरमोसा सेंथेटिक प्रा- लिमि-	13081	10399
		मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा- लिमि-	3148	10351.00
			1220	10251.00
			1809	10451.00
		मेसर्स प्रगति उद्योग प्रा- लिमि-	7254	10700.00
		मेसर्स प्रताप सेंथेटिक प्रा- लिमि-	6000	10875.00
		मेसर्स मस्कट पॉलिमर प्रा- लिमि-	3000	10545.00
2000	10395.00			
2	2021-22	मेसर्स समर्थ फैबलॉन प्रा-लिमि-	24593	13000.00
		मेसर्स अलकनंदा फ्यूल प्रा-लिमि-	10399	13000.00
		मेसर्स नार्थ-ईस्ट ग्रेनुलेटर्स इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर	10834	13000.00
		मेसर्स आंगन एगोटेक एक्सपोर्ट लिमि-	14995	13000.00
		मेसर्स वीर प्लास्टिक प्रा-लिमि-	14868	13000.00
		मेसर्स प्रताप सिंथेटिक्स लिमि-	13350	13000.00
		मेसर्स मोर टेकफैब प्रा-लिमि-	11073	13000.00


अधिर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 खाद्य ना.आ. एवं उप.संर. विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - बयानबे
अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 1371) की जानकारी

प्रपत्र -अ

वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक नवीन जारी अंत्योदय एवं सामान्य
(ए.पी.एल.) राशनकार्ड की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	अंत्योदय राशनकार्ड			सामान्य राशनकार्ड		
		वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022
1	लोहण्डीगुडा	68	6	0	41	24	2
2	दरभा	2	4	2	0	0	2
3	तोकापाल	27	15	0	52	17	0
4	बास्तानार	7	1	0	5	15	0




अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
उत्तम नागरिक आपूर्ति एवं
संरक्षण विभाग
, गणपुर

प्रपत्र -ब

वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक निरस्त किए गए अंत्योदय राशनकार्ड की वर्षवार,
विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	वर्ष		
		2020	2021	2022
1	बास्तानार	0	0	0
2	दरभा	2	0	0
3	तोकापाल	0	2	0
4	लोहण्डीगुडा	5	0	1


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर